सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन
एवं
पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, छत्तीसगढ़

मुद्रण – 1, 30 दिसम्बर 2022

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक)

सहकारिता विभाग छ.ग.शासन एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परिपत्रों की अनुक्रमणिका

क्रमांक	परिपत्र क्रमांक	दिनांक	कार्यालय	शाखा	विषय	पृ. क्रं.
1	2	3	4	5	6	7
					साख कक्ष	
1	5352	03.11.2014	पंजीयक	साख / 2014	प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों के लिए आरक्षण के संबंध में।	1–2
2	643	27.01.2018	पंजीयक	साख–2 / सीसीबी	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए सेवायुक्तों के सेवा नियम 2018 संशोधन विषयक।	3–16
3	4147	24.09.2018	पंजीयक	साख–2 / सीसीबी / 2018	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सेवायुक्तों के लिए सेवा नियम 2018 संशोधन विषयक।	17–21
4	4095	01.12.2020	पंजीयक	साख–1 I / 2020	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के सेवायुक्तों के लिए पेट्रोल एलाउंस में संशोधन विषयक।	22
5	4380	16.12.2020	पंजीयक	साख / सर्कुलर / 2020	विभागीय प्रकरणों / शिकायतों के निराकरण के संबंध में।	23–24
6	4456	21.12.2020	पंजीयक	साख / सर्कुलर / 2020	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कर्मचारियों की भर्ती बाबत।	25–27
7	215	14.01.2021	पंजीयक	साख / सर्कुलर / 2021	प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा संस्थाओं की बोर्ड एवं विभिन्न उप समितियों में पदेन सचिव की हैसियत से निर्धारित दायित्वों का समुचित निर्वहन करने संबंध में।	28–29
8	267	19.01.2021	पंजीयक	साख / सर्कुलर / 2021	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के बोर्ड एवं विभिन्न उप समितियों की बैठक में विभागीय प्रतिनिधित्व बाबत।	30–31
9	370	04-01-2021 25.01.2021	पंजीयक	04.01.2021 साख–1A / न. क्र.9–15 / 2021 एवं 08 दि 04.01.2021	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन किये जाने पर आस्तियों / दायित्वों के विभाजन के संबंध में।	32–43
10	2035	04-06-2021	पंजीयक	साख / सर्कुलर / 2021	कोविड–19 के कारण आकस्मिक रूप से निधन हुए कर्मचारियों के परिवारजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में।	44
11	3683	29-09-2021	पंजीयक	साख / सर्कुलर / 2021	पुनर्गठन पश्चात् प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में स्टॉफिंग पैटर्न निर्धारण तथा नवगठित समितियों में सेवायुक्तों की भर्ती बाबत्।	45–57
12	3550	02.11.2021	पंजीयक	साख–2 / एक्सग्रेसिया / 2020	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक / जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कार्यरत सेवायुक्तों को बोनस / एक्सग्रेसिया राशि के भुगतान के संबंध में।	58–60
13	2040	06.06.2022	पंजीयक	साख–2 / सीसीबी / 132 / 2022	बैक की शाखा निपानी में किसानों के खातों में हुए गबन प्रकरण में कार्यवाही बाबत।	61–62
14	3105	15.09.2022	पंजीयक	साख–2 / सीसीबी / 04 / 2022	अधिनियम के प्रावधानों /सांविधिक अंकेक्षण / नाबार्ड निरीक्षण / जॉच के दौरान उठायी गयी आपत्तियों / कमियों का निराकरण तथा पालन प्रतिवेदन के संबंध में।	63–64

क्रमांक	परिपत्र क्रमांक	दिनांक	कार्यालय	शाखा	विषय	पृ. क्रं.
1	2	3	4	5	6	7
					विपणन कक्ष	
15	3282	04.07.2015	पंजीयक	विपणन / 2015	सोसाइटियों के माध्यम से कृषकों को वितरित किए जाने वाले खाद एवं बीज के संबंध में।।	65–66
					पंजीयन कक्ष	
16	1418	14.03.2014	पंजीयक	पंजीयन / 2014	सहकारी अकृषि साख संस्थाओं के पंजीयन हेतु दिशा–निर्देश।	67–69
17	2985	16.06.2014	पंजीयक	पंजीयन / 2014	सहकारी सोसायटियों के पंजीयन निर्देश।	70–73
18	2668	23.05.2015	पंजीयक	साख–2 / 2015	प्राथमिक अकृषि साख सहकारी समितियों के पंजीयन के संबंध में।	74–75
19	3248	02.07.2019	पंजीयक	पंजी. / 2–37 / 2019	खाद्य सुरक्षा, पोषण एवं उपभोक्ता सेवाओं के लिए सहकारी संस्थाओं को गठन।	76–77
20	3336	28.11.2019	मंत्रालय	एफ 15–40 / 15–2 / 2019	ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण सहकारी समिति के गठन हेतु आदर्श उप–विधि।	78–105
21	6823, 3500	07.12.2019, 10-12-2019	पंजीयक	पंजीयन / 2–3 8 / 2019	ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने हेतु गृह निर्माण सहकारी समितियों के गठन बाबत्।	106–108
22	4460	21.12.2020	पंजीयक	पंजीयन / 2020	सहकारी सोसाइटियों का ऑनलाईन पंजीयन।	109–110
23	1939	29.05.2021	पंजीयक	पंजीयन / 02–36 / 2021	लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर के उपविधि में संशोधन विषयक।	111–113
24	1940	29.05.2021	पंजीयक	पंजीयन / 02–25 / 2021	व्यवसायिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर के उपविधि में संशोधन विषयक।	114–117
25	1941	29.05.2021	पंजीयक	पंजीयन / 02–19 / 2021	नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर के उपविधि में संशोधन विषयक।	118–121
					परिसमापन कक्ष	
26	9298	13.12.2013	पंजीयक	गृ.नि. / 2013	छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 60 के तहत परिसमापित सहकारी संस्थाओं में अधिनियम की धारा 70 के तहत नियुक्त परिसमापकों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।	122–123
27	2960	23.10.2020	पंजीयक	परिसमापन / 2020	परिसमापकों द्वारा सहकारी संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही अधिनियम / नियम के प्रावधानों के तहत करने विषयक।	124–126
					योजना	
28	2141	15.06.2021	पंजीयक	पंससं / गृ.नि. / 42 / 06 / 2021	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित रायपुर (छ.ग.) के ऋण की वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना के क्रियान्वयन बाबत।	127–131
29	1061	28.03.2013	मंत्रालय	एफ 12–04 / 15–02 / 2011	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउददेशीय सहकारी समितियों में उन्नयन हेतु योजना 2013	132–134
30	2427, 1247	30-08-2013, 24-05-2014	मंत्रालय	क0 / एफ 15–42 / 15–02 / 2012 / 2427	दीर्घकालीक सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन की योजना 2013	135–146
31	1858	07.08.2014	मंत्रालय	एफ 12–7 / 15–2 / 2013	विपणन सहकारी समितियों के सुदृढीकरण हेतु नियम	147–152
32	2251	25.09.2014	मंत्रालय	एफ 12–5 / 15–2 / 2014	सहकारी क्षेत्र के शक्कर कारखानों को कार्यशील पूंजी ऋण में ब्याज दर को युक्तियुक्त करते हुए कारखानों के लिए ब्याज दर 9.5 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित बाबत।	153

क्रमांक	परिपत्र क्रमांक	दिनांक	कार्यालय	शाखा	विषय	पृ. क्रं.
1	2	3	4	5	6	7
33	2014	26.09.2014	मंत्रालय	एफ 12–5/ 15–2/2014	सहकारी शक्कर कारखाना को आर्थिक सहायता हेतु नियम	154–163
34	2014	26.09.2014	मंत्रालय	एफ 12–6/ 15–2/2014	आदिम जाति एवं प्राथमिक कृषि साख, सहकारी समितियों के अंशक्रय हेतु अनुदान, नियम	164–166
35	2014	26.09.2014	मंत्रालय	एफ 12–7/ 15–2/2014	आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान नियम	167–170
36	2838	26.12.2015	मंत्रालय	एफ 15–30/ 15–02/2015	सूखा प्रभावित कृषकों के लिये अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना– 2015	171–178
37	3334	19-12-2018	मंत्रालय	एफ 15–45/ 15–02/ 2018/3334	अल्पकालीन कृषि ऋणमाफी – 2018	179–185
				ऋणमाफी		
38	424	01.02.2019	पंजीयक	साख–2/ऋण माफी/2019	अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2018 के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु संभाग स्तरीय समिति गठन विषयक।	186–187
39	425	01.02.2019	पंजीयक	साख–2/ऋण माफी/2019	अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2018 के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तरीय समिति गठन विषयक।	188–189
40	460	01.02.2019	पंजीयक	साख–2/ऋण माफी/2019	अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2018 के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना।	190–192
				मंत्रालय छ.ग. शासन		
41	3014	14.09.2021	मंत्रालय	एफ 15–9/ 15–2/2021	लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण वितरण कराने हेतु योजना 2021	193–199
42	1	04.02.2022	मंत्रालय	एफ 15–17/ 15–2/2021/1	राज्य के कृषकों को सहकारी कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम	200–203
43	2	07.03.2022	मंत्रालय	एफ 03–02/ 15–2/2021/2	नाबार्ड सहायता से गोदाम सह–कार्यालय निर्माण योजना 2022	204–212
44	2424	13.09.2022	मंत्रालय	एफ 15–28/ 15–2/2022	"राज्य के कृषकों को सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021" में संशोधन/विलोपन बाबत।	213–215
45	2431	14.09.2022	मंत्रालय	एफ 15–28/ 15–2/2022	ब्याज अनुदान नियम 2021 के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश	216–219
				अंकेक्षण कक्ष		
46	2175	26.04.2014	पंजीयक	अंकेक्षण–1/2 014	विशेष संपरीक्षा छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58 (4) (चार) का परंतु (संशोधन अधिनियम 2012)	220–221
47	982	25.02.2015	पंजीयक	अंकेक्षण–3/3 4/2015	छ.ग.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रं. 17 सन 1961) की धारा 58 की उपधारा (4) एवं छ.ग. सहकारी सोसायटी नियम 1962 नियम 50–क(3) के अनुसार सनदी लेखाकारों को देय संपरीक्षा शुल्क निर्धारण विषयक।	222–224

क्रमांक	परिपत्र क्रमांक	दिनांक	कार्यालय	शाखा	विषय	पृ. क्रं.
1	2	3	4	5	6	7
48	3445	14.07.2015	पंजीयक	अंकेक्षण–3/2015	सहकारी संस्थाओं के वैधानिक संपरीक्षा की प्रक्रिया का निर्धारण।	225–233
49	4095	22.08.2015	पंजीयक	अंकेक्षण–3/2015	छ.ग.सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (1–क) के अंतर्गत समिति की विवरणी फाईल विषयानुसार प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किये जाने बाबत।	234–241
50	5096	29.10.2015	पंजीयक	अंकेक्षण–3/2015	अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत संस्थाओं के लेखाओं की वैधानिक संपरीक्षा बाबत्।	242–243
51	5916	08.12.2016	पंजीयक	अंकेक्षण–3/न.क्र.–166/2016	लैम्पस/पैक्स समितियों द्वारा पारित अंकेक्षण प्रस्ताव सी.ए. के कराये जाने के संबंध में मार्गदर्शन बाबत्।	244
52	5179	28.11.2018	पंजीयक	अंके–3/न.क्र.(166)/83/2018	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लेखों की संपरीक्षा तथा निरीक्षण के संबंध में दिशा–निर्देश विषयक।	245–247
53	6105	25.10.2019	पंजीयक	अंकेक्षण–3/न.क्र.219/2019	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के बाहरी सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा असाधारण रिपोर्टिंग के संबंध में।	248–249
54	2308	07.08.2020	पंजीयक	अंके–3/166/2020	सहकारी संस्थाओं में संपरीक्षक नियुक्ति में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के प्रावधानों का पालन किये जाने बाबत।	250
55	2890	17.08.2022	पंजीयक	अंकेक्षण–3/166/85/2022	सहकारी संस्थाओं के सांविधिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में सुधार एवं प्रभावी कार्यवाही करने विषयक।	251–255
					विधि कक्ष	
56	3672	28.07.2015	पंजीयक	विधि/146 सा./2015	छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8), 53(1), 53(10), 53(14) तथा 57–ख (15) एवं धारा 71 के अंतर्गत नियुक्त प्रभारी अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी /संचालन समिति /परिसमापक के पास प्रभार रहने के दौरान सोसाइटी के कार्य संचालन हेतु आवश्यक निर्देश।	256–257
57	4384	16.12.2020	पंजीयक	विधि/79/सामान्य/2020	छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 78 अपील प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण तथा निराकरण बाबत।	258–259
58	4385	16.12.2020	पंजीयक	विधि /2020	छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में संशोधन अनुरूप कार्यवाही किए जाने बाबत।	260–262
59	4386	16.12.2020	पंजीयक	विधि/79/सामान्य/2020	छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55 (2) एवं 64 के विवाद प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण बाबत।	263–264
60	1514	01.06.2017	मंत्रालय	एफ 15–20/15–02/2017	राज्य स्तरीय (शीर्ष) सोसाइटियों के निर्वाचन संबंधी विवाद के निराकरण बाबत।	265
					स्थापना कक्ष	
61	4224	07.12.2020	पंजीयक	स्थापना–1/OF-90/2020	विभागीय कार्यो के आधार पर गोपनीय चरित्रावली के मतांकन बाबत।	266–267

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

ब्लाक–बी, द्वितीय एवं तृतीय तल विभागाध्यक्ष कार्यालय,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

क्रमांक / साख / 2014 / 5352 रायपुर, दिनांक 03 नवम्बर 2014

परिपत्र

प्रति,

समस्त शीर्ष / केन्द्रीय / प्राथमिक

सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ

विषय :— प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों के लिए आरक्षण के संबंध में।

——00——

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको के एसोसिएशन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशो के परिप्रेक्ष्य में जिला सहकारी केन्द्रीय बैको में आरक्षण समाप्त किये जाने बाबत् पत्राधार किया जाता रहा है। जिसे छ.ग. शासन को प्रेषित किया गया।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में छ.ग. शासन सहकारिता विभाग के पत्र क्र./एफ 15–20/15/02/2013/2346 दिनांक 29.10.2014 द्वारा प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में कर्मचारियों के भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण के संबध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/02/2007 (अपील (सिविल) 2661/2004) एंव माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ बिलासपुर द्वारा डब्ल्यू.पी. नंबर 2133/2011 में पारित आदेश दिनांक 09/08/2011 के रिव्यु/अपील के संबंध में महाधिवक्ता छत्तीसगढ से प्राप्त अभिमत अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुख्याश निम्नानुसार है :—

"Therefore, reading of objective of the Act of 1994 along with, the definition of establishment it transpires that the Registrar under Section 55 of the Act of 1960 can lay down service condition for co-operative society in which the State has 51 percent of share Capital. In case any Co-operative Society in which the State does not have 51 percent of share capital, then that Co-cperative Society will not come within the definition of establishment under section 2(b) of the Act of 1994 and the Registrar of Cooperative Societies shall have no power to frame rule for reservation, it is true that under Section 55 of the Act of 1960 the Registrar can given direction for reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Backward classes while exercising the mandate under Article 16(4-A) of (he Constitution but at the time he cannot ignore the State legislation i.e. the Act of 1994. In fact the Act of 1994 was also promulgated for achieving the object under Article 16(4-A) of the Constitution. Once the State Legislature has framed an Act which is subsequent legislation in point of time i.e. the Madhya Pradesh Co-operative Act, 1960 (Act 17 of 1961) came in 1960 whereas the present Act has come in 1994. It is presumed that Legislature was aware of the power of the Registrar of the Co-operative Societies under Section 55 of the Act of 1960 to frame condition of service of employees of Co-operative Societies despite that the Legislature has promulgated the Act of 1994 and laid down ceiling that the reservation in favour of Sheduled Castes, Sheduled Tribes and

other Backward classes should be made in the establishment where Government has more than 51% share holding. Thus, on reading of both these two enactments it is more than clear that the Registrar of Cooperative Societies under section 55 of the Act 1960 has power to frame rules but at the same he cannot ignore the impact of the Act of 1994. The Registrar of Co-operative Societies can lay down the reservation in favour of scheduled castes, Sheduled Tribes and other Backward classes as general condition of service only in co-operative societies in which the State has more than 51 percent paid up share capital and not for any other co-operative societies. But the notification dated 06/03/1997 is of general in nature and does not make any distinction with Co-operative societies which do not have 51 percent paid up share capital of State. Therefore, to this extent the rule framed by the Registrar of Co-operative Societies, Madhyapradesh by notification dated 06/03/1997 cannot be upheld and the same is struck down. But by this it does not mean thate Registrar of Co-operative Societies, Madhya pradesh is not denuded^of his power to frame rules but he will have to keep in view the impact of the Act of 1994"

उक्तानुसार छ.ग. शासन सहकारिता विभाग द्वारा उक्त मार्गदर्शन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/02/2007 के अनुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत एवं पंजीकृत समझी गयी सहकारी संस्थाओं के लिए छत्तीससगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के अंतर्गत समय –समय पर जारी सेवा नियम में उल्लेखित आरक्षण से सबंधित प्रावधान ऐसी सहकारी संस्थाए जिनमें राज्य सरकार द्वारा धारित समादत्त अंशपूंजी 51 प्रतिशत से कम है उन संस्थाओं के सेवानियम में उल्लेखित आरक्षण से संबंधित प्रावधान निष्प्रभावी होगें।

सही

(अविनाश चम्पावत)
पंजीयक
सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ
रायपुर दिनांक 03 नवम्बर 2014

कमांक/साख/2014/5352

प्रतिलिपि –

01. विशेष सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री जी छ.ग. शासन।
02. विशेष सचिव, छ.ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय महानदी भवन की ओर कार्यालयीन पत्र कमांक/एफ 15–20/15/02/2013/2346 दिनांक 29/10/2014 के परिप्रेक्ष्य में।
03. कमिश्नर, रायपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर/दुर्ग/जगदलपुर संभाग।
04. कलेक्टर समस्त छ.ग.।
05. संयुक्त/उप/सहायक/पंजीयक, सहकारी संस्थाऐ समस्त छ.ग. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र समस्त प्रकार की सहकारी संस्थाओं को उपलब्ध करावें।
06. समस्त राजपत्रित अधिकारी/कक्ष प्रभारी समस्त मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

क्रमांक / साख–2 / सी.सी.बी. / 2018 / 643 नया रायपुर, दिनांक 27 / 01 / 2018

— : आदेश :—

(छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55 (1) के उपबंधो के अधीन)

——00——

प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के सेवानियम में संशोधन बाबत कमेटी की रिपोर्ट के अवलोकन से यह समाधान हो गया है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के व्यवसाय में वृद्धि, पेशेवर दृष्टि कोण का विकास, सेवायुक्तों को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने, स्थापना व्यय को निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप रखने, सोसायटी के सेवायुकतों हेतु आर्थिक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा प्रदेश स्तर पर सेवानियम के प्रावधानों में एकरूपता सुनिश्चित करने इत्यादि उददेश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन से सेवायुक्तों हेतु आदर्श सेवानियम विरचित करना संस्थाओं के व्यापक हित में आवश्यक एवं वांछनीय है।

अतएव मैं जे.पी. पाठक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नया रायपुर, छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 55 (1) के उपबंधों के अधीन सहकारी सोसायटियों के नियोजन के निबंधनों तथा शर्तों को शासित करने संबंधी रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तत्संबंध में पूर्व मे जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक / साख–1 / एफ–एफ / 12 / 6925 रायपुर दिनाक 10 अक्टूबर 2012 को अतिष्ठित करते हुए एतद् द्वारा प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के सेवायुक्तों के लिए संलग्न परिशिष्ट के अनुसार "प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों छ.ग. के लिये सेवानियम 2018" विचरित करता हूं तथा समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों को आदेशित करता हूं कि वे उक्त सेवानियम 2018 को सोसायटी की बोर्ड की बैठक में विचारर्थ रखकर अंगीकार करें। उक्त सेवानियम 2018 के प्रावधान संबंधित सोसायटियों द्वारा अंगीकृत कीये जाने की तारिख से प्रभावशील होगें।

सहपत्रः यथोपरि

सही

(जे.पी. पाठक)
पंजीयक
सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ
नया रायपुर, दिनांक 27 / 01 / 2018

क्रमांक / साख–2 / सी.सी.बी. / 2018 / 643

प्रतिलिपि —

01. निज सचिव माननीय मंत्री महोदय, छ.ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, नया रायपुर
02. विशेष सचिव छ.ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय नया रायपुर
03. संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐ संभाग .... छ.ग.।
04. उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाए .... छ.ग.।
05. प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी बैक मर्या. रायपुर
06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या समस्त छ.ग.
07. अध्यक्ष / प्रबंधक प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटी समस्त छ.ग.
08. अध्यक्ष छत्तीसगढ सहकारी समिति महासंघ रायपुर।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के सेवायुक्तों के लिए सेवानियम 2018

नियम क्र. 01 संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रांरम

1.1 यह सेवा–नियम प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी, सेवा नियम 2018 कहलाएंगा।

1.2 यह सेवा–नियम प्रभावी होने के दिनांक से सोसायटी में जो कर्मचारी कार्यरत है तथा जो कर्मचारी इन सेवा–नियमों के लागू होने के पश्चात नियुक्त होंगे उन पर लागू होगा।

1.3 इन सेवा–नियमों में उल्लेखित किसी तथ्य के होते हुए भी अथवा किसी तथ्य का समावेश न होने की तथा किसी तथ्य के अर्थ में शंका करने की दशा में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छ0ग0० का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

1.4 यह सेवा–नियम प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटी के द्वारा अंगीकृत किये जाने की तारीख से प्रभावशील होंगे।

नियम क्र. 02 परिमाषायें :–

2.1 **"सोसायटी"** से अभिप्रेत है ऐसी सोसायटी जो कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध करने के उद्देश्य से संगठित की गई है और इसके अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायटी ,कृषक सेवा सहकारी सोसायटी, वृहताकार सहकारी सोसायटी और आदिम जाति सेवा सहकारी सोसायटी शामिल है।"

2.2 **"अध्यक्ष"** से अभिप्रेत हैं सोसायटी के बोर्ड के निर्वाचित अध्यक्ष /सभापति या अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जिनके द्वारा अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा हो, निर्वाचित बोर्ड के अस्तित्व में न होने की दशा में प्राधिकृत अधिकारी/ प्रशासक/परिसमापक जिसके द्वारा बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता किया जाता हो।

2.3 **"समिति प्रबंधक"** से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है,जो सोसायटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/पदेन सचिव के दायित्वों के निर्वहन एवं प्रबंधकीय कर्त्तव्यों के निष्पादन हेतु अधिनियम/नियम अथवा सोसायटी की उपविधियों के अधीन नियुक्ति किया गया हो ।

2.4 **"निश्चित वेतन,/मानदेय"** से तात्पर्य किसी कर्मचारी को दी जाने वाली ऐसी राशि से हैं जो उसके द्वारा सोसायटी में धारित पदीय कर्त्व्यों के पालन के एवज में पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता हो।

2.5 वित्तीय वर्ष से तात्पर्य वर्ष जो 01 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होता है।

2.6 अधिनियम से तात्पर्य छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 से हे।

2.7 नाबार्ड से तात्पर्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से है।

2.8 नियम से तात्पर्य छ.ग. सहकारी सोसायटी नियम 1962 से है।

2.9 "रजिस्ट्रार से तात्पर्य रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, छ.ग. रायपुर से है।

2.10 "उपविधियाँ" से तात्पर्य रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, छ0ग0 रायपुर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत सोसायटी की उपविधि से होगा।

2.11 "बोर्ड" से तात्पर्य है बोर्ड आफ डायरेक्टर्स अथवा सोसायटी का शासी निकाय जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हों जिसे सोसायटी के कियाकलापों का निर्देशन और नियंत्रण का भार सौपा गया हो।

2.12 "कर्मचारी" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है,जो सोसायटी में निश्चित वेतन पर नियुक्त किया गया हो।

2.13 "सक्षम अधिकारी" से तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है,जो सेवानियमों के अधीन कर्तव्य विशेष के निष्पादन हेतु अधिकृत किया गया हो '

2.14 "सकल आय'' से तात्पर्य सोसायटी के लाभ हानि खाते के आय या जमा पक्ष में दर्शित सभी प्रकार के आय के योग से है जिसमे सकल लाभ, निवल अवशेष भी शामिल है।

2.15 "कार्यशील पूंजी" से तात्पर्य है सोसायटी के अंकेक्षित तुलन पत्र में प्रति प्रविष्टियाँ तथा संचित हानि को करने के पश्चात् स्थिति विवरण पत्रक के योग से है।

2.16 ''कुल व्यवसाय " से तात्पर्य सोसायटी के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक के अनुसार विगत तीन वर्षो में संवितरित ऋण अग्रिम तथा संग्रहित सभी प्रकार के अमानतो के औसत से है।

2.17 ''स्थापना व्यय" से तात्पर्य किसी वित्तीय वर्ष में सोसायटी के समस्त कर्मचारियों (समिति प्रबंधक को शामिल करते हुए) के निश्चित वेतन तथा भत्ते पर हुए कुल व्यय से है।

2.18 संवर्ग समिति प्रबंधक" बैंक संवर्ग स्तर का समिति प्रबंधक से तात्पर्य वित्तदायी बैंक द्वारा नियुक्त समिति प्रबंधक, जिनको प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में समिति प्रबंधक पद पर पदस्थ किया गया हो।

2.19 प्रबंधकीय व्यय" कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य प्रबंधकीय खर्चे शामिल होगा।

नियम क 03. सोसायटी का वर्गीकरणः–

कर्मचारियों की पदवार संख्या निर्धारित करने के लिए सोसायटियों को कारोबार/व्यवयाय के आधार पर निम्नानुसार चार वर्गो में विभकत किया जाता है –

क.	कुल व्यवसाय	सोसायटी का वर्ग
1	रू. 06.00 करोड से अधिक का व्यवसाय	'अ' वर्ग
2	रू 03.00 करोड से रू. 06.00 करोड तक का व्यवसाय	'ब' वर्ग
3	रू. 01.00 करोड से 03.00 करोड तक का व्यवसाय	'स' वर्ग
4	रू. 01.00 करोड से कम का व्यवसाय	'द' वर्ग

कुल व्यवसाय से अभिप्राय विगत 3 वर्षो में संवितरित ऋण/अग्रिम तथा संग्रहित समस्त प्रकार के अमानतों के योग से है जो सोसायटी के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक में दर्शित है। औसत कुल व्यवसाय की गणना निम्नानुसार की जायेगी

औसत कुल व्यवसाय = विगत तीन वर्षो के ऋण/ अग्रिम संवितरण (+) विगत तीन वर्षो में संग्रहित अमानते ÷ 3

नियम क. 04 कर्मचारियों का वर्गीकरणः–

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटीयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का निम्नानुसार होगें:–

01. संवर्ग समिति प्रबंधक/समिति प्रंबधक
02. सहायक समिति प्रबंधक/लेखापाल
03. लिपिक सह कम्प्यूटर आपरेटर
04. विकेता
05. भृत्य/चौकीदार

नियम क. 05 कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण –

नियम कमांक 03 में प्रावधानित सोसायटियों को वर्गीकरण आधार पर सोसायटी अपने कर्मचारियों की संख्या निर्धारण निम्नानुसार करेगी –

क	सोसायटी का वर्गीकरण	समिति प्रबंधक/ संवर्ग समिति प्रबंधक	लेखापाल/ सहायक समिति प्रबंधक	लिपिक सह कम्प्युटर ऑपरेटर	भृत्य/ चौकीदार	विकेता	अतिरिक्त कर्मचारी सहायक समिति प्रबधक तथा लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर
1	वर्ग अ (6रू करोड से अधिक का व्यवसाय)	1	2	3	2	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित प्रत्येक दुकान के लिये एक विकेता की नियुक्ति की जा सकेगी	प्रत्येक 3 करोड के अतिरिक्त व्यवसाय पर एक अतिरिक्त लिपिक सह कम्प्युटर आपरेटर अतिरिक्त रखा जा सकेगा। परन्तु 4 से अधिक अतिरिक्त लिपिक सह कम्प्युटर ऑपरेटर नही रखे जा सकेगें। किन्तु जिन समितियों में प्रधानमंत्री उज्जवला योजनार्गत दुर्गम क्षेत्रीय वितरक है, उनके 01 सहायक समिति प्रबधक/लेखापाल तथा 01 लिपिक सह कम्प्युटर ऑपरेटर अतिरिक्त नियुक्त किया जा सकेगा।
2	वर्ग ब (3रू करोड से अधिक 6 करोड तक व्यवसाय)	1	1	2	2		
3	वर्ग स (01रू करोड से 03 करोड तक व्यवसाय)	1	1	2	1		
4	वर्ग द (01रू करोड से कम)	1	–	1	1		

5.1 उपर दर्शायी गई संख्या अधिकतम है। अतः उपरोक्त पदो में नवीन भर्ती जब अत्यंत आवश्यक हो तभी की जावे। इस हेतु व्यय भार उठाने में सोसायटी का वित्तीय रूप से सक्षम होना आवश्यक है। सक्षमता का अभिप्राय नाबार्ड द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों से है, किसी भी नवीन भर्ती, नियुक्ति संभागीय संयुक्त पंजीयक की तत्सम्बंध में लिखित पूर्व अनुमति से ही की जायेगी। समिति नवीन भर्ती के संबंध में आंकलन कर प्रस्ताव वित्तदायी बैंक के माध्यम से संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं को भेजेगा। वित्तदायी बैंक प्रस्ताव का परीक्षण कर अनुशंसा/अभिमत सहित संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं को भेजेगा। इस सेवानियम के प्रभावशील होने के पूर्व से ही नियोजित/सेवारत लिपिक को नवीन पद लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर पद पर समायोजित किया जा सकेगा।

5.2 यदि किसी सोसायटी में उपरोक्तानुसार दर्शाये गये संख्या से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, तो ऐसी स्थिति में दशाये गये कर्मचारी की संख्या से अधिक कर्मचारियो की छटनी करना अनिवार्य होगा। छटनी सर्वप्रथम कनिष्ठतम कर्मचारी जिसकी नियुक्ति क्रम में सबसे अंतिम में की गई हो ऐसे सेवायुक्तो की जायेगी। छटनी के फलस्वरूप सेवा से पृथक किये गये ऐसे सेवायुक्तों की नियुक्ति विकासखण्ड के भीतर कार्यरत अन्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में करने हेतु निम्नानुसार गठित कमेटी की अनुशंसा पर किया जाना अन्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में जहां उस वर्ग के पद रिक्त है, की जावेगी। गठित कमेटी की अनुशंसा ऐसी संस्थाओं के लिए बंधनकारी होगी।

01. जिले का उप/सहायक पंजीयक – अध्यक्ष
02. विकासखण्ड में कार्यरत वित्तदायी बैंक के शाखा प्रबंधक – सदस्य सचिव
03. विकासखण्ड में पदस्थ सहकारिता विस्तार अधिकारी –– सदस्य
04. प्रभावित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष – सदस्य

5.3 सोसायटी के वर्तमान वर्गीकरण में यदि भविष्य में कोई परिवर्तन होता है,तो जिस वर्गीकरण में आयेगी, उसी वर्गीकरण के अनुरूप कर्मचारियों की अधिकतम संख्या तथा निश्चित वेतन निर्धारित की जायेगी।

5.4 यदि भविष्य में सोसायटी का वर्गीकरण वर्तमान वर्ग से निम्न के वर्ग में होता है, तो कर्मचारियों की अधिकतम संख्या में वर्गीकरण के अनुसार कमी करना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में आधिक्य (अतिशेष) कर्मचारियों की छंटनी करने का दायित्व सोसायटी के बोर्ड का होगा।

संवर्ग समिति प्रबंधक," समिति प्रबंधक के सम्बंध में निम्नलिखित प्रावधान होंगे :–

5.5 सोसायटी का वित्तदायी बैंक, बैंक संवर्ग के समिति प्रबंधक की पदस्थी किसी भी सोसायटी में पद रिक्त होने की दशा में करेगा।

5.6 इस सेवानियम के प्रभावशील होने के पूर्व में तत्समय प्रवृत्त अधिनियम ,द नियम के उपबंधों के अंतर्गत नियुक्त/पदोन्नत कर्मचारी समिति प्रबंधक पद पर यथावत सेवारत रहेगें। परंतु सेवानिवृत्ति, पदच्युति,सेवा समाप्ति अथवा अन्य किसी भी प्रकार से समिति प्रबंधक का पद रिक्त होने पर समिति प्रबंधक पद पर वित्तदायी बैंक द्वारा बैंक संवर्ग स्तर के कर्मचारी की पदस्थी की जा सकेगी।

5.7 वित्तदायी बैंक द्वारा संवर्ग समिति प्रबंधक के पदों पर सीधी भर्ती किये जाने पर सोसायटी स्तर के उक्त पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सेवायुक्त तथा सोसायटी स्तर के कर्मचारियों में से भृत्य/चौंकीदार को छोड़कर ऐसे समस्त कर्मचारी जो सोसायटी स्तर पर किसी भी पद पर सेवा का न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव रखते हो ऐसे सेवायुक्तों हेतु संवर्ग समिति प्रबंधको के रिक्त पदो पर सीधी भर्ती किये जाने पर कुल रिक्त पदो के कम से कम (50 प्रतिशत स्थान वित्तदायी बैंक द्वारा समिति के ऐसे सेवायुक्तो में से लेना अनिवार्य होगा।

नियम क. 06. भर्ती /भर्ती हेतु चयन कमेटी :

सोसायटी के कर्मचारियों की भर्ती वित्तदायी बैंक के संबंधित शाखा स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी की नियुक्ति सोसायटी के बोर्ड द्वारा की जायेगी। चयन समिति निम्नानुसार होगी:–

01. जिले के सहकारिता विभाग का प्रमुख–उप/सहायक पंजीयक	अध्यक्ष
02. संबंधित वित्तदायी बैंक के सी.ई.ओ. द्वारा नामांकित अधिकारी	सदस्य
03. संबंधित सोसायटी का अध्यक्ष	सदस्य
04. सोसायटी के बोर्ड द्वारा नामांकित दो संचालक	सदस्य
05. संबंधित सोसायटी का समिति प्रबंधक	संयोजक सदस्य

चयन समिति द्वारा. अनुशंसित/चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति किया जाना सोसायटी के बोर्ड के लिए बंधनकारी होगा, चयन समिति के सभी छः सदस्यों की उपस्थिति चयन के समय अनिवार्य होगी।

सोसायटी के रिक्त पदो पर सीधी भर्ती तभी की जावेगी जब सोसायटी स्तर पर पदोन्नति से रिक्त पद की पूर्ति हेतु पात्र कर्मचारी उपलब्ध न हो।

नियम क. 07 भर्ती हेतु योग्यता/पात्रता एवं अन्य शर्ते :–

7.1 सेवा नियम क्र. 4 में वर्गीकृत कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता/पात्रता एवं अन्य शर्ते निम्नानुसार होगी –

क.	पद	शैक्षणिक योग्यता
01	सहायक समिति प्रबंधक/लेखापाल	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, वाणिज्य संकाय में नातक को प्राथमिकता दी जायेगी।
02	लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	10 + 2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा डिप्लोमा इन कम्प्युटर एप्लीकेशन
03	विक्रेता	10 + 2 हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्युटर का ज्ञान
04	भृत्य/चौकीदार	आठवी कक्षा उत्तीर्ण

7.2 आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होगी ।

7.3 अनुसूचित जाति," अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग," महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट की पात्रता राज्य शासन के नियमों के अनुसार होगी।

7.4 सोसायटी के कार्यक्षेत्र के आवेदक, "अभ्यर्थी तथा सहकारी संस्थाओं में सेवा का अनुमवी को नियुक्ति में प्राथमिकता होगीं।

7.5 अभ्यर्थी मानसिक तथा शारीरिक रूप में स्वस्थ हो।

7.6 अन्य किसी भी सेवा नियोजन में गबन का आरोपी ना हों, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिये कार्यवाही जारी/पंजीकृत न हो, किसी न्यायालय से सजायाफ्ता न हो।

7.7 अधिनियम , नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी संचालक के कुटुम्ब का सदस्य न हों ।

7.8 नियुक्ति के पूर्व संबंधित थाने से पुलिस में आपराधिक रिकार्ड के सम्बंध में चरित्र सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

7.9 नियुक्ति के पूर्व संबंधित कर्मचारी से 25,000/ रूपये का एफ.डी.आर. सम्बधित शाखा के सोसायटी के पक्ष में जारी कर सोसायटी एवं कर्मचारी का संयुक्त नाम से लिया जाना अनिवार्य होगा। जिसे सोसायटी के रिकार्ड में सुरक्षित रखा जाना होगा।

7.10 नियुक्ति के पूर्व सोसायटी के कार्यक्षेत्र के दो भू –स्वामी कृषकों की जमानत आवश्यक होगीं।

8.3 लेखापाल/सहायक समिति प्रबंधक की भर्ती के लिये कुल 100 अंक निर्धारित होंगें, जो निम्नानुसार होगा :–

(अ.) स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम 80 अंक दिये जायेगें अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 80 प्रतिशत अंक दिये जायेगें।

(ब) राज्य सहकारी संघ से सहकारी प्रबंध में पत्रोपाधि पाद्यकम डिप्लोमाधारी को कूल प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर अधिकतम 10 अंक दिये जायेंगे अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 10 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।

(स.) मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से वाणिज्य संकाय में स्नातक को 10 प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे।

8.4 लिपिक सह कम्प्यूटर आपरेटर की भर्ती के लियें कुल 100 अंक निर्धारित होंगे, जो निम्नानुसार होगा:

(अ.) (10+2) हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर अधिकतम 75 अंक दिये जायेगें अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 75 प्रतिशत अंक दिये जायेगें।

(ब.) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर अधिकतम 20 अंक दिये जायेगें अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 20 प्रतिशत अंक दिये जायेगें।

(स.) राज्य सहकारी संघ से सहकारी प्रबंध में पत्रोपाधि पाठ्यकम डिप्लोमाधारी को कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर अधिकतम 5 अंक दिये जायेंगे अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 5 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।

8.5 विक्रेता की भर्ती के लिए कुल 100 अंक निर्धारित होगें जो निम्नानुसार होगा।

(अ.) आवेदक को (10+2) हायर सेकेण्डरी परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर अधिकतम 80 अंक दिये जायेगें अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 80 प्रतिशत अंक दिये जायेगें।

(ब.) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन के प्राप्त अंको के प्रतिशत पर अधिकतम 10 अंक दिये जायेगें अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 10 प्रतिशत अंक दिये जायेगें।

(स.) राज्य सहकारी संघ से सहकारी प्रबंध में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम डिप्लोमाधारी को कुल प्राप्त अंको के प्रतिशत पर अधिकतम 10 अंक दिये जायेगें अर्थात प्राप्त प्रतिशत के 10 प्रतिशत अंक दिये जायेगें।

8.6 भृत्यु/चौकीदार की भर्ती के लिए कुल 100 अंक निर्धारित होगा जो आवेदक को योग्यता आठवी में प्राप्त अंको के प्रतिशत के बराबर अंक दिये जायेगें नव नियुक्त कर्मचारी नियुक्ति/भर्ती के पश्चात् प्रथम दो वर्षो तक परीवीक्षा के अधीन होगा। परीवीक्षा अवधि में सोसायटी का बोर्ड आवश्यकता अनुसार एक वर्ष की वृद्धि कर सकेगा। सम्बंधित सेवायुक्त का परीवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक पाये जाने पर ही आगामी वर्षो में वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता सेवानियत के प्रावधानो के अनुसार होगी।

नियम क्र. 09 कर्मचारियों का निश्चित वेतन :–

सोसायटी के कर्मचारियों हेतु निम्नानुसार निश्चित वेतन भत्ते तथा उसमें वार्षिक वृद्धि का निर्धारण किया जा सकेगा।

क्र.	पदनाम	मानदेय/निश्चित वेतन प्रतिमाह (रूपये)				वार्षिक वृद्धि	रिमार्क
		"अ" वर्ग	"ब" वर्ग	"स" वर्ग	"द" वर्ग		
1	**समिति प्रबंधक (गैर संवर्ग)**	15000	12500	10000	7500	500	इस निश्चत वेतन में वार्षिक वृद्धि स्थापना व्यय कार्यशील पूंजी का 2 प्रतिशत तथा सकल आय का 30 प्रतिशत की सीमा के भीतर होने पर की जा सकेगी।
	भत्ते (चिकित्सा भत्त रू. 100, मोबाईल 300 रू पेट्रोल रू. 300 आवास भत्ता योग = 1000 रू)	1000	1000	1000	1000		
2	**सहायक समिति प्रबंधक/लेखापाल**	8750	8125	7500	0	400	
	भत्ते (चिकित्सा रू. 100, मोबाईल 200, पेट्रोल 200 आवास 300 रू. कुल = 800रू)	800	800	800	0		
3	**लिपिक सह कम्प्युटर ऑपरेटर**	8750	8125	7500	6875	400	
	भत्ते (चिकित्सा रू. 100, आवास 200 रू. कुल = 300रू)	300	300	300	300		
4	**विक्रेता**	6250	6250	6250	6250	350	
	भत्ते (चिकित्सा रू. 100, आवास 200 रू. कुल = 300रू)	300	300	300	300		
5	**भृत्य/चौकीदार**	5000	5000	5000	5000	250	
	भत्ते (चिकित्सा रू. 100, आवास 100 रू. कुल = 200रू)	200	200	200	200		

टीप :– सोसायटी में पूर्व में प्रभावशील सेवानियम 2012 की कण्डिका 09 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान क्षमता के आधार पर सेवायुक्तों के मानदेय/वेतन में वृद्धि के फलस्वरूप यदि सोसायटी के सेवायुक्तों को उपरोक्तानुसार निर्धारित निश्चित वेतन से अधिक पारिश्रमिक/ (निश्चित वेतन) का भुगतान इस सेवानियम के प्रभावशील होने के पूर्व से ही किया जा रहा हो और यदि सोसायटी संचित हानि में नही हो तथा स्थापना व्यय कार्यशील पूंजी 2% तथा सकल आय का 30% के भीत्तर हो तो उनके द्वारा प्राप्त किये जा रहे निश्चित नहीं की जायेगी, किसी भी दशा में सोसायटी का स्थापना व्यय उपरोक्त मानदण्डों के भीतर हो यह करने का दायित्व सम्बंधित सोसायटी के बोर्ड की होगी। सोसायटी के वर्गीकरण में परिवर्तन के सेवा युक्तो के निश्चित वेतन में उपरोक्तानुसार दर्शित वर्ग के अनुसार निश्चित वेतन प्राप्त करने की पात्रता होगी।

9.1 वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता, उन्हीं सेवायुक्तों को होगी, जिन्होनें सोसाइटी में कैलेण्डर वर्ष में लगातार छः मास से अधिक कार्य किया है।

9.2. सोसायटी द्वारा सेवायुक्तों के निश्चित वेतन/पारिश्रमिक को पुनरीक्षित करने का निर्णय तत्संबंध में सोसायटी की वित्तीय स्थिति (सक्षमता/भुगतान क्षमता) के आधार पर सोसायटी के बोर्ड में उक्ताशय का निर्णय पारितकर संभागीय संयुक्त पंजीयक की लिखित अनुशंसा पर पंजीयक द्वारा किया जावेगा। सोसायटी की निम्नलिखित शर्तो को पूरा किये जाने की दशा में ही निश्चित वेतन को पुनरीक्षित कर सकेगी :–

(क) सोसायटी के अंकेक्षित लेखों के अनुसार लगातार तीन वित्तीय वर्षो में शुद्ध लाभ अर्जित किया गया हो तथा विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार आय का अभिज्ञान एवं आस्तियों का वर्गीकरण संबंधी सोसायटी पर लागू मानदण्डों के अनुसार समस्त प्रकार के गैर निष्पादित/अनर्जक आस्तियों हेतु अपेक्षित प्रावधान कर लिया गया हो।

(ख.) सोसायटी विगत तीन वर्षो से लगातार संचित लाभ में हो।

(ग.) सोसायटी का विगत तीन वर्षो में जोखिम भारित आस्तियों पर पूँजी का अनुपात (सी. आर.ए.आर.) धनात्मक 7 या उससे अधिक अथवा नाबार्ड द्वारा तत्संबंध में न्यूनतम पूँजी की आवश्यकता संबंधी मानदण्डों के अंतर्गत वित्तीय रूप से जीवनक्षम होने के लिए समय–समय पर निर्धारित किया जाए।

(घ.) सोसायटी का स्थापना व्यय विगत तीन वर्षो में सकल आय का 30% तथा कार्यशील पूँजी का 2% से अधिक न हो।

(ङ.) सोसायटी का प्रबंधकीय व्यय (लेनदेन लागत) विगत तीन वर्षों में सकल आय का 50 प्रतिशत से अधिक नही हो। उपरोक्त शर्तों के अधीन सोसायटी के बोर्ड द्वारा सेवायुक्तों के निश्चित वेतन का पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में संभागीय संयुक्त पंजीयक की अनुशंसा पर पंजीयक सहकारी संस्थाएं, द्वारा किया जा सकेगा।

प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में सोसायटी के प्रबंधक द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं की जानकारी अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों के आधार पर तैयार कर बोर्ड की बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा एवं पात्रतानुसार/नियमानुसार सोसायटी का बोर्ड सेवायुक्तों के निश्चित वेतन में कमी के संबंध में निर्णय ले सकेगा। यदि सोसायटी किसी वित्तीय वर्ष में संचित हानि पर आ जाती है तथा स्थापना व्यय कार्यशील पूंजी से 2 प्रतिशत तथा सकल आय का 30 प्रतिशत से अधिक हो तो सोसायटी का बोर्ड सेवायुक्तों के मौजूदा निश्चित वेतन /पारिश्रमिक में अनुपातिक रूप से कमी करने का निर्णय लेगी जिससे कि, स्थापना व्यय का भार उपरोक्त निर्धारित मानदण्डों के भीतर रखा जाना सम्भव हो सके।

नियम क. 10 पदोन्नति :–

सोसायटी के रिक्त पदों की पूर्ति, निर्धारित अर्हताए धारण करने पर कर्मचारियों की पदोन्नति नियमानुसार स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन दी जा सकेगी :–

10.1 सोसायटी कर्मचारी पदोन्नति के पद हेतु सेवा नियम में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखता हो।

10.2 पदोन्नति हेतु कर्मचारी की कम से कम 5 वर्ष की लगातार सेवा सोसायटी में आवश्यक होगी।

10.3 पदोन्नत होने वाले कर्मचारी के विरूद्ध कोई गबन/धोखाघडी से सबंधित कोई प्रमाणित शिकायत/ जांच के लिये शिकायत लंबित न हो,साथ ही उस कर्मचारी को विगत तीन वर्षा में दण्डित करने की कार्यवाही न की गई हो।

10.4 कर्मचारियों की वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर दी जावेगी।

10.5 पदों पर पदोन्नति हेतु सोसायटी की प्रंबधकारिणी/बोर्ड सक्षम होगा, प्रत्येक कर्मचारियों द्वारा वर्ष है किये गये कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा।

क.	पद का नाम	पद जिसमें पदोन्नति किया जाना है
1	लिपिक सह कम्प्युटर ऑपरेटर	लेखापाल/सहायक समिति प्रबंधक
2	विक्रेता	लिपिक सह कम्प्युटर आपरेटर
3	भृत्य/चौकदार	विक्रेता

बोर्ड द्वारा सेवायुक्तों की गई पदोन्नति के निर्णय का बैठक कार्यवाही वृत्त संभागीय संयुक्त पंजीयक को प्रेषित कर, पदोन्नति का अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

नियम क्रमांक 11 बोनस, एक्सग्रेशिया :–

सोसायटी के सेवायुक्तों को वित्तीय वर्ष में एक बार बोनस/एक्सग्रेशिया भुगतान का निर्णय सोसायटी के वित्तीय रूप से सक्षम पाये जाने पर लिया जा सकेगा। कर्मचारियों को उत्कृष्टतम् प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन से सोसायटी का बोर्ड निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने की दशा में बोनस/एक्सग्रेशिया संदाय की घोषणा कर सकेगी।

(क) सेवायुक्तों को वित्तीय वर्ष में बोनस/एक्सग्रेशिया का संदाय करने के मामले में निश्चित वेतन में पुनरीक्षण संबंधी उल्लेखित शर्ते क्रमाक 01 से 05 तक पूरा करना अनिवार्य होगा।

(ख) सोसायटी द्वारा विगत तीन वर्षो से संचित लाभ पर हो तथा सी.आर.ए.आर. + 7% से अधिक हो।

(ग) सोसायटी के कुल व्यवसाय (ऋण+अग्रिम+अमानत) में गत वर्ष की तुलना में अंकेक्षित वित्तीय पत्रक अनुसार वित्तीय वर्ष में कम से कम 10% वृद्धि हुई हो।

(घ) सोसायटी के ऋण वसूली का प्रतिशत वित्तीय वर्ष में कम से कम 80% हो।

(ड) ऋण व्यवसाय तथा बचत बैंक कारोबार में असंतुलन की स्थिति न हो। अर्थात आस्तियों की तुलना में देयताएँ. अधिक न हो।

उपरोकक्तानुसार शर्तो को पूरा करने पर सोसायटी का बोर्ड सेवायुकतों को एक माह के निश्चित वेतन के बराबर बोनस/एक्सग्रेसिया की राशि का भुगतान करने का निर्णय पारित कर सकेगी। परन्तु सेवायुक्तों को किसी वित्तीय वर्ष में बोनस/एक्सग्रेशिया का संवितरण करने के पूर्व संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार की तत्संबंध में लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नियम क. 12 अंशदायी भविष्यनिधिः–

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की परिधि में आने की दशा में सेवानियमों में वर्णित भुगतान क्षमता के आधार पर सक्षमता होने पर संस्था अपने कर्मचारियों के लिये कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के आधीन अंशदायी भविष्यनिधि योजना लागू कर सकेगी ।

नियम क. 13 अवकाश :–

13.1 आकस्मिक अवकाश :–

(क) कर्मचारी 1 कैलेण्डर वर्ष में 15 दिवस का अवकाश ले सकेगा। किसी भी कर्मचारी की एक समय में 5 दिवस से अधिक का अवकाश नहीं दिया जावेगा। घोषित अवकाश एवं रविवार

आकस्मिक अवकाश के प्रांरभ मध्य एवं अंत में जुड सकतें है, परन्तु इन्हे जोडते हुए कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि 8 दिवस से अधिक नहीं होगी।

(ख) आकस्मिक अवकाश अन्य अवकाश के साथ नही जोडा जावेगा।

(ग) आकरिमिक अवकाश की गणना कैलेण्डर वर्ष के अनुसार होगी एंव वर्षान्त पर शेष आकस्मिक अवकाश समाप्त (Lapse) हो जाएगा।

13.2 चिकित्सा अवकाश :–

वर्ष कुल 5 दिवस का चिकित्सा अवकाश सोसायटी के कर्मचारियों को दी जा सकेगी ।

13.3 अवैतनिक अवकाश :–

युवायुक्तों को विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त 15 दिवस का अवैतनिक अवकाश दी जा सकेगी।

13.4 अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी :–

समिति प्रबंधक के अवकाश की रवीकृति हेतु सोसायटी का अध्यक्ष एवं शेष कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति के लिये सोसायटी का समिति प्रबंधक सक्षम अधिकारी होगा।

अवकाश हेतु प्रकिया :–

(क). कोई भी कर्मचारी अधिकार के रूप में किसी भी अवकाश का हकदार नही होगा किसी कर्मचारी को अवकाश यदि वह देय हो,स्वीकृत करना पूर्णतया सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा, यदि सेवा की अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक हुआ तो स्वीकृत किया गया अवकाश निरस्त किया जा सकता है तथा कर्मचारी को काम पर वापस बुलाया जा सकता है।

(ख). कोई भी कर्मचारी सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना अपने कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा बीमारी या दुर्घटना की दशा में बिना शासकीय चिकित्सा अधिकारी अथवा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के चिकित्सा प्रमाण–पत्र के अनुपस्थित नही रहेगा ।

(ग). ऐसा कर्मचारी जो नकदी का भार रखता हो या जो शाखा,उपशाखा या अन्य कार्यालय का प्रभारी हो, सक्षम अधिकारी की लिखित में पूर्व स्वीकृति प्राप्त कियें बिना ना तो अपने पदस्थी स्थान से रात के समय में अनुपस्थित रहेगा और ना ही अवकाश के दिनो में मुख्यालय छोडेगा।

घ) कोई भी कर्मचारी अपने सक्षम अधिकारी अथवा निकटतम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना कार्यस्थल नही छोडेगा।

(ड.) अपने कार्य का कार्यभार (charge) दिये बिना कोई कर्मचारी किसी भी अवकाश पर नहीं जावेगा

(च) कोई भी कर्मचारी अवकाश पर जाने से पूर्व अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी को अवकाश की अवधि के अपने पते से अवगत करायेगा तथा अधिकारी के पास उसके द्वारा दिये गये पते में, यदि कोई परिवर्तन हो, तो संसूचित करेगा।

(छ). सोसायटी का कार्यालय निगोशियेबल इन्स्टूमेंट एक्ट के अधीन चोषित अवकाश के दिन बन्द रहेगा।

(द) विलंब से आने वाले कर्मचारी को उपस्थिति पंजी में विलंब से उपस्थित मार्क किया जावेगा व माह में तीन दिन देरी से आने के मार्क पर एक दिन आकस्मिक अवकाश या एक दिन का निश्चित वेतन/मानदेय काटा जावेगा।

नियम क. 14 प्रशिक्षण :– सोसायटी अपने कर्मचारियों के लिये उनके कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था अनिवार्यतः करेगा। प्रशिक्षण का व्यय सोसायटी स्वयं वहन करेगी एवं अपने वार्षिक बजट में प्रशिक्षण हेतु राशि का प्रावधान सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 19ड़ के उपबन्धो के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

नियम क.15 चौकीदार एवं भृत्य को वर्दी. –

यदि सोसायटी वित्तीय रूप से सक्षम हो तो वर्ष में एक बार चौकीदार/भृत्य को वर्दी दिया जायेगा।

नियम क. 16 अनुशासनात्मक कार्यवाही –

16.1 कर्तव्य सूची मे दर्शाए गए कर्तव्यों का पालन समुचित ढंग से नही करने या कार्य में रूचि नही लेने, लापरवाही बरतने सोसायटी को आर्थिक नुकसान पहुचांने, बिना सूचना के अनुपस्थित रहने, वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करने कर्तव्य स्थल पर मद्यपान की स्थिति में होने पर, अधिनियम "नियम उपविधियों के प्रावधानों का बार–बार अथवा जानबूझकर उल्लंघन करने पर संबंधित सेवायुकत के विरूद्ध कार्यवाही का निर्णय सोसायटी की कमेटी/बोर्ड द्वारा लिया जावेगा।

16.2 साधारण दुराचरण की श्रेणी में निम्नलिखित कृत्य होंगे :– सोसायटी के सेवायुक्तों के द्वारा कार्यालयीन समय पर कर्तव्य स्थल में उपस्थित नहीं होना, बिना अवकाश के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, , कार्य की उपेक्षा करना इत्यादि कृत्य होंगे।

16.3 साधारण दुराचरण हेतु दण्ड (लघुशास्ति) :–

साधारण दुराचरण के लिये दोषी पाये गये कर्मचारी को उसके आचरण की गंभीरता के अनुसार में से कोई दंड दिया जा सकेगा :

01. परिनिन्दा
02. चेतावनी
03. उपेक्षा या आज्ञा उल्लंघन के परिणामस्वरूप बैंक या संस्था के हुये नुकसान की पूर्ति हेतु उसके वेतन से क्षति की पूर्ण राशि अथवा उसके अंश की वसूली करना।
04. संचयी अथवा असंचयी प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना।

16.4.. गंभीर दुराचरण अंतर्गत निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

बेईमानी, धोखाधड़ी, गबन, आर्थिक अनियमितता घोर उपेक्षा अथवा अपचार द्वारा अथवा अन्य किसी भी प्रकार से सोसायटी को आर्थिक हानि पहुँचाना अधिनियम/नियम/उपविधियों के प्रावधानों अथवा किसी अधिकारी के किसी विधिपूर्ण आदेश की जानबूझकर एवं बार–बार उल्लंघन करना, कर्तव्य स्थल पर मद्यपान की स्थिति मे रहना और उपद्रव करना इत्यादि। सोसायटी के सेवायुक्तों के द्वारा दुराचरण के प्रकरणों में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्णय सोसायटी के बोर्ड/कमेटी द्वारा किया जा सकेगा। किसी सेवायुक्त के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बंध में सोसायटी का बोर्ड आरोप तय कर आरोप पत्र तैयार कर, अपचारी कर्मचारी के कृत्यों की जांच करा सकेगा।

16.5 गंभीर दुराचरण हेतु दण्ड (दीर्घशास्ति/गंभीर दण्ड) :–

गंभीर दुराचरण के लिये दोषी पाये गये कर्मचारी को उसके द्वारा संस्था को पहुंचाये गये नुकसान की वास्तविक राशि की वसूली के अलावा उसके आचरण की गम्भीरता के अनुसार निम्नलिखित में से कोई एक दण्ड दिया जा सकेगा :–

01. वर्तमान धारित पद से निम्न श्रेणी में पदावनत करना एवं तद्नुसार वेतनमान निर्धारण करना, परन्तु ऐसी पदावन्नति उस पद से नीचे के पद पर नहीं की जा सकेगी। जिस पद से कर्मचारी द्वारा नौकरी प्रारंभ की गई है।
02. सेवा से पृथक करना (Termination) जो कि भावी नियोजन के लिये निरहता न होगा।
03. सेवा से पदच्युत (Dismisal) किया जाना जो कि भावी के लिये निरहता होगी।

16.6 सोसायटी कर्मचारियों के प्रकरण में वित्तदायी बैंक के शाखा प्रबंधक/पर्यवेक्षक से बोर्ड द्वारा जांच कराई जाकर जांच पश्चात दण्ड की कार्यवाही नियमानुसार बोर्ड द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

16.7 जांच की कार्यवाही अधिकतम तीन माह के अन्दर पूर्ण कर ली जावेगी तथा जांच उपरांत ऐसे विषय पर अधिकतम एक माह के भीतर निर्णय लिया जाना अनिवार्य होगा।

16.8 किसी भी सेवायुक्त के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही से सम्बंधित आयोजित बोर्ड की बैठक जिसमें 'उक्ताशय का निर्णय पारित किया जाना हैं, में शासकीय नामिती की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

16.9 दण्डात्मक कार्यवाही से व्यथित/पीडित कोई भी कर्मचारी कमेटी/बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध न्यायालयीन प्रकरण नियमानुसार सक्षम सहकारी न्यायालय में अधिनियम की धारा 55 के उपबन्धो के अधीन प्रस्तुत कर सकेगा।

16.10 छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53–ख की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी सेवायुक्त को दण्डित किये जाने पर ऐसे दण्डादेश का पालन कराने का दायित्व सम्बंधित सोसायटी के बोर्ड की होगी।

16.11 शिकायत प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार किसी भी कर्मचारी की जांच कराने हेतु सक्षम होगा, रजिस्ट्रार द्वारा कराये किसी भी जांच में रजिस्ट्रार के आदेश के अनुपालन में संबंधित सेवा युक्त के विरूद्ध कार्यवाही के लिये सोसायटी का बोर्ड बाध्यता के अधीन होगा।

16.12 दण्ड हेतु सक्षम अधिकारी –

किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध सेवा नियम अनुसार दण्ड देने के लिये कमेटी/बोर्ड सक्षम होगी। रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 53–ख के प्रावधानों के अंतर्गत दंडादेश पारित करने हेतु सक्षम होगा।

नियम क. 17 संस्था के कर्मचारी का निलंबन :–

01. ऐसे कर्मचारी को जिसके विरूद्ध गंभीर दुराचरण के लिये कार्यवाही की जा रही हो सोसायटी के बोर्ड द्वारा निर्णय पारित कर संभागीय संयुक्त पंजीयक की पूर्वानुमति से निलंबित किया जा सकेगा। ऐसा निलंबन आदेश लिखित रूप में होगा और कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा दिया जावेगा।
02. कर्मचारी को निलंबन अवधि मे निर्वाह भत्ते के रूप में निश्चित वेतन के आधे के बराबर निलंबन भत्ते का अधिकार होगा और वह बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा निलंबन अवधि में कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जावेगी वह जैसे ही और जब भी कहीं जाएगा, अपनी अनुपर्थिति की सूचना सक्षम अधिकारी को या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को देगा।
03. निलंबन अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी, निलंबन अवधि संचालक मण्डल के अनुमोदन से बढ़ाई जा सकती है परन्तु यह विस्तारित अवधि छः: माह से अधिक नहीं होगी। किंतु जांच अनिवार्य रूप से तीन माह के भीतर कर ली जावे। यदि जांच करने पर कर्मचारी अंशतः या पूर्णतः दोषी पाया जावे तो उसे नियम अनुसार दण्ड दिया जा सकेगा और वह निलंबन अवधि में दिये गये भत्ते को छोडकर अन्य किसी भी प्रकार के वेतन का अधिकारी नहीं होगा।

नियम क. 18 सेवानिवृत्ति की आयु :–

सभी पदों हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित होगी ।

नियम क. 19. कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा :–

19.1 सोसायटी कर्मचारियों शासन द्वारा संचालित अटल पेंशन योजना अथवा नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत शामिल होगा। योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। सोसायटी का बोर्ड कर्मचारी की सहमति के आधार पर योजना में शामिल होने की दशा में 100 रूपये प्रतिमाह प्रति कर्मचारी के मान से अंशदान करेगा।

19.2 सोसायटी कर्मचारियों के अश्रितों की आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से सोसायटी द्वारा प्रत्येक कर्मचारियों की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत रू. 2.00 लाख तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनांतर्गत रू. 2.00 लाख का बीमा कराया जायेगा। उक्त बीमा के प्रिमियम का भुगतान संबधित सोसायटी द्वारा करते हुए बीमा प्रब्याजि का व्ययभार वहन किया जायेगा, उक्त बीमा कराने की जवाबदारी सम्बंधित सोसायटी के बोर्ड तथा समिति प्रबंधक की संयुक्त रूप से होगी।

19.3 गबन/घोटाले के आरोप के फलस्वरूप किसी सेवायुक्त को सेवायुक्त करने की कार्यवाही सोसायटी द्वारा किये जाने की दशा में सिक्योरिटी डिपाजिट की राशि सोसायटी के पक्ष में राजसात की जा सकेगी, सिक्योरिटी डिपाजिट कराने की जवाबदारी सम्बंधित सोसायटी के अध्यक्ष तथा प्रबधंक की संयुक्त रूप से होगी।

नियम क. 20. व्यक्तिगत नस्ती:–

सोसायटी द्वारा सभी सेवायुक्तों की व्यक्तिगत नस्ती संधारित की जावेगी जिसमें नियुक्ति आदेश, अवकाश लेखा स्थानांतरण वार्षिक वेतन वृद्धि सेवा सत्यापन वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन, चल–अचल सम्पत्तियो की जानकारी, पेंशन योजना में जमा राशि की अद्यतन जानकारी तथा कर्मचारी से संबंधित समस्त अभिलेख सुरक्षित रखा जायेगा।

उक्त अभिलेखों की एक सत्यप्रति संबंधित सोसायटी के अतिरिक्त वित्तदायी बैंक की शाखा तथा संभागीय संयुक्त पंजीयक के कार्यालय में भी संधारित किया जायेगा।

उपरोक्त अभिलेखों के संधारण की सम्पूर्ण जवाबदारी सोसायटी के समिति प्रबंधक तथा संबंधित बैंक की शाखा के शाखा प्रबंधक की संयुक्त रूप से होगी।

नियम क. 21. अचल सम्पत्ति :–

प्रत्येक सेवायुक्त को नियुक्ति के समय तथा प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के प्रारंभ में उसके स्वयं के तथा निकटतम नातेदारों द्वारा धारित चल तथा अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कर्मचारी द्वारा जानकारी 31 दिसम्बर की स्थिति में आगामी 34 जनवरी तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावेगी, जिसकी प्रति संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा जिले के प्रभारी उप/सहायक पंजीयक को 15 फरवरी तक प्रेषित की जावेगी । अचल सम्पत्ति की जानकारी के अभाव में किसी भी सेवायुक्त के पदोन्नति के संबंध में विचार नही किया जावेगा ।

नियम क. 22 अनुकंपा नियुक्ति :–

किसी भी सेवायुकत के सेवाकाल में मृत्यु की दशा में सेवायुक्त के परिवार के आश्रित सदस्य को सोसायटी तत्समय भृत्य पद रिक्त होने की दशा में नियमानुसार तथा पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जा। परन्तु अनुकम्पा नियुक्ति के लिए सोसासटी का बोर्ड तत्सम्बंधी आवश्यक कार्यवाही संभागीय संयुक्त पंजीयक की लिखित अनुमति से ही कर सकेगी।

नियम क. 23. कर्मचारियों को ऋण सुविधा:–

सोसायटी के किसी सेवायुक्त द्वारा ऋण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर सोसायटी के बोर्ड में पारित संकल्प द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर सोसायटी के किसी भी सेवायुक्त को विभिन्न कार्यो हेतु व्यक्तिगत मध्यम कालीन ऋण 1.50 लाख रूपयें (एक लाख पचास हजार रूपये मात्र) की सीमा के भीतर वित्तदायी सहकारी बैंक द्वारा संबंधित कर्मचारी की ऋण अदायगी क्षमता का आंकलन कर बैंक में प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा।

नियम क. 24. कर्मचारियो का आदान–प्रदान:–

समान पदधारी सेवायुकतों के सेवाओ का आदान–प्रदान राजस्व संभाग की सीमा के भीतर संबंधित दोनो ही कर्मचारियों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर किसी भी दो सोसायटियों के बोर्ड द्वारा तत्सबंध मे पारित निर्णय के अनुसार आपस में किया जा सकेगा। परन्तु इस संबंध में संभागीय संयुक्त पंजीयक की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। संबंधित दोनो ही कर्मचारियों का आवेदन पत्र तथा नियोक्ता सोसायटियों के बोर्ड की आपसी सहमति सम्बंधित प्राप्त आवेदन के आधार पर कर्मचारियों के सेवाओं का आदान–प्रदान का आदेश संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा पारित किया जायेगा। उक्त आदेश का अनुपालन करना दोनो ही सोसायटियो के लिए बाध्यकारी होगा।

नियम क. 25 वार्षिक कार्य योजना :–

सोसायटी का समिति प्रबंधक प्रतिवर्ष वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेगा वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार सोसायटी के सेवायुक्तों को कर्मचारीवार त्रैमासिक लक्ष्य प्रदत्त किया जायेगा। प्रदत्त लक्ष्यों के विरूद्ध पूर्ति की समीक्षा प्रत्येक त्रैमास में सोसायटी के बोर्ड द्वारा की जायेगी। कार्ययोजना के प्रमुख विषय वस्तु निम्नलिखित होंगे :–

01. सोसायटी के कार्यक्षेत्र में निवासरत कृषक परिवारों की संख्या तथा कृषक परिवार को सोसायटी से जोड़ते हुए सदस्यता वृद्धि का लक्ष्य ।
02. अऋणी सदस्यों को ऋणी सदस्य बनाने का लक्ष्य।
03. अमानतों में वृद्धि हेतु अमानत संग्रहण का लक्ष्य।

04. ऋणी वसूली में वृद्धि हेतु ऋण वसूली में वृद्धि का लक्ष्य ।
05. ऋण वितरण में वृद्धि हेतु ऋण वितरण का लक्ष्य।
उपरोक्त बिन्दुओं पर कर्मचारियों को प्रदत्त लक्ष्य के विरूद्ध पूर्ति के आधार पर उनके कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा।

सोसायटी कार्ययोजना अंतर्गत एन.पी.ए. के प्रतिशत में कमी, व्यवसाय तथा लाभप्रदता में वृद्धि, स्थापना तथा प्रबंधकीय व्यय में कमी, स्वंय की पूंजी में वृद्धि इत्यादि हेतु वर्ष में किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यो का समावेश वार्षिक कार्ययोजना में किया जायेगा। कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर प्रतीकात्मक रूप से पुरूस्कार देकर सम्मानित किया जायेगा।

नियम क. 26 प्रकीर्णः–

सोसायटी के कर्मचारी सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये विधिपूर्ण आदेशो/निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यता के अधीन होगें। सेवानियम के किन्ही उपबंधों के सबंध में रजिस्ट्रार समय–समय पर निर्देश तथा स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा। इस सेवानियम के प्रावाधानो का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जवाबदारी सम्बंधित सोसायटी के अध्यक्ष तथा समिति प्रबंधक की संयुक्त रूप से होगी।

नियम क. 27 निरसर तथा व्यावृत्तियां –

इस सेवा नियम के प्रभावशील होने की तारीख्रा से पूर्व में प्रभावशील कर्मचारी सेवानियम 2012 निरसित हो जायेगा। परन्तु पूर्व में प्रभावशील सेवानियम के प्रावधानों अंतर्गत कि गई समस्त कार्यवाहियाँ वैध/ विधिमान्य होंगी।

सही
(जे.पी. पाठक)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

क्रमांक/साख 2/सी.सी.बी/2018/4147 अटल नगर दिनांक 24 सित. 2018

–: आदेश :–

(छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55–(1) के उपबंधो के अधीन)

प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के सेवायुक्तो के लिय सेवा नियम 2018 में आवश्यक संशोधन हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट अवलोकन से यह संदृन हो गया है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के सेवायुक्तों के लिए वर्तमान में प्रभावशील सेवानियम 2018 में संशोधन आवश्यक एवं वांछनीय है।

अतएव में सुनील कुमार जैन पंजीयक सहकारी संस्थाये छत्तीसगढ अटल नगर, रायपुर छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 55 की उपधारा (1) के उपबंधो के अधीन सहकारी सोसायटीयों के नियोजन के निबंधनों तथा शर्तो को शासित करने सबंधी रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तत्संबध में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/साख–2/सी.सी.वी./2018/643 नया रायपुर दिनांक 27.012018 द्वारा जारी प्राकृतिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के सेवायुक्तों के लिये सेवा नियम 2018 की कंडिका 05,10,13,17,21,22,23 एवं 24 में आशिंक संशोधन एतद् द्वारा संलग्न परिशिष्ट अनुसार किया हूं तथा समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी को आदेशित करता हू कि वे उक्त सेवा नियम के यथा संशोधित प्रावधानो सहित सेवानियम 2018 का अनुपालन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 24.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

सही

(सुनील कुमार जैन)
पंजीयक
सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ

पृ. कमांक/साख–2/सी.सी.बी/2018/4147 अटल नगर दिनांक 24/09/2018

प्रतिलिपि –

01. निज सचिव, माननीय मंत्री महोदय, छ.ग. सहकारिता विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।

02. सचिव छ.ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय नया रायपुर।

03. संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐ संभाग .... छ.ग.

04. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए ....छ.ग.

05. प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी बैंक, मर्या. रायपुर।

06. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या (समस्त) (छ.ग.)

07. अध्यक्ष/प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाईटियों (समस्त) (छ.ग.)

08. अध्यक्ष छत्तीसगढ सहकारी समिति महासंघ रायपुर।

सही

पंजीयक
सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के रोवायुक्तों के लिए सेवानियम 2018 की निम्नांकित कण्डिकाओं में संशोधन किया जाता है।

(1) नियम कमांक–06 भर्ती/भर्ती हेतु चयन समिति में संशोधन

(1) नियम कगांक–06 के अंत गें निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए :–

परन्तु यह कि सीधी भर्ती हेतु संबंधित सोसाइटी किसी भी एक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर तथा सोसाइटी के कार्यक्षेत्र के ग्रामों में मुनादी द्वारा प्रचार–प्रसार कर भर्ती छेतु विज्ञापन का प्रकाशन कर सकेगा।

(2) नियम कंमाक 10 पदोन्नति में संशोधन

(1) नियम कंमाक 10 के उपनियम (2) अर्थात नियम 10.2 के मौजूदा प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात :–

नियम कंमाक 10.2 "प्रत्येक पदोन्नति के मामलों में पदोन्नति हेतु कर्मचारी की उसके द्वारा वर्तमान में धारित पद जिस पद से उसे उच्चतर पद में पदोन्नत किया जायेगा, उस पद पर कम से कम 05 वर्ष की निरंतर सेवा सोसाइटी में आवश्यक होगी।

(2) नियम कंमाक 10 के उपनियम (6) अर्थात नियम 10.6 पदोन्नति हेतु श्रृंखला निम्नानुसार होगी में प्रयुक्त शब्द "बोर्ड द्वारा सेवायुक्तों की गई पदोन्नति के निर्णय का बैठक कार्यवाही वृत्त संभागीय संयुक्त पंजीयक का प्रेषित कर पदोन्नति का अनुमोदन कराना आवश्यक होगा कि स्थान पर निम्नालिखित खण्ड स्थापित किया जाता है । अर्थात पदोन्नति कार्यवाही नियम कमांक 06 अनुरूप चयन कमेटी की अनुशंसा पर बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(3) नियम कमांक–10 के उपनियम (6) अर्थात 10.6 के पश्चात निम्नलिखित नवीन उपनियम जोड़ा जाता है अर्थात :–

10.7 पदोन्नति हेतु विचार विषयक आहूत सोसाइटी की बोर्ड/प्रबंध कमेटी की बैठक में शासकीय प्रतिनिधि विकासखण्ड के सहकारिता विस्तार अधिकारी तथा वित्तदायी बैंक के शाखा प्रबंधक की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(3) नियम 13 अवकाश में संशोधन

(1) नियम कंमाक 13 अवकाश में उपनियम (2) अर्थात 13.2 चिकित्सा अवकाश में प्रयुक्त शब्द "वर्ष में कुल 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश सोसाइटी के कर्मचारियों को दी जा सकेगी" के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाता है :– अर्थात :–

"महिला कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों के समान 180 दिवस तक का मातृत्व अवकाश सोसाइटी के बोर्ड /प्रबंध कमेटी के निर्णय अनुसार दिया जा सकेगा।"

(4) नियम कमांक 17 अनुशासनात्मक कार्यवाही से संशोधन

01. नियम कमांक 17 :– नियम कमांक 17 के उपनियम (1) अर्थात 17.1 मे निम्नलिखित खण्ड जोडा/अतः स्थापित किया जाता है :– अर्थात

निलम्बन आदेश के साथ सोसायटी द्वारा आरोप पत्र भी जारी किया जायेगा, निलम्बत आदेश जारी करने के पश्चात संबधित सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा तत्काल नियम कमांक 16.6 उपलब्धों के अधीन जांच अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

(5) नियम कमांक 21 अचल संपत्ति से संशोधन

01. नियम कमांक 21 में प्रयुक्त शब्द जिसकी प्रति संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा जिले के प्रभारी उप/सहायक पंजीयक को 15 फरवरी तक प्रेषित की जावेगी के स्थान पर शब्द "जिसकी मूल प्रति सबंधित सोसाइटी तथा एक सत्यपित वित्तदायी बैंक की शाखा में सधारित की जायेगी।"

(6) नियम कमांक 22 अनुकम्पा नियुक्ति में संशोधन

01. नियम कमांक 22 अनुकम्पा नियुक्ति – के मौजूदा प्रावधानो के स्थान पर निम्नालिखित प्रति स्थापित किया जाता है अर्थात –

नियम कमांक 22 अनुकम्पा नियुक्ति –

किसी भी सेवायुक्त सेवाकाल में मृत्यु की दशा में सेवायुक्त के परिवार के आश्रित सदस्य को सोसाइटी में नियम के 05 अंतर्गत स्वीकृत पद संरचना अनुसार भृत्य/चौकीदार विकेता तथा लिपिक सह कम्प्युटर ऑपरेटर के रिक्त पदो पर तत्संबध में निर्धारित न्युनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करने वाले सदस्य को नियमानुसार/पात्रतानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी।

परन्तु अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही का निर्णय नियम – 6 के अंकित चयन कमेटी की अनुशंसा पर बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(7) नियम कमांक 23 कर्मचारियों को ऋण सुविधा में संशोधन

01. नियम कमाक 23 कर्मचारियों को ऋण सुविधा में प्रयुक्त शब्द व्यक्तिगत मध्यमकालीन ऋण 1.50 लाख रूपये अक्षरी (एक लाख पच्चास हजार रूपये मात्र) के स्थान पर शब्द व्यक्तिगत मध्यमकालीन. ऋण 3.00 लाख (अक्षरी तीन लाख रूपये मात्र) प्रतिस्थापित किया जाता है।

(8) नियम कंमाक 24 कर्मचारियों का आदान–प्रदान में संशोधन

(1) नियम कंमाक 24 के मौजूदा प्रावधानों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–

नियम कंमाक 24 कर्मचारियों का आदान–प्रदान :–

"समान पदधारी सेवायुक्तों की सेवाओं का आदान–प्रदान संबंधित दोनों ही कर्मचारियों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर उन सोसाइटियों के बोर्ड द्वारा तत्संबंध पारित निर्णय के अनुसार आपस में किया जा सकेगा। जिला स्तर पर ही कर्मचारियों की सेवाओं के आपसी आदान–प्रदान के प्रकरणों में उक्त आदेश संबंधित कर्मचारियों के आवेदन पत्र तथा नियोक्ता सोसायटियों के बोर्ड की आपसी सहमति संबंधी प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर जिले के उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा जारी किया जा सकेगा तथा संभागांतर्गत एक जिले से दूसरे जिले की सोसायटी में सेवाओं के आदान–प्रदान की दशा में संबंधित जिलों के सहायक/उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं की अनुशंसा पश्चात आदेश संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा पारित किया जाएगा।"

सही

(सुनील कुमार जैन)

पंजीयक

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771-2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल -rcs.coop@nic.com

क्रमांक/साख-1A/2020/4095 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 01.12.2020

-:आदेश:-

छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक नवा रायपुर के प्राधिकृत अधिकारी(बोर्ड) की बैठक दिनॉक 30.08.2019 के संकल्प क्रमांक21 में पारित निर्णय अनुसार उप प्रबंधक एवं उससे उच्च क्षेणी के अधिकारी जो अटलनगर नवा रायपुर बस से आवागमन नहींकरते एवं अटलनगर नवा रायपुर में निवास नहीं करते हैं उन्हें पेट्रोल एलांउस 40 लीटर प्रतिमाह से बढाकर 80 लीटर प्रतिमाह करने बाबत् कर्मचारी सेवानियम में संलग्न परिशिष्ट क्रमांक(3) अनुसार संशोधन कराए जाने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित कर सेवानियम में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 55 की उपधारा(1)के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं हिम शिखर गुप्ता, पंजीयक सहकारी संस्थाऐ छ.ग. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी (बोर्ड) की बैठक दिनॉक 30.08.2019 में पारित संकल्प क्रमांक 21 के साथ संलग्न परिशिष्ट क्रमांक(3) के अनुसार प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदित करता हूँ।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

क्रमांक/साख-1A/2020/4095 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 01.12.2020

प्रतिलिपि:-

प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी बैंक नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

क्रमांक / साख / सर्कुलर / 2020 / 4380 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 16.12.2020

प्रति,

संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, समस्त
छत्तीसगढ,

विषयः– विभागीय प्रकरणों / शिकायतों के निराकरण के संबंध में।

विषयांतर्गत कार्यालयीन पत्राचार एवं नस्तियों के प्रचलन में यह लगातार देखा जा रहा है कि संभागीय एवं जिला कार्यालय के अधिकारियों द्वारा मुख्यालय स्तर से निराकरण हेतु प्रेषित प्रकरणों / शिकायतों पर अधिनियम / नियम तथा निर्देशों के तहत निराकरण न करते हुए प्रतिवेदन इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये जाते है। इससे शासकीय समय एवं संसाधन दोनों की बर्बादी होती है जो कि कतई उचित नहीं है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रशासनिक / विभागीय मामलों में शासन तथा मुख्यालय स्तर से निर्देश तथा वित्त विभाग द्वारा वित्तीय मामलों में अधिकारों का प्रत्यायोजन प्रसारित किये गये है तथा छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं द्वारा विभागीय अधिकारियों के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। अतः उक्त नियम / निर्देशों का पालन करते हुए प्रकरणों का निराकरण सक्षम स्तर पर किया जाना चाहिए।

विभागीय प्रकरणों के निराकरण में यह परिलक्षित हो रहा है कि समिति स्तर की जो शिकायतें जॉच एवं कार्यवाही हेतु सहायक / उप / संयुक्त पंजीयक को भेजी जाती है, उन्हें बिना किसी गुणात्मक विश्लेषण किए, मुख्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है।जिनके निराकरण हेतु छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के तहत वे सक्षम है। सहकारी बैंकों के शिकायतों में जॉच एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु समस्त शक्तियां संयुक्त पंजीयक में वेष्ठित है, परन्तु उनके द्वारा सामान्यतः उन शिकायतों का निराकरण न करते हुए पंजीयक कार्यालय को जॉच प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संभाग / जिला स्तरीय संस्थाओं की शिकायतों के संबंध में आपको अधिनियम / नियम के तहत वेष्ठित शक्तियों के अंतर्गत निम्ननुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेः–

1. जिन शिकायतों में जॉच पूर्ण हो चुकी हो तथा जिनका प्रतिवेदन पंजीयक या शासन को प्रेषित किया गया हो या नहीं किया गया हो, उन पर वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही करें।

2. जो शिकायतें निराधार पायी गयी हो, उनको नियमानुसार परीक्षण कर नस्तीबध्द करने का निर्णय लेवें।
3. जिन शिकायतों में जॉच या कार्यवाही लंबित हो, उनमें जॉच पूर्ण की जाकर 03 माह में अनिवार्यतः नियामानुसार वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही पूर्ण की जावें।
4. जिन प्रकरणों में मुख्यालय स्तर से कार्यवाही अप्रेक्षित हो वहां साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर स्पष्ट अभिमत सहित प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए, ताकि प्रकरणों का सुगमता पूर्वक शीघ्रता से निराकरण किया जा सकें।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

क्रमांक/साख/सर्कुलर/2020/4380 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 16.12.2020

प्रतिलिपिः–

विशेष सचिव, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

कमांक/साख/सर्कुलर/2020/4456 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 21.12.2020

प्रति,

1. संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं,(समस्त)
छत्तीसगढ,

2. मुख्य कार्यापालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित (समस्त)

विषयः– प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में कर्मचारियों की भर्ती बाबत्।

संन्दर्भः–1. छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र कमांक एफ 15–26/2020/15–02, दिनॉक 07.11.2020.

2 कार्यालयीन आदेश कमांक/सी.सी.बी/2018/643, दिनॉक 27.01.2018.

विषयांतर्गत राज्य शासन द्वारा जनहित में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन कृषकों तक कृषि साख व अन्य आदान की पहुंच सुलभ रूप से पहुंचाने हेतु प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का पुनर्गठन कर 725 नवीन समितियों का गठन किया गया है। नवीन गठित समितियों के मध्य आस्तियॉ/दायित्व एवं सेवायुक्तों के विभाजन बाबत् भी समय–समय पर निर्देश जारी दिए हैं। छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र कमांक एफ 15–26/15–02/2020/2388, दिनॉक 07.11.2020 द्वारा जारी निर्देशों कर अवलोकन करें, पत्र की कडिका 03 पुनर्गठित समितियों के मध्य सेवायुक्तों के मध्य विभाजन के संबंध में है जो कि निम्ननुसार हैः–

1. सेवायुक्तों का विभाजन संबंधित समितियों के कार्य व्यवसाय के अनुपात में सेवायुक्तों से विकल्प लेकर किया जाएगा। अनुपातिक संख्या में विकल्प प्राप्त ना होने पर नवगठित समिति में अनुभवी सेवायुक्तों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्यमान समिति के सेवायुक्तों को अस्थायी तौर पर किया जा सकेगा।
2. नव–गठित समितियों के कर्मचारियों की अधिकतम संख्या प्राथमिक साख सहकारी समितियों के लिए जारी सेवा नियम के अनुसार ही होगी। विभाजन से प्राप्त कर्मचारियों के पश्चात् कमी होने पर धान खरीदी में के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन अस्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।

3. छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार समिति प्रबंधक कैडर का पद है, जिलाधिकारियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि इस पद पर किसी भी प्रकार से समिति स्तर पर भर्ती की कार्यवाही ना की जायें।
4. सहकारी समितियों में पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है। अतः पूर्ववर्ती सहकारी समितियों में सभी प्रकार के कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी।
5. स्हकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम के अनुसार सभी सहकारी समितियों के सेवायुक्तों की पूर्ण एवं सही जानकारी संबंधित जिले के उप/सहायक पंजीयक एवं जिला सहकारी बैंक मुख्यालय/नोडल/कार्यालय/अपेक्स बैंक (रायगढ–जशपुर जिले के लिए) स्तर पर अनिवार्यतः संधारित की जावें।

संदर्भित पत्र कमांक 02 द्वारा प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के व्यवसाय में वृद्धि, पेशेवर दृष्टिकोण के विकास, सेवायुक्तों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने, स्थापना व्यय को युक्तिसंगत रखने हेतु नियत मापदण्डो के भीतर रखते हुए सोसाइटियों के सेवायुक्तों हेतु आर्थिक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा प्रदेश स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कार्मिक व्यवस्था में एकरूपता लाने हेतु आदर्श सेवा नियम विरचित कर सोसाइटियों द्वारा अंगीकृत करने बाबत् निर्देश सर्वसंबंधितों को दिए गये है। जिसमें समितियेां की व्यवसाय के अनुक्रम में वर्गीकरण करते हुए सेवायुक्तों की सख्या का निर्धारण भर्ती हेतु योग्यता/पात्रता/कार्मिको बाबत् पदवार निश्चित वेतनभत्तें तथा चयन समिति एवं अन्य भर्ती की प्रकिया बाबत् प्रावधान किए गए है।

वर्तमान में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना/शिकायतों से यह तथ्य परिलक्षित हो रहा है कि पूर्ववर्ती एवं नवगठित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में अधिकारियों/पदाधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशो का उल्लंघन कर कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है जिसका संबंधित संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा भी अनुमति या अनुमोदन किया जा रहा है, जो कतई उचित नहीं है। निर्देशो के विपरीत की गई नियुक्तियां अनियमित एवं अपत्तिजनक होने के साथ ही उसमें दी गई अनुमति/अनुमोदन तथा पृष्टि भी अनुचित है। वर्तमान में छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) के तहत सेवा नियमों में सुधार करते हुए समितियों की कार्मिक व्यवस्था को पेशेवर, कुशल एवं दक्ष बनाये जाने हेतु सेवा नियम संशोधन का प्रस्ताव देने बाबत् कमेटी का गठन किया गया है, इसलिए पूर्ववर्ती समितियों में सभी प्रकार की भर्ती को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित करते हुए नवगठित समितियों में पूर्ववर्ती समितियों से विभाजन पश्चात् प्राप्त कर्मचारियों के बाद भी कर्मचारियों की कमी होने पर धान खरीदी के परिप्रेक्ष्य में अस्थायी व्यस्था के तहत कार्मिक व्यवस्था के निर्देश जारी किए गए है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासन के संदर्भित परिपत्र तथा पंजीयक द्वारा जारी सेवानियमों का पालन करते हुए ही वर्तमान आवश्यकता अनुसार कार्मिक की अस्थायी व्यवस्था नवीन

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में किया जावें तथा पूर्ववर्ती समितियों में कोंई भी भर्ती की कार्यवाही आगामी आदेश पर्यन्त नही किया जावें। यदि इन निर्देशो के पश्चात् भी पूर्ववर्ती/नवगठित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में भर्ती/नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त होती है तो संबंधित जिले के उप/सहायक पंजीयक तथा संबद्ध बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को संयुक्त रूप से उत्तरदायी मानते हुए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा संबंधित समितियों के अधिकारी/पदाधिकारी के विरूद्ध छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 एवं पंजीकृत उपविधियों के तहत वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

पृ. क्रमांक/साख/सर्कुलर/2020/4456 नवा रायपुर,अटल नगर, दिनॉक 21/12/2020

प्रातिलिपिः—

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैक मर्यादित, रायपुर।
3. अध्यक्ष/प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित............................. ।
   की ओर सूचनार्थ।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

कमांक/साख/सर्कुलर/2021/215 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 14.01.2021

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक,**
   शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाएं,
   (समस्त) छत्तीसगढ,
2. **मुख्य कार्यापालन अधिकारी,**
   जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
   (समस्त) छत्तीसगढ.
3. **प्रबंध संचालक,**
   सहकारी शक्कर कारखाना,
   समस्त छत्तीसगढ.

विषयः– प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा संस्थाओं की बोर्ड एवं विभिन्न उप समितियों में पदेन सचिव की हैसियत से निर्धारित दायित्वों का समुचित निर्वहन करने संबंध में।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैकों तथा अन्य संस्थाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों एवं जॉच प्रतिवेदन में प्राप्त तथ्यों के द्वारा यह बात सामने आयी है कि कतिपय संस्थाओं के प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यापालन अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन समुचित रूप से नहीं किया गया हैं। प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी संस्था के बोर्ड एवं विभिन्न उप समितियों के पदेन सचिव होते है। अतः उनका दायित्व है कि बोर्ड एवं विभिन्न उप समितियों की बैठक के समय प्रत्येक विषय पर कार्यालयीन टीप बनाकर समिति के सदस्यों के समझ प्रस्तुत करें, जिसमें अधिनियम, नियम, उपविधि व विभिन्न निर्देशों के संबंध में विस्तृत उल्लेख हो। साथ ही प्रत्येक विषय के संबंध मे सचिव के मतों का भी स्पष्ट उल्लेख हो ताकि बोर्ड/उप समितियों उनका अवलोकन कर नियमों के अंतर्गत, गुण दोषों के आधार पर समुचित निर्णय लिया जा सके, किन्तु ऐसा नही किए जाने के कारण कभी कभी समिति द्वारा लिए गए निर्णय अधिनियम, नियम उपविधि व संस्था की आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार नहीं होते है और उक्त के अभाव में बोर्ड के सदस्यों के मध्य विषयानुसार पर्याप्त चर्चा का अवसर भी उपलब्ध नहीं हो पाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि बैठक के प्रत्येक विषय पर उक्तानुसार विस्तृत व स्पष्ट एजेण्डा टीप बनाई जाकर बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को बैठक के सूचना पत्र के साथ भेजी जावें तथा बैठक में भी प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध कराई जावे। कृपया यह भी देखें कि पारित निर्णय विधि अनुरूप हो।

यदि उक्त के बावजूद भी बोर्ड द्वारा नियमों के विपरीत निर्णय लिया गया है तो संस्था के प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का यह कर्तव्य एवं दायित्व है कि बैठक के कार्यवाही विवरण में अपनी स्पष्ट असहमति दर्ज करावें तथा ऐसे प्रकरणों को पंजीयक, संभागीय संयुक्त पंजीयक तथा जिले के उप/सहायक पंजीयक के ध्यान में तत्काल लाया जावे। यदि प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन

अधिकारी ऐसा नहीं करते हैं तो नियमों के विपरीत पारित निर्णयों के लिए वे व्यक्तिगत रूप से जवाबदार होंगे।

कृपया इस पत्र को संस्था के बोर्ड की आगामी बैठक में अवलोकनार्थ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावे तथा पत्र की अभिस्वीकृति इस कार्यालय को उचित माध्यम से भेजा जावें।

सही

(हिम शिखर गुप्ता)

पंजीयक

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

पृ. कमांक/साख/सर्कुलर/2021/215 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक 14/1/2021

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर,अटल नगर, जिला—रायपुर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ।
3. समस्त उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संस्थाओं के बोर्ड एवं विभिन्न उप समितियों की बैठकों में यदि अधिनियम, नियम, उपविधियो,शासन एवं पंजीयन के निर्देशों के विपरीत निर्णय पारित किए जाते है। तो स्पष्ट असहमति दर्ज करावें तथा इस तथ्य को संयुक्त पंजीयक एवं पंजीयक के ध्यान में तत्काल लाया जावे।
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, रायपुर—कृपया उपरोक्त निर्देशों के विपरीत यदि बैकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी त्रुटि करने हेतु दोषी पाये जावें तो उसके विरूद्ध कडी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें।
5. निज सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ।
6. समस्त कक्ष प्रभारी, मुख्यालय।

सही

पंजीयक

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ
विभागाध्यक्ष कार्यालय इंन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

क्रमांक/साख/सर्कुलर/2021/267 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 19.01.2021

प्रति,

1. **संयुक्त/उप पंजीयक,**
सहकारी संस्थाएं,
(समस्त) छत्तीसगढ,
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
(समस्त) छत्तीसगढ.

विषयः– जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के बोर्ड एवं विभिन्न उप समितियों की बैठक में विभागीय प्रतिनिधित्व बाबत्।

छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी, 1960 नियम तथा 1962 तथा बैंको के पंजीकृत उपविधियों में प्रावधान अनुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में निर्वाचित व पदेन संचालकों के अतिरिक्त शासन द्वारा नामांकित संचालक में पंजीयक के प्रतिनिधि भी शामिल होते है। बैंक के पंजीकृत उपविधि में बैंक के मुख्यालय के प्रभारी उप पंजीयक के प्रतिनिधि के रूप में नामांकित संचालक थे किन्तु राज्य विभाजन एवं जिलों के पुनर्गठन पश्चात् बैंक के कार्यक्षेत्र अंतर्गत राजस्व इकाईयों के विभाजन पश्चात् संभागीय संयुक्त पंजीयकों द्वारा बैंक के बोर्ड एवं उप समितियों में प्रतिनिधित्व किया जाता रहा है। वर्तमान व्यवस्था अंतर्गत संभागीय संयुक्त पंजीयक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के विभिन्न बैठकों में उपस्थित होते है।

छत्तीसगढ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15–23/15–02/2015/2, दिनॉक 26.10.2017 द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन अंतर्गत संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, संभाग को संभाग अंतर्गत समस्त प्रकार की सोसाइटियों के संबंध में रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है जिसके तहत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबंधित अधिनियम अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण भी सम्मिलित है तथा छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 में अद्यतन संशोधन दिनॉक 14.10.2020 द्वारा धारा 78 में संशोधन पश्चात् प्रकरणों पर प्रथम अपील भी संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा सुना जाना है।

अतः पूर्व में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की बोर्ड एवं विभिन्न उपसमितियों की बैठक में उपस्थिति के संबंध में जारी समस्त निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के बोर्ड तथा उप समितियों की बैंठको में बैंक मुख्यालय के जिला में पदस्थ उप पंजीयक ही शासकीय प्रतिनिधि होंगें।

अतः बैंठकों में बैंक मुख्यालय के उप पंजीयक को आंमत्रित किया जावें तथा उसकी प्रतिलिपि संबंधित संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को भी पृष्ठांकित किया जावे।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

पृ. कमांक/साख/सर्कुलर/2021/267 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक 19/1/2021

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर,अटल नगर, जिला–रायपुर।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, नवा रायपुर।
3. निज सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ।
4. समस्त कक्ष प्रभारी, मुख्यालय।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

छत्तीसगढ शासन
सहकारिता विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 15–35/15–02/2019/08 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 4.01.2021

प्रति,

पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ,
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर,

विषयः– प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन किये जाने पर आस्तियों/दायित्वों के विभाजन के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक/साख–1/नं. कं./09–15/2020/3782 दिनॉक 07.11.2020.

सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन फलस्वरूप आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन करने हेतु प्रस्तावित आधार का प्रारूप प्रेषित किया गया है।

प्रस्तावित आधार के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के आस्तियों एवं दायित्वों का विभाजन करने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।

सही
(पी.एस.सर्पराज)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन
सहकारिता विभाग

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय इंन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

क्रमांक/साख–1A/न.क्र.9–15/2021/370 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 25.01.2021

प्रति,

संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं,
(समस्त) छत्तीसगढ,

विषयः– प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनगर्ठन किये जाने पर आस्तियों/दायित्वों के विभाजन के संबंध में।

सन्दर्भ–:1. छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन का पत्र क्रमांक एफ–15–35/15–02/2019/2279, नवा रायपुर दिनॉक 27.10.2020.
2 छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन का पत्र क्र. एफ–15–35/15–02/2019/08, नवा रायपुरदिनॉक 04.01.2021.

कृपया संदर्भित पत्र क्र. 01 का अवलोकन हो, जो कि आपको पृष्ठांकित हैं। उक्त ज्ञापन से नवीन समितियों के पंजीयन, कर्मचारियों का विभाजन, आस्तियों एवं दायित्वों के निपटारे बाबत् दिशा–निर्देश प्रदान किए गए थे। पुनर्गठन योजना के कियान्वयन से 725 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां अस्तित्व में आ चुकी है। शासन द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा जारी दिशा–निर्देश की कंडिका 05 के तहत आस्तियां एवं देयताओं के बटवारे बाबत् विभाजन का आधार, के दिशा–निर्देश संलग्न प्रेषित है।

अतः विभाजन के आधार के दिशा–निर्देशों के तहत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन बाबत् कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

क्रमांक/साख–1A/न.क्र.9–15/2021/370 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 25.01.2021
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर,अटल नगर, जिला–रायपुर।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित, नवा रायपुर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, समस्त छत्तीसगढ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

पुनर्गठन योजना के लिये प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के मध्य परिसपंत्तियों एवं देयताओं के विभाजन किये जाने हेतु विभाजन का आधारः—

	देयताएँ	विभाजन का आधार एवं तरीका
	1	2
1	पूंजी	
	1. प्राधिकृत	प्रभावित सोसाइटी के लिये अपरिवतनीय रहेगीं। परिणामी सोसाइटी के लिये जैसा कि उसके पंजीकृत किये जाने वाले उपविधि में विहित किया जायेगा।
	2. अभिदत्त	
	3. चुकता/प्रदत्त	
	क. वैयक्तिक	विभाजन के ठीक पूर्व प्रभावित सोसाइटी के कुल प्रदत्त अंशपूंजी में से, परिणामी सोसाइटी में शामिल होने वाले ग्रामो के कुल सदस्यों के द्वारा धारित हिस्सा राशि परिणामी सोसाइटी में अंतरित की जावेगी।
	ख. सरकार	सदस्य अंश पूंजी अनुपात में विभाज्य।
	ग. अन्य	अन्य व्यक्त्यिों/समूह/समिती या फर्म द्वारा अंशपूंजी का विभाजन संबंधित व्यक्ति/समूह/समिति या फर्म के सहमति से उनके द्वारा सहमत अनुपात के अनुसार ही विभाजन योग्य होगा।
	रिजर्व और निधियों (पैक्स के अधिशेष से निर्मित)	

	1. रिजर्व निधि	सदस्य अंशपूंजी अनुपात में विभाजन।
	2. पूंजी रिजर्व	सदस्य अंशपूंजी अनुपात में विभाजन।
	3. कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि	सदस्य अंशपूंजी अनुपात में विभाजन।
	4. लाभाशं समानीकृत निधि	सदस्य अंशपूंजी अनुपात में विभाजन।
	5. कामन गुड्स निधि	सदस्य अंशपूंजी अनुपात में विभाजन।
	6. बिल्डिंग फंड (पैक्स के सरप्लस से निर्मित)	सदस्य अंशपूंजी अनुपात में विभाजन।
	7. अन्य (अन्य विविरण दें)	सदस्य अंशपूंजी अनुपात में विभाजन।
3.	लाभ और हानि लेखा (यदि अंतिम शेष लाभ हो)	सदस्य अंशपूंजी अनुपात में विभाजन।
4.	अनुदान और अन्य निधियों	
	1. भविष्य निधि	वास्तविक कर्मचारी के अनुपात में
	2. बिल्डिंग निधि(राज्य सरकार से प्राप्त)	भवन विभाजन अंशपूंजी के अनुपात में विभाज्य होगा।
	3. पुनः पूंजीकरण सहायता निधि	सदस्य अंशपूंजी अनुपात में विभाजन।
	4. समिति के लिये सब्सिडी राशियां	सदस्य अंशपूंजी अनुपात में विभाजन।
	5. सदस्यों के लिये सब्सिडी राशियां	जिन सदस्यों के लिये सब्सिडी प्राप्त हुई है उनके विभाजन के अनुपात में विभाजन होगा।
	6. अन्य(विवरण दें)	मुख्यतः यह राशि सदस्य अंशपूंजी के अनुपात में विभाज्य होगी तथापि विवरणों के परीक्षण उपरांत मदवार विभाजन होगा।
5.	जमा राशियॉ	

	1. बचत जमा	ग्राम के व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के विभाजन के अनुसार विभाज्य।
	2. आवर्ती जमा	ग्राम के व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के विभाजन के अनुसार विभाज्य।
	3. मियादी जमा	ग्राम के व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के विभाजन के अनुसार विभाज्य।
	4. पुनः निवेश जमा	ग्राम के व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के विभाजन के अनुसार विभाज्य।
	5. अन्य जमा(विवरण दें)	ग्राम के व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के विभाजन के अनुसार विभाज्य।
6.	उधार(Borrowings)	
	क. जिमस बैंक/रास बैंक से उधार	
	1. अल्पावधि(मौकृप)/केसीसी ऋण सीमा	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	2. मध्यावधि/दीर्घावधि कृषि ऋण	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	3. मध्यावधि परिवर्तन	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	4. मध्यावधि/दीर्घावधि पुनः अनुसूचिकरण	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	5. स्वयं सहायता समूह ऋण	जे समूह जिस सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में पंजीकृत है उस समूह पर सोसाइटी स्तर पर बकाया राशि के अनुपात में अंतरित की जायेगी।
	6. गैर कृषि क्षेत्र ऋण	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	7. कृषि उत्पादों की खरीद के लिये नकद ऋण सीमा	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	8. स्वर्ण ऋणों के लिये नकद ऋण सीमा	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।

	9. जिसम बैक/रास बैंक में जमा के समक्ष ऋण	सदस्य ऋण शेष अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	10. उर्वरक नकद ऋण सीमा	खाद/उर्वरक के भौतिक स्टाक विभाजन अनुपात में विभाज्य।
	11. बीज नकद ऋण सीमा	बीज के भौतिक स्टाक विभाजन अनुपात में विभाज्य।
	12. जन वितरण योजना के लिये नकद ऋण सीमा	स्टाक के भौतिक विभाजन अनुपात में विभाज्य।
	13. उपरोक्ता वस्तुएं नकद ऋण सीमा	स्टाक के भौतिक विभाजन अनुपात में विभाज्य।
	14. अन्य गैर ऋण गतिविधियां	ऋण की प्रकृति के अनुसार प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजन होगा।
	15. जिमस बैंक/रास बैंक से अन्य उधार (विवरण दें)	ऋण की प्रकृति के अनुसार प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजन होगा।
	ख. राज्य सरकार से उधार	अंशपूंजी के विभाजन के आधार पर
	ग. अन्य संस्थाओं से उधार (विवरण अनुबंध में)	सदस्य ऋण शेष अनुपात में या अनुंबध अनुसार जानकारी होने पर विभाजन योग्य होगा।
7.	अन्य देयताएँ	
	1. जमा राशियों पर उपचित ब्याज	जमाकर्ता के जमा राशि पर बकाया ब्याज के विभाजन अनुपात में विभाज्य।
	2. उधारों पर उपचित ब्याज	सदस्य ऋण शेष पर बकाया ब्याज के अनुपात के अनुसार विभाज्य।
	3. दावा न किये गये लाभांश	जिन सदस्यों ने लाभांश का दावा नही किया है उनके विवरण के अनुसार अर्थात् ऐसे जितने सदस्य परिणामी सोसाइटी में जा रहे हो उनसे संबंधित राशि परिणामी सोसाइटी में अंतरित की जायेगी।
	4. विविध लेनदार(विवरण अनुबंध में)	अनुबंध की जानकारी के अनुसार विभाजन किया जाय।
	5. अन्य देयताएं (विवरण में)	अनुबंध की जानकारी के अनुसार विभाजन किया जाय।
10	प्रावधान	

	1. **भविष्य निधि/ग्रेच्यूटी/बोनस/पेंशन हेतु**	**वास्तविक कर्मचारियों के राशि के आधार पर विभाजन अनुपात में विभाज्य।**
	2. मनक आस्तियों के लिये	वर्तमान लागू नही यदि प्रावधान तैयार किया गया है तो एनपीए वर्गीकरण के अनुसार विभाज्य होगा।
	3. व्ययों हेतु	व्ययों के प्रकृति के अनुसार उसी अनुपात में विभाज्य होगा।
	4. अन्य(विवरण दें)	विवरणात्मक जानकारी तैयार कर मदों की प्रकृति के अनुसार विभाजन होगा।

	आस्तियाँ / परिसंपत्तियाँ	ब्रेकअप
1	हस्ते रोकड / हाथ में नकदी	हस्तस्थ नकदी जिस मद का है उस के अनुरूप उसी आधार पर विभाजन होगा।
2	जिमस बैंक / रास बैंक में शेष	
	1. चालू खाता	प्रथमतः प्रभावित सोसाइटी की यह राशि किस मद(खाता)की है उसे देखकर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजन होगा। और बैंक में नया खाता खोला जायेगा।
	2. बचत खाता	प्रथमतः प्रभावित सोसाइटी की यह राशि किस मद(खाता)की है उसे देखकर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजन होगा। और बैंक में नया खाता खोला जायेगा।
3	अन्य बैकों / संस्थाओं में शेष	
	1. चालू खाता	प्रथमतः प्रभावित सोसाइटी की यह राशि किस मद(खाता)की है उसे देखकर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजन योग्य राशि का निर्धारण किया जायेगा एवं विभाजन पूर्व संबंधित बैंक की सहमति आवश्यक होगी।
	2. बचत खाता	प्रथमतः प्रभावित सोसाइटी की यह राशि किस मद(खाता)की है उसे देखकर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजन योग्य राशि का निर्धारण किया जायेगा एवं विभाजन पूर्व संबंधित बैंक की सहमति आवश्यक होगी।
4	निवेश	
	1. सरकारी और ट्रस्टी / न्यास प्रतिभूतियां	प्रभावित सोसाइटी के पास।
	2. अन्य सहकारी संस्थाओं में शेयर (विवरण अनुबंध में)	अंशपूंजी के आधार पर विभाजन किया जायेगा। मूल शेयर प्रभावित समिति में रहेगा।
	3. जिमस बैंक / रास बैंक में मियादी जमा(रिजर्व निधियों से अनुबंध)	अंशपूंजी के आधार पर विभाजन किया जायेगा।

	आस्तियाँ / परिसंपत्तियाँ	ब्रेकअप
	4. जिमस बैंक / रा.स.बैंक में मियादी जमा(रिजर्व निधि के अतिरिक्त)	अंशपूंजी के आधार पर विभाजन किया जायेगा।
	5. अन्य बैंको में मियादी जमा	अंशपूंजी के आधार पर विभाजन किया जायेगा।
	6. राष्ट्रीय बचत पत्र / किसान विकास पत्र	अंशपूंजी के आधार पर विभाजन किया जा सकता है।
	7. भविष्य निधि ट्रस्ट / बैंक में जमा स्टाफ भविष्य निधि का शेष	वास्तविक कर्मचारियों विभाजन के अनुपात में विभाज्य।
	8. अन्य निवेश(विवरण अनुबंध में)	जानकारी तैयार कर निवेश की प्रकृति के अनुसार विभाजन होगा।
5	ऋण और अग्रिम	
	1. अल्पविधि(मोकृप) / केसीसी ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	2. मध्यावधि / दीर्घावधि कृषि ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	3. मध्याविध / परिवर्तन ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	4. मध्यावधि / दीर्घावधि पुनःअनुसुचिकरण ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	5. कृषि उत्पादों के गिरवी के समक्ष में ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	6. एसएचजी ऋण(स्वयं सहायता समूह)	संबंधित स्वसहायता समूह जिस समिति के कार्यक्षेत्र में पंजीकृत है उसके पास रहेगी / अंतरित की जायेगी।
	7. गैर कृषि क्षेत्र ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	8. जमा के समक्ष ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।

	आस्तियाँ/परिसंपत्तियाँ	ब्रेकअप
	9. टिकाउ उपभोक्ता वस्तुओं के लिये ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	10. स्वर्ण ऋण	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
	11. स्टाफ सदस्यों को ऋण	वास्तविक कर्मचारी विभाजन के अनुसार विभाज्य।
	12. अन्य ऋण(विवरण दें)	यह राशि ग्राम अंशधारी सदस्यों को वास्तविक ऋण शेष के अनुसार विभाज्य है।
6	अंतिम स्टॉफ	
	1. कृषि निविष्टियाँ–उवर्रक	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।
	2. कृषि निविष्टियाँ–बीज	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।
	3. कृषि निविष्टियाँ–कीटनाशक	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।
	4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुएं	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।
	5. गैर पी.डी.एस. उपभोक्ता वस्तुएं	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।
	6. प्रापण योजता के तहत खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।
	7. मिड डे मिल योजना के तहत सामग्री	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।
	8. अन्य स्टाक/वस्तुएं/प्रकिया धीन	भौतिक रूप से दिये जाने पर पुस्तमूल्य पर प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के बीच विभाजित होगी।

	आस्तियाँ / परिसंपत्तियाँ	ब्रेकअप
7	अचल परिसंपत्तियाँ(मूल्य हास चार्ट के अनुसार मूल्यहास को छोंडकर)	
	1. भूमि और भवन / गोदाम	प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपलब्ध भवन समिति को प्राप्त होगा।पुस्त मूल्य पर अंशपूंजी के आधार पर विभाज्य होगा।
	2. फर्नीचर और फिक्चर्स	प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपलब्ध फर्नीचर और फिक्चर्स समिति को प्राप्त होगा।पुस्त मूल्य पर अंशपूंजी के आधार पर विभाज्य होगा।
	3. कम्प्यूटर और इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपलब्ध कम्प्यूटर और इलेक्ट्रिकल समिति को प्राप्त होगा।पुस्त मूल्य पर अंशपूंजी के आधार पर विभाज्य होगा।
	4. वाहन	प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपलब्ध वाहन समिति को प्राप्त होगा।पुस्त मूल्य पर अंशपूंजी के आधार पर विभाज्य होगा।
	5. अन्य अचल आस्यिॉ(विवरण दें)	प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में भौतिक रूप से उपलब्ध अन्य अचल आस्तियॉ समिति को प्राप्त होगा।पुस्त मूल्य पर अंशपूंजी के आधार पर विभाज्य होगा।
8	अन्य आस्यिॉ	
	1. (क) उपचित और प्राप्य ब्याज (1 से 3)	
	1. मानक ऋणों पर उपस्थित किंतु देय नहीं हुए ब्याज	अंशधारी सदस्यों पर बकाया ब्याज अनुसार प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटीयों के बीच विभाजन होगा।
	2. अनर्जक आस्ति ऋणों पर उपचित कितु देय नहीं हुए ब्याज	अंशधारी सदस्यों पर बकाया ब्याज अनुसार प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटीयों के बीच विभाजन होगा।

	आस्तियॉ / परिसंपत्तियॉ	ब्रेकअप
	3. प्राप्य अतिदेय ब्याज	अंशधारी सदस्यों पर बकाया ब्याज अनुसार प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटीयों के बीच विभाजन होगा।
	2. क.निवेशो पर प्राप्य ब्याज	निवेश के विभाजन के आधार पर विभाजन होगा।
	3. प्राप्य विविध आय	आय की प्रकृति के अनुसार विभाजन योग्य होगा।
	4. क विविध देनदार	विवरणात्क जानकारी तैयार कर मर्दो की प्रकृति के अनुसार विभाजन होगा।
6	पहले भुगतान किये गये व्यय	भुगतानों की जानकारी प्राप्त कर उसके अनुसार विभाजन होगां।
7	स्त्रोत पर काटा गया आयकर	भुगतानों की जानकारी प्राप्त कर उसके अनुसार विभाजन होगां।
8	अन्य	भुगतानों की जानकारी प्राप्त कर उसके अनुसार विभाजन होगां।
	लाभ और हानि खाता(यदि शेष हानि हो)	सदस्यों के अंशपूंजी राशि के अनुपात में विभाजन

टीपः–1. यदि कतिपय मर्दो का विभाजन नही हो पा रहा हो तो देयताएं एवं परिसंपत्तियां प्रभावित सोसाइटी के पास रहेंगी। 2. पुनर्गठन योजना के तहत दायित्व की तुलना में प्रभावित सोसाइटी द्वारा संपत्तियों का विभाजन कम प्रदान करने पर प्रभावित सोसाइटी परिणामी सोसाइटी के लिये दायित्वाधीन होगी। 3. पुनर्गठन योजना के तहत प्रदत्त संपत्ति की तुलना में प्रभावित सोसाइटी द्वारा दायित्वों का विभाजन कम प्रदान करने पर परिणामी सोसाइटी प्रभावित सोसाइटी के लिये दायित्वाधीन होगी। 4. पुनर्गठन योजना के तहत उपरोक्तानुसार संपत्तियों एवं देयताओं के विभाजन के उपरांत बाद में यदि कोई देयता वएं या परिसंपत्तियां संज्ञान में आती है तो उसका विभाजन भी उपरोक्तानुसार पुनर्गठन योजना के मानकों के अनुसार होगा और दोना सोसाइटीयों पर आबद्धकारी होगा।

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ
विभागाध्यक्ष कार्यालय इंन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं 0771–2511920, फैक्स नं : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

क्रमांक / साख / सर्कुलर / 2021 / 2035नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 04.06.2021

प्रति,

1 **प्रबंध संचालक,**
शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाएं,
(समस्त) छत्तीसगढ,

2 **मुख्य कार्यपालन अधिकारी / महाप्रबंधक / प्रबंधक,**
संभाग / जिला स्तरीय सहकारी संस्थाएं,
(समस्त) छत्तीसगढ.

विषयः– कोविड–19 के कारण आकस्मिक रूप से निधन हुए कर्मचारियों के परिवारजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में।

छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 55(1)के तहत राज्य में पंजीकृत एवं कार्यरत् सहकारी संस्थाओं के लिए सेवा नियम प्रभावशील हैं तथा सहकारी संस्थाएं के सेवायुक्तों के आकस्मिक मृत्यु की दशा में परिवार की संभावित वित्तीय कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए सेवायुक्त के विधिमान्य आश्रित को प्राथमिकता के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने बाबत् अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी नियम भी जारी किए गए है। वर्तमान में कोविड–19 महामारी के राज्य में फैलाव के दौरान सहकारी क्षेत्र में कार्यरत् कई कर्मचारियों की कोरोना से पीडित होकर मृत्यु हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप उन कर्मचारियों के परिवार के भरण पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि कोविड–19 के कारण किसी सेवायुक्त की यदि मृत्यु हुई है, तो ऐसे प्रकरणों में पंजीयक द्वारा संस्था के लिए अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी जारी नियम–निर्देशों का पालन करते हुए पात्र उत्तरधिकारी को एक माह के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जावें।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

क्रमांक / साख / सर्कुलर / 2021 / 2035 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 04.06.2021

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
2. संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त संभाग छत्तीसगढ।
3. उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त छत्तीसगढ।
4. कक्ष प्रभारी समस्त, मुख्यालय।

की ओर सूचनार्थ।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

क्रमांक/साख/सर्कुलर/2021/3683 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 29.09.2021

प्रति,

1 **संभागीय संयुक्त पंजीयक,**
सहकारी संस्थाए(समस्त),
..

2 **उप/सहायक पंजीयक,**
सहकारी संस्थाएं,(समस्त)
..

3 **मुख्य कार्यपालन अधिकारी.**
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित(समस्त)
..

विषयः– पुनर्गठन पश्चात् प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में स्टॉफिंग पैटर्न निर्धारण तथा नवगठित समितियों में सेवायुक्तों की भर्ती बाबत्।

संदर्भः– 1. कार्यालयीन ज्ञापन क्र./साख/सर्कुलर/2020/4456, दिनॉक 21.12.2020.

2 छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 15–35/15–02/2019/2279, दिनॉक 27.10.2020.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में शासन के परिपत्र दिनॉक 07.11.2020 तथा पंजीयक द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लिए अनुमोदित सेवा नियमों का उल्लेख करते हुए नवगठित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में वर्तमान आवश्यकता अनुसार सेवायुक्तों की अस्थायी व्यवस्था किये जाने तथा पूर्ववर्ती समितियॉ में भी किसी भी प्रकार की भर्ती की कार्यवाही आगामी आदेश पर्यन्त नहीं किये जाने बाबत् निर्देश जारी किए गये थे।

वर्तमान में बिलासपुर संभाग अंतर्गत जिला स्तर पर पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में सेवा नियमों से इतर भर्ती किये जाने अधिकारियों द्वारा भर्ती की व्यक्तिवार अनुमति दिए जाने तथा पूर्व में की गयी भर्तियों के अनुमोदन/पुष्टि किए जाने संबंधी कई शिकायतें प्राप्त हुई है,जिनकी जॉच प्रक्रियाधीन है। छत्तीसगढ विधानसभा के बजट सत्र फरवरी–मार्च 2021 में भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियॉ एवं उनके धान खरीदी केन्द्रो में सोसाइटी की अनियनित भर्ती के संबंध मे विधानसभा प्रश्न उठाए गए है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संभाग एवं जिला स्तर के अधिकारी पंजीयक द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियॉ के लिए अनुमोदित सेवा नियमों का अनुपालन गंभीरता पूर्वक नही करा पा रहे है। सहकारिता विभाग अंतर्गत अधीनप्रस्थ संभागीय एवं जिला अधिकारी छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के तहत राज्य शासन की अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित पंजीयक की शक्तियां एवं कर्तव्यों का पालन प्रत्यायोजित सीमा के भीतर करने हेतु सक्षम है।

छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 15–26/15–02/2020/2388, दिनॉक 07.11.2020 की कंडिका 03 में पुनर्गठित समितियों के मध्य सेवायुक्तों के विभाजन के संबंध मे स्पष्ट निर्देश दिए गए है। अतः सोसाइटी के वर्गीकरण तथा कार्मिक व्यवस्था के संबंध में पंजीयक द्वारा अनुमोदित तथा संशोधित सेवा नियमों का पालन करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:–

1 **सोसाइटी का व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण का मापदण्डः–**

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी सेवा नियम, 2018 की कंडिका 03 सोसाइटी के वर्गीकरण से संबंधित है, जिसमे कर्मचारियों की पदवार संख्या निर्धारित करने के लिए सोसाइटीयों को 03 वर्ष के औसत कारोबार/व्यवसाय के आधार पर निम्न चार वर्गो में विभक्त किया गया हैः–

क्रं.	कुल व्यवसाय	सोसाइटी का वर्ग
1	रू. 06.00 करोड से अधिक	''अ'' वर्ग
2	रू. 03.00 करोड से रू. 06.00 करोड तक	''ब'' वर्ग
3	रू. 01.00 करोड से रू 03.00 करोड तक	''स'' वर्ग
4	रू. 01.00 करोड से कम	''द' वर्ग

2 **पुर्नगठन पश्चात् प्रभावित तथा परिणामी सोसाइटी का वर्गीकरण तथा तदानुसार कर्मचारियों की संख्या का आंकलनः–**

1. सोसाइटीयों कें पुनर्गठन पश्चात् प्रभावित तथा परिणामी सोसाइटियों का व्यवसाय के आधार पर कंडिका–01 अनुसार वर्गीकरण अंकेक्षिज वित्तीय पत्रक वित्तीय वर्ष 2020–2021 के आधार पर किया जावे। उक्तानुसार प्रभावित सोसायटी के वर्तमान वर्गीकरण में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो जिस वर्गीकरण अंतर्गत सोसाइटी आयेगी, उसी वर्गीकरण के अनुरूप कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किया जायेगा।
2. प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी सेवा नियम 2018 की कंडिका 05 में सोसाइटियों के वर्गीकरण अनुसार, कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण किया गया है जो कि निम्ननुसार हैः–

क्र.	सोसाइटी का वर्गीकरण	समिति प्रबंधक /संवर्ग समिति प्रबंधक	लेखापाल /सहायक समिति प्रबंधक	लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	भृत्य/ चौकीदार	विक्रेता	अतिरिक्त कर्मचारी सहायक समिति प्रबंधक तथा लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर
1	''अ'' वर्ग(रू. 6.00 करोड से अधिक)	1	2	3	2	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत	प्रत्येक 03 करोड के अतिरिक्त व्यवसाय पर 01 अतिरक्त लिपिक

2	''ब'' वर्ग(रू. 3.00 करोड से रू 6.00 करोड तक)	1	1	2	2	संचलित प्रत्येक दुकान के लिए एक विक्रता की नियुक्ति की जाएगी।	सह कम्प्यूटर ऑपरेटर अतिरिक्त रखा जा सकेगा। परन्तु 04 से अधिक अतिरिक्त लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं रखे जा सकेगें, किन्तु जिन समितियों में प्रधानमंत्री उज्जवला योजनांतर्गत दुर्गम क्षेत्रीय वितरक है, उनमे 01 सहायक समिति प्रबंधक/लेखापाल तथा 01 ऑपरेटर अतिरिक्त नियुक्त किया जा सकेगा।
3	''स'' वर्ग(रू. 1.00 करोड से रू. 3.00 करोड तक)	1	1	2	1		
4	''द'' वर्ग(रू. 1.00 करोड से कम)	1	0	1	1		

उक्तानुसार ''अ'', ''ब'', ''स'', ''द'', वर्ग में वर्गीकृत सोसाइटी के लिए तालिका में दर्शित संख्या सोसाइटी में कर्मचारियों की अधिकतम संख्या होगी।

3 सोसाइटियों के उक्तानुसार वर्गीकरण, सेवायुक्तों की अधिकतम संख्या निर्धारण तथा स्टॉफिंग पैटर्न स्वीकृति संबंधी कार्यवाही संबंधित वित्तदायी बैंक के शाखा प्रबंधक के सोसाइटी की वित्तीय स्थिति के विस्तृत आंकलन के आधार पर प्रारूप–01 में प्रस्तुत प्रस्ताव तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की अनुशंसा पर संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा किया जावे।

4 सोसाइटियों के पुनर्गठन पश्चात् प्रभावित तथा परिणामी सोसाइटियों के मध्य सेवायुक्तों के विभाजन के संदर्भ में संदर्भित पत्र क्र 02 में निर्देश दिए गए है। अतः उक्त कंडिका 2(11) में नियत प्रकिया अनुसार सोसाइटी के वर्गीकरण के अनुक्रम में सेवायुक्तों की संख्या का निर्धारण उपरान्त सेवायुक्तों से संलग्न प्रारूप–11 में विकल्प प्राप्त कर, विभाजन की कार्यवाही संबंधित वित्तदायी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंया पर संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा किया जावे।अनुपातिक संख्या में विकल्प प्राप्त ना होने तथा प्रभावित सोसाइटी मे नवीन वर्गीकरण पश्चात नियत संख्या से अधिक सेवायुक्त कार्यरत होने की दशा में कनिष्ठतम सेवायुक्त को नवगठित समिति में पदस्थ किया जावे। परिणामी समिति में संवर्ग(कैडर)समिति प्रबंधक की नियुक्ति नहीं होने तक प्रभावित सोसाइटी के समिति प्रबंधक द्वारा ही परिणामी सोसाइटी में भी प्रभारी समिति प्रबंधक का कार्य संपादित किया जाएगा।

3अतिशेष कर्मचारियों का युक्तियुक्तकरणः–

यदि पुनगर्ठन पश्चात् प्रभावित सोसाइटी का वर्गीकरण वर्तमान वर्ग से निम्न में होता है, तो कर्मचारियों की अधिकतम संख्या के आंकलन उक्त तालिका अनुसार करने के पश्चात् आधिक्य(अतिशेष)कर्मचारियों के संदर्भ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी सेवा नियम, 2018 की कंडिका 5.2 अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

4 सोसाइटी की रिक्तियों को अंतिम रूप दिया जानाः–

उक्तानुसार प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के मध्य सेवायुक्तों के विभाजन पश्चात् प्रारूप–1 की कॉलम 12 में दर्शित रिक्ति को संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा प्रमाणित किए जाने पर, संबंधित सोसाइटी के लिए अंतिम रिक्ति माना जावेगां।यह कार्यवाही अनिवार्य रूप से 15.10.2021. तक पूर्ण कर लिया जावें।

5 कर्मचारियों की व्यक्तिगत नस्ती संधारणः–

प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी सेवा नियम 2018 की कंडिका 20 अनुसार, सोसाइटी के सभी सेवायुक्तों की व्यक्तिगत नस्ती/सेवा पुस्तिका का संधारण किया जाना है, जिसकी संयुक्त जवाबदारी सोसाइटी के समिति प्रबंधक तथा संबंधित बैंक की शाखा प्रबंधक

की है। अतः सेवायुक्तों के विभाजन पश्चात् प्रथमतः सभी सहकारी सोसाइटियों के सेवायुक्तों की पूर्ण एवं सही जानकारी यथा–सेवापुस्तिका एवं अचल सम्पत्ति आदि संबंधित जिले के उप/सहायक पंजीयक एवं जिला सहकारी बैंक मुख्यालय/नोडल कार्यालय/अपेक्स बैंक(रायगढ जशपुर जिले के लिए)स्तर पर अनिवार्यतः प्रारूप–3 में दर्शित प्रारूप में संधारित किया जावे।

समिति द्वारा नियत प्रारूप में सेवायुक्तों की सेवा पुस्तिका संधारण का परीक्षण के पश्चात् ही संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा भर्ती की अनुमति संबंधी कार्यवाही की जाएगी। सेवा पुस्तिका संधारण संबंधी कार्यवाही समय–सीमा में नही होने की दश में जिला सहकारी केंन्द्रीय बैंक के संबंधित शाखा प्रबंधक के विरूद्ध सेवा नियमों के तहत कठोर कार्यवाही करते हुए युक्तियुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर, भर्ती की अनुमति की समय–सीमा में वृद्धि बाबत् अनुमति पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा दी जा सकेगी।

6 रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमतिः

1. प्रभावित तथा परिणामी सोसाइटी में रिक्तियों की उक्तानुसार गणना पश्चात् सोसाइटी के वित्तीय सक्षमता का आंकलन करते हुए स्वीकृत स्टॉफिंग पैटर्न अनुसार सेवायुक्तों का व्यय भार उठाने में सोसाइटी के सक्षम होने पर ही जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुशंसा पर संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा अत्यन्त आवश्यक होने पर ही सोसाइटी में पदों की सेवा नियम के प्रावधान अनुसार भर्ती की अनुमति संबंधी कार्यवाही की जाएगी।
2. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा सोसाइटी के रिक्त पंदों पर भर्ती की अनुमति सभी रिक्त पदों के लिए एकमुश्त न दिया जाकर 03 अलग–अलग चरणों में दिया जाएगा।
3. संयुक्त पंजीयक द्वारा उक्तानुसार अनुमति की प्रति समितिवार जिले के उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी दी जाएगी।
4. समिति या सम्बद्ध बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा संभागीय संयुक्त पंजीयक या जिले के उप/सहायक पंजीयक को सीधे प्रेषित प्रस्ताव विचार योग्य नहीं होगे।
5. यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवा नियमों में समिति में किसी पद पर भर्ती का अनुमोदन संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं है, अपितु समिति के रिक्त पंदो पर भर्ती बाबत् प्रकिया प्रावधानित है।अतः संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा केवल सेवा नियमों के प्रावधानों के तहत रिक्त पंदों की भर्ती प्रकिया प्रांरभ करने की अनुमि ही दी जावेगी।

7 समिति प्रबंधक का पद जिला सहकारी केन्द्रीय बैक के कैडर सेः–

छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 54(3) के तहत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के समिति प्रबंधक का पद सम्बद्ध का पद किसी भी दशा में सोसाइटी द्वारा सीधी भर्ती या पदोन्नति से नहीं भरा जावेगा।

8 सोसाइटी के स्थापना व्यव बाबत् वित्तीय मापदण्डः–

संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा भर्ती की अनुमति दिए जाते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी दशा में सोसाइटी का स्थापना व्यय कार्यशील पूंजी के 02 पतिशत तथा सकल आय के 30 प्रतिशत की सीमा के भीतर हों।

9 सोसाइटी में कर्मचारियों की भर्ती की प्रकियाः–

1. प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा रिक्त पंदो पर भर्ती बाबत् दी गयी अनुमति के तहत भर्ती की कार्यवाही सोसाइटी द्वारा "प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों के सेवायुक्तों के लिए सेवानियम–2018" की

कंडिका 06 में गठित चयन समिति के माध्यम से सेवानियम में यथासंशोधित प्रावधानो का पालन करते हुए कार्यक्षेत्र के ग्रामों में मुनादी, एक स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन सोसाइटी मुख्यालय, संबंद्ध शाखा कार्यालय तथा सोसाइटी के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतो/स्थानीय निकाय कार्यालय एवं क्षेत्र अंतर्गत महत्वपूण शासकीय कार्यालयों में विज्ञापन चस्पा करते हुए किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में सेवा नियमों के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जावेगा।

2. प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों द्वारा भर्ती के संबंध में बोर्ड के प्रस्ताव एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं से भर्ती हेतु प्राप्त अनुमति के आधार पर सेवायुक्तों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशन एवं आगामी कार्यवाही हेतु अनुरोध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को प्रेषित किया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा भर्ती संबंधी अनुमति एवं समिति के अनुरोध का परीक्षण कर सभी सहकारी समितियों के लिए कंडिका 9–1 अनुसार संकलित विज्ञापन का प्रकाशन जिले के उप पंजीयक/सहायक पंजीयक के अनुमोदन उपरान्त कराया जायेगा।
3. उक्त विज्ञापन के अनुक्रम में अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के संबंधित बैंक शाखा जिससे सोसाइटी संबंद्ध है, में प्राप्त किया जाएगा।बैंक शाखा द्वारा प्राप्त आवेदनों को समितिवार पंजीबद्ध कर, नियत तिथि को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सेवायुक्तों के लिए सेवा नियम 2018 के नियम 6 में गठित चयन कमेटी के समक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मुख्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
4. समितिवार प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सेवायुक्तों के लिए सेवा युक्तों के लिए सेवा नियम 2018 के नियम 6 में गठित चयन कमेटी द्वारा किया जायेगा तथा मेरिट आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची पदवार तैयार की जाएगी।

3 सोसाइटी में सीधी भर्ती के किसी भी पद पर भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

4 जिले के उप/सहायक पंजीयक, सहकारी सहकारी संस्थाएं द्वारा पात्र उम्मीद्वारों का चयन कर सूची समिति को उपलब्ध कराई जावेगी।

5 उक्त चयन सूची के साथ ही कमेटी द्वारा 25 प्रतिशत अथवा कम से कम 01 अभ्यर्थी, जो भी अधिक हो की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी साथ में सोसाइटी को प्रदाय की जाएगी जो उस सोसाइटी के उक्त पद हेतु एक साल तक वैध रहेगा।

6 चयन कमेटी द्वारा दी गई चयन सूची अनुसार नियुक्ति पत्र संस्था के संचालक मण्डल में रखकर स्वीकार करते हुए समिति प्रबंधक द्वारा सेवायुक्तों के नियुक्ति आदेश जारी किये जाएंगे।

उक्तानुसार पुनर्गठित सोसाइटियों के मध्य सेवायुक्तों के विभाजन/युक्तिकरण पश्चात् सोसाइटी की वित्तीय स्थिति एवं भुगतान क्षमता का आंकलन करते हुए सोसाइटी में नवीन भर्ती अत्यावश्यक होने व व्यय भार उठाने में सक्षम होने की दशा में ही सेवा नियमों का पालन करते हुए भर्ती की कार्यवाही संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के पर्यवेक्षण मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में संपादित किया जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्देश परिणामी नवीन समितियों मे सेवायुक्तों की भर्ती हेतु प्रभावशील होगा।

सेवा–नियमों का उल्लंघन कर की गई भर्ती तथा भर्ती की अनुमति/अनुशंसा/अनुमोदन / पुष्टि स्वीकार्य नहीं होगी तथा संबंधित अधिकारी/बोर्ड के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक/प्रशासकीय कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

सही

(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

क्रमांक / साख / सर्कुलर / 2021 / 3683 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 29.09.2021

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर।
3. अध्यक्ष / प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, समस्त द्वारा जिला / उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं........................ ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

प्रारूप–1

सोसाइटी पुनर्गठन पश्चात् रिक्त पदों की गणना हेतु प्रारूप

क.	पुर्नगठन के पूर्व की स्थिति में							पुर्नगठन के पश्चात् की स्थिति में						रिमार्क
	प्रभावित सोसाइटी का नाम	औसत व्यवसाय	सोसाइटी का वर्गीकरण	स्टॉफिंग पैटर्न अनुसार पदों की संख्या		कार्यरत सेवायुक्त		परिणामी सोसाइटियों के नाम	31.03.2021 पर व्यवसाय	सोसाइटी का वर्गीकरण	स्टॉफिंग पैटर्न अनुसार पंदो की संख्या	विकल्प के आधार पर स्थानांतरित सेवायुक्त	रिक्त पदों की स्थिति	
				पदनाम										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

समिति प्रबंधक

................सहकारी समिति,

....

शाखा प्रबंधक शाखा................

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,

....

सहकारिता विस्तार अधिकारी, .

विकासखण्ड.. .....

जिला–...

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित
....

प्रारूप–2

पुनर्गठन पश्चात् सेवायुक्तों के सोसाइटी प्राथमिकता/विकल्प बाबत्

मैं(नाम)..पिता/पति.......... ....पदनाम.. ....प्राथमिक/आदिम/ जाति/वृहताकार कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित,...पं.क...दिनॉक.... ....तहसील..............................जिला..में दिनांक.................................. ....से वेतनमान...पर पदस्थ हूँ। छत्तीसगढ राज्य में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन उपरान्त मेंरी सोसाइटी का विभाजन........................ ...., ..., ...सोसाइटियो के किया गया है।

अतः सोसाइटी के विभाजन उपरान्त मैं अपनी सेवाएं/आदिम/जाति/वृहताकार कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित.. प क...दिनांक.......... ....तहसील....................................जिला–...में देने का इच्छुक हुं।इस विकल्प/प्राथमिकता के आधार पर सेवायुक्तों के विभाजन पश्चात् प्रभावित परिणामी सोसाइटी में मेरा कोई अधिकार निर्मित नहीं होगा।

स्थानः–

दिनांकः–

....

(सेवायुक्त का हस्ताक्षर)

....

(नाम तथा पदनाम)

शाखा प्रबंधक, शाखा...................
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
....

द्वारा प्रतिहस्ताक्षर

उप पंजीयक
सहकारी संस्थाएं

द्वारा प्रतिहस्ताक्षर

प्रारूप–3

(सेवा पुस्तिका का प्रारूप)

(A)

निष्ठा हेतु शपथ

मैं...गंभीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं संस्था के प्रति सदैव पूर्ण निष्ठावान रहूँगा तथा मैं कार्यालय में अपने कर्तव्यों का वफादारी ईमानदारी तथा निष्पक्षता से निर्वहन करूंगा।

(ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करें)

दिनांकः–.......................................   हस्ताक्षरः–....................................

समिति प्रबंधक,

(नाम सहित)

(सेवायुक्त)

द्वारा प्रतिहस्ताक्षर

(शाखा प्रबंधक)

प्रारूप–3

(सेवा पुस्तिका का प्रारूप)

(A)

निष्ठा हेतु शपथ

मैं...गंभीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं संस्था के प्रति सदैव पूर्ण निष्ठावान रहूँगा तथा मैं कार्यालय में अपने कर्तव्यों का वफादारी ईमानदारी तथा निष्पक्षता से निर्वहन करूंगा।

(ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करें)

दिनांकः–..................................... **हस्ताक्षरः–....................................**

समिति प्रबंधक,

(नाम सहित) **(सेवायुक्त)**

द्वारा प्रतिहस्ताक्षर

(शाखा प्रबंधक)

(B)

1. कर्मचारी का नाम तथा उपनाम ....

2. जाति, धर्म ....

3. निवास का पता
   स्थायी पता ....
   वर्तमान पता ....

4. पिता का नाम, उपनाम ....

5. जन्मतिथि ....

6. ऊंचाई ....

7. पहचान चिन्ह ....

8. कर्मचारी के हस्ताक्षर तथा हस्ताक्षर की तारीख1..

2..

3..

9. कार्यालय के प्रधान अधिकारी या अन्य अधिकारी जो उपरोक्त प्रत्येक हस्ताक्षर का सत्यापन करेगा के हस्ताक्षर सत्यापन की तारीख सहित. ....

टीपः— इस पृष्ठ में की गई प्रविष्टियों का नवीनीकरण या पुनः सत्यापन कम से कम प्रति पॉच वर्ष में किया जाना चाहिए। कंडिका 08 व 09 में किए जाने वाले हस्ताक्षरों की तारीख भी लिखी जानी चाहिए।

(C)

कर्मचारियों के बाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों के निशान

कनिष्ठा उंगली	(Littile Finger)	
अनामिका उंगली	(Ring Finger)	
मध्यम उंगली	(Midele Finger)	
अंगूठा उंगली	(Thumb Finger)	
तर्जनी	(Fore Finger)	

कर्मचारी के हस्ताक्षर
दिनांक

अधिकारी जिसके समक्ष उंगलियों के चिन्ह लिए गए हों के हस्ताक्षर, पदनाम एवं दिनांक

(D)

पद का नाम एवं वेतनमान	वर्तमान वेतन	नियुक्ति का दिनांक	कर्मचारी के हस्ताक्षर	सोसाइटी के प्रबंधक के हस्ताक्षर मय सील के या कॉलम न. 01 व 04 तक के प्रमाणित करने वाले अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर	पदोन्नत पद	पदोन्नति का दिनांक	सोसाइटी के प्रबंधक के हस्ताक्षर या अन्य प्रमाणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर	ली गई छुट्टी उसका स्वरूप और अवधि	सोसाइटी के प्रबंधक के हस्ताक्षर या अन्य प्रमाणितकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर	कर्मचारी को दिया गया दंड निंदा या पुरस्कार अथवा प्रशंसा आदि का विवरण	सोसाइटी के प्रबंधक के हस्ताक्षर या अन्य प्रमाणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

कार्यालय पंजीयक,

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल – rcs.coop@nic.in

क्रमांक/साख–2/एक्सग्रेसिया/2020/3550 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 02/11/2021

प्रति,

1 संयुक्त पंजीयक.
सहकारी संस्थाएं, (समस्त)

2 प्रबंध संचालक.
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक,/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कार्यरत सेवायुक्तों को बोनस/एक्सग्रेशिया राशि के भुगतान के सम्बंध में।

संदर्भ : –

01. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर का पत्र क्रमांक/2629, दिनांक 27.10.2021
02. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जगदलपुर का पत्र क्रमांक/438, दिनांक 25.10.2021.
03. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग का पत्र क्र/1196, दिनांक 29.10.2021. (राजनांदगांव बैंक)
04. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर का पत्र क्रमांक/1103, दिनांक 28.10.2021.
05. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग का पत्र क्रमांक/1212, दिनांक 02.11.2021 (दुर्ग बैंक)

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक तथा विभिन्न जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में कार्यरत सेवायुक्तों को वर्ष 2020–21 में संस्था को हुए लाभ में से बोनस/एक्सग्रेशिया राशि के भुगतान की सहमति बाबत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कार्यालय सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश का परिपत्र क्रमांक/अंकेक्षण/4/97/789 भोपाल, दिनांक 08.09.1997 का अवलोकन करें। परिपत्र में सहकारी संस्थाओं में कार्यरत सेवायुक्तों को बोनस एक्सग्रेशिया राशि के भुगतान के संबंध में सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 43 तथा 43(क) के प्रावधानों का विधिवत पालन करने के बाबत स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं किन्तु प्रस्ताव के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि बैंकों के प्रस्ताव में अधिनियम के उक्त प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जाना दृर्शित नहीं हो रहा है।

सहकारी संस्थाओं द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 43–क(1)(छ) तथा बोनस एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने जिन सेवायुक्तों को बोनस का भुगतान किया जाना अनिवार्य है, उन सेवायुक्तों को तो बोनस एक्ट के अनुसार बोनस देना ही होता है किन्तु जिन सेवायुकतों को बोनस एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत बोनस देना अनिवार्य नहीं है, उन सेवायुक्तों को बोनस के एवज में एक्सग्रेशिया राशि का भुगतान करने के सम्बंध में सस्था की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही निर्णय लिया जा सकता है। जिन सेवायुक्तों को बोनस एक्ट के अतर्गत बोनस प्राप्त करने की पात्रता नहीं होती उन्हें एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान करने के पूर्व संस्थाओं द्वारा पंजीयक से स्वीकृति ली जाती रही है। अतएव छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संभागीय संयुक्त पंजीयक के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव के तारतम्य में सेवायुक्तों को वर्ष 2020–21 के लाभ में से एक्सग्रेसिया भुगतान हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

01. बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 43–क (1) के (क) से (ठ) तक के अनिवार्य वैधानिक प्रावधान अनुसार वर्ष के सकल लाभ में से कटौती कर, शुध्द लाभ की गणना किये जाने तथा तत्पश्चात प्राप्त शुध्द लाभ में से धारा 43(2) एवं 43(3) की व्यवस्था अंतर्गत आमसभा द्वारा विभाजन के पश्चात ही शेष शुध्द लाभ में से कर्मचारियों को एक्सग्रेसिया दिया जाना विचारणीय होगा।
02. कतिपय बैंक शुध्द लाभों का अधिनियम की धारा 43 अंतर्गत निधियां तथा लाभ के लिए की गई व्यवस्था के तहत समुचित वितरण योग्य लाभ होने के पश्चात भी सदस्यों को पर्याप्त लाभांश वितरण नहीं करती। जहां यह सहकारिता के सिद्धांतों तथा सहकारिता के विकास की दृष्टि से उचित नहीं है, वहीं सदस्यों को लाभांश न बांटते हुए कर्मचारियों को अनुग्रह राशि वितरण का प्रावधान करना तथा अन्य इसी प्रकार के व्यय के प्रस्ताव करने का औचित्य किसी भी तरह से निरूपित नहीं होता है। बैंक के अंशधारी सदस्यों को वितरण योग्य लाभ में से अधिनियम के प्रावधान अनुसार यथासंभव अधिकतम लाभांश का वितरण किया जाना वांछनीय है।
03. बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुरूप अनर्जक आस्तियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया हो, आय का अभिज्ञान एवं आस्तियों का वर्गीकरण अंतर्गत प्रावधान में कमी (Shortfall) न हो, यह सुनिश्चित कर लिया जावे।
04. कुछ बैंकों द्वारा बजट के अन्तर्गत एक्सग्रेशिया (अनुग्रह राशि) का प्रावधान कर लिया गया है, जो कि सर्वथा अनुचित है। पूर्व वर्षों में किए गए प्रावधान की राशि एक्सग्रेशिया के रूप में भुगतान हेतु उपलब्ध नहीं होंगी। कंड़िका 1, 2 तथा 3 के पालन उपरान्त ही वर्ष के शेष शुध्द लाभ में से एक्सग्रेसिया हेतु राशि उपलब्ध हो सकती है।
05. बैंक द्वारा अधिनियम/नियम/पनियमों, पंजीयक के निर्देश तथा भारतीय रिजर्व/नाबार्ड द्वारा निर्देशों के तारतम्य में वित्तीय पत्रकों में समुचित प्रावधान किए जाने के

पश्चात उक्त प्रावधानों यथा Statutuary Fund, Qquity Redemption Fund, Agiculture Credit Stablisation Fund, तथा Bad and Doubtfull reseve आदि में समुचित प्रावधान के पालन की दशा में सेवायुक्तों को वितरण योग्य शेष शुध्द लाभ की राशि में से एक्सग्रेसिया भुगतान की जा सकेगी। किन्तु भुगतान की जाने वाली राशि किसी भी दशा में बैंक द्वारा अंशधारी सदस्यों को वितरित लाभांश से अधिक नहीं होगी।

06. यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि लाभ में चल रही संस्था द्वारा पंजीयक की स्वीकृति के बगैर एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान किया जाना तथा अधिनियम के उक्त प्रावधानों को पालन किए बगैर एक्सग्रेसिया भुगतान किया जाना नियमानुसार नहीं है। उक्त प्रावधानों के पालन के बगैर भुगतान अनाधिकृत भुगतान माने जाकर भुगतान का निर्णय लेने वाले संचालक मण्डल/अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

07. एक्सग्रेसिया बाबत उक्त दिशा–निर्देश से संस्थाओं के सांविधिक अंकेक्षकों को भी अवगत कराया जाए ताकि वे इन निर्देशों के पालन बाबत अभिमत, अंकेक्षण टीप में स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः अंकित कर सकें।

08. कृपया उपरोक्त निर्देश से संबंधित संस्था के संचालक मण्डल को भी अवगत कराने की व्यवस्था करें।

अतः बैंक के प्रबंध संचालक,ध्मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संबंधित संभागीय संयुक्त पंजीयक से यह अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराते हुए एक्सग्रेसिया वितरण की कार्यवाही किया जाए।

सही

(हिम शिखर गुप्ता)

पंजीयक

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ,

पृ.क्र./साख–2/एक्सग्रेसिया/2021/3350 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02/11/2021

प्रतिलिपि :–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, ... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही

पंजीयक

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

क्रमांक/साख–2/सी.सी.बी./132/2022/2040 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06/06/2022

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
दुर्ग (छ.ग.)

विषय :— बैंक की शाखा निपानी में किसानों के खातों में हुए गबन प्रकरण में कार्यवाही बाबत्।

संदर्भ :— 01. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग संभाग, दुर्ग का पत्र क्र/439 दिनांक 20.04.2022

02. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग का पत्र क्र/प्रशा/95, दुर्ग, दिनांक 13.04.2022

——00——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग की शाखा निपानी में हुए गबन प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :—

01. बैंक की किसी एक शाखा का तत्काल विस्तृत निरीक्षण स्वयं करें। नाबार्ड एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गबन/धोखाधडी रोकने हेतु जारी दिशा–निर्देशों, आंतरिक जाँच एवं नियंत्रण प्रणाली मजबूत करने संबंधी निर्देशों का अनुपालन हो तथा नाबार्ड द्वारा विगत निरीक्षण में उठाए गए आपत्ति–सुझाव पर समुचित कार्यवाही किया जावे।

02. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग से बैंक के कार्यक्षेत्र के समस्त जिलों की एक–एक शाखा का विशेष अंकेक्षण कराने की कार्यवाही किया जावे ताकि गबन/धोखाधडी प्रकरणों पर रोक लगाया जा सके।

03. गबन/धोखाधडी रोकने बाबत् नाबार्ड के परिपत्रों के तहत मानव संसाधन नीति, सेवायुक्तों के आवधिक रोटेशन एवं स्थान परिवर्तन बाबत दिशा–निर्देशों का बैंक द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन किया जावे।

04. बैंक शाखा निपानी में हुए गबन के लिए पर्यवेक्षण का अभाव, निरीक्षण की प्रभावशीलता, अंकेक्षण में त्रुटि, कर्मचारियों की पदस्थापना आदि में से कौन से कारण जवाबदार हैं। कारणों का पता लगाकर रोकथाम के लिए कदम उठाया जावे।

05. विगत वर्षो में बैंक के सतत् व सांविधिक अंकेक्षण में उक्त गबन संज्ञान में नहीं आये हैं। अतः सतत एवं सांविधिक अंकेक्षण कार्यों की गुणवत्ता एवं उनके द्वारा की गयी चूक के संबंध में चार्टेड अकाउन्टेंट व संबंधित अंकेक्षकों से प्रतिवेदन लिया जाकर अभिमत सहित संयुक्त पंजीयक के माध्यम से प्रेषित किया जावे।

06. प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, संबंधित दोषी सेवायुक्तों, उक्त अवधि में अन्तरशाखा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों तथा सांविधिक अंकेक्षकों के विरूध्द तत्काल समुचित वैधानिक, प्रशासनिक एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही कर प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

07. शाखा निपानी में गबन प्रकरण के संबंध में प्रभावित खाताधारकों को राशि भुगतान बाबत मार्गदर्शन के संबंध में लेख है कि बैंक द्वारा धारित राशि उसके अंशधारी सदस्यों, अमानतधारियों की स्वत्व की सम्पत्ति होती है तथा बैंकिंग संबंधी कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेन्स अंतर्गत किया जाता है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा वित्तदायी बैंक के मार्गदर्शन में नियमों, दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की कंड़िका 03 में दिए गये सुझावों के परिप्रेक्ष्य में समुचित कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध करावें।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ

पृक्र / साख–2 / सी.सी.बी. / 132 / 2022 / 2040 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06 / 06 / 2022

प्रतिलिपि :–

01. प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित नवा रायपुर, प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की शाखाओं का औचक विस्तृत निरीक्षण करने बाबत कैलेण्डर तैयार कर, निरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि गबन की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके तथा अल्पकालीन कृषि साख सहकारी संरचना अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का व्यापक हित सुनिश्चित करने बाबत अन्य आवश्यक यथोचित दिशा–निर्देश विषयांतर्गत जारी करे।
02. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग की ओर प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में उत्तरदायित्व नियत करते हुए समुचित कार्यवाही कर प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।
03. संभागीय संयुक्त पंजीयक समस्त छग की ओर प्रेषित कर लेख है कि बैंकों में उक्तानुसार गबन,"धोखाधडी की प्रवृत्ति पर नियंत्रण हेतु बैंक की 3 से 4 शाखाओं का निरीक्षण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा (60) के तहत तथा यथावश्यक विशेष अंकेक्षण अनिवार्य रुप से समय–सीमा में कराया जावे तथा प्रत्येक माह बैंक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में गबन, धोखाधड़ी संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समुचित कार्यवाही सुनिश्चत करावें।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

क्रमांक / साख–2 / सी.सी.बी / 04 / 2022 / 3105 नवा अटल नगर दिनांक 15 / 09 / 2022

प्रति,

1 **प्रबंध संचालक**
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
रायपुर.

2 **मुख्य कार्यपालन अधिकारी.**
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, (समस्त)

....

विषय :– अधिनियम के प्रावधानों / सांविधिक अंकेक्षण / नाबार्ड निरीक्षण / जाँच के दौरान उठायी गयी आपत्तियों / कमियों का निराकरण तथा पालन प्रतिवेदन के संबंध में।

—000—

सहकारी समितियों का पंजीयन एवं गठन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत किया जाता है तथा समितियां अधिनियम, नियम तथा इनके द्वारा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधान अंतर्गत कार्य करती हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की विभिन्न धाराओं यथा धारा 34(क), 37(क), 43, 43(क), 43(ख), 44, 55(2), 56, 58(ख), 61, 64, 85 तथा अन्य धाराओं में सोसाइटी के कामकाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अनुपालन संबंधी तथ्य प्रावधानित है जो कि समितियों के लिए बाध्यकारी है।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 61 में संपरीक्षा, जाँच या निरीक्षण के परिणाम स्वरूप किसी सोसाइटी के गठन, कार्यकरण, उसकी वित्तीय स्थिति या लेखा पुस्तकों में पाई गई त्रुटियों की परिशुध्दि नियत समय में किए जाने बाबत् प्रावधानित हैं तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 का नियम 50(6) में प्रत्येक सोसाइटी द्वारा संपरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्ति तिथि से दो माह के भीतर संपरीक्षक की टिप्पणी सहित अनुपालन प्रतिवेदन पंजीयक को प्रस्तुत करने बाबत् प्रावधानित है। इसके साथ ही राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 की उपधारा 6 के अधीन किए जाने वाले सांविधिक निरीक्षण में पाए गये कमियों / आपत्तियों के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन बैंक के संचालक मण्डल प्रशासक / प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बैंक के कामकाज में पायी गयी कमियों को सुधारने के लिए की गई कार्यवाही / की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही से संबंधित पालन प्रतिवेदन 60 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिए जाते हैं।

अधिनियम के उक्त प्रावधान अत्यन्त ही महत्वपूर्ण तथा आदेशात्मक प्रकृति के हैं, जिनके समुचित पालन से सोसाइटियों के कार्यकलाप, गठन, वित्तीय स्थिति तथा लेखा–पुस्तकों में पायी जाने वाली त्रुटियों से संचालक मण्डल को अवगत कराते हुए निराकरण किया जा सकता है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार, प्रत्येक सोसाइटी का वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात वार्षिक अंकेक्षण किया जाकर, प्रतिवेदन संबंधित सोसाइटी को अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यालय को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतें जाँच एवं कार्यवाही हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित की जाती है तथा कई प्रकरणों में विशेष अंकेक्षण एवं सोसाइटी की धारा 60 के तहत निरीक्षण बाबत् भी निर्देशित किया जाता है, साथ ही नाबार्ड द्वारा भी नियमित अंतराल में निरीक्षण कर प्रतिवेदन अनुपालन हेतु बैंकों को प्रेषित किया जाता है किन्तु अधिनियम की मंशानुरूप सोसाइटी द्वारा कामकाज में पायी गयी कमियों का निराकरण नहीं किया जाता है तथा आपत्तियां / सुझाव आवर्ती प्रकृति की होती हैं।

उक्तानुसार आपत्तियों/सुझावो का अनुपालन नही किये जाने से एक और जहां वैधानिक प्रावाधानों का उल्लघन होता है, वहीं दूसरी ओर सोसाइटी को वैधानिक प्रावधानों के तहत अधिरोपित किये जाने या गबन, भीखाघड़ी रो होने वाली आर्थिक क्षति सोसाइटी के अंशधारी सदरयों एव जगानतदारों के हितों के प्रतिकूल भी होता है। सोसाइटी के अंकेक्षण, निरीक्षण या जाँच के दौरान कामकाज में पायी गयी कमियों की सामयिक निराकरण एवं अनुपालन स उक्तानुसार आर्थिक क्षति को रोका जाकर समिति एवं शासन की छवि का धुमिल होने से भी बचाया जा सकता है। अतः सोसाइटी के अंकेक्षण, निरीक्षण या जाँच में पाए गये आपत्तियों एवं सुझावों के पालन बाबत निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं : –

01. सभी बैंकों में बोर्ड द्वारा अनिवार्य रूप से एक वरिष्ठ अधिकारी को अनुपालन अधिकारी **(Compliance Officer)** नियुक्त किया जाए। नियुक्ति की सूचना पंजीयक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सांविधिक अंकेक्षक को दिया जावे।
02. प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को लिपिबध्द किया जाकर, संबंधित शाखा के प्रभारी अधिकारी को अनुपालन हेतु दिया जावे। यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा 15 दिवरा में आपत्ति/सुझाव का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उन्हें पुनः स्मरण कराया जाए तथा गंभीर आपत्तियाँ से संस्था के अध्यक्ष संचालक मण्डल को अनिवार्य रूप रो अवगत कराया जाए।
03. मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुपालन कागजी नहीं बल्कि वास्तविक तथा पूर्णता में किया गया है।
04. अनुपालन नहीं होने की रिथति में किसी भी प्रकार रो बैंक को होने वाली क्षति के लिए वसूली हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण कर, वसूली की कार्यवाही किया जावे।
05. अधिनियम, नियम के प्रावधानों, अंकेक्षण, निरीक्षण/जाँच के तारतम्य में निर्देशों, आपत्तियों एवं सुझावों के समयावधि में अनुपालन की जवाबदारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की होगी। यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी यह पाता है कि रामुचित अनुपालन समयावधि में नहीं हो रहा है, तो उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए संबंधित अधिकारी," कर्मचारी के विरूध्द कार्यवाही करते हुए अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से पंजीयक के संज्ञान में लाया जाए।
06. बैंक द्वारा शाखाओं की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान अनुपालन की समीक्षा करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के 10 तारीख तक बैंक मुख्यालय के उप पंजीयक तथा संभागीय संयुक्त पंजीयक को प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से भेजा जाए।
07. अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संभागीय संयुक्त पंजीयक तथा उप पंजीयक द्वारा समुचित अनुपालन बाबत् परीक्षण कर, अभिमत साहित पंजीयक को प्रेषित करते हुए अनुपालन में कमी के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

अतः उक्तानुसार निर्देशों का समुचित पालन सुनिश्चित किया जावे।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पू.क्र./साख–2/सीसीबी/04/2022/3105 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15.09.2022

प्रतिलिपि :–

01. संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, (समस्त) ....।
02. उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

ब्लाक–बी, द्वितीय एवं तृतीय तल विभागाध्यक्ष कार्यालय,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

क्रमांक/विपणन/2015/3282 रायपुर, दिनांक 04 जुलाई 2015

प्रति,

1 प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य सहकारी बैंक मर्या रायपुर

2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैक मर्या. समस्त छत्तीसगढ

विषय :– सोसाइटियों के माध्यम से कृषको को वितरित किये जाने खाद एंव बीज के संबंध में।

संदर्भ :– खरीफ वर्ष 2015 (01 अप्रैल 2015) से कृषकों को कृषि आदान का प्रदाय।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत आपको अवगत कराया जाता है कि छ0गठराज्य में कृषकों को 1333 आदिमजाति/वृहत्ताकार/कृषक/सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि ऋण के अंतर्गत खाद एवं बीज प्रदाय किया जाता है तथा खरीफ वर्ष 2015 (01 अप्रैल 2015) से कृषकों को छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0. रायपुर से उपलब्ध कराये गये रासायनिक खाद तथा बीज निगम, रायपुर द्वारा प्रदाय किए गए बीज का वितरण, वस्तु ऋण के रूप में किया जा रहा है। निश्चित ही इन समितियों द्वारा विषणन संघ द्वारा प्रदाय रासायनिक खाद तथा बीज निगम द्वार प्रदाय बीज का वितरण नियमानुसार सुनिश्चित किया जा रहा होगा। कितु कतिपय दैनिक समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हो रही है कि कुछ सोसाइटियों द्वारा अनधिकृत रूप से घटिया किस्म की जैविक खाद लेने के लिए कृषकों को मजबूर किया जा रहा है, जो कतई उचित नहीं है। सोसाइटियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वें राज्य शासन द्वारा नियुक्त एजेंसी छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदाय रासायनिक खाद एवं छ0ग0 बीज निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये बीज का वितरण सुनिश्चित करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा नियत एजेंसी द्वारा प्रदाय खाद अथवा बीज, कृषकों को वितरित किए जाने पर ही, वस्तु के रूप में देय ऋण के विरूद्ध ब्याज अनुदान स्वीकृत किया जावेगा, यदि कृषकों को अधिकृत एजेंसी विपणन संघ/बीज निगम के अतिरिक्त अन्य एजेंसी/संस्था से खरीदा गया खाद/बीज का वितरण कृषकों को किया गया है तो उसके लिए संबंधित सोसाइटी, के समिति प्रबंधक एवं अध्यक्ष तथा बैंक के ब्रांच मैनेजर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा ऐसे अवैधानिक खाद के प्रदाय के पेटे दिए जाने वाले ब्याज अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति उनसे व्यक्तिश की जावेगी। ब्याज अनुदान हेतु प्रकरण

प्रस्तुत किए जाने पर प्रत्येक समिति को यह प्रमाण–पत्र भी देना होगा, कि उनके द्वारा कृषकों को जो खाद/बीज दिया गया है, वह शासन द्वारा निर्धारित एजेंसी विपणन संघ/बीज निगम से प्राप्त कर दिया गया है, ऐसा प्रमाण पत्र नहीं पाए जाने पर संबंधित जिला अधिकारी ऐसे प्रकरणों को ब्याज अनुदान के अंतर्गत मानने हेतु बाध्य नहीं होगें जावेगी। तथा ऐसे अनियमित वितरण हेतु जिम्मेदारी तय करेंगे। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

प्रदेश के कृषकों को अच्छी किस्म का ही खाद एवं बीज उपलब्ध कराया जावे, यदि किसी सोसायटी में यह शिकायतें प्राप्त होती हैं, तथा यह प्रमाणित होता है, तो इसके लिए संबंधित संस्था प्रबंधक एवं उस संस्था कार्यक्षेत्र के बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा संबंधित संस्थाओं के अधिकारियों को जिम्मेदार माना जावेगा।

सही

(अविनाश चम्पावत)
पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

क्रमांक/विपणन/2015/3282 रायपुर दिनांक 04 जुलाई 2015
प्रतिलिपि :–

01. अपर मुख्य सचिव, छ0गठशासन, कृषि विभाग "मंत्रालय" महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
02. विशेष सचिव, छ0ग शासन सहकारिता विभाग "मंत्रालय" महानदी भवन, नया रायपुर ओर सूचनार्थ।
03. संचालक, कृषि संचालनालय, लाभाण्डी, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
04. कलेक्टर समस्त छत्तीसगढ़ की ओर भेजकर लेख है कि कृपया प्रदेश के कृषकों के हित में, आपके द्वारा आयोजित प्रत्येक सप्ताह टी0एल0 बैठक में उक्त विषय को भी सम्मिलित कर, संबंधितों को अपने स्तर से निर्देशित करने का भी कष्ट करें।
05. संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/ अंबिकापुर की ओर भेजकर लेख है कि आपके संभाग अंतर्गत उपरोक्तानुसार प्रकरण प्रकाश में आने पर अविलंब जांच करावें एवं यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।
06. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त छ0ग0 की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें तथा निरीक्षण/पर्यवेक्षण के दौरान उक्त तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जावे साथ ही ब्याज अनुदान प्रकरण स्वीकृति के पूर्व उक्ताशय का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त करें।

सही
पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कार्यालय पंजीयक, सहकारी सस्थाएं छत्तीसगढ़

(विभागाध्यक्ष, बी ब्लॉक, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर)

क्रमांक / पंजीयन / 2014 / 1418 नवा रायपुर, दिनांक 14 / 03 / 2014

प्रति,

01. संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए
    समस्त ....
02. उप / सहायक पंजीयक (समस्त)
    सहकारी संस्थाएं
    जिला – ....

विषय :– सहकारी अकृषि साख संस्थाओं के पंजीयन हेतु दिशा निर्देश।

—00—

सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाओं के गठन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। स्वाभाविक है कि किसी भी सहकारी संस्था का गठन सदस्यों में गहरी सहकारिता की भावना तथा समन्वित आर्थिक सह सामाजिक विकास की आवश्यकता को लेकर होता है। किन्तु इसमें यदा कदा कुछ ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश हो जाता है जिनके आचरण की पृष्ठ भूमि एक सहकारी संस्था के लिए उपयुक्त नहीं होती है। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे व्यक्तियों का परिचय एवं पता ज्ञात करना भी कठिन है अतः यह आवश्यक हो जाता है कि शहरी क्षेत्र में गठित होने वाली विशेष कर सहकारी साख संस्थाएं एवं उपभोक्ता भण्डारों के प्रवर्तक तथा सामान्य सदस्यों की योग्यता, उपयुक्तता तथा आचरण के संबंध में आवश्यक जानकारी का प्रारूप निर्धारित कर उक्त जानकारी शपथ पत्र सहित प्राप्त की जाये।

छ0ग0 राज्य में, साख सहकारी समिति एवं अन्य कुछ समितियों के विरूद्ध नियमों के विपरित अपने सदस्यों से अमानत प्राप्त करने, व्यापक रूप से अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जा कर नौकरी आदि का लालच दिया जा कर कार्य किया गया हैं ऐसी स्थिति में व्यापक रूप से किसी संस्था / विभाग / निगम या अन्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के अतिरिक्त साख सहकारी संस्थाओं का गठन किये जाने से सहकारिता की मूल भावना दूषित होने की संभावना निरंतर बनी रहती हैं।

अतएव नवीन साख सहकारी समितियों के पंजीयन हेतु पूर्व में जारी कार्यालयीन पत्र क्रमांक / पंजी / 2012 / 8147 / दिनांक 11 / 12 / 2012 को अधिक्रमित करते हुए निम्न मापदंड निर्धारित किये जाते है :–

01. प्रस्तावित प्राथमिक सहकारी साख समिति का कार्यक्षेत्र राज्य स्तर का नही होगा अपितु नगरीय निकाय, विकास खण्ड या अधिकतम जिले तक सीमित होगा तथा वेतनभोगी कर्मचारियों के साख सहकारी समिति के कार्यक्षेत्र उनके विभागीय कार्यालय के कार्यक्षेत्र तक होगा।

फोटोग्राफ

—: शपथ पत्र :—

प्रपत्र 'अ'

प्रवर्तको के जीवनवृत के लिए प्रोर्फामा

		:—	....
01	पूरा नाम	:—	....
02	जन्म तिथि तथा आयु (प्रमाण पत्र संलग्न)	:—	मोबाईल नंबर ....
03	पता	:—	....
क.	कार्यालय	:—	....
ख.	निवास	:—	....
ग.	पते के प्रमाणीकरण स्वरूप, राशनकार्ड/ड्राईविंग लाइसेस/बैंक खाता मतदाता फोटो परिचय/संपत्तिकर/बिजलीकर/जलकर की रसीदे में से किसी एक की सत्यापित प्रति संलग्न की जायें।		
04	शैक्षणिक योग्यता/अर्हता	:—	....
05	व्यवसाय/आजीविका	:—	....
06	किसी सहकारी संस्था या अन्य व्यवसाय संबंधी अनुभव का विवरण	:—	....
07	सहकारिता तथा अन्य क्षेत्रों संबंधी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का ब्यौरा दें	:—	....
08	क्या आप अन्य सहकारी समिति/बैंक के उधारकर्ता या किसी अन्य उधारकर्ता के जमानतदार के रूप में चुकौती की बाबत् चूककर्ता है।	:—	....

मै एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूं कि उपर दिया गया ब्यौरा मेरी सम्पूर्ण जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि सहकारी समितियां अधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमो (या प्रस्तावित उपनियमो) में निर्दिष्ट ऐसी कोई भी अयोग्यता मुझमे नही है जो मुझे सहकारी समिति की प्रबंध समिति का सदस्य बनाये के अयोग्य ठहराती/रोकती है।

स्थान – ....

दिनांक – ....

हस्ताक्षर

निम्न प्रकरण के व्यक्तियों को प्रर्वतको के रूप में अयोग्य समझा जायेगा।

01. यदि यह प्रस्तावित संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास न करता हो या लाभकारी आजीविका व्यवसाय में न लगा हो।
02. यदि उसे दोषी या नैतिक या चरित्रहीनता आदि सहित अपराधी ठहराया हो।
03. यदि वह प्रस्तावित संस्था के प्रतियोगी व्यवसाय या के हितो के प्रतिकूल व्यवासाय में लगा हों।
04. यदि वह दिवालिया घोषित हुआ है/करार दिया गया हो या विधिक रूप से प्रस्तावित संस्था के सदस्य होने/बने रहने के आयोग्य करार दिया गया हो।

05. प्रस्तावित समिति का पंजीयन अद्यतन संशोधित अधिनियम, नियम तथा मुख्यालय शासन से जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप हो।

06. प्रस्तावित समिति की उपविधि आदर्श उपविधियों के अनुरूप हो। एक अंश की कीमत 500/– रूपये होगी तथा प्रवर्तक सदस्य संख्या 100 होगी। प्रस्तावित संस्था की प्रदत्त अंशपूंजी पंजीयन पूर्व न्यूनतम राशि 50,000 रूपये होगी तथा कम से कम 33 प्रतिशत महिला सदस्य होगी।

07. प्रवर्तक सदस्यों के बायोडाटा, टेलीफोन नंबर, एड्रेस प्रूफ, आई. डी. प्रूफ होना चाहिये। प्रवर्तत सदस्य यदि व्यवसायी हो तो दुकान की पंजीयन प्रमाण पत्र सेल्सटैक्स नंबर, टीन नंबर/पेन नंबर, आयकर रिटर्न, आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि की जानकारी संलग्न होना चाहिये।

08. प्रस्तावित समिति यदि कर्मचारियों की समिति हो तो उक्त विभाग के कार्यालयीन प्रमुख की अनुशंसा आवश्यक होगी।

09. पंजीयन के पूर्व कार्य व्यवसाय की योजना तैयार कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. प्रस्तावित समिति के कार्यक्षेत्र में पंजीकृत अन्य समान उद्देश्य वाली समितियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा ताकि विवाद की स्थिति निर्मित न हो तथा समितियां आर्थिक रूप से सक्षम हो।

11. प्रस्तावित समिति के प्रवर्तक सदस्यों/सामान्य सदस्यों को सदस्यता के समय समान उद्देश्य वाली अन्य समितियों के सदस्य नहीं होने संबंधी शपथ पत्र तथा बायोडाटा फार्म में जानकारी नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र सहित देना होगा।

12. पंजीयन उपरांत भी कार्य योजना का समय–समय पर परीक्षण किया जावे। कार्य योजना के अनुरूप कार्य प्रारंभ नहीं करने पर अथवा निष्क्रिय (अकार्यशील) होने पर निर्धारित समयावधि में परिसमापन में लाई जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावें।

13. संगठक का दायित्व होगा कि पंजीयन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व प्रवर्तक सदस्यों की बैठक कर सदस्यों का सत्यापन करे तथा बिन्दु क्रमांक 01 से लेकर 10 तक के पालन सुनिश्चित होने बाबत प्रमाण पत्र पंजीयन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करें।

संलग्न :– शपथ पत्र का प्रारूप।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

पृ.क्र./पंजीयन/2014/1418 नया रायपुर, दिनांक 14/02/2014

प्रतिलिपि

समस्त कक्ष .... मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़

(विभागाध्यक्ष बी ब्लॉक द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर)

नया रायपुर, दिनांक 16/06/2014

क्रमांक/पंजीयन/2014/2985

प्रति,

समस्त, संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विषय :– सहकारी सोसायटियो के पंजीयन निर्देश ।

––00––

छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 09 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सोसायटियों के रजिस्ट्रीकरण की शक्तियां संबंधित जिलाधिकारियों को प्राप्त है। आवश्यक विचारोपरांत प्रशासनिक दृष्टि से निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक प्रकार की सहकारी सोसायटी के पंजीकरण के लिये इस कार्यालय द्वारा पूर्व में दिये गये सभी दिशा–निर्देशों के साथ–साथ प्राप्त पंजीयन प्रस्तावों में निम्नानुसार पूर्ति का विशेष ध्यान रखा जाये।

01. प्रस्तावित संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये तकनीकी परियोजना प्रतिवेदन अवश्य तैयार किया जावे। जिलाधिकारी द्वारा उसके आधार पर यह परीक्षण किया जाये कि संस्था अपने उद्देश्यों के प्रति संकल्पित है तथा तकनीकी रूप से संस्था गठन योग्य है।
02. प्रस्तावित संस्था द्वारा कम से कम 03 वर्षों के लिये कार्य योजना बनाया जावे। इसकी आर्थिकी का सम्यक रूप से गहन परीक्षण किया जाकर भविष्य में संस्था की आर्थिक सक्षमता की सुनिश्चित जिलाधिकारी करें ताकि अन्यथा स्थिति में धारा 18 (क) के अंतर्गत आवश्यक होने पर पंजीयन निरस्त किया जा सकें।
03. प्रस्तावित संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किस प्रकार निधियों और पूंजी का संयोजन प्रस्तावित है। इसका परीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि संस्थ की निर्धारित कार्य योजना पूर्ति के लिये उपरोक्तानुसार किया गया पूंजी संयोजन संस्था के प्रस्तावित व्यवसाय के लिये पर्याप्त एवं वास्तविक है। यह भी देख लिया जावे कि संस्था के उद्देश्यों और कार्य योजना पूर्ति हेतु न्यूनतम अंशपूंजी की आवश्यकता क्या है और क्या प्रस्तावित संस्था के प्रस्ताव में उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित की गई है?

04. प्रस्तावित संस्था के उद्देश्यों एवं कार्य योजना के परिप्रेक्ष्य में सदस्यों की पुष्टि आवश्यकता एवं अनुभव का आकलन किया जावे ताकि संस्था द्वारा निर्धारित किये गये उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे किस प्रकार उपयुक्त एवं प्रतिबद्ध है, इससे भी पूरी तरह संतुष्ट हों लें।

05. यह भी आवश्यक रूप से परीक्षण किया जावे कि प्रस्तावित. संस्था के उद्देश्यों एवं कार्य प्रणाली से छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 एवं अधिनियम 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन होने की कोई स्थिति निर्मित न हो।

06. प्रस्तावित संस्था के उद्देश्य धारा 10 में निर्धारित वर्गीकरण के अनुरूप होने चाहिये। यह वर्गीकरण उपनियम में विहित उद्देश्यों से सुसंगत हो।

07. प्रस्तावित संस्था के कार्यक्षेत्र का निर्धारण करते हुये विशेष रूप से ध्यान रखा जावे तथा यह देख लिया जावे कि प्रस्तावित संस्था कार्यक्षेत्र किसी अन्य सहकारी संस्था के कार्यक्षेत्र का उल्लंघन न करता हो। अन्यथा की स्थिति में प्रभावित सहकारी संस्था से अनापत्ति प्राप्त की जावे।

08. यह परीक्षण आवश्यक रूप से किया जावे कि प्रस्तावित संस्था के सदस्यगण संस्था के उद्देश्यों से किस प्रकार जुडते हैं और वे कौन सी सेवायें है जिन्हें संस्था द्वारा दिया जाना निर्धारित है। इसी प्रकार यह जानना आवश्यक है कि क्या प्रस्तावित संस्था के उद्देश्य तथा प्रस्तावित संस्था के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप सोसायटी का गठन किया जा सकता है और प्रस्तावित संस्था सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने में किस प्रकार सक्षम हो सकती है।

09. द्विस्तरीय /त्रिस्तरीय सहकारी संस्थाओं की प्राथमिक समितियाँ गठित करने के पूर्व उनकी शीर्ष संस्थाओं का परामर्श प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

10. शासन द्वारा स्वीकृत विशेष योजनाओं/परियोजनाओं के अंतर्गत गठित सोसायटियों के उद्देश्यों एवं कार्यों के अनुरूप किसी अन्य संस्था का पंजीयन करने के पूर्व पंजीयक कार्यालय से आवश्यक रूप से अनुमति प्राप्त की जावे।

11. तकनीकी स्वरूप की सहकारी संस्थाओं के गठन के पूर्व उनके तकनीकी विभाग का परामर्श प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12. सहकारी संस्थाओं के गठन के पूर्व उनके प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा/अनुमति अनिवार्य होगी।

नई सहकारी संस्था के पंजीयन का प्रस्ताव तैयार कराने हेतु नियुक्त किये गये संगठक को इस पत्र में उल्लेखित समस्त दस्तावेजों धऔपचारिकताओं के बारे में आवश्यक रूप से निर्देशित किया जावे ताकि प्रस्ताव प्रांरभ में ही पूर्ण प्रस्ताव बनें और प्रस्तावकों व विभाग का समय नष्ट न हो, जो पंजीयन प्रस्ताव आपके कार्यालय में लंबित हो उन्हें इन निर्देशों के अनुरूप पुनरीक्षण करें।

उपरोक्त दृष्टि से विभाग में पंजीयन होने वाली सहकारी संस्थाओं के गठन एवं पंजीयन की कार्यवाही की जावे, जो जिलाधिकारी जिस स्तर की सहकारी सोसायटी पंजीयन करने हेतु वैधानिक रूप से सक्षम है तथा जिन्हें विधान के अंतर्गत अधिकारों का प्रत्यायोजन है उनके द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुये उत्तरदायी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जावे। किसी भी स्तर पर इन निर्देशों के प्रति अवहेलना अथवा लापरवाही की जाती है तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से दोषी माना जाकर उसके विरूद्ध कठोर प्रशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

सही

पंजीयक

सहकारी संस्थाए

छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/पंजीयन/2014/2985 नया रायपुर, दिनांक 16/06/2014

प्रतिलिपि :–

01. संचालक, हाथकरघा छ0ग0 शासन, नया रायपुर।
02. संचालक, मत्स्योद्योग छ0ग0 शासन, नया रायपुर।
03. संचालक, पशुपालन एवं चिकित्सा विभाग छ0ग0 शासन, नया रायपुर।
04. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर।
05. प्रबंधक संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर।
06. प्रबंधक संचालक, छ0ग0 राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या0, रायपुर।
07. प्रबंधक संचालक, छ0ग० राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर।
08. प्रबंधक संचालक, छ0ग० राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर।
09. प्रबंधक संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर।
10. प्रबंधक संचालक, छ0ग0 राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर।

सही

पंजीयक

सहकारी संस्थाए

छत्तीसगढ़

विभागो द्वारा छत्तीसगढ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम 2011 के तहत नागरिकों से प्राप्त आवेदन एवं उन पर की गई कार्यवाही की कार्यालयवार की जाने वाली मासिक समीक्षा हेतु जानकारी

(वर्ष 2014)

माह का नाम ....

क्र.	कार्यालय का नाम/पदाभिहित अधिकारी का नाम	पदाभिहित अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों की संख्या			नियत समय में निराकृत आवेदनों की संख्या			लंबित आवेदन पत्रों की संख्या		
		गत माह तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	माह में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (3+4)	गत माह तक निराकृत आवेदनों की संख्या	माह में निराकृत आवेदनों की संख्या	योग(5+6)	समय सीमा के बाहर	समय सीमा के भीतर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नियत समय में लोक सेवा प्राप्त न होने पर सक्षम अधिकारी को प्राप्त शिकायतों की संख्या	सक्षम अधिकारी द्वारा परिव्यय अधिरोपित करने के प्रकरणों की संख्या	अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त अपीलों की संख्या	निराकृत अपीलों की संख्या	आवेदकों की संख्या जिन्हे परिव्यय का भुगतान किया गया एंव परिव्यय भुगतान की कुल राशि	पदाभिहित अधिकारी का नाम जिनके विरूद्ध परिव्यय राशि अधिरोपित की गई एवं राशि
12	13	14	15	16	17

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

ब्लाक–बी, द्वितीय एवं तृतीय तल विभागाध्यक्ष कार्यालय,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल – rcs.coop@nic.in

रायपुर, दिनांक 23 मई 2015

क्रमांक / साख / 2015 / 2668

प्रति,

उप / सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाए,
समस्त छत्तीसगढ

विषय :–. प्राथमिक अकृषि साख सहकारी समितियों के पंजीयन के संबंध में।

संदर्भ :– 1) इस कार्यलय का परिपत्र क्रमांक / पंजीयन / 2014 / 1418 दिनांक 14 / 3 / 2014
2) क्रमांक / पंजीयन / 2014 / 2985 दिनांक 16 / 06 / 2014
3) क्रमांक / साख / 2015–16 / 1971 दिनांक 20 / 04 / 2015

––.00–––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करें। परिपत्र दिनांक 14 / 03 / 2014 द्वारा सहकारी अकृषि साख संस्थाओं के पंजीयन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें आपसे से यह अपेक्षा की गयी थी कि साख सहकारी संस्थाएं, किसी पंजीकृत सहकारी संस्था / विभाग / निगम या अन्य संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के अतिरिक्त गठन किए जाने से जनता के पैसे का दुरूपयोग की संभावना बनी रहती है। किंतु यह तथ्य संज्ञान में आ रहे हैं कि कुछ जिलों में ऐसे असंगठित क्षेत्र की अकृषि साख सहकारी संस्थाओं का पंजीयन किया जा रहा है, जिनसे प्रदेश की जनता को नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रकार की अकृषि साख सहकारी समिति के पंजीयन प्रस्ताव प्राप्त होने पर संगठक नियुक्त किए जाने के पूर्व सूक्ष्म परीक्षण उपरांत मय स्पष्ट अनुशंसा के संभागीय संयुक्त पंजीयक के अभिमत सहित इस कार्यालय को भिजवाकर प्रशासकीय अनुमति प्राप्त की जावे। साथ ही यदि इसके पूर्व आपके जिले में वेतनभोगी कर्मचारियों की अकृषि साख सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य संगठित असंगठित क्षेत्र की अकृषि साख सहकारी समिति का पंजीयन किया गया हो तो उसके कार्यकलापों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है, यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक आपके द्वारा उपरोक्त परिपत्रों में दिए गए प्रारूप में सुस्पष्ट जानकारी सुसंगत दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को प्रेषित नहीं कर दी जाती एवं इस कार्यालय द्वारा उस प्रशासकीय अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती।

साथ समस्त अकृषि साख सहकारी समितियों मय वेतनभोगी कर्मचारियों की सहकारी समितियों की जानकारी ही संलग्न प्रारूप में हस्ताक्षरयुकत प्रति के अतिरिक्त एक्सल शीट में, जो इस पत्र के साथ अटेच कर ई–मेल के माध्यम से भेजी जा रही है, में टंकित करवाकर इस कार्यालय को 45 दिवस के भीतर भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

सही

(अविनाश चम्पावत)
पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कमांक / साख–2 / 2015 / 2668 रायपुर दिनांक 23 / मई / 2015

प्रतिलिपि :–

01. अवर सचिव, मुख्य सचिव छ0ग0शासन कार्यालय की ओर मुख्य सचिव महोदय के ध्यानार्थ।
02. विशेष सचिव, छ0ग0शासन सहकारिता विभाग "मंत्रालय" महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. कलेक्टर, समस्त छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
04. संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सरगुजा / जगदलपुर / बिलासपुर / रायपुर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाकर, वांछित जानकारी 15 दिवस के भीतर मय अभिमत के इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

सही

पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल – rcs.coop@nic.in

क्रमांक / साख–2 / ऋण माफी / 2019 / 3248 नवा रायपुर, दिनांक : 02 / 07 / 2019

प्रति,

1 संयुक्त पंजीयक (समस्त)
सहकारी संस्थाएं, समस्त
संभाग .... (छ.ग.)

2 उप / सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, समस्त
जिला....................................... (छ.ग.)

3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
(समस्त) जिला ....(छ.ग.)

विषय :– खाद्य सुरक्षा, पोशण एवं उपभोक्ता सेवाओं के लिए सहकारी संस्थाओं का गठन।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्रमांक / उपभा / 4 / 99 / 4 भोपाल दिनांक 03.01.2000

––000––

प्रदेश की सार्वजनिक वित्तरण प्रणाली में सहकारी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सेवाओं के विस्तार हेतु खाद्य सुरक्षा, पोषण एवं उपभोक्ता सेवाओं के लिए सहकारी संस्थाओं का गठन करने के लिए उपभोक्ता समितियों के पंजीयन से संबंधित संदर्भित पत्र एवं पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों में राज्य शासन के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

01. **सदस्य संख्या :–** सदस्य संख्या 250 के स्थान पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कम से कम 20 विभिन्न परिवार के संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले (कम से कम 21) सदस्यों से सहकारी संस्था का गठन।
02. **अंशपूंजी –** व्यक्तिगत सदस्यों के लिए रूपये 100 / – प्रति सदस्य के स्थान पर रूपये 10 / – किया जाना।
03. शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता सहकारी समितियों का गठन। अतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के प्रावधानों तथा उपरोक्तानुसार संशोधित मापदण्डों के अनुसार खाद्य सुरक्षा, पोषण एवं उपभोक्ता सेवाओं के लिए सहकारी संस्थाओं का गठन किया जावे।

सही
(धनंजय देवांगन)
पंजीयक
सहकारी संस्थाए छत्तीसगढ

पृ.क्र./पंजी/2–37/2019/3248 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 02/07/2019

प्रतिलिपि :–

01. माननीय सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन।
02. माननीय खाद्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन।
03. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।
04. प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
05. सचिव, सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
की ओर सूचनार्थ
06. संभागायुक्त, समस्त संभाग – ....।
07. कलेक्टर, समस्त जिला – ....।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही
पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन,
सहकारिता विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 15–40/15–02/2019/3336 अटल रायपुर, दिनांक 28/11/2019

प्रति,

पंजीयक

सहकारी संस्थाए छत्तीसगढ

इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर

विषय :– ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण सहकारी समिति के गठन हेतु आदर्श उप–विधि।

संदर्भ – आपका प्रस्ताव क्रमांक 4054 दिनांक 19.08.2019

— 000 —

संदर्भित प्रस्ताव द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित ''प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों के लिए आदर्श उप – विधि का अनुमोदन किया जाता है। उप – विधि की अनुमोदित प्रति संलग्न है।

2// विभागीय प्रस्ताव पर समन्वय में अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार ।

सही
(पी.एस. सर्पराज)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन
सहकारिता विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 15–40/15–2/2019/3337 अटल नगर दिनांक 28/11/2019

प्रतिलिपि –

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सही
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन
सहकारिता विभाग

–: उपविधियाँ :–

.... गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, ...
(छत्तीसगढ़)

उपविधि क्रमांक 01 :– नाम पता तथा कार्यक्षेत्र

इस संस्था का नाम (मुख्यालय ग्राम पंचायत का नाम.. प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित.......................................होगा और इसका पंजीकृत किया हुआ पता .... छत्तीसगढ होगा।

इस संस्था का कार्यक्षेत्र (मुख्यालय ग्राम पंचायत का क्षेत्र आश्रित ग्राम पंचायत का क्षेत्र)..तक सीमित होगा।

संस्था के पंजीकृत पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसकी सूचना पंजीयक तथा प्रत्येक सदस्य को 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाएगी।

उपविधि क्रमांक 02 :– परिभाषाएं

इस उपविधियों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

01. अधिनियम का अर्थ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 1961) (यथा संशोधित) से है।
02. आवास संघ' का अर्थ छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित से है।
03. 'उपविधि' का अर्थ संस्था की पंजीकृत उपविधियों से है।
04. कर्मचारी का अर्थ प्रबंधक समिति द्वारा संस्था के कार्य संचालक के लिए नियुक्त सेवा युक्त कर्मचारियों से है।
05. "नियम' का अर्थ छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम, 1962 (यथा संशोधित) से है।
06. 'पंजीयक' का अर्थ पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ या वह अधिकारी जिसे संस्था के संबंध में पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शासन से प्राधिकृत किया हो से है।
07. 'राज्य शासन' का अर्थ छत्तीसगढ़ शासन से है।
08. 'प्रबंध समिति' का अर्थ है अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत गठित प्रबंधक समिति चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो।
09. 'सरकारी वर्ष' से तात्पर्य गत 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।
10. 'सेवा नियम' का अर्थ अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत पंजीयक द्वारा प्रसारित सेवा नियमों से है।
11. संस्था' का अर्थ उपविधि क्रमांक 01 में वर्णित संस्था है।
12. 'परिवार' का अर्थ पति, पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है। बच्चों के दत्तक बच्चे भी सम्मिलित माने जावेंगे।
13. विनिर्दिष्ट पद' से अभिप्रेत है अध्यक्ष।
14. प्रतिनिधि, से अभिप्रेत है सोसाइटी का ऐसा कोई सदस्य जो इस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में करने के लिए संचालक मंडल द्वारा निर्वाचित किया गया हो।
15. 'बोनस' से अभिप्रेत बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का संख्या 21 के उपबंधों के अधीन किसी कर्मचारी को अनुदेय भुगतान।

16. 'पंचायत' से अभिप्रेय छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अधीन गठित पंचायत।
17. 'राजस्व अधिकारी, राजस्व मामला एवं राजस्व संहिता' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 एवं उसके अधीन परिभाषित पदाधिकारी।
18. 'समिति के तकनीकी सदस्य' से अभिप्रेत होगा मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्रीधारी, डिप्लोमाधारी, आई.टी.आई. प्रमाणपत्रधारी इंजीनियर, मेकेनिकल सदस्य।

उपविधि क्रमांक 03 :– उद्देश्य

इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर के अपने सदस्यों को उनके निवास स्थान के लिए भवन की व्यवस्था करना है तथा छत्तीसगढ़ शासन ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत के लिए स्थायी परिसंपत्ति मकान निर्माण कराना।

क. अपने कार्य क्षेत्र के अंदर राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई शासकीय आबादी भूमि या ग्राम की आबादी भूमि मे मकान निर्माण करना।

ख. सदस्यों के निवास के लिए कार्यक्षेत्र के अंदर भूमि खरीदना, विकसित करना और किराये पर एवं भवन निर्माण करना या करवाना।

ग. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भवनों को बेचना बदली करना, गिरवी रखना किराए पर देना, लीज अथवा सब–लीज पर देना, समर्पित करना, भूखंड, भवन व अन्य चल अथवा अचल संपत्ति क्रय करना एवं बेचना।

घ. सदस्यों को उनके आवास निर्माण के लिए नवीन मकान/फ्लैट बनाने हेतु एवं पुराने मकानों के स्थान पर नवीन मकान बनवाने हेतु ऋण, की व्यवस्था कर, ऋण प्रदान करना एवं प्रचलित अधिनियम नियम के अतर्गत अपेक्षाओं एवं औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए कालोनी, फ्लेट विकसित करना।

छ. सदस्यों के भवनों में अतिरिक्त कार्य का मरम्मत आदि करना या करवाना।

ज. जल प्रदाय, नाली प्रकाश, व इसी प्रकार की अन्य आवश्यक उपयोगी व्यवस्था रखना और प्रदाय करना।

झ. सदस्यों के लिए विकसित की जाने वाली कालोनी में सामाजिक मनोरंजन और शैक्षणिक संरचना स्थापित करना और उन्हें चलाना।

ट. उक्त सभी या किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु समी आकस्मिक और उपयोगी कार्य करना।

उपविधि क्रमांक 04 :– पूंजी एवं निधियां

संस्था द्वारा आवश्यक पूंजी निम्नलिखित साधनों से एकत्रित की जाएगी।

01. अंश निर्वाहन द्वारा।
02. प्रवेश शुल्क लेकर।
03. अमानतें जमा कराकर या अग्रिम धन लेकर।
04. श्रम लेकर।
05. अनुदान/सहायता/दान लेकर।
06. नाम में से रक्षित निधि एवं अन्य निधियां बनाकर।

संस्था की पूंजी उपविधि क्रमांक 3 में उल्लेखित कार्यों में लगाई जावेगी। शेष पूंजी जब तक कि उसकी अन्य कार्यों के लिए आवश्यकता ना हो अधिनियम की धारा 44 के अनुसार विनियोजित की जावेगी।

उपविधि क्रमांक 5 :– सदस्यता

अ – संस्था का सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति में निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैं :–

01. वह संस्था के कार्य क्षेत्र का निवासी हो और उसने संस्था की उपविधियों को पढ़कर मान्य कर लिया हो। यह उपबंध तकनीकी सदस्य, उपअभियंता, आई.टी.आई. प्रमाणपत्र धारी, सहायक अभियंता के लिए लागू नहीं होगा। तकनीकी सदस्य समिति के कार्यक्षेत्र के बाहर के हो सकेंगे।
02. उसका आचरण अच्छा हो।
03. उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो अनुबंध करने के सक्षम हो, परंतु मृत सदस्यों के अल्पव्यस्क उत्तराधिकारियों के लिए आयु का प्रतिबंध लागू नहीं होगा, परन्तु अल्पव्यस्क को न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक के माध्यम से सदस्य के रुप में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे सदस्य अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने संरक्षक के माध्यम से अधिकार का उपयोग उन दायित्वों के अधीन रहते हुए करेंगे जो इन उपविधियों में अधिकारियां हैं।
04. उसने अंश क्रय हेतु रु. 5000/– की राशि व प्रवेश शुल्क रू. 100/– जमा कर दिया हो।
05. उसे दिवालिया घोषित ना किया गया हो।
06. उसे राजनैतिक दंड की सजा छोड़कर किसी नैतिकता संबंधी अपराध में दंडित ना किया गया हो, परन्तु यदि दंड की अवधि 5 वर्ष व्यतीत हो गई हो, तो यह अयोग्यता लागू नहीं होगी।
07. किसी सहकारी संस्था अथवा शासकीय सेवा निकाला ना गया हो।
08. वह अधिनियम की धारा 48–ए के अधीन निर्हरित न हो।
09. वह शासकीय सेवा मे कार्यरत न हो।
10. एक परिवार में से पति/पत्नी या उसके अव्यस्क पुत्र/पुत्री में से कोई भी एक सदस्य ही संस्था का सदस्य बन सकेगा।
11. यदि उसका बालिग पुत्र/अविवाहित बालिग पुत्री उसी संस्था अथवा अन्य संस्था में सदस्य है तो वह शपथ पत्र घोषणा करेगा के पुत्र/पुत्री पिता से अलग रहती है।
12. संस्था के कुल सदस्यो में से 05 सदस्य इंजीनियर की उपाधि धारणकर्ता अथवा आई.टी.आई. उत्तीर्ण होगें। कम से कम एक सदस्य डिग्रीधारी इंजीनियर, एक सदस्य अनिवार्यतः सिविल इंजीनियर मे डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी होगें।

उपविधि क्रमांक 6 :–

आरंभ में सदस्य में वे होंगे जिन्होंने पंजीयन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हों। उसके उपरांत नए सदस्य प्रबंध समिति की स्वीकृति से सम्मिलित किए जाएंगे।

उपविधि क्रमांक 7(1) :–

संस्था में आवेदन पत्र के साथ रू. 100/– प्रवेश शुल्क तथा रु. 5000/– के अंश क्रय करने के लिए धनराशि जमा करनी होगी।

उपविधि क्रमांक 7(2) :–

प्रवेश शुल्क एवं अंश की राशि केवल संस्था के अध्यक्ष को संबोधित बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर या बैंक के माध्यम से इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर द्वारा जमा कराई जावेगी। संस्था नगद में कोई भी राशि प्राप्त नहीं करेगी।

उपविधि क्रमांक 7(3) :–

संस्था की प्रबंध समिति द्वारा प्रार्थना पत्र अस्वीकृत होने की स्थिति में प्रवेश शुल्क एवं अंश क्रय के लिए राशि जमा कराई गई राशि वापस कर दी जाएगी।

उपविधि क्रमांक 7(4) :–

प्रथमशः संस्था की कुल सदस्य संख्या 100 से अधिक नहीं होगी, सदस्यों के लिए भूखंड, मकान/ऋण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाने के बाद संस्था अपनी बोर्ड में सदस्य संख्या बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकेगी।

उपविधि क्रमांक 8(1) :–

सदस्यता अंश क्रय करने के लिए संस्था के अध्यक्ष को इन उपविधियों के साथ संलग्न निर्धारित प्रारुप में प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें उपविधि क्रमांक 06 में सदस्यता हेतु जो अ्हता दर्शाई गई हैं, वे अर्हताएं आवेदक की है, यह शपथ पत्र सत्यापन व घोषणा करनी होगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था के प्रबंधक को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक 8(2) :–

संस्था की सदस्यता हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक आवेदन को अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में प्रबंधक द्वारा प्राप्त किया जावेगा और अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रबंध समिति की प्रत्येक बैठक में उस बैठक तक प्राप्त हुए सभी सदस्यता आवेदनों को प्रबंध समिति के निर्णय हेतु प्रस्तुत करें, जिन पर प्रबंध समिति अधिनियम, नियम व उपविधियों के अधीन अस्वीकृत करने संबंधी निर्णय लेगी।

उपविधि क्रमांक 9(1) :–

सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का निराकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के बाद प्रबंध समिति की बैठक प्रथम बैठक में किया जावेगा। किसी व्यक्ति को संस्था की सदस्यता तभी दी जा सकेगी :–

01. जब उसने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 14 की शर्त पूरी की हो।

02. वह उपविधि क्रमांक 5 में उल्लेखित अर्हताएं रखता हो।
03. उसने उपविधि क्रमांक 7 व 8 का पालन क्रिया हो।

उपविधि क्रमांक 9(2) :–

प्रबंध समिति को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्तानुसार पूर्ण आवेदन को स्वीकृत करे या उल्लेखित कारणों से अस्वीकृत करें किन्तु यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है तो समिति के लिए यह निर्णय अनिवार्य होगा कि वह आवेदन पत्र को स्वीकृति के 45 दिन के अंदर आवेदक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा या व्यक्तिशः तामिली द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत होने संबंधी कारणों की लिखित जानकारी संस्था के अध्यक्ष या प्रबंधक हस्ताक्षर करेंगे, संसूचित करें। निर्णय की सूचना प्रबंधक द्वारा भेजी जावेगी। आवेदन पत्र अस्वीकृत होने की स्थिति में सूचना प्राप्ति के 30 दिन के अंदर आवेदन प्रबंध समिति के निर्णय के विरुद्ध पंजीयक को अपील कर सकेगा।

उपविधि क्रमांक 9(3) :–

संस्था द्वारा सदस्यता आवेदन पंजी तथा सदस्यता पंजी के रूप में दो पृथक–पृथक पंजियां संधारित की जावेगी। प्रथम पंजी में नवीन एवं सदस्यता समाप्ति हेतु संस्था में सदस्यता हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन की प्रविष्टी की जावेगी तथा दूसरी पाली (सदस्यता पंजी में सदस्यता प्रदान करते ही सदस्य के संबंध में प्रविष्टी अंकित की जावेगी। इन दोनों पंजियों में प्रविष्टियां क्रमानुसार ही की जावेगी किसी भी स्थिति में इसका कोई अपवाद नहीं होगा।

उपविधि क्रमांक 10:–

(क) प्रत्येक सदस्य को सदस्यता के लिए रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे और अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार होगा। जिसको कि सदस्य की मृत्यु पर उसकी यदि कोई धनराशि जमा हो तो वह दी जा सके। उत्तराधिकारी मनोनीत करने के उपरांत यदि किसी प्रकार का परिवर्तन हो नए उत्तराधिकारी के नाम दो साक्ष्यों के समक्ष लिखा जा सकेगा तथा साक्षियों के हस्ताक्षर लिए जावेंगे।
(ख) प्रत्येक सदस्य को लिखकर देना होगा कि संस्था की उपविधियों का और उपविधियों में जो भी संशोधन उसकी सदस्यता की अवधि में होंगे वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेगा।

उपविधि क्रमांक 11 : संस्था से त्यागपत्र :–

संस्था का कोई भी सदस्य संस्था में संलग्न प्रारूप में लिखित आवेदन पत्र देकर सदस्यता समाप्ति हेतु निवेदन कर सकेगा किन्तु ऐसे त्यागपत्र के साथ सदस्य को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या अनुविभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा स्थापित एक शपथ पत्र जिसमें त्यागपत्र के कारणों का उल्लेख होगा, संलग्न करना आवश्यक होगा। त्याग पत्र हेतु

संस्था आवेदन संस्था के अध्यक्ष को संबोधित होगा और अध्यक्ष तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबंधक को सौंपा जा सकेगा संस्था के प्रबंध समिति त्याग पत्र प्राप्त होने पर अपनी बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा क्या को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी किसी ऐसे आवेदन पत्र में हमको जिसमें प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुविभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र संलग्न ना हो अपूर्ण क्या पत्र माना जाएगा और स्वीकार नहीं किया जा सकेगा यदि त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है तो उसके कारण अभिलिखित करने अनिवार्य होंगे।

परंतु यह भी संस्था के मूल प्रस्तावक सदस्यों में से कोई सदस्य त्यागपत्र देता है तो वह तभी प्रभाव सील होगा जबकि पंजीयक प्रस्तावक सदस्य से त्याग पत्र को स्वीकार किए जाने संबंधी निर्णय को अनुमोदित कर दे।

उपविधि क्रमांक 12 :–

कोई सदस्य तदाशय हेतु आमंत्रित प्रबंध समिति के बैठक में उपस्थित एवं मतदान की पात्रता रखने वाले सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित में से किन्ही कारणों से संस्था की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकेगा :–

(क) कोई ऐसा कार्य जिससे संस्था की साख को क्षति पहुंचाने की संभावना हो या जिससे उसकी कुख्याति होने की संभावना हो साशय करता है या

(ख) मिथ्या कथनों द्वारा संस्था की जानबूझकर प्रवंचित करता है या

(ग) कोई ऐसा कारोबार करता है जो संस्था द्वारा किए जाने वाले कारोबार के समान हो या जिसके संबंध में यह संभावना हो कि वह सोसायटी द्वारा किए जाने वाले कारोबार की प्रतिद्वन्दिता में आता है, या

(घ) अपने द्वारा देय धनों का भुगतान करने में बार–बार व्यतिक्रम करता है या उपविधियों के किन्हीं भी उपबंधों का अनुपालन करने में चूक करता है।

परंतु कोई भी ऐसा संकल्प तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि संबंधित सदस्य को उसे निष्कासित करने संबंधी प्रस्थापना की सात दिन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ना दे दी गई हो और कि उसे अपने मामले के संबंध में समिति के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया हो।

उपविधि क्रमांक 13 : सदस्यता की समाप्ति :–

निम्नलिखित में से एक कारण से किसी व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जावेगी :–

07. मृत्यु हो जाने पर।
08. उपविधि क्रमांक 11 के अनुसार त्याग पत्र स्वीकृत होने पर।
09. उसके द्वारा धारित अंश किसी अन्य को स्थानांतरित हो जाने पर।
10. उपविधि क्रमांक 12 के अंतर्गत निष्कासित किए जाने पर।
11. किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर संस्था देय राशि का भुगतान सदस्य पर बकाया के समायोजन के उपरान्त एक वर्ष की अवधि में कर देगी किन्तु वह

सदस्यता समाप्ति की तिथि से दो वर्ष तक संस्था के उन सभी ऋण के लिए देनदार होगा जो उसकी सदस्यता समाप्ति की तिथि को देय थी।

12. सदस्य की मृत्यु की दशा में संस्था में उसके अंशों या जमा राशि में से उससे वसूली योग्य राशि कम करके शेष राशि उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति या नामांकन के अभाव में प्रबंध समिति के निर्णयानुसार ऐसे व्यक्ति को जो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी के रूप में उक्त राशि प्राप्त करने का अधिकारी हो, को इंडेमिनिटी बॉन्ड भरने पर भुगतान की जावेगी।

उपविधि क्रमांक 14 : नाममात्र का सदस्य :–

संस्था के साथ वित्तीय संबंध रखने वाले व्यक्ति जैसे ठेकेदार, सप्लायर्स, एजेंट तथा जमानतदार को प्रबंध समिति नाममात्र का सदस्य बना सकेगी। नाममात्र के सदस्य को अंश विक्रय नहीं किए जावेंगे किन्तु उनसे रुपए 500/– का शुल्क कर प्रति व्यक्ति लेकर नाममात्र की सदस्यता प्रदान की जाएगी। ऐसे सदस्य संस्था के प्रबंध मतदान तथा लाभ के विवरण में भाग नहीं ले सकेंगे, संस्था के साथ वित्तीय संबंध बने रहने तक वे नाममात्र के सदस्य बने रहेंगे।

उपविधि का क्रमांक 15 : दायित्व :–

सदस्य का दायित्व संस्था द्वारा प्रदत्त अंशों की राशि तक सीमित रहेगा, किन्तु जो संस्था से ऋण अथवा अमानतें आदि लें ऐसे सदस्यों का दायित्व उनके अंशों के दर्शनी मूल्य के आठ गुने तक सीमित रहेगा।

उपविधि क्रमांक 16 : अंश पूंजी :–

01. अंश पूंजी में कमी या वृद्धि संबंधी परिवर्तन संस्था की आम सभा के प्रस्ताव पर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर की स्वीकृति से ही पंजीयक द्वारा किया जा सकेगा।
02. प्रत्येक सदस्य को सदस्यता प्राप्ति के समय रू, 5000/– के अंश कय करना अनिवार्य होगा। यदि सदस्य द्वारा संस्था से ऋण लिया जाना हो तो सदस्य को प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित ऋण राशि के अनुपात में ऋण हेतु अतिरिक्त अंश लेना आवश्यक होगा, किसी भी दशा में यह अनुपात 1 : 8 से कम नहीं होगी।
03. कोई भी सदस्य संस्था के प्रदत अंश पूंजी 1 : 5 से अधिक अंश नहीं ले सकेगा।

उपविधि क्रमांक 17 :–

किसी सदस्य को उसके अंश की रकम वापस लेने का अधिकार नहीं होगा पर यदि प्रबंध समिति चाहे तो किसी सदस्य को जिसने संस्था का सब देना चुका दिया हो, एक अंश की रकम जमा रखे शेष अंशों की रकम वापस लेने की अनुमति दे सकती है।

उपविधि क्रमांक 18 : –

एक अंश प्रमाण पत्र प्रत्येक के लिए हुए अंश अथवा अंशो के लिए दिया जावेगा, जिस पर अध्यक्ष और प्रबंधक के हस्ताक्षर होंगे और संस्था की मुद्रा लगाई जावेगी। किसी सदस्य को अपने अंश अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वो व्यक्ति संस्था का सदस्य न हो अथवा जिसे संस्था ने सदस्य बनाना स्वीकृति न किया हो और प्रत्येक स्थिति में हस्तांतरण उस समय तक नहीं लिया जा सकेगा जब तक कि प्रबंध समिति ने उसकी स्वीकृति न दी हो एवं रु. 10/– हस्तांतरण करने का शुल्क जमा हुआ हो। जब तक अंश हस्तांतरण संस्था के रजिस्टरों में नहीं लिखा जाता, उस समय तक जिसके नाम से हस्तांतरण होगा उसका कोई अधिकार समिति के विरूध्द प्राप्त नहीं होगा न उसका परिणाम उस विवाद पर होगा जो संस्था के अंश हस्तांतरण करने पर करने वाले पर किया हों।

उपविधि क्रमांक 19 :–

संस्था के प्रत्येक सहकारी वर्ष में उसकी प्रदत अंशपूंजी का 1/10 भाग ही सदस्यों की अंशपूंजी उन्हें वापस कर सकेगी।

उपविधि क्रमांक 20 : ऋण तथा अमानतें :–

01. संस्था अपनी कूल प्रदत्त अंशपूंजी तथा रक्षित निधि में से संचित हानि को घटाने के पश्चात शेष निधि के 100 गुने तक ऋण और अमानतें ले सकेगी।
02. संस्था अपने सदस्यों के लिए भवन निर्माण करने के उद्देश्य से प्राप्ति की गई भूमि पर आवासीय भवन निर्माण एवं कालोनी विकास हेतु आवास संघ, सहकारी बैंकों, ऋण देने वाली संस्थाओं अथवा शासन से ऋण ले सकेगी।
03. संस्था अपने सदस्यों से उस ब्याज पर जो पंजीयक द्वारा मान्य किए गए हों तथा ऐसे प्रतिबंधों के साथ जो प्रबंध समिति निश्चित करें, अमानते प्राप्त कर सकती है।
04. संस्था द्वारा लिए गए ऋणों के लिए अंशपूंजी रखी जावेगी, जिसमें जिस प्रभार पर ऋण लिया गया हो उसकी प्रविष्टि होगी और समय–समय पर चुकाए गए ऋण मुक्त प्रभार की प्रविष्टियां की जावेगी।
05. संस्था द्वारा जिस प्रभार पर ऋण लिया गया है ऐसे समस्त प्रभारों की सूची और लिए गए ऋण की जानकारी संस्था अपनी साधारण सभा की बैठक में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

उपविधि कमांक 21 साधारण सभा व्यापक सम्मेलन :–

संस्था के कारोबार के संबंध में साधारण सभा को पूर्ण अधिकार होंगे। वार्षिक साधारण सभा की बैठक प्रतिवर्ष सहकारी वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंदर आहूत की जावेगी। इसके अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो प्रबंध समिति के प्रस्ताव अथवा संस्था से कम से कम 1 : 10 सदस्यों के लिखित प्रार्थना पत्र पर जिसमें साधारण सभा बुलाई जाने

का उद्देश्य हो अथवा पंजीयक के आदेश पर विशेष साधारण सभा की बैठक एक माह के अंदर बुलाई जायेगी। संस्था के पंजीयन के पश्चात सदस्यों को जो प्रथम साधारण सभा होगी उसको वे अधिकार प्राप्त होंगे जो इन उपविधियों में वार्षिक साधारण सभा को दिए गये हैं।

उपविधि क्रमांक 22 : गणपूर्ति कोरम :–

साधारण सभा अथवा विशेष साधारण सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक होगी। साधारण सभा/विशेष साधारण सभा की सूचना जारी करने के दिनांक को कुल सदस्यता संख्या 1:10 भाग अथवा 50 सदस्य इनमें से जो भी कम हो गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगा।

बैठक के लिए नियत किए हुए समय पर यदि गणपूर्ति नहीं हो तो या बैठक यदि सदस्यों के मांग पर बुलाई गई है तो स्थगित नहीं की जावेगी बल्कि निरस्त कर दी जावेगी। अन्य स्थिति में वह दूसरी ऐसी अन्य तारीख और समय के लिए स्थगित कर दी जाएगी जो उपस्थित सदस्य निश्चित करें किन्तु ऐसी स्थगित बैठक के लिए भी गणपूर्ति होना आवश्यक होगा। सम्मेलन के दौरान किसी भी समय गणपति हेतु पर्याप्त सदस्य उपस्थित न हो तो सम्मेलन का अध्यक्ष इस तथ्य की ओर उसका ध्यान आकृष्ट किये जाने पर या स्वप्रेरणा से सम्मेलन को ऐसी सुविधाजनक तारीख, समय और स्थान के लिए जैसा वह उचित समझे स्थगित कर देगा और इस स्थगित सम्मेलन जो गणपूर्ति में ही किया जावेगा, किये जाने वाले कार्य को सम्मेलन में सामान्य रीति से निपटाया जावेगा परन्तु ऐसी स्थिति में पहले की कार्य सूची में लिए हुए विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपविधि क्रमांक 23 : बैठक की सूचना :–

01. आमसभा की कार्यसूची, समय और स्थान की सूचना प्रत्येक सदस्य को 14 स्पष्ट दिवस पूर्व दी जावेगी।
02. उप विधियों के संशोधन की स्थिति में प्रस्तावित संशोधन की रूपरेखा सूचना के साथ प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी।
03. साधारण/विशेष साधारण सभा की बैठक की सूचना निम्न प्रकार से दी जायेगी :–

(अ) साधारण विशेष सम्मेलन की सूचना प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक से या व्यक्तिशः प्रदत करके यदि सोसायटी की सदस्य संख्या 250 से कम हो तो डाक प्रमाण पत्र के अधीन साधारण डाक से यदि सोसायटी की सदस्य संख्या 250 से अधिक हो और ऐसे मामलों में सूचना सोसायटी के क्षेत्र में प्रसारित स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी।

(ब) 14 स्पष्ट दिवस पूर्ण पंजीकृत डाक से जारी की गई सूचना समय पर तामिल न होने के कारण बैठक की कार्यवाही अवैध नहीं होगी।

उपविधि क्रमांक 24 : साधारण सभा के अधिकार :–

वार्षिक साधारण सभा में उन कार्यों के अतिरिक्त जो इन उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत हो निम्नलिखित काम होगा।

01. इन उपविधियों के अनुसार प्रबंधन समिति का चुनाव कराना।
02. वार्षिक पत्रक और उनसे संबंधित समिति की रिपोर्ट पर विचार करना।
03. लाभ का विवरण स्वीकृत करना।

04. संस्था के वार्षिक व्यय का बजट स्वीकृत करना।

05. यह निश्चित करना की अमानतें कितनी, किस अवधि के लिए और किस ब्याज दर से ली जावें।

06. संस्था के आडिट तथा निरीक्षण टीप पर समिति द्वारा जो कार्यवाही की गई हो उसे देखना और जहां आवश्यकता हो उचित आज्ञायें देना।

07. संस्था के कार्य की देख–भाल करने हेतु एक अतिरिक्त अंकेक्षक की नियुक्त करना और उसका पारिश्रमिक निश्चित करना।

08. संस्था के कार्य संचालन के लिए उपविधियों में आवश्यक संशोधन कर विचार करना।

09. प्रबंध समिति के सदस्यों पर बकाया ऋण व अन्य अग्रिम की जानकारी अवगत कराना होगा।

10. अन्य बातों पर विचार करना जो प्रबंध समिति अथवा सदस्यों की ओर से प्रस्तुत की जावें।

उपविधि क्रमांक 25 :–

साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई भी सदस्य कार्य सूची में न दिया हुआ प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकता है। परंतु ऐसा प्रस्ताव किसी सदस्य के निकाल दिये जाने अथवा निकाले हुये सदस्य को पुनः प्रवेश देने अथवा उपविधियों में संशोधन करने अथवा ब्याज दर में कर्मी या वृद्धि करने के संबंध में नहीं होगा।

उपविधि क्रमांक 26 :–

संस्था का अध्यक्ष, उसकी अनुपरिथिति में उपाध्यक्ष यदि दोनों उपस्थित न हो तो संस्था के अन्य सदस्यों में से जिसका उपस्थित सदस्य निर्वाचन करें, साधारण विशेष साधारण सभा की अध्यक्षता करेगा।

परंतु ऐसी स्थिति में जब कि अधिनियम की धारा 49(8) के तहत पंजीयक द्वारा संस्था का कार्य सम्हाल लिया गया हो, अथवा धारा 53(1) के तहत प्रबंध समिति की अधिष्ठित किया गया हो अथवा 53(13) के तहत निर्वाचित प्रबंध समिति के स्थान नामांकित समिति गठित की गई हो, साधारण सभा की अध्यक्षता पंजीयक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

उपविधि क्रमांक 27 :–

साधारण सभा में प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही मत देने का अधिकार होगां, भले उसने संस्था के कितने की अंश लिये हो को सदस्य अपने प्रतिनिधि द्वारा मतदान नहीं कर सकेगा। उसी सदस्य को मतदान का अधिकार प्राप्त होगा जो संस्था का कम से कम एक अंश का अधिकारी हो और जिसे मतदान दिनांक से कम से कम 40 दिन पूर्व प्रबंध समिति द्वारा सदस्यता स्वीकृत हो गई हो। संस्था के प्रबंध का चुनाव अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानानुसार होगा, परंतु चुनाव सम्पन होगा। मामले का निर्णय सर्वसम्मति अथवा बहुमत के आधार पर होगा। समान मतों की दशा में अध्यक्ष को अपने मत के अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

उपविधि क्रमांक 28 : प्रबंध समिति की सदस्यता के लिये अनरहतायें :–

यदि कोई भी व्यक्ति प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने हेतु योग्य न होगा तथा उस रूप में अपने पद पर नही रहेगा यदि :–

01. वह संस्था या किसी अन्य सहकारी संस्था के लिए हुये किसी ऋण या अग्रिम चुकाने में 12 माह से अधिक का व्यतिक्रमी हो। ऐसे सदस्य को प्रबंध समिति के निर्वाचन में मताधिकार भी न ही रहेगा।
02. संस्था में किसी लाभ के पद पर है अथवा स्वीकार कर लें।
03. अधिनियम व नियमों के किसी प्रावधान के तहत प्रबंध समिति में पद धारण करने के लिये अयोग्य हो गया हो उसी प्रकार का धंधा करता हो जो संस्था करती है।
04. संस्था के किसी कर्मचारी का निकट संबंध हो या हो जावें।
05. निर्वाचन दिनांक से 12 माह से अधिक समय पूर्व से संस्था का सदस्य न हो। परंतु यह प्रतिबंध संस्था के पंजीयन के पश्चात् प्रबंध समिति के होने वाले प्रथम निर्वाचन के समय लागू नही होगा। परंतु यह भी कि प्रबंध समिति के किसी सदस्य की अपात्रता की बात जानकारी में आने की तारीख से दो माह के भीतर उसे सुनवाई की युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात प्रबंध समिति उसे पद धारण करने से अयोग्य घोषित करेगी। यदि प्रबंध समिति उक्त अवधि में कार्यवाही करने में असफल रहे तो पंजीयक द्वारा ऐसे सदस्य को सुने जाने का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् उसे ऐसा पद धारण करने में लिखित आदेश द्वारा आयोग घोषित किया जावेगा।
06. केन्द्र, किसी राज्य सरकार या किसी सहकारी सोसायटी की सेवा से हटाया गया हो।
07. केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में है यह निरहता ऐसी सोसायटी में लागू नही होगी जो मुख्यतः केन्द्र अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिए बनाई गई हो।

उपविधि क्रमांक 29 : प्रबंध समिति :–

01. संस्था की एक प्रबंध समिति होगा। प्रबंध समिति के कुल 10 (दस) सदस्य होंगे, 8 (आठ) सदस्य आमसभा द्वारा निर्वाचित किये जायेगी। निर्वाचित सदस्यों में से दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अधिनियम/नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार स्थान आरक्षित किये जायेंगे। उक्त 8 (आठ) निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त 2(दो) मनोनीत सदस्य होगे जिसमें से एक सदस्य पंजीयक का प्रतिनिधि, एक सदस्य जिले के कलेक्टर का प्रतिनिधि जो नायब तहसीलदार के स्तर से कम न हो तथा एक सदस्य आवास संघ का प्रतिनिधि। उक्त 10 (दस) सदस्यों के अतिरिक्त संस्था की और से अन्य संस्थाओं में संस्था का प्रतिनिधित्व करने हेतु निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि प्रबंध समिति के भी सदस्य होगें।
02. आरक्षित स्थान निर्वाचन द्वारा भरे जाने की स्थिति मे प्रबंध समिति के निर्वाचन सदस्य निर्वाचन पश्चात सहयोजन के लिए आयोजित बैठक में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वर्ग के सदस्यों में से सहयोजन द्वारा करेगे जिसके लिए स्थान आरक्षित है।
03. गणपूर्ति के अभाव में सहयोजन नहीं किया जावेगा।
04. आरक्षित स्थान निर्वाचन अथवा सहयोजन द्वारा न भरे जाने की दशा में पंजीयक उसी वर्ग के सदस्यों में से जिसके लिये कि वह स्थान आरक्षित है, नांमाकन द्वारा पूर्ति करेगें।
05. प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन होने पर प्रबंध समिति अपने मे से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगा।
06. अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा सहयोजन की बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी करेगा।
07. समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति 1/2 से अधिक हो, होगी।

08. प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष की अवधि की गणना प्रबंध समिति की प्रथम बैठक जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो के दिनांक से होगा।

09. पंजीयन के समय गठित आंतरिक प्रबंध समिति का कार्यकाल केवल तीन माह तक का होगा। तीन माह की अवधि में ही नवीन प्रबंध समिति का निर्वाचन कराना होगा। परंतु विशेष परिस्थिति में पंजीयक की अनुमति से गठित आंतरिम कमेटी के कार्यकाल में अधिकतम तीन माह की वृद्धि और की जा सकेगी।

10. प्रबंध समिति में अनिवार्य रूप से दो तकनीकी सदस्य का समायोजन किया जाएगा जिसमें से एक डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी इंजीनियर होगा।

उपविधि क्रमांक 30(1) :–

अन्य सहकारी संस्थाओं जिनमें की संस्था सम्बद्ध हो, में भेजे जाने वाले कि पे प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रबंध समिति अपने मे से ही करेगी तथा उक्त बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी करेगा। ऐसे प्रतिनिधियों का कार्यकाल उस संस्था की प्रबंध समिति के कार्यकाल के समरूप होगा, जिसके लिए प्रतिनिधि चुना गया है।

उपविधि क्रमांक 30(2) :–

प्रबंध समिति के कार्यकाल मे हुए उसके सदस्य अथवा प्रतिनिधि के किसी आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबंध समिति के सदस्यों के द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से सहयोजन द्वार समिति के इस कार्यकाल तक की अवधि के लिए की जावेगी। कोरम पूर्ति के अभाव में सहयोजन नही किया जावेगा। ऐसी बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की आकस्मिक रिक्त होने पर नये अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी निर्वाचन अधिकारी द्वारा कराया जावेगा।

परंतु यह आवश्यक होगा कि प्रबंध समिति के किसी सम्मेलन में कोई सहयोजन निर्वाचन तब तक नही किया जावे जब तक कि उस सम्मेलन के लिए प्रसारित कार्य सूची में इस नियम को सम्मिलित न कर लिया गया हो तथा गणपूर्ति न हो । ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी।

उपविधि क्रमांक 31 :–

उन उपविधियों के अनुसार तथा आमसभा के समय–समय पर विधि अनुसार किये हुए ठहराव के अधीन संस्था का कारोबार चलाने के लिए प्रबंध समिति को पूरे अधिकार होगें। वे सब कार्य को प्रबंध समिति ने अथवा किसी ने प्रबंध समिति के सदस्य होने के नाते किये हो, यद्यपि बाद में यह मालूम हो कि प्रबंध समिति का चुनाव या उसके किसी सदस्य का निर्वाचन सहकारी संस्था के विधान या उसके अंतर्गत नियम या उपनियमों के विरूद्ध था, उसी प्रकार उचित समझे जावेगे जिस प्रकार प्रबंध समिति या उसके किसी ऐसे रादस्य का निर्वाचन उक्त विधान नियम या उपविधियों के अनुसार होने पर उचित होते।

उपविधि क्रमांक 32 :–

प्रबंध सनिति की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी। परंतु कम से कम तीन माह में एक बार बैठक आवश्यक बुलाई जावेगी। यदि प्रबंध समिति का कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में प्रबंध समिति की अनुमति के बिना अनुपस्थिति रहता है तो प्रबंध समिति उसे सुनवाई

का अवसर देने के बाद प्रबंध समिति की सदस्यता से अलग कर सकती है। ऐसे अलग हुआ सदस्य फिर एक वर्ष तक प्रबंध समिति का सदस्य नही चुना जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक 33 –

तब प्रस्ताव का निर्णय बहुमत से किया जावेगा। दोनो पक्ष में समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपना एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। कोई ऐसा प्रश्न जिसमें प्रबंध समिति के किसी सदस्य का निजी संबंध हो तो उस समय वह सदस्य प्रबंध समिति की बैठक में सम्मिलित न हो सकेगा।

उपविधि क्रमांक 34(1) : प्रबंध समिति के कर्त्तव्य तथा अधिकार :–

01. उन ठहराव का पालन करते हुए जो आमसभा समय–समय पर पारित करें, निर्माण करना,भूमि मोल लेना, प्राप्त करना, पटटे पर लेना, गिरवी रखना, किराये पर देना, अपने पास रखना, बेचना, बदलना, अपनी भूमि शिकमी पटटे पर देना भूमि भवन बनाने योग्य बनाना, भवन बनाना, नालियां बनवाना एवं प्रकाश आदि का व्यवस्था करना तथा अन्य ऐसे काम करना जो उपरोक्त कार्य हेतु आवश्यक हो।
02. संस्था के समस्त वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके अधिकार देना दण्डित, पदोन्नत करना उनके अवकाश स्वीकृत करना, उनसे आवश्यक प्रतिभूत जमानत लेना।
03. आमसभा द्वारा स्वीकृत बजट के अंदर खर्च करना।
04. नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान करना और उनके अंश स्वीकृत करना तथा सदस्यों के सदस्यता, अंश स्वीकृति एवं अंश वापसी संबधी प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और उनके स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना।
05. संस्था के काम काज संबंधी शिकायतों को सुनना और उनका निराकरण करना।
06. आवश्यकतानुसार संस्था की ओर से ऋण लेना और तय करना कि ऋण दस्तावेजों पर संस्था की ओर से कौन हस्ताक्षर करेगा।
07. सदस्यों के त्यागपत्र स्वीकार करना और उनके निष्कासन पर निर्णय लेना।
08. आमनते प्राप्त करना।
09. प्रबंधक के कार्यों की जांच करना और यह देखना कि संस्था के हिसाब के तथा अन्य रजिस्टर के प्रकार से रखे जाते है।
10. जो वैधानिक कार्यवाही अथवा वाद संस्था की ओर से अथवा उनके किसी और कार्य का उक्त कर्मचारी के विरूद्ध संस्था के कारोबार के संबंध में हो उनमें पैरवी, समझौता करना अथवा वाद वापिस लेना तथा संस्था की ओर से पैरवी करने के लिए संस्था के किसी संचालक को या कर्मचारियों के अधिकृत करना।
11. पंजीयक, सहकारी शिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों तथा ऐसी संघी संस्था जिसकी वह सदस्यों के अधिकारियों को संस्था के निरीक्षण हेतु कागजात रजिस्टर, प्रस्तुत करना और उनके अंकेक्षण तथा निरीक्षण टीपों का पालन करना और उसका

पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अपने पालन प्रतिवेदन और साधारण सभा में प्रस्तुत करना।

12. वार्षिक आय पत्रक बनाना और आगामी वर्ष के लिए आय व्यय पत्रक बनाकर साधारण सभा में प्रस्तुत करना।
13. पंजीयक द्वारा अंकित अंकेक्षण शुल्क आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अंदर शासकीय कोषालय में जमा करना।
14. संस्था की ओर से जिसमें संस्था संबंद्ध हो, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा अन्य सहकारी संस्थाओं के अंश क्रय करना, अंश वापस करना और आवश्यक हस्ताक्षर करना।
15. अधिनियम की धारा 44 के अनुसार पूंजी का विनियोजन करना।
16. उपविधि क्रमांक 21 के अनुसार आमसभा विशेष साधारण सभा की बैठक बुलाना।
17. प्रबंध समिति के निर्वाचित रादस्यों में से अन्य संस्थाओं के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना।
18. प्रत्येक सहकारी वर्ष 31 मार्च के अंत में संस्था के वित्तीय पत्रक तैयार कर पंजीयक को प्रस्तुत करना।
19. प्रबंध समिति के सदस्यों के त्याग पत्र प्रस्तुत होने पर उन पर विचार करना एवं स्वीकृत या अस्वीकृत करना।
20. संस्था के कारोबार के संचालन के संबंध में अधिनियम, नियम तथा इन उपविधियों को दृष्टिगत रखते हुए पूरक नियम बनाना और आमसभा से अनुमोदन पश्चात पंजीयक का पुर्वानुमोदन लेकर तदानुसार कार्य करना।
21. वे सब कार्य करना जो संस्था के संचालन के लिए आवश्यक हो और जिनके संबंध में विशेष अधिकार अधिनियम, नियम इन उपविधियों के अनुसार आमसभा में वेष्टित न हो।
22. संस्था द्वारा भूमि अर्जन भूखण्डों का हस्तांतरण भवन प्रकोष्टों के हस्तांतरण तथा अन्य संस्था से उधार प्राप्त करने हेतु दस्तावेजों के भारतीय व्यय अधिनियम 1866 तथा इसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना आदेश का पालन करना।
23. प्रत्येक सहकारी वर्ष के अंत में संस्था के सदस्यों को वरीयता क्रम की प्रमाणित सूची का प्रकाशन करना तथा उस सूची में सदस्य को आंबटित भूखण्ड तथा सदस्यों के पक्ष में रजिस्ट्री संबंधी विवरण (दिनांक तथा भूखण्ड का आकार–प्रकार), सभी दर्शाया जावेगा। इसी प्रकार वर्ष के अंत में सदस्यों की सदस्यता सूची तैयार की जावेगी। जिसमें सदस्यों का वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला का उल्लेख सदस्यों के नाम के समक्ष दर्शाया जावेगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रकाशन संस्था के कार्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के कार्यालय विकासखण्ड कार्यालय एवं वित्त–दायी संस्था के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा।

उपविधि क्रमांक 34(2) :–

प्रबंध समिति अपने अधिकारों में से कोई अधिकार (क्रमांक 1, 4, 6, 8, 15, 16, 18, 20, 21 को छोडकर) अध्यक्ष या प्रबंधक को सौंपा सकेगी किन्तु प्रबंध समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत अध्यक्ष/प्रबधक द्वारा किये गये कार्यों का विवरण प्रबंध संभिति की बैठक में पुष्टि हेतु रखना अनिवार्य होगा।

उपविधि क्रमांक 35 :–

वह सब कार्यवाही जो कि प्रबंध. समिति की बैठक में प्रस्ताव हुई हो और जिनके संबंध में चर्चा अथवा निर्णय हुआ हो, कार्यवाही पुस्तक में लिखी जावेगी। कार्यवाही विवरण प्रबंधक द्वारा लिखा जावेगा और. उस पर अध्यक्ष तथा अन्य उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होगें। कार्यवाही पंजी संस्था के प्रबंधक की अभिरक्षा में रहेगी। अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर बैठके समाप्त होने के तत्काल बाद अंतिम निर्णय प्रस्ताव के विवरण के ठीक नीचे लिये जावेगें।

उपविधि क्रमांक 36 :–

बैठक की कार्य सूची समय, तारीख तथा स्थान की सूचना जो अध्यक्ष व प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा बैठक के पांच दिन पहले जारी की जावेगी। सूचना पत्र व्यक्तिशः तामील कराया जावेगा अथवा नामांकित सदस्य के कार्यालय पर व शासकीय सदस्य के निवास स्थान पर उसके साथ निवास करने वाले किसी संबंधी बालिग व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर छोड जावेगा। चलित बैठक द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकेगा।

उपविधि क्रमांक 37 : अपील :–

संस्था की प्रबंध समिति अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रबंधक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध से प्रभावित व्यक्ति द्वारा आदेश प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर पंजीयक के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकेगी।

04. आमसमा तथा समिति की बैठक में उपस्थित रहना तथा उनकी कार्यवाही कार्य पुस्तिका में लिखना कार्यवाही विवरण के ठीक नीचे उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर करना।
05. प्रतिवर्ष 30 अप्रेल के पूर्व गत वर्ष के आय–व्यय तथा वार्षिक पत्रक तैयार करना और 31 मई तक नियमों में निर्धारित अधिकार को भेजना।
06. रजिस्टरों की प्रतिलिपि को प्रमाणित करना।
07. अंकेक्षण तथा अन्य अधिकारियों की आडिट तथा निरीक्षण टीपों की उत्तर सहित प्रबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
08. स्वीकृत बजट के भीतर प्रबंध समिति के द्वारा दिये हुये अधिकारों के अनुसार व्यय करना।
09. समिति के द्वारा एकत्रित होने वाली समस्त धनराशि संबंधित सहकारी केन्द्रीय बैंक में जमा करना।
10. वे अन्य कार्य करना जो प्रबंध समिति द्वारा सौंपा जावें।

उपविधि क्रमांक 41 : भूमि का क्रय/अर्जन आदि :–

संस्था द्वारा केवल वही भूमि प्राप्त की जावेगी जो उसके कार्य क्षेत्र के अंदर स्थित हो और जो नगर भूमि (सीमा तथा विनियमन) अधिनियम 1976 के प्रावधानों से मुक्त हो या राज्य शासन द्वारा मुक्त कर दी गई हो ऐसी भूमि अधिनियम 1976 के सीलिंग संबंध प्रावधानों से मुक्त न हो, को क्रय करने का करार संस्था नहीं करेगी, किन्तु ऐसी भूमि का भू–अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य अर्जन किया जा सकेगा। संस्था केवल वही भूमि क्रय अर्जित करेगी जो संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान में आवासीय प्रयोजन हेतु सुरक्षित रखी गई हो। जहां मास्टर प्लान प्रभावशील नहीं हुआ हो, वहां केवल वही भूमि क्रय अर्जित की जावेगी जिस पर आवासीय कालोनी का विकास किया जाना संबंधी स्थानीय क्षेत्र में लागू रेग्यूलेशन के तहत संभव हो और

तदाशय का प्रमाणीकरण संबंधी स्थानीय संस्था तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा कर दिया गया हो। केन्द्रीय अथवा राज्य शासन विकास प्राधिकरण या स्थानीय संस्था के अथवा किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित प्रस्तावित क्षेत्र में भी संस्था द्वारा सीधे कोई भूमि क्रय न ही की जावेगी। किन्तु ऐस क्षेत्रों में शासन विकास प्राधिकरण/गृह निर्माण मंडल ध्स्थानीय संस्था से आवासीय भूमि प्राप्त करने की प्राथमिकता दी जावेगी।

उपविधि क्रमांक 42: कालोनी का विकास एवं प्लाटों का हस्तान्तरण :–

संस्था कालोनी का विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व तथा सदरयों को प्लाटों का हस्तान्तरण करने के पूर्व निम्नलिखित अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करेगी :–

01. छत्तीसगढ़ विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 के अंतर्गत जिला कलेक्टर से कालोनाइजर लायसेंस।
02. छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 172 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से डायवर्शन की अनुमति,
03. यदि संस्था का कार्य क्षेत्र ऐसे शहर में है जहा नगर भूमि सीमा तथा विनियमन अधिनियम 1976 लागू है तो सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से अनापत्ति प्रमाण पत्र
04. संयुक्त/उप संचालक, नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र नियोजन से कालोनी के ले आउट का अनुमोदन,
05. पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका परिषद से कालोनी के ले आउट की स्वीकृति
06. नजूल अधिकारी से कालोनी के क्षेत्र में शासकीय भूमि न होने संबंधी प्रमाण पत्र,
07. छत्तीसगढ़ विर्निदिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण नियमावली के नियम 10 के अंतर्गत फार्म–4 में जिला कलेक्टर से कालोनी के विकास की लिखित अनुमति।
08. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून/रेग्यूलेशन के तहत प्रावधानित अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

उपविधि क्रमांक 43(1) : भू–खण्ड ध्भवन का हस्तान्तरण :–

कोई भी सदस्य संस्था से प्राप्त भू–खण्ड/भवन का 10 वर्ष की अवधि तक किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करेगा। किन्तु इसमें कोई ऋण प्राप्त करने के लिए भू–खण्ड भवन को बंधक रखना शामिल नही होगा। सदस्य को भू–खण्ड प्राप्त करने के तीन वर्ष के अंदर भवन निर्मित करना आवश्यक होगा। यदि किसी कारणवश तीन वर्ष के अंदर भवन निर्मित किया जाना संभव न हो तो सदस्य द्वारा लिखित आवेदन किये जाने पर प्रबंध समिति सदस्य का भवन निर्माण हेतु अधिकतम दो बार 1–1 वर्ष का समय स्वीकृत कर सकेगी। यदि सदस्य तीन वर्ष की अवधि में अथवा प्रबंध समिति से अनुमति अप्राप्त कर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में भवन का निर्माण नही कर सका तो भू–खण्ड संस्था के पत्र में समर्पित हो जावेगा और सदस्य को इन उपविधियों के अनुसार उसके द्वारा भू–खण्ड के लिये जमा की गई राशि मय ब्याज के वापस की जावेगी।

परंतु संस्था के जिन सदस्यों को इन उपविधियों के प्रभावशील होने के पूर्व भू–खण्ड /भवन आदि हस्तान्तरित कर दिये है, वे भू–खण्ड स्थान हस्तान्तरण के समय प्रवृत उपविधि, हस्तान्तरण दस्तावेज की शर्तों से ही नियंत्रित होगे और भविष्य में होने वाले हस्तान्तरण इन उपविधि से नियंत्रित होगें।

उपविधि क्रमांक 43(2) :–

संस्था द्वारा सदस्य की भू–खण्ड हस्तांन्तित करते समय हस्तान्तरण दस्तावेज में निम्नलिखित शर्तों का समावेश किया जाना अनिवार्य होगा :–

01. यह कि सदस्य 10 वर्ष तक भू–खण्ड उस पर बनाये गये भवन का हस्तान्तरण नहीं करेगा।
02. यदि 10 वर्ष की अवधि के अंदर सदस्य भू–खण्ड/भवन के हस्तान्तरण की आवश्यकता पड़े तो वह भू–खण्ड को संस्था के पक्ष में समार्पित कर भू–खण्ड के लिए जमा की गई धनराशि वापस प्राप्त कर सकेगा। राशि वापस करते समय डाक घर बचत कर दर पर साधारण ब्याज का भुगतान किया जावेगा।
03. सदस्य को भू–खण्ड प्राप्ति के तीन वर्ष के अंदर भवन निर्माण कराना अनिवार्य होगा। सदस्य के लिखित आवेदन पर संस्था द्वारा यह अवधि अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। तीन वर्ष की अवधि में अथवा संस्था द्वारा लिखित अनुमति दिये जाने पर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में भवन निर्माण न होने पर भू–खण्ड संस्था के पक्ष में समर्पित माना जावेगा। भू–खण्ड का समर्पण होने पर सदस्य द्वारा भू–खण्ड के लिए संस्था को दी गई भू–खण्ड की क्रय राशि और डाक घर बचत खाता की ब्याज दर पर ब्याज की राशि वापस प्राप्त कर सकेगा।

उपविधि क्रमांक 44 : भवन निर्माण :–

01. साधारणतया सदस्य भवन स्वयं बनावेंगे परन्तु यदि सदस्यों की ऐसी इच्छा हो तो संस्था सदस्यों के खर्चे से और उनकी जोखिमदारी पर भवन बनाने का जिम्मा ले सकते हैं। संस्था किसी हानि के लिये जो ऐसे भवन की तैयारी के कारण हो, किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगी। जब संस्था भवन बनाना अपने जिम्में ले तो, वह सदस्य से वह मूल्य जो अनुमान किया गया हो, पूरा अथवा किश्तों में जैसा कि प्रबंध समिति निश्चित करें, जमा कर लेगी। यदि भवन संस्था लिये हुए ऋण से बनाना हो तो सदस्य को ऋण की लिखित संस्था में लिखकर उनकी रकम लेने का अधिकार संस्था को देना होगा।
02. आमसभा की स्वीकृति से संस्था भवन बनाकर संस्था के सदस्य को क्रम–किराये की प्रथा से बेच सकेगी और जो भवन इस प्रकार न बिके उसको किराये पर दे सकेगी।

उपविधि क्रमांक 45 :–

संस्था के सदस्य ने भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किये हुए नक्शों के अनुसार भवन बनवायेंगे। भवन संस्था के स्वीकृत किये हुए नक्शों के विपरीत बना हुआ पाये जाने पर प्रबंध समिति को अधिकार होगा कि वह सदस्य से उसको दिया ऋण गय ब्याज के एक मुश्त वसूल कर ले।

उपविधि क्रमांक 46 :–

यदि सदस्य ने भवन निर्माण हेतु संस्था से ऋण लिया हो तो ऋण की पहली किश्त मिलने की तारीख से दो महीने के अंदर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिये।

यदि कोई सदस्य निश्चित समय के अंदर भवन बनाना शुरू न करे अथवा उसे पूरा न करे तो प्रबंध समिति को अधिकारी होगा कि वह उसके बनाने का कार्य अपने हाथ में लेकर पूरा करे और जो खर्च लगे वह सदस्य के ऋण खाते नामे डाल दे।

उपविधि क्रमांक 47 :–

प्रत्येक सदस्य जिसने भवन निर्माण हेतु संस्था से ऋण लिया हो निर्माण कार्य के दौरान संस्था द्वारा निरीक्षण करावेगा और भवन का मूल्यांकन करने देगा। इसी प्रकार शेष ऋण की सुरक्षा एवं जांच के लिए सदस्य वार्षिक निरीक्षण करावेगा।

उपविधि क्रमांक 48 :–

कोई सदस्य किसी प्लाट या निर्मित भवन को जो संस्था से ऋण लेकर खरीदा या बनाया गया हो केवल उस व्यक्ति को ही हस्तांतरित कर सकेगा जो संस्था का सदस्य हो अथवा जिसे प्रबंध समिति ने सदस्य बनाना स्वीकार किया हो।

उपविधि क्रमांक 49 :–

जब तक संस्था से लिया गया ऋण पूरा चुकता न हो जावे, भवन को अच्छी स्थिति में रखना होगा। यदि भवन किराये पर दिया जाता है तो किरायेदार से संस्था अनुबंध जा जिसके तहत सम्पूर्ण किराया संस्था में सदस्य के ऋण खाते में जमा कराने की शर्त रखी जावेगी। सेवारत्त सदस्य का यदि स्थानांतर हो जावे तो उसे अपना भवन संस्था को सौंप देना होगा, जो उसको उचित किराये पर उठाकर प्राप्त होने वाली राशि से सदस्य को समिति द्वारा दिये गये ऋण खाते में जमा करेगी।

उपविधि क्रमांक 50 :–

यदि सदस्य अपना भवन स्वयं बनावें तो उनकी प्रार्थना पर संस्था मजदूर, कारीगर और भवन के लिये लगने वाले सामान की सम्मिलित व्यवस्था कर सकती है। ऐसी स्थिति में संस्था केवल एजेन्ट के नाते काम करेगी और ऐसे काम में होने वाली किसी प्रकार की हानि की उत्तदायी नहीं होगी।

उपविधि क्रमांक 51 :–

यदि संस्था पानी, प्रकाश, नालियों की सफाई आदि का कोई प्रबंध करें तो, वह ऐसी शुल्क जो उचित हो सदस्य से वसूल कर सकती है।

उपविधि क्रमांक 52 –

ऋण केवल सदस्यों को ही दिया जावेगा किन्तु कोई भी सदस्य ऋण प्राप्त करने के लिये उसका स्वत्व नहीं बना सकेगा। ऋण के प्रार्थना पत्रों का निर्णय प्रबंध समिति करेगी।

उपविधि क्रमांक 53 :–

ऋण के प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में अध्यक्ष या प्रबंधक को दिये जावेंगे, और उसका कर्तव्य होगा कि उनको प्रबंध समिति में प्रस्तुत करें।

उपविधि क्रमांक 54 :–

भूमि क्रय करने, भवन बनाने अथवा भवन में वृद्धि करने के लिये ही ऋण दिये जा सकेंगे।

उपविधि क्रमांक 55 :–

कोई सदस्य किसी समय संस्था में जमा किए हुए अंशों की रकम के उतने गुने से अधिक रकम के लिए संस्था से ऋण नहीं लेना जितना कि पंजीयक निर्धारित करें।

उपविधि क्रमांक 56 :–

जो ऋण संस्था से दिया जावेगा उस पर प्रचलित ब्याज दर पर ब्याज की प्रति वर्ष लिया जावेगा।

उपविधि क्रमांक 57 :–

ऋण लेने वाले की भूमि की प्रतिभूति पर मय किसी भवन अथवा अन्य की) निर्माण के, जो उस पर हो और जो ऋण लेने का समय हो अथवा चालू रखने की अवधि में बनाये गये हों, ऋण दिया जावेगा। जब आवश्यकता हो समिति दूसरी प्रतिभूति, अन्य सम्पत्ति के रूप में या व्यक्तिगत प्रतिभूति के रूप में ले सकती है।

उपविधि क्रमांक 58 :–

नये भवन बनाने अथवा उसमें वृद्धि करने के लिए जो ऋण स्वीकृत किये जावेंगे ये किश्तों में स्वीकृत किए जावेंगे। जैसे–जैसे भवन बनाने का काम चलता जावेगा वे रिलीज किए जावेंगे। बाद में ऋण की किश्तें उसी समय दी जावेगी जब प्रबंध समिति इस बात को देख लेगी कि जो रकम पहले दी जा चुकी है उसका योग्य उपयोग किया गया है और जो निर्माण काम हुआ है वह भूमि का मूल्य मिलाकर उस रकम के बराबर है जो ऋण पेटे वह उस समय तक ले चुका है।

उपविधि क्रमांक 59 :–

यदि प्रबंध समिति को मालूम हो कि संस्था से लिये गये ऋण का उचित उपयोग नहीं गया है तो वह उस अवधि तक जिसके लिए ऋण दिया गया था प्रतिक्षा न करते हुए सम्पूर्ण ऋण ब्याज सहित वसूल करने का शीघ्र कार्यवाही करेगी।

उपविधि क्रमांक 60 :–

प्रत्येक सदस्य, जिसने संस्था से ऋण लिया हो, ऋण की रकम ब्याज सहित प्रति माह समान किश्तों में जमा करेगा। किश्त प्रत्येक महीने में 5 तारीख को अथवा इसके पहले दी जावेगी। किश्त जमा न होने की स्थिति में उस पर ऐसी दर पर वार्षिक ब्याज एवं दंड ब्याज जो प्रबंध समिति निर्धारित करें, लिया जावेगा। ऋण अदायगी हेतु 30 वर्ष से अधिक समय की किश्तें नहीं की जावेगी।

उपविधि क्रमांक 61 :–

ऋण लेने वाले सदस्य को अधिकार होगा कि किसी समय निश्चित की हुई किश्त की रकम से अधिक रकम दे सकता है अथवा सब ऋण एक ही समय में पूरा चुका दे। जो रकम

मासिक किश्त में अतिरिक्त वसूल होगी, उसका जमा खर्च मूल रकम को कम करने में किया जावेगा परन्तु आगामी मासिक किश्त आगे नहीं बढ़ाई जावेगी।

उपविधि क्रमांक 62 :–

सदस्यों से जो रकम प्राप्त होगी वह नीचे बताये अनुसार जमा की जावेगी तथा अन्य जो उससे लेना हो।

01. दंड ब्याज, डाक व्यय, रजिस्ट्री खर्च तथा अन्य जो उससे लेना हो।

02. ब्याज।

03. मूल।

ब्याज प्रतिवर्ष 31 मार्च को अन्य तिथि को जैसा प्रबंध समिति तय करें, देय होगा। ऋण की कटमिति विधि से कुल अवधि का ब्याज लगाकर वह रकम उतनी मासिक किश्तों में वसूल की जावेगी। जितनी किश्तों में वसूल की जावेगी। जितनी किश्त में ऋण की वसूल करना निश्चित हुआ हो। दंड ब्याज पहले देना होगा परन्तु ऋण देने वाली संस्था व उसके ऋण का ब्याज लेन संबंधी जो नियम बनाये गये हो, उनकी दृष्टि में रखकर सदस्यों है से ब्याज लेने को उपरोक्त रीति में परिवर्तन करने का प्रबंध समिति का अधिकार होगा।

उपविधि कमांक 63:–

नया भवन बनाने के लिये अथवा उसमे वृद्धि करने के दिए हुए ऋण की पहली किश्त उस तारीख से एक माह, जिस तारीख को वह भवन जिसके लिए ऋण दिया गया हो बनकर तैयार होगा हो अथवा ऋण की पहली किश्त की रकम के देने की तारीख से 12 मास के बाद इनमें जो पहले आवे, देय होगी। उस भवन, जिसके निर्माण हेतु ऋण लिया गया है। के पूर्णतः निर्मित पूर्ण होने तक ऋण पर एकत्रित होने वाले ब्याज भवन निर्माण पूर्ण होने पर या ऋण की प्रथम अंशिक देने के 12 माह बाद, जो भी पहले हो, एकमुश्त देय होगा।यदि ऐसा न हो सका तो दंड ब्याज कालातीत रकम पर वसूल किया जावेगा। यदि कोई सदस्य अग्रिम रूप से मासिक ब्याज की रकम कर्ज की प्रथम अंशिका प्राप्त होने के अगले माह से जमा करना शुरू करता है तो ऐसा करने में आक्षेप नहीं है।

उपविधि कमांक 64:–

यदि सदस्य किसी विशेष कारण से निश्चित किश्त किसी समय न दे सकें तो समाधान होने पर वर्ष में अधिक से अधिक दो बार शिथिलता बरती जाकर अवधि दी जा सकती है। परन्तु ब्याज की कुल देय रकम वर्ष समाप्त होने से पहले जमा करना आवश्यक होगा। यदि किसी ऋण पर ऐसी रकम बाकी रह जावे तो मुद्दत अथवा दो मासिक किश्तों के बराबर हो और प्रबंधक समिति अवधि देना उचित न समझे तो ऋण ब्याज सहित देय होगा।

उपविधि कमांक 65:–

संस्था को पूरा अधिकार होगा कि अंश की अमानत की अथवा अन्य रकम जो जमा हो वह सब अथवा उसका कुछ भाग अपने लेने पेटें जमा कर लें।

उपविधि कमांक 66:–

उपविधि कमांक 65 के अनुसार सदस्य अथवा पिछले सदस्य से अंश आदि की रकमें ऋण में से वसूल हुई रकम तथा लाभांश की रकम, सब मिलाकर जमा होने के बाद भी यदि संस्था का उस सदस्य से अथवा पिछले सदस्य से कुछ लेना बाकी रहे तो वह सदस्य बाकी ऋण का देनदार होगा और संस्था को अधिकार होगा कि उसको वसूली के लिये ऐसी कार्यवाही करें, जो वह उचित समझे।

उपविधि कमांक 67:–

उपविधि कमांक 66 के अनुसार संस्था अपने अधिकार का उपयोग करते हुए व्यक्तिकमी सदस्यों के हितों को हितों को जो संस्था की सम्पत्ति में हों उस प्रकार जैसा वह उचित समझें, नीलामी कर

सकती हैं, परन्तु ऐसा नीलामी उस समय तक नहीं किया जायेगा जब तक कि सदस्या को उनके द्वारा देय रकम उसे जमा करने का तकाजा और रकम न चुकाने की स्थिति में नीलाम करा देने संबंधी सूचना पत्र न दे दिया जाये। ऐसा नोटिस डाक घर से रजिस्ट्री द्वारा उस समय अथवा पूर्व सदस्य को अथवा ऐसे व्यक्ति को यदि कोई हो तो इन हितों का अधिकारी हो पंजीकृत पते पर भेज दिया जायेगा, और सूचना पत्र मिलने के 7 दिन के भीतर रकम जमा न हुई तो नीलाम किया जायेगा।

उपविधि कमांक 68:—

ऊपर बताये गये अधिकार के अनुसार नीलाम हो जाने पर संस्था कय करने वाले व्यक्ति का नाम उन हितों के संबंध में जो बेचे गये हो रजिस्टर में लिखेंगी।

उपविधि कमांक 69:—

नीलाम की रकम संस्था के ऋण पेटे जमा की जावेगी। यदि कुछ रकम बाकी बचेगी तो वह सदस्य को अथवा पूर्व सदस्य को वापिस दें दी जावेगी।

उपविधि कमांक 70:—

जबकि कोई ऋण उपविधि कमांक 64 के अनुसार एक मुक्त वसूल करना निश्चित हो तो ऋण का खाता बंद करके मुद्दत बाकी रकम की तथा खाता बंद करने की तारीख तक उस पर जो ब्याज हो संस्था उसकी सूचना ऋणी सदस्य को देगी। इस रकम पर अथवा कुल रकम पर जो उस समय बाकी निकलती हो, प्रचलित ब्याज दर से खाता बंद करने की तारीख से वसूली तारीख तक ब्याज लिया जावेगा और वसूली के लिए वैधानिक कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

परन्तु खाता बंद करने के तीन माह के भीतर ऋणी की ओर से पूरी किश्त अथवा किश्तों की बाकी, ब्याज सहित जमा होने पर संस्था बाकी रकम ऐसी किश्तों से जो पहले हो गिरवी नामें में लिखी थी देने की अनुमति ऋण से गिरवीनामा लिखाने के बाद दे सकती है, परन्तु किश्तों को नई करने की अनुमति देने से पहले संस्था को ऋण देने वाली सहकारी बैंक या आवास संघ अथवा संस्था से स्वीकृति प्राप्त करनी होगीं।

उपविधि कमांक 71:—

यदि कोई सदस्य उपविधि कमांक 12 के अनुसार निकाल दिया गया हो तो सदस्य को ऋण का खाता यदि कोई हो उन प्रतिबंधो को विचार में न लेते हुए जिनके अनुसार ऋण दिया गया था, बंद कर दिया जावेगा और जो रकम ब्याज सहित उसकी ओर निकलती होगी, उसकी वसूल की कार्यवाही की जावेगी। खाता बंद करने की तारीख से वसूली तक ब्याज प्रचलित ब्याज दर से लिया जावेगा।

उपविधि कमांक 72:—

प्रत्येक ऋण लेने वाले सदस्य को अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में उसकी आयु के बीच की पालिसी को पूर्णतया अथवा अंश तथा संस्था के अधिकार में अधिकृत(अथराईज्ड) करने के लिये कहा जा सकता है। ऐसे बीमा की पालिसी पूरी आयु की होनी चाहिए अथवा उस अवधि से कम की नही होनी चाहिए जिसमें कि संस्था का ऋण चुकाया जाना हो।

ऐसे बीमें की पालिसी के प्रीमियम की रकम संस्था से दी जावेगी जो सदस्य के ऋण पेटे ली जानी ठहरी हो।

उपविधि कमांक 73: सदस्य पास बुकः–

प्रत्येक सदस्य के पास एक पास बुक होगा जिसमें प्रबंधक ऐसी सब रकम की प्रविष्टि करेगा जो उनको दी गई हो, अथवा उसकी ओर से जमा की गई हो।

उपविधि कमांक 74: अन्य पंजियां :–

(1) संस्था को – (1) सदस्य पंजी, (2) सदस्यता त्यागपत्र आवेदन पंजी, (3) केश बुक, (4) कार्यवाही पंजी, (5) ऋण खाता पंजी, (6) आवक पंजी, (7) जावक पंजी, (8) डाक टिकिट पंजी, (9) स्टेशनरी पंजी, (10) रसीद कट्टा मे पजिया रखना अनिवार्य होगा।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसी पंजिया जिन्हें संस्था संचारित करना आवश्यक समझ अथवा जो पंजिया आवास संघ अथवा जो पंजिया द्वारा निर्धारित की जावें या अधिनियम नियम, उपविधियो में प्रावधानित हो, का संघारण किया जाना अनिवार्य होगा।

उपविधि कमांक 75:संस्था की मुद्राः–

संस्था की एक संयुक्त मुद्रा होगी जो अध्यक्ष/प्रबंधक के पास होगी। या मुद्रा ऐसे लिखतमों पर ही लगाई पर ही लगाई जावेगी जिस पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अथवा प्रबंध समिति के ऐसे सदस्यों के हस्ताक्षर हो जिन्हें प्रबंध समिति ने इस संबंध में अधिकार दिया हो।

उपविधि कमांक 76:–

साधारण सभा की स्वीकृति से शुद्ध लाभ(नेट प्राफिट) का वितरण निम्नानुसार किया जावेगाः–

1 कम से कम 25 प्रतिशत धन रक्षित निधि में,

2 छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम/नियमों के अनुसार जिला सहकारी संघ को अंश दान।

3 शेष राशि में से सदस्यों को उनके हिस्सों की वसूल आई हुई धन राशि पर लाभाश के रूप में वितरण जो 10(दस) प्रतिशत वार्षिक से अधिक न होगा, परन्तु पंजीयक की पूर्वानुमति से लाभांश में 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकेगी।

4 शेष धन में संस्था के कर्मचारियों को बोनस एक्ट 1955 के प्रावधान अनुसार बोनस

5 अधिनियम की धारा 43 के अनुसार परोपकार संबंधी आशय के लिए अनुदान दिये जाने हेतु निधि का निर्माण किया जा सकेगा। चेरीटेबिल एव्डोपेंट एक्ट 1980 के प्रावधानुसार संचालित होगा।

6 बाकी रकम रक्षित निधि में अथवा संस्था के सदस्यों के हेतु सामाजिक मनोंरजन व शैक्षणिक कार्यो की स्थापना हेतु निर्मित होने वाले भवन निर्माण आदि अन्य निधि में जमा की जावेगी।

उपविधि कमांक 77:–

हस्तातरित किये हुए अंशो का लाभांश उन सदस्यों को दिया जावेगा जिनके नाम पिछले वर्ष के अतिम दिवस पर संस्था रजिस्टर में अंकित हो।

उपविधि कमांक 78:–

किसी ऐसे सदस्यो को लाभांश नही दिया जावेगा जिसने अंशों की मांग की रकम संस्था से लेखा सूचना पत्र मिलने पर एक माह के भीतर जमा न की हो। ऐसी लाभांश संस्था की सम्पत्ति होगी।

उपविधि कमांक 79:–

उपविधि कमांक 78 के अनुसार लाभ के मांग के अतिरिक्त जप्त अंशो की राशि तथा प्रवेश शुल्क अमानत में से कटी हुई राशि रक्षित निधि मे जमा होगी। रक्षित निधि की राशि सदस्यों में वितरित नही हो सकेगी और न ही कोई सदस्य उसमें कोई अंश पाने का अधिकारी होगा। इसका उपयोग साधारण सभा के ठहराव से और सहकारी संस्थाओं के पंजीयक की स्वीकृति उपरान्त संस्था को जो हानि हुई हो उसे दूर करने के कम में लिया जा सकता है।

रक्षित निधि का उपयोग अथवा नियोजन पंजीयक के समय–समय पर प्रसारित निर्देशो के अनुसार ही किया जा सकेगा। संस्था के समापन के बाद रक्षित निधि तथा अन्य निधियों को जो धन शेष रहेगा उसका विनियोग छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत नियमों किया जावेगा।

उपविधि कमांक 80:विवाद:–

संस्था के प्रबंध या कारोबार के संबंध में समस्त विवाद, जो छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत हो निर्णय के लिए पंजीयक को प्रस्तुत होगें जो उक्त विधान तथा उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार उसका निर्णय करेंगे।

उपविधि कमांक 81 संशोधन:–

1 सिवाय आमसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत के इन उपविधियों मे से किसी भी उपविधि का संशोधन नही हो सकेगा। सम्मेलन बुलाने की सूचना पत्र में प्रस्तावित संशोधन लिखा जावेगा और सूचना पत्र का कम से कम 14 दिन पहले दिया जावेगा। ऐसा संशोधन उस समय तक व्यवस्था में न आ सकेगा जब तक कि पंजीयक उसको स्वीकृति कर उसका पंजीयन न कर लें।

2 उपरोक्त (1) के तहत् प्राप्त संशोधन का पंजीयक सक्षम अधिकारी(उप/सहायक पंजीयक) द्वारा पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ के पूर्व लिखित अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा।

उपविधि कमांक 82: सूचना पत्र की तामिली:–

इन उपविधियों में जहां कही भी उल्लेख है कि किसी भी सदस्य को लिखित सूचना पत्र दिया जावेगा ऐसा सूचना पत्र ऐसे सदस्य को स्वयं दिया जावेगा अथवा पंजीकृत डाक से उसके पत्तें पर जो संस्था के रजिस्टर में नोट किया हुआ हो, दिया जावेगा।

उपविधि कमांक 83:–

1 अन्य बाते जिनका उल्लेख इन उपविधियों में न किया गया, छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार की जावेगी।

2 उपविधियों की व्याख्या का अधिकार पंजीयक को होगा। व्याख्या के संबंध में उत्पन्न विवादों पर पंजीयक की राय अंतिम होगी।

3 संस्था का चुनाव छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, उसके निर्मित नियम इन उपविधियों तथा पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, छत्तीसगढ द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशो के अनुसार कराये जावेंगे।

उपविधि कमांक 84:–

संस्था छत्तीसगढ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर की सदस्यता ग्रहण करेगी एवं जिला सहकारी संघ के अनिवार्य रूप से सदस्य होगी।

उपविधि कमांक 85:–

छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 22(1)के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर प्रबंध समिति संस्था का पता पंजीयक के प्रेषित करेगी। नियम 22(3)में वर्णित प्रावधान अनुरूप संस्था के पंजीकृत पते पर प्रत्येक परिवर्तन की सूचना प्रबंध समिति द्वारा पंजीयक को तत्काल दी जावेगी और पंजीकृत पते में प्रस्तावित परिवर्तन पंजीयक द्वारा पंजीयक करने के उपरान्त संशोधित मना जावेगा। पते मे परिवर्तन द्वारा पंजीकृत होने के सूचना की एक प्रति संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी।

उपविधि कमांक 86:–

संस्था राज्य शासन की आवास नीति के अनुसार कार्य करेगी। पंजीयक को यह अधिकार होगा कि वह सस्था को समय–समय पर संस्था या उसके सदस्यों के हित में अथवा राज्य शासन की आवास नीति का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दे सकें और ऐसे निर्देशो का पालन करना संस्था के लिए बंधनकारी होगा।

परिशिष्ट – "एक"

....संस्था की सदस्यता हेतु आवेदन

प्रति,

अध्यक्ष,

....

गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,

....

महोदय,

मैं...गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित.......................................

..का सदस्य बनना चाहता हूँ।

मुझसे संबंधित व्यक्तिगत विवरण निम्ननुसार हैं:–

6. पूरा नाम
7. पिता का नाम
8. आयु
9. स्थायी पता

गली नं. लेन ....

मोहल्ला/वार्ड ....

ग्राम/शहर ....

जिला ....

10. व्यवसाय

6. मैं स्वयं मेरी पत्नी, पति अथवा अवयस्क बच्चों में से कोई भी छत्तीसगढ में कार्यरत् किसी गृह निर्माण सहकारी संस्था का संदस्य नही है।
7. मेरे स्वयं के नाम पर मेरी पत्नी, पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम पर कही भी कोई आवासीय भू–खण्ड भवन नहीं है। मैने संस्था की उपविधिया देख ली है जो मुझे स्वीकार है। मै संस्था की सदस्यता ग्रहण करने हेतु सभी निर्धारित योग्यता रखता हूँ।
8. संस्था की सदस्यता हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क रूपये 100/– तथा अंश प्रदाय करने हेतु आवश्यक राशि रूपये.................................रूपये 5000/– अथवा 100/–जैसी भी स्थिति हो बैंक ड्राफट/पोस्टल आर्डर नं.............................आवेदन के साथ संलग्न है।
9. मेरे परिवार की कुल वार्षिक/आय रूपये...है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
10. आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न है। निवेदन है कि मुझे संस्था की सदस्यता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न :–1. ड्राफट/पोस्टल आर्डर नं.................................

2. शपथ पत्र

3. आय प्रमाण पत्र

(राज्य शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी का नाम)

भवदीय

हस्ताक्षर.......................

स्थान...........................

दिनॉक........................

संस्था की सदस्यता हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

नाम

पिता का नाम

आयु

पता(पूर्ण)

व्यवसाय

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि :–

19. मैनें..गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित..........................की सदस्यता हेतु जो आवेदन दिया है, उस आवेदन पत्र में उल्लेखित मुझसे संबंधित समस्त व्यक्तिगत जानकारी मैने पढ ली है, जो सही है।

20. यह कि मेरे, मेरी पत्नी पति अथवा अवयस्क बच्चों के नाम पर छत्तीसगढ में कही भी कोई भवन/भू खण्ड फलेट नही है।

21. यह कि मै स्वयं मेरी पत्नी पति अवयस्क बच्चे छत्तीसगढ में कार्यरत् किसी भी सहकारी गृह निर्माण संस्था के सदस्य नहीं है।

22. यह कि मुझ पर अश्रित वयस्क पुत्र/पुत्री के नाम पर छत्तीसगढ में कही कोई आवासीय भू–खण्ड/भवन/फलेट नही है।

23. यह कि मैनें मेरी पत्नी पति अथवा अवयस्क बच्चों में से किसी ने भी पिछलें दस वर्षों में किसी गृह निर्माण सहकारी संस्था से भू खण्ड से भू–खण्ड प्राप्त कर हस्तांतरित नही किया है।

24. वह कि संस्था से भू–खण्ड प्राप्त होने पर उस पर तीन वर्ष को अवधि में अथवा संस्था से लिखित अनुमति प्राप्त कर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि में उस पर आवासीय भवन का निर्माण कर लूंगा। यदि मैं ऐसा करने में असमर्थ रहा तो भू–खण्ड संस्था के पक्ष में समर्पित होना मान लिया जाये जिसमें मुझे कोई अपत्ति नही होगी।

25. यह कि संस्था से भू–खण्ड प्राप्त होने पर 10वर्ष की अवधि तक उसका हस्तातरण नही करूंगा। यदि मुझे भू–खण्ड की आवश्यकता नही रही तो उसे मैं संस्था के पक्ष में समर्पित कर दूंगा।

स्थान :–

दिनॉक :–

सत्यापन **शपथकर्ता**

मैं सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा कमांक 01 से 07 लगायत तक उल्लेखित विवरण मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार सही है, इसमें कोई गलत तथ्य नहीं है।

स्थान :–

दिनॉक :–

शपथकर्ता

परिशिष्ट ''दो''

संस्था की सदस्यता के त्याग पत्र का प्रारूप

प्रति,
अध्यक्ष,
....
गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित,
....

महोदय,

मैं.......................................गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित.............................का सदस्य हूँ। मेरा सदस्यता नं........................हैं। यह कि अब मैं अपनी संस्था से सदस्यता निम्नलिखित कारणों से वापस लेना चाहता हूँ।

2. निवेदन है कि संस्था की सदस्यता से मेरा त्याग पत्र स्वीकार किया जाकर मेरे अंश की राशि निम्नलिखित पते पर लौटाने का कष्ट किया जावें।

....

....

3. निर्धारित प्रारूप में शपथ संलग्न है।

संलग्न :– शपथ पत्र।

भवदीय

हस्ताक्षर....................
स्थान........................
दिनॉक.......................

सदस्यता से त्याग पत्र हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

पूरा नाम ....
पिता का नाम ....
आयु ....
स्थायी पता(पूर्ण)..
व्यवसाय ....

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि :–

1. मैं.......................................गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित...............................का सदस्य हूँ। मेरा सदस्यता नं..........................हैं।
2. यह कि मैं संस्था की सदस्यता से त्याग पत्र हेतु आवेदन दे रहा हैं।सदस्यता समाप्ति के आवेदन में उल्लेखित सभी बातें सही है।मैं यह त्याग पत्र स्वेच्छा से निम्नलिखित कारण से दे रहा हूँ।
   कारण..

स्थान :–
दिनॉक :–

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक कथन सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त 1 व 2 में उल्लेखित विवरण मेरी सर्वो जानकारी के आधार पर सही है। इसमें कोई बात न तो गलत हैं और न ही छिपाई गई है।

स्थान :–
दिनॉक :–

शपथकर्ता

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

नवा रायपुर, अटल नगर, निगम, दिनॉक : 07.12.2019

क्रमांक/पंजीयन/2–38/2019/6823

प्रति,

1. **संयुक्त पंजीयक,**
   सहकारी संस्थाएं,
   ....संभाग.................(छ.ग.)
2. **उप/सहायक पंजीयक,**
   सहकारी संस्थाएं,
   ...(छ.ग.)

विषय :– ग्रामीण क्षेत्रो में आवास उपलब्ध कराने हेतु गृह निर्माण सहकारी समितियों के गठन बाबत्।

संदर्भ :– छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर का पत्र क्रमांक 15–40/15–2/2019/3336, दिनॉक 28.11.2019.

विषयांतर्गत लेख है कि कार्यालयीन प्रस्ताव क्रमांक 4054, दिनॉक 19.08.2019 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने हेतु गृह निर्माण सहकारी समितियों के गठन बाबत् आदर्श उपविधि शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था जिसके तारतम्य के संदर्भित पत्र द्वारा शासन का अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

अतः छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के प्रावधानों के तहत ग्रामीण गृह निर्माण सहकारी समिति का गठन संलग्न आदर्श उपविधि के अनुरूप किया जावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

सही
(धनंजय देवॉगन)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

छत्तीसगढ शासन
सहकारिता विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 15–40/15–2/2019/3500 अटल नगर, दिनॉक 10/12/2019

प्रति,

1. **समस्त संभागायुक्त,**
   संभाग..(छ.ग.)

2. **समस्त कलेक्टर,**
   जिला..(छ.ग.)

3. **समस्त संयुक्त पंजीयक,**
   सहकारी संस्थाएं, संभाग.................................(छ.ग.)

4. **समस्त उप/सहायक पंजीयक,**
   सहकारी संस्थाएं, जिला.................................(छ.ग.)

विषय :– **ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण सहकारी समिति का गठन एवं पंजीयन करते हुए नियमानुसार भूमि आबंटन करने एवं ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्थित गृह निर्माण करने विषयक।**

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं गरीब वर्ग के लोगो को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन के कार्यक्रम है। व्यवस्थित एवं अधिकाधिक गृह निर्माण हेतु गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन करने आदर्श उप–विधि निर्धारित की गई हैं, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्ननुसार हैः–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास का निर्माण एवं व्यवस्थित विन्यास के साथ मूलभूत सुविधाओं से युक्त कालोनी के विकास को प्रोत्साहित करना।
2. ग्रामीण अंचल में गृह निर्माण सहकारी समितियों का गठन एवं पंजीयन कर ग्राम में स्थित शासकीय भूमि नियमानुसार विधिवत् आबंटित कर स्वयं के संसाधनों से अथवा संस्थागत वित्तीय ऋण प्राप्त कर ग्रामीणों के लिए पक्के मकान निर्माण करना। अवासहीन अथवा जीर्णशीर्ण मकानधारक के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानानुसार रियायती दर पर भूखण्ड प्राप्त करना एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित विन्यास के आधार पर समुच्चय में गृह निर्माण करना।
3. आदर्श उप विधि अनुसार समिति के सदस्यों के लिए प्रति सदस्य रूपये 5000 अंशपूजी नियत की गई हैं।
4. आदर्श उप–विधि अनुसार प्रस्तावित गृह निर्माण समिति में न्यूनतम 21 सदस्यों में से 5 तकनीकी ज्ञान(सिविल इंजीनियर, आई.टी.आई)के व्यक्ति को सदस्य बनाना आवश्यक होगा।

2// जिले के उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत की गई गृह निर्माण सहकारी समितियों में निर्धारित की गई आदर्श उप–विधियां अंगीकरण करते हुए लागू होगी। पंजीकृत सहकारी समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का आबंटन छत्तीसगढ भू–राजस्व सहिता, 1959 एवं आर.बी.सी के अंतर्गत विहित प्रावधान एवं रीति अनुसार सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर/शासन(राजस्व विभाग) द्वारा ही आवेदनानुसार किया जाएगा। इस निमित्त गठित सहकारी समिति प्रयोजन हेतु निजी भू–धारकों से भूमि कय कर सकेगी किन्तु भू–राजस्व संहिता 1959 एवं नगर एवं ग्राम निवेश के उपबंध यथावत् लागू होंगे।

3// ग्राम पंचायत का आबादी भूमि बंटन का अधिकार यथावत रहेगा। समिति द्वारा छत्तीसगढ पंचायती राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। ग्राम पंचायत के अनुमोदन से ग्राम पंचायत का लाभान्विती समिति का सदस्य होने पर समिति सदस्य का गृह निर्माण करवा सकेगी।

आदर्श उप–विधि एवं ग्रामीण क्षेत्र में गृह निर्माण सहकारी समिति के उद्देश्य एवं प्रकिया के लिए समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

सही
(रीता शांडिल्य)
सचिव
छत्तीसगढ शासन
सहकारिता विभाग

पृ. कमांक/एफ 15–40/15–2/2019/3501 अटल नगर, दिनॉक 10/12/2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की ओर सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता, विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. स्टॉफ ऑफिसर, छत्तीसगढ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
5. सचिव, छत्तीसगढ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
6. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही

सचिव
छत्तीसगढ शासन
सहकारिता विभाग

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

क्रमांक/पंजीयन/ /2020/4460 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 21.12.2020

प्रति,

1. **संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक,**
   सहकारी संस्थाएं,(समस्त)
   संभाग..(छ.ग.)
2. **उप/सहायक पंजीयक**
   सहकारी संस्थाएं (समस्त)
   जिला..(छ.ग.)

विषयः– सहकारी सोसाइटी का ऑनलाइन पंजीयन।

संन्दर्भः–1. कार्यालयीन पत्र कमांक/सू.प्रौ./6/2015/3061 दिनॉक 18.06.2015.
2 छ.ग. शासन, सहकारिता विभाग का पत्र कमांक/3471/1214/2020/11/6 दिनांक 27/10./2022
3 कार्यालयीन पत्र कमांक/सू.प्रौ/2020/3998 दिनॉक 24.11.2020.

विषयांतर्गत संदर्भ कमांक 01 में अंकित पत्र के माध्यम से लेख किया गया था कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सहकारिता विभाग की विहित सेवा "सहकारी सोसाइटियों का पंजीयन" हेतु एन,आई,सी के माध्यम से विभागीय वेबसाईट में ऑनलाईन मॉड्यूल के माध्यम से ही करने के निर्देश दिये गये थें।

संदर्भ कमांक 02 में अंकित पत्र "additional borrowing of 2% of GSDP to the states in 2020-21 subject to implementation of specific state level reforms."से संबंधित है जिसके अनुसार भारत सरकार से उक्त सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु सहकारिता विभाग से संबंधित सुधार(Reform)का बिन्दु "सहकारी सोसाइटियों का पंजीयन" रखा गया है जिसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटियों के पंजीयन को लाभार्थी के लिए कॉन्टैक्ट–लेस (No Physical Touch Point Between Applicant & Department) बनाये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के पालन में सहकारी सोसाइटियों के पंजीयन को लाभार्थी के लिए कॉन्टैक्ट–लेस बनाये जाने हेतु विभाग के पूर्व से उपलब्ध ऑनलाइन पंजीयन मॉड्यूल में आवश्यक उपान्तरण (Modification) किये जाकर सहकारी समितियों के पंजीयन कार्य/प्रकिया को ऑनलाईन पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस कार्य हेतु पंजीयन प्रधिकारी के "डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट" भी अनिवार्य हैं, जिसे तैयार कराने के निर्देश संदर्भ कमांक 03 में अंकित पत्र द्वारा दिये जा चुके है।

छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 9 की उपधारा (3)में किया गया संशोधन दिनॉक 14.10.2020 से लागू हो चूका है, जिसके अनुसार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चय किये जाने की अवधि ''नब्बे दिन'' के स्थान पर ''पैतालीस दिन'' प्रावधानित की गई है। अतः सहकारी सोसाइटियों के ऑनलाइन पंजीयन की प्रकिया 45 दिन की समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित किये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा पंजीयन की कार्यवाही के प्रत्येक चरण की एक चरणबद्ध समय–सीमा निर्धारित की गई है (प्रति संलग्न) जिसका पालन सुनिश्चित किया जावें। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि आपके कार्यालय के पंजीयन कक्ष एवं आपके द्वारा प्रत्येक दिवस को ऑनलाईन पंजीयन मॉड्यूल अनिवार्य रूप से खोला जाकर प्राप्त/लंबित आवेदन पत्रों की मॉनिटरिंग की जावें।

अतः सहकारी सोसाइटी के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में निराकरण ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से सुनिश्चित किया जायें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

पृ. कमांक/पंजीयन/ /2020/4461 नवा रायपुर,अटल नगर, दिनॉक 21/12/2020

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मुख्यालय श्री........................ ....की ओर सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य सहकारी संघ/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी संघ(समस्त)..की ओर प्रकाशनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ
विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

क्रमांक/पंजीयन/02–36/2021/1939 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 29.05.2021

–:: आदेश ::–

लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पंजीयन कमांक 94/11, दिनॉक 04.04.1994 द्वारा साधारण सभा दिनॉक 27.12.2020 में प्रस्ताव पारित कर उपविधि कमांक 28 में पैरा कमांक 4 जोडने बाबत् एवं उपविधि क्रमांक 30 में संशोंधन प्रस्ताव छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) सहपठित नियम 7 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित संशोधन उल्लेलिख उपविधि कमांक 28(4) एवं 30 छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के किन्हीं उपबंधो के प्रतिकूल नहीं है।

अतः मै हिम शिखर गुप्ता, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ, छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(2)तथा नियम 7 मैं मुझे प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियॉ का प्रयोग करते हुए, आवेदन में उल्लेखित लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर की उपविधि कमांक 28(4) एवं 30 छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 11(2) तथा नियम 7 के अंतर्गत स्वीकृत एवं पंजीकृत करता हूँ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

क्रमांक/पंजीयन/02–36/2021/1939 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 29.05.2021

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रिय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, महादेव घाट रोड, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अध्यक्ष, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, मिलेनियम प्लाजा कॉम्पलेक्य, जी.ई.रोड, जिला–रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. साख/अंकेक्षण कक्ष, मुख्यालय की ओर एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

स्ही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

प्रारूप डी/घ

लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्या. रायपुर

मिलेनियम प्लाजा, काम्पलेक्स प्रथम तल जी.ई.रोड रायपुर छ.ग.

Reg. No सं.प.रा. पंजीयन 94/11

<table>
<tr><th>उपविधि</th><th>वर्तमान उपविधि की शब्दावली</th><th>संशोधित उपविधि की शब्दावली</th><th>संशोधन का कारण</th></tr>
<tr><td>28 में पैरा क्र. 4 जोडने बाबत्</td><td></td><td>

(1) बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन :– भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार बैंक की कुल अमानत/निक्षेप शेष 100 करोड रू. या उससे अधिक होने पर बैंक के संचालक मंडल द्वारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेट का गठन किया जायेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में कम से कम 05 एवं अधिकतम 12 सदस्य होगे जो निम्नानुसार होगें:–

1. बैंक के संचालक मंडल द्वारा नामित, पात्रता मानदंड धारित करने वाले सदस्य।
2. सनदी लेखाकार।
3. किसी राष्ट्रीयकृत/निजी/सहकारी बैक का सेवानिवृत्त अधिकारी जो शाखा प्रबंधन या उससे उच्च पद से सेवानिवृत्त हुआ हो।
4. सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विशेषज्ञ/अर्थशास्त्री/विधि विशेषज्ञ/कृषि और ग्रामीण अर्थव्यस्था विशेषज्ञ/लघु उद्योग विशेषज्ञ/वित्त विशेषज्ञ/सहकारिता का जानकार जो इस विषय का व्यवहारिक ज्ञान/अनुभव रखता हो।

बोर्ड ऑफ मैनेजमेट के सदस्यों की उक्त संख्या आवश्यकतानुसार 5 से अधिक भी की जा सकेगी परन्तु किसी भी दशा में सदस्यों की कुल संख्या 12 से अधिक नहीं होगी परन्तु यह और भी कि किसी भी दशा में बोर्ड ऑफ मैनेजमेट के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्य बैंक के संचालक मंडल से नही लिये जा सकेगें। बोर्ड ऑल मैनेजमेट के सभी सदस्यों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित योग्यता मानदण्ड धारित करना आवश्यक होगा।

(2) बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्य:– बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट नीतियों को बनाने, लागू करने व इस पर निगरानी रखने और किसी अन्य संबंधित मामलों को विशेष रूप से संपादित करने जो उसे सौंपें गये हो, का कार्य करेगी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेट प्रमुख रूप से बैंक के संलाचक मंडल के लिये परामर्शदाता का कार्य करेगी। बैंक के संचालक मंडल द्वारा बैंक के कियाकलापों को सुचारू रूप से संचालन के लिये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को कतिपथ अधिकार प्रदान किये जा सकेगें। बोर्ड ऑफ मैनेजमेट के कार्य मुख्य रूप से निम्नानुसार होगे:–

1. किसी भी प्रकार के ऋण प्रस्तावों पर संचालक द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर विशेषज्ञ की सलाह देना।
2. गैर निष्पादित आस्तियों अंतर्गत ऋण एवं अग्रिम की वसूली एकमुश्त समझौता द्वारा निपटारा के लिए बैंक के संचालक मण्डल को आवश्यक सलाह देना।
3. बैंक के निधि प्रबंधन और उधारग्रहिता प्रबंधन का देख–रेख करना।
4. बैक की विनियोजन नीति के अनुसार निधियों के निवेश के लिए सिफारिश करना।
5. जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण पर निगरानी करना।
6. कम्प्यूटरीकरण, प्रौद्योगिकी अपनाना तथा आनुंषांगित मामलों के कियान्वयन पर निगरानी रखना।
7. आंतरिक निरीक्षण तथा आंतरिक संपरीक्षा से सम्बधित कार्य्र जिसमें अनुपालन भी शामिल है की निगरानी करना।
8. शिकायत निवारण प्रणाली पर निगरानी।
9. बैंक के कारोबार के संबंध में विभिन्न मामलें तथा ऋण नीति, विनियोजन नीति, वसूली नीति, आस्तियों एवं देयताओं का प्रबंधन तथा जोखिम प्रबंधन इत्यादि मामलों में नीतियों बनाने में बैंक के संचालक मंडल की सहायता करना ताकि उक्त नीतियों इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।
10. संचालक मंडल द्वारा दी गयी जिम्मेदारियॉ का निर्वहन करना।

</td><td>भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीओआर (पीसीबी) बीपीडी.सर.नं. 8/12.05. 002/2019–20 दिनॉक 31 दिसंबर 2019 के निर्देशानुसार</td></tr>
</table>

नोटः– यदि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा की गई अनुशसाओं से बैंक का संचालक मे मडल असहमत होता है तो असहमति के कारणों को लिखित में दर्ज किया जावेगा।

(3) बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों की संख्या:– बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों की कुल संख्या न्यूनतम 05 व अधिकतम 12 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप की सकेगी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों की संख्या का निर्धारण बैंक के संचालक मंडल द्वारा किया जाएगा तथा यह निर्धारण उस संचालक मंडल के कार्यकाल में परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सभी सदस्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिकथित पात्रता मानदण्ड को पूरा कराना आवश्यक होगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के किसी भी सदस्य को उसके द्वारा धारित पद से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के कुल सदस्यों के अतिरिक्त बैंक का मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी सदस्य होगा किन्तु मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बोर्ड मैनेजमेंट की बैठक में मतदान करने का अधिकार नही होगा।

(4) बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठकें:– बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठकों का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जायेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष का चयन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों द्वारा किया जायेगा, किन्तु संचालक मंडल के अध्यक्ष को किसी भी दशा में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाएगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के बैठकों के आयोजन के लिए गणपूर्ति 2/3 सदस्यों से होगी। सदस्यों के लिए बैठक भत्तें का निर्धारण तथा समय–समय पर बैठक भत्तें का पुनरीक्षण बैंक के संचालक मंडल द्वारा किया जा सकेगा।

(5) बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्यकाल:– बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्यकाल बैंक के संचालक मंडल के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेंगा।

(6) कतिपय मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकार:– यदि भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कोई सदस्य अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड धारित नहीं करता हो अथवा उनका कृत्य बैक या उसके अमानतधारियों अथवा दोनों के हितों के प्रति अपायकर(नुकसानदायक)हो, तो ऐसी दशा में भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के ऐसे सदस्य या मुख्य कार्यपालन अधिकारी की उसके द्वारा धारित पद से हटा सकेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की दश में भारतीय रिजर्व बैक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को अधिकमित/अतिष्ठित कर सकेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर अथवा उसके हटाये जाने पर बैक का संचालक मण्डल भारतीय रिजर्व बैक से सहमति प्राप्त कर आवश्यक कार्य्रवाही करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को हटाये जाने या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को अधिकमित किये जाने के पश्चात् बैक का संचालक मंडल मुख्य कार्यपालन अधिकारी या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के नये सदस्य की नियुक्ति अथवा नये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन जैसी भी स्थिति हो, तीन माह के भीतर करेगा। बैक का संचालक मंडल अंतरिम व्यवस्था के रूप में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के दायित्वों का निर्वाहन कर सकता है।

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ
विभागाध्यक्ष कार्यालय इंन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 29.05.2021

क्रमांक / पंजीयन / 02–25 / 2021 / 1940

–:: आदेश ::–

व्यवसायिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पंजीजन क्रमांक 196, दिनॉक 08.07.1987 द्वारा साधारण सभा दिनॉक 20.12.2020 में प्रस्ताव पारित कर उपविधि क्रमांक 28 में पैरा क्रमांक 9 जोडने बाबत् संशोधन प्रस्ताव छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) सहपठित नियम 7 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित संशोधन उल्लेखित उपविधि क्रमांक 28(9) छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 के किन्हीं उपबंधो के प्रतिकूल नहीं है।

अतः मैं हिम शिखर गुप्ता, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ, छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(2)तथा नियम 7 मैं मुझे प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियॉ का प्रयोग करते हुए, आवेदन में उल्लेखित व्यवसायिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर की उपविधि क्रमांक 28(9) को छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 11(2) तथा नियम 7 के अंतर्गत स्वीकृत एवं पंजीकृत करता हूँ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

सही
हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

क्रमांक / पंजीयन / 02–25 / 2021 / 1940 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 29.05.2021

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रिय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, महादेव घाट रोड, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अध्यक्ष, व्यवसायिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, 115, महालक्ष्मी कपडा मार्केट पंडरी, जिला–रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. साख / अंकेक्षण कक्ष, मुख्यालय की ओर एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रारूप अ / घ

उपविधि कं	वर्तमान शब्दावली	संशोधित शब्दावली	संशोधन का कारण
28 में पैरा क्र. 9 जोडने बाबत्		**(1) बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन :–** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार बैंक की कुल अमानत/निक्षेप शेष 100 करोड रू. या उससे अधिक होने पर बैंक के संचालक मंडल द्वारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेट का गठन किया जायेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में कम से कम 05 एवं अधिकतम 12 सदस्य होगे जो निम्नानुसार होगें:– 5. बैंक के संचालक मंडल द्वारा नामित, पात्रता मानदंड धारित करने वाले सदस्य। 6. सनदी लेखाकार। 7. किसी राष्ट्रीयकृत/निजी/सहकारी बैंक का सेवानिवृत्त अधिकारी जो शाखा प्रबंधन या उससे उच्च पद से सेवानिवृत्त हुआ हो। 8. सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विशेषज्ञ/अर्थशास्त्री/विधि विशेषज्ञ/कृषि और ग्रामीण अर्थव्यस्था विशेषज्ञ/लघु उद्योग विशेषज्ञ/वित्त विशेषज्ञ/सहकारिता का जानकार जो इस विषय का व्यवहारिक ज्ञान/अनुभव रखता हो। बोर्ड ऑफ मैनेजमेट के सदस्यों की उक्त संख्या आवश्यकतानुसार 5 से अधिक भी की जा सकेगी परन्तु किसी भी दशा में सदस्यों की कुल संख्या 12 से अधिक नहीं होगी परन्तु यह और भी कि किसी भी दशा में बोर्ड ऑफ मैनेजमेट के सदस्यों की कुल संख्या के आधें से अधिक सदस्य बैंक के संचालक मंडल से नही लिये जा सकेगें। बोर्ड ऑफ मैनेजमेट के सभी सदस्यों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित योग्यता मानदण्ड धारित करना आवश्यक होगा। **(2) बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्य:–** बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट नीतियों को बनाने, लागू करने व इस पर निगरानी रखने और किसी अन्य संबंधित मामलों को विशेष रूप से संपादित करने जो उसे सौपें गये हो, का कार्य करेगी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेट प्रमुख रूप से बैक के संलाचक मंडल के लिये परामर्शदाता का कार्य करेगी। बैक के संचालक मंडल द्वारा बैंक के क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संचालन के लिये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को कतिपथ अधिकार प्रदान किये जा सकेगें। बोर्ड ऑफ मैनेजमेट के कार्य मुख्य रूप से निम्नानुसार होगें:– 11. किसी भी प्रकार के ऋण प्रस्तावों पर संचालक द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर विशेषज्ञ की सलाह देना।	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीओआर (पीसीबी) बीपीडी.सर.नं. 8/12.05. 002/2019–20 दिनॉक 31 दिसंबर 2019 के निर्देशानुसार

12. गैर निष्पादित आस्तियों अंतर्गत ऋण एवं अग्रिम की वसूली एकमुश्त समझौता योजना अथवा आपसी समझौता द्वारा निपटारा के लिए बैंक के संचालक मण्डल को आवश्यक सलाह देना।

13. बैंक के निधि प्रबंधन और उधारग्रहिता प्रबंधन का देख–रेख करना।
14. बैंक की विनियोजन नीति के अनुसार निधियों के निवेश के लिए सिफारिश करना।
15. जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण पर निगरानी करना।
16. कम्प्यूटरीकरण, प्रौद्योगिकी अपनाना तथा आनुंषांगित मामलों के कियान्वयन पर निगरानी रखना।
17. आंतरिक निरीक्षण तथा आंतरिक संपरीक्षा से सम्बधित कार्य जिसमें अनुपालन भी शामिल है की निगरानी करना।
18. शिकायत निवारण प्रणाली पर निगरानी।
19. बैंक के कारोबार के संबंध में विभिन्न मामलें तथा ऋण नीति, विनियोजन नीति, वसूली नीति, आस्तियों एवं देयताओं का प्रबंधन तथा जोखिम प्रबंधन इत्यादि मामलों में नीतियों बनाने में बैंक के संचालक मंडल की सहायता करना ताकि उक्त नीतियों इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।
20. संचालक मंडल द्वारा दी गयी जिम्मेदारियॅा का निर्वहन करना।

नोटः– यदि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा की गई अनुशसाओं से बैंक का संचालक मे मडल असहमत होता है तो असहमति के कारणों को लिखित में दर्ज किया जावेगा।

(3) बोर्ड ऑफ मैनेजमेट के सदस्यों की संख्याः– बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों की कुल संख्या न्यूनतम 05 व अधिकतम 12 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप की सकेगी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों की संख्या का निर्धारण बैंक के संचालक मंडल द्वारा किया जाएगा तथा यह निर्धारण उस संचालक मंडल के कार्यकाल में परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सभी सदस्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिकथित पात्रता मानदण्ड को पूरा कराना आवश्यक होगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के किसी भी सदस्य को उसके द्वारा धारित पद से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के कुल सदस्यों के अतिरिक्त बैंक का मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी सदस्य होगा किन्तु मुख्य कार्यपालन

अधिकारी को बोर्ड मैनेजमेंट की बैठक में मतदान करने का अधिकार नही होगा।

(4) बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठकें:– बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठकों का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जायेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष का चयन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों द्वारा किया जायेगा, किन्तु संचालक मंडल के अध्यक्ष को किसी भी दशा में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाएगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के बैठकों के आयोजन के लिए गणपूर्ति 2/3 सदस्यों से होगी। सदस्यों के लिए बैठक भत्तें का निर्धारण तथा समय–समय पर बैठक भत्तें का पुनरीक्षण बैंक के संचालक मंडल द्वारा किया जा सकेगा।

(5) बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्यकाल:– बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्यकाल बैंक के संचालक मंडल के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेंगा।

(6) कतिपय मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकार:– यदि भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कोई सदस्य अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी भारतीय रिजर्व बैक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड धारित नहीं करता हो अथवा उनका कृत्य बैक या उसके अमानतधारियों अथवा दोनों के हितों के प्रति अपायकर(नुकसानदायक)हो, तो ऐसी दशा में भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के ऐसे सदस्य या मुख्य कार्यपालन अधिकारी की उसके द्वारा धारित पद से हटा सकेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की दश में भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को अधिकमित/अतिष्ठित कर सकेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर अथवा उसके हटाये जाने पर बैक का संचालक मण्डल भारतीय रिजर्व बैक से सहमति प्राप्त कर आवश्यक कार्य्रवाही करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को हटाये जाने या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को अधिकमित किये जाने के पश्चात् बैक का संचालक मंडल मुख्य कार्यपालन अधिकारी या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के नये सदस्य की नियुक्ति अथवा नये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन जैसी भी स्थिति हो, तीन माह के भीतर करेगा। बैंक का संचालक मंडल अंतरिम व्यवस्था के रूप में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के दायित्वों का निर्वाहन कर सकता है।

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ
विभागाध्यक्ष कार्यालय इंन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 29.05.2021

कमांक / पंजीयन / 02–19 / 2021 / 1941

–:: आदेश ::–

नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पंजीजन कमांक 143, दिनॉक 08.12.1974 द्वारा साधारण सभा दिनॉक 20.12.2020 में प्रस्ताव पारित कर उपविधि कमांक 28 में पैरा कमांक 9 जोडने बाबत् संशोधन प्रस्ताव छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) सहपठित नियम 7 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावित संशोधन उल्लेखित उपविधि कमांक 28(9) छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 के किन्हीं उपबंधो के प्रतिकूल नहीं है।

अतः मैं हिम शिखर गुप्ता, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ, छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 11(2)तथा नियम 7 मैं मुझे प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियॉ का प्रयोग करते हुए, आवेदन में उल्लेखित नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर की उपविधि कमांक 28(9) को छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 11(2) तथा नियम 7 के अंतर्गत स्वीकृत एवं पंजीकृत करता हूँ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कमांक / पंजीयन / 02–19 / 2021 / 1941 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 29.05.2021

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रिय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, महादेव घाट रोड, रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अध्यक्ष, व्यवसायिक सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, जी.ई. रोड–शारदा चौक, जिला–रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. साख / अंकेक्षण कक्ष, मुख्यालय की ओर एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

प्रारूप डी/घ

नियम 7 उपनियम(3)

संस्था का नामः– नागरिक सहकारी बैंक लि. , रायपुर छ.ग.

पंजीयन कमांकः– 143

क्रमांक	वर्तमान उपविधि की शब्दावली	संशोधित उपविधि की शब्दावली	संशोधन का कारणे
28(9)		**(1) बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन :–** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार बैंक की कुल अमानत/निक्षेप शेष 100 करोड रू. या उससे अधिक होने पर बैंक के संचालक मंडल द्वारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेट का गठन किया जायेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में कम से कम 05 एवं अधिकतम 12 सदस्य होगे जो निम्नानुसार होगें:– 9. बैंक के संचालक मंडल द्वारा नामित, पात्रता मानदंड धारित करने वाले सदस्य। 10. सनदी लेखाकार। 11. किसी राष्ट्रीयकृत/निजी/सहकारी बैंक का सेवानिवृत्त अधिकारी जो शाखा प्रबंधन या उससे उच्च पद से सेवानिवृत्त हुआ हो। 12. सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विशेषज्ञ/अर्थशास्त्री/विधि विशेषज्ञ/कृषि और ग्रामीण अर्थव्यस्था विशेषज्ञ/लघु उद्योग विशेषज्ञ/वित्त विशेषज्ञ/सहकारिता का जानकार जो इस विषय का व्यवहारिक ज्ञान/अनुभव रखता हो। बोर्ड ऑफ मैनेजमेट के सदस्यों की उक्त संख्या आवश्यकतानुसार 5 से अधिक भी की जा सकेगी परन्तु किसी भी दशा में सदस्यों की कुल संख्या 12 से अधिक नहीं होगी परन्तु यह और भी कि किसी भी दशा में बोर्ड ऑफ मैनेजमेट के सदस्यों की कुल संख्या के आधें से अधिक सदस्य बैंक के संचालक मंडल से नही लिये जा सकेगें। बोर्ड ऑल मैनेजमेट के सभी सदस्यों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित योग्यता मानदण्ड धारित करना आवश्यक होगा। **(2) बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्य:–** बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट नीतियों को बनाने, लागू करने व इस पर निगरानी रखने और किसी अन्य संबंधित मामलों को विशेष रूप से संपादित करने जो उसे सौपें गये हो, का कार्य करेगी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेट प्रमुख रूप से बैक के संलाचक मंडल के लिये परामर्शदाता का कार्य करेगी। बैक के संचालक मंडल द्वारा बैक के कियाकलापों को सुचारू रूप से संचालन के लिये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को कतिपथ अधिकार प्रदान किये जा सकेगें। बोर्ड ऑफ मैनेजमेट के कार्य मुख्य रूप से निम्नानुसार होगे:– 21. किसी भी प्रकार के ऋण प्रस्तावों पर संचालक द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर विशेषज्ञ की सलाह देना।	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीओआर (पीसीबी) बीपीडी. सर.नं. 8/12.05.002/2019–20 दिनॉक 31 दिसंबर 2019 के निर्देशानुसार

22. गैर निष्पादित आस्तियों अंतर्गत ऋण एवं अग्रिम की वसूली एकमुश्त समझौता द्वारा निपटारा के लिए बैंक के संचालक मण्डल को आवश्यक सलाह देना।
23. बैंक के निधि प्रबंधन और उधारग्रहिता प्रबंधन का देख–रेख करना।
24. बैंक की विनियोजन नीति के अनुसार निधियों के निवेश के लिए सिफारिश करना।
25. जोखिम प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण पर निगरानी करना।
26. कम्प्यूटरीकरण, प्रौद्योगिकी अपनाना तथा आनुंषांगित मामलों के कियान्वयन पर निगरानी रखना।
27. आंतरिक निरीक्षण तथा आंतरिक संपरीक्षा से सम्बधित कार्य्र जिसमें अनुपालन भी शामिल है की निगरानी करना।
28. शिकायत निवारण प्रणाली पर निगरानी।
29. बैंक के कारोबार के संबंध में विभिन्न मामलें तथा ऋण नीति, विनियोजन नीति, वसूली नीति, आस्तियों एवं देयताओं का प्रबंधन तथा जोखिम प्रबंधन इत्यादि मामलों में नीतियों बनाने में बैंक के संचालक मंडल की सहायता करना ताकि उक्त नीतियों इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।
30. संचालक मंडल द्वारा दी गयी जिम्मेदारियॉ का निर्वहन करना।

नोटः– यदि बोर्ड ऑफ मैनेजमेट के द्वारा की गई अनुशंसाओं से बैंक का संचालक मे मडल असहमत होता है तो असहमति के कारणों को लिखित में दर्ज किया जावेगा।

(3) बोर्ड ऑफ मैनेजमेट के सदस्यों की संख्याः– बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों की कुल संख्या न्यूनतम 05 व अधिकतम 12 भारतीय रिजर्व बैक के दिशानिर्देशों के अनुरूप की सकेगी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों की संख्या का निर्धारण बैंक के संचालक मंडल द्वारा किया जाएगा तथा यह निर्धारण उस संचालक मंडल के कार्यकाल में परिवर्तित नहीं की जा सकेगी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सभी सदस्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिकथित पात्रता मानदण्ड को पूरा कराना आवश्यक होगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के किसी भी सदस्य को उसके द्वारा धारित पद से भारतीय रिजर्व बैक द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के कुल सदस्यों के अतिरिक्त बैक का मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी सदस्य होगा किन्तु मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बोर्ड मैनेजमेंट की बैठक में मतदान करने का अधिकार नही होगा।

(4) बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठकें:– बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठकों का आयोजन आवश्यकतानुसार किया जायेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष का चयन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्यों द्वारा किया जायेगा, किन्तु संचालक मंडल के अध्यक्ष को किसी भी दशा में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाएगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के बैठकों के आयोजन के लिए गणपूर्ति 2/3 सदस्यों से होगी। सदस्यों के लिए बैठक भत्तें का निर्धारण तथा समय–समय पर बैठक भत्तें का पुनरीक्षण बैंक के संचालक मंडल द्वारा किया जा सकेगा।

(5) बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्यकालः– बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्यकाल बैंक के संचालक मंडल के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेंगा।

(6) कतिपय मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकारः– यदि भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कोई सदस्य अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड धारित नहीं करता हो अथवा उनका कृत्य बैंक या उसके अमानतधारियों अथवा दोनों के हितों के प्रति अपायकर(नुकसानदायक)हो, तो ऐसी दशा में भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के ऐसे सदस्य या मुख्य कार्यपालन अधिकारी की उसके द्वारा धारित पद से हटा सकेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की दश में भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को अधिकमित/अतिष्ठित कर सकेगा। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर अथवा उसके हटाये जाने पर बैंक का संचालक मण्डल भारतीय रिजर्व बैंक से सहमति प्राप्त कर आवश्यक कार्य्रवाही करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को हटाये जाने या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को अधिक्रमित किये जाने के पश्चात् बैंक का संचालक मंडल मुख्य कार्यपालन अधिकारी या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के नये सदस्य की नियुक्ति अथवा नये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन जैसी भी स्थिति हो, तीन माह के भीतर करेगा। बैंक का संचालक मंडल अंतरिम व्यवस्था के रूप में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के दायित्वों का निर्वाहन कर सकता है।

कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़

(ब्लॉक बी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर)

क्रमांक/9298/मृ.नि./2013/9298 रायपुर, दिनांक 13/12/2013

प्रति,

संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं (छ0ग0)

विषय :– छत्तीसगढ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 60 के तहत परिसमापित सहकारी संस्थाओं में अधिनियम की धारा 70 के तहत नियुक्त परिसमापकों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।

——00——

राज्य के विभिन्न सहकारी संस्थाओं को छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70 के तहत विभागीय कर्मचारियों को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

अधिनियम की धारा 71 एवं 72 के तहत परिसमापक की शक्तियाँ अभिलिखित है। विभाग को प्राप्त हो रहे अनेकों शिकायती पत्र/आवेदनानुसार यह प्रायः देखने में आ रहा है कि कतिपय परिसमापकों द्वारा गृह निर्माण सोसायटियों का प्रभार प्राप्त करके संस्था के पूर्व सदस्यों को आबंटित भू–खण्डों/भवनों को निरस्त कर पुनर्विक्रय, नवीन सदस्य बनाकर भू–खण्डों का पंजीयन, सोसायटी के बैंक खातों से अनियमित रूप से आहरण आदि कार्यों का सम्पादन किया जाता रहा है।

"यद्यपि सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानानुसार पंजीयक को वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'रजिस्ट्रार' अधिनियम की धाराओं के तहत विशिष्ट आदेश के द्वारा पंजीयक के नियंत्रण के अधीन (Subject to the Control of the Registrar) किसी अधिकारी को कार्य करने हेतु अधिकृत करता हैं" अर्थात पंजीयक की अनुमति/अनुमत्य कार्य को ही करना विधिसम्मत कार्य माना जा सकता हैं।

परिसमापनाधीन सोसायटी को अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपेक्षित कार्यवाही में संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों के निराकरण के पश्चात परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को समाप्त कर 'रजिस्ट्रीकरण' समाप्त किया जाना ही अन्तिम कार्य होता है।

अतएव यह प्रासंगिक तथा आवश्यक हो गया है कि इस संबंध में दिशानिर्देश प्रसारित किया जाये। निम्नानुसार निम्न निर्देश दिये जाते हैं –

01. परिसमापक द्वारा किसी भी परिसमापनाधीन संस्थाओं में नवीन कर्मचारी नियुक्त नहीं किया जावेगा न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव किया जा सकेगा।

02. ऐसी परिसमापनाधीन सहकारी सोसायटी जिनमें परिसमापक नियुक्त किये गये हैं, में निम्नलिखित अत्यावश्यक व्ययों को छोड़कर अन्य संव्यवहार किसी भी परिसमापक द्वारा नहीं किया जावें।

1. कर्मचारी वेतन
2. कार्यालय किराया
3. विद्युत देयकों का भुगतान
4. दूरभाष देयकों का भुगतान
5. कार्यालयीन स्टेशनरी, फोटोकापी पर व्यय

उपरोक्त संव्यवहारों के अलावा परिसमापित संस्था के पूर्व के वाद प्रकरणों तथा स्वयं परिसमापक द्वारा संपादित किये जाने वाले न्यायायिक वाद प्रकरणों पर आवश्यकतानुसार, बैंक से आहरण की जाने वाली राशि की अनुमति सक्षम अधिकारी से ली जावें।

उक्त वर्णित व्ययों के अतिरिक्त बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किया जाने वाले कृत्य विधिसम्मत् नहीं होगा तथा इस कृत्य के लिए सम्पूर्ण रूप से परिसमापक को ही जिम्मेदार माना जावेगा।

03. प्रबंधकीय/स्थापना व्ययों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय किया जाना वांछनीय हो तो विधिवत प्रस्ताव कारण एवं औचित्य सहित प्रस्तुत किया जाकर आवश्यक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

04. प्रत्येक परिसमापक अपने प्रभार वाले प्रत्येक सोसायटी के अन्तिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में शीघ्र जिलाधिकारियों को प्रस्तुत करें।

05. अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलंब हो तो प्रत्येक परिसमापक को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में विगत माह में किये गये कार्यो का प्रतिवेदन तथा सम्पूर्ण आय–व्यय के विवरण लिखित में सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्त निर्देशो का कडाई से पालन सुनिश्चित करें।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाए,
छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

क्रमांक / परिसमापन / / 2020 / 2960 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 23.10.2020

प्रति,

संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक, (समस्त)

सहकारी संस्थाएं,

..(छ.ग.)

विषयः– परिसमापकों द्वारा सहकारी संस्थाओं के परिसमापन की कार्यवाही अधिनियम / नियम के प्रावधानों के तहत करने विषयक।

दिनॉक 09.10.2020 को वीडियो कान्फ्रेसिगं से माननीय मंत्री एवं सचिव, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग द्वारा जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये है कि दिनॉक 01.04.2020 की स्थिति में परिसमापन अधीन समितियों की संख्या 2458 है। जिनमें से 1355 समितियॉ 03 वर्ष से अधिक समय से परिसमापन में है, वहीं 781 समितियॉ 01 से 03 वर्ष से परिसमापन हेतु लंबित है जबकि अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पत्ति, परिसम्पत्ति एवं दावों को हानि, क्षति या हास से बचाने के लिए युक्तियुक्त समय के भीतर परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करनी चाहिए। इसी प्रकार समीक्षा बैठक के दौरान यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि उक्त परिसमापनाधीन समितियों में 1418 विभागीय अधिकारी 03 वर्ष से अधिक अवधि से एवं 662 अधिकारी 01 से 03 वर्ष की अवधि से परिसमापक नियुक्त है, पर संस्था की परिसमापन बाबत् युक्ति संगत कार्यवाही उनके द्वारा किया जाना दर्शित नहीं है, जोकि अत्यन्त खेदजनक है।

सहकारी संस्थाओं के परिसमापन से संबंधित विधि एवं प्रकिया छत्तीसगढ सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा 69 से 72 तक तथा छत्तीसगढ संस्थाएं, नियम 1962 के नियम 57 और 58 में उपबन्धित की गई है। परिसमापक को इनका सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। परिसमापक के नियुक्त होने के साथ संस्था की समस्त सम्पतिा, परिसम्पत्ति और दावें जिस पर समिति का हक होना प्रतीत होता हो,

अपने आधिपत्य एवं संरक्षण में लेकर ऐसी समस्त कार्यवाही करना चाहिए जो कि हानि, क्षति को बचाने के लिए आवश्यक हो। अधिनियमकी धारा 71(2) के अंतर्गत परिसमापक को पंजीयक के नियंत्रण में 'क' से 'ञ' तक उल्लेखित शक्तियाॅ प्राप्त है तथा संस्था के कार्यो को त्वरित गति से एवं पूर्ण रूप से समापन करने के लिए यह शक्तियां आवश्यक है। प्रत्येक परिसमापक का यह कर्त्तव्य है कि वह अधिनियम द्वारा सौंपी गई शक्ति का प्रयोग न्यायिक रूप से करें न कि स्वेच्छाचारिता से। युक्तियुक्त समय कें अन्दर परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करने का उसका प्रयत्न होना चाहिए।

यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि परिसमापन संस्थाओं में न तो वर्षो से नियुक्त परिसमापक द्वारा कोई कार्यवाही की गई है और न ही जिलों के उप/सहायक पंजीयक या संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा कभी समीक्षा की गई है। जिसके फलस्वरूप परिसमापक द्वारा अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के दुरूपयोग एवं स्वेच्छाचारिता की संभावना भी बढ जाती है। जिला अधिकारियों द्वारा कार्यवाही में प्रगति न होन के संबंध में परिसमापक की सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, संस्था का रिकार्ड प्राप्त न होना सामान्यतः बताया जाता है जबकि संस्था के परिसमापन में लाने के साथ ही प्राथमिकता से अधिनियम के समस्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी है। परिसमापन की कार्यवाही में उक्तानुसार विलम्ब से कुछ संस्थाएं, यथा–गृह निर्माण सहकारी समितियो तथा वे समितियां जिनके पास अचल सम्पत्ति विद्यमान है, में सम्पत्ति के अफरा–तफरी तथा अवैध लेन–देन जैसी प्रवृत्तियों को बढावा मिलता है जो कि कतई उचित नही है तथा विभाग की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पडता है । यह भी संज्ञान में आया है कि जिन समितियों में किसी प्रकार के कोई भी चल/अचल सम्पत्ति नहीं है और न ही कोई राशि है, ऐसी संस्थाएं में भी कई वर्षो से अंतिम कार्यवाही नही की गयी है, जबकि ऐसी संस्थाओं के अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त कर पंजीयन निरस्त की कार्यवाही की जा सकती थी।

अतः समस्त संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को निर्देशित किया जाता है कि वे जिलावार समितिवार परिसमापन में आए संस्थाएं के परिसमापकों की तत्काल बैठक लेवें। परिसमापक द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत समिति के आस्तियों,सम्पत्तियों को अधिपत्य में लिया जाकर सुरक्षित रखने की कार्यवाही, लेनदारों से वसूली हेतु कार्यवाहियां, समाचार पत्र में दावा बाबत्‌सूचना पत्र के प्रकाशन, शासकीय ऋण/अंशपूंजी/अंकेक्षण शुल्क के देनदारियों की स्थिति, अंकेक्षण की स्थिति तथा अधिनियम/नियम/उपविधियों के प्रावधानों के तहत अन्य अपेक्षित कार्यवाही बाबत्‌ विस्तृत संमीक्षा करें।

परिसमापन की अंतिम कार्यवाही हेतु संस्थावार कार्ययोजना भी तैयार की जावें, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे। यह सुनिश्चित किया जावें कि परिसमापक द्वारा कोई भी अचल सम्पत्ति विकय बगैर पंजीयक की अनुमति के कदापि प्रांरभ नहीं की जावें। यह भी कि यदि इस प्रकार के काई प्रकरण संज्ञान में आते है तो उनका परीक्षण कर ऐसे परिसमापकों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करें।

संस्था के परिसमापन में आने के पश्चात् परिसमापकों द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण करें। उप पंजीयक/सहायक पंजीयक अपने अधीनस्थ अमले का तथा संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक के परिसमापक होनी की स्थिति में तथा यदि परिसमापक द्वारा उक्त कार्यवाहियों में जानबूझकर चूक की गई हो, तो कार्यवाही हेतु यथोचित प्रस्ताव तत्काल भेजें अन्यथा की स्थिति में संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं स्वयं जवाबदेह होगे। उपरोक्त बाबत् की गयी कार्यवाही से दो माह में अर्धशासकीय पत्र से अनिवार्यतः अधोहस्ताक्षरार्थ को अवगत करावें। यह ध्यान रखा जावें कि गोपनीय चरित्रावली में परिसमापन कार्यो की प्रगति बाबत् टीप अंकित की जावेगी।

सही

(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ
विभागाध्यक्ष कार्यालय इंन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

क्रमांक/पंससं/गृ.नि./42/06/2021/2141 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक :15.06.2021

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ राज्य सहकारी आवास संघ मर्या.,
रायपुर छत्तीसगढ,

विषयः– छत्तीसगढ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर छ.ग. के ऋण की वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना के क्रियान्वयन बाबत्।

सन्दर्भः–आपका पत्र कं/छ.ग./आ.सं/वसूली/2020–21/72, दिनॉक 21.07.2020.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव द्वारा छत्तीसगढ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 08.07.2020 के प्रस्ताव क्रमांक 03 में लिए गये निर्णय एवं शासन की सहमति अनुसार एकमुश्त समझौता योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित 14 शर्तो के अधीन 01 जुलाई 2021 से 01 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति प्रदान किया जाता हैः–

1. पंजीयक या छत्तीसगढ शासन किसी भी प्रकार की वित्तीय देनदारी या क्षतिपूर्ति के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
2. आवास संघ द्वारा अन्य संस्थाओं के लिए गए ऋणों की प्रतिपूर्ति हेतु पंजीयक या छत्तीसगढ शासन की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
3. योजना लागू करने हेतु कोई अन्य वित्तीय या वैधानिक औपचारिकता या अनुमति आवश्यक हो तो उसे पूरा करने का दायित्व आवास संघ की होगी।
4. आवास संघ द्वारा बकायादारी नहीं बढाने के लिए वसूली हेतु एक पृथक योजना तैयार करनी होगी तथा एकमुश्त समझौता योजना राज्य विभाजन के पूर्व वितरित ऋणों की वसूली हेतु यथासंभव अंतिम बार होगी।
5. कोई भी ऋणों के दुरूपयोग, अनियमित ऋण, गबन, धोखाधडी से संबंधित विवादास्पद ऋण प्रकरण एकमुश्त समझौता योजना में शामिल नहीं होगें।
6. एकमुश्त समझौता योजना के क्रियान्वयन में आवास संघ छत्तीसगढ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 43(ए) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
7. समझौता योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित परीक्षण कमेंटी द्वारा प्रकरणवार ऋणों के उपयोग का भौतिक सत्यापन तथा एकमुश्त समझौता योजना के शर्तो के तहत पात्रता का परीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
8. समझौता योजना हेतु गठित कमेटी में संविधिक अंकेक्षक तथा संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर अनिवार्य सदस्य होगें। परीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार ब्याज में छूट संबंधी सभी निर्णय बोर्ड में वेष्ठित होंगे।

9. सभी ऋणों को व्यक्तिशः उक्त योजना के लाभ हेतु सूचना की तामिली की जवाबदेही प्रबंध संचालक,आवास संघ की होगी तथा इलेक्ट्रानिक एंड प्रिंट मीडिया का भी सूचना हेतु युक्तियुक्त उपयोग हों।
10. समस्त संबंधित प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों में योजना को चस्पा किया जाना होगा तथा उनके बोर्ड में भी रखा जाना होगा।
11. एकमुश्त समझौता योजना के कियान्वयन में बंधकशुदा समिति के दस्तावेज वापस करने के पूर्व बोर्ड द्वारा शर्तो के पालन तथा समस्त टैक्स एवं देनदारियों की अदायगी बाबत् विभिन्न अधिनियम के प्रावधान के पालन बाबत् परीक्षण कर सुनिश्चित होना होगा।
12. भारतीय जीवन बीमा निगम को चुकाये जाने वाले ऋणों पर संघ द्वारा शीघ्र समझौता को अंतिम रूप दिया जावें तथा एकमुश्त समझौता से प्राप्त राशि का उपयोग प्रथमतः आवास संघ की देनदानियों को चुकाने में होगा, उक्त राशि का अन्य कोई उपयोग नहीं किया जावेगा।
13. एकमुश्त समझौता योजना के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नेशनल होउसिंग को–ऑपरेटिव्ह फेडरेशन के दिशा–निर्देशों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न सुसंगत निर्णयों का पालन बोर्ड द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।
14. एकमुश्त समझौता योजना की कार्यवाही में Fiduciary Liability आवास संघ के बोर्ड का होगा।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्नः– अनुमोदित एकमुश्त समझौता योजना का प्रस्ताव।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

क्रमांक / पंससं / गृ.नि. / 42 / 06 / 2021 / 2141 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 15.06.2021

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सचिव, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक / एफ15–10 / 15–02 / 2015, नवा रायपुर दिनांक 24.05.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

सही
पंजीयक

एकमुश्त समझौता योजना(वन टाईम सेटलमेंट)

छत्तीसगढ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा प्रस्तावित एकमुश्त समझौता योजना निम्नानुसार हैं:-

1. **प्रस्तावना:-** छत्तीसगढ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा समय-समय पर प्रदेश की प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं को भूमि कय करने, विकासीकरण करने एवं उनके सदस्यों को भवन निर्माण हेतु ऋण स्वीकृति कर प्रदानकिया गया है, जिसका एक बहुत बडा भाग कालातीत ऋणों के रूप में अवरूद्ध है। ऐसे कालातीत ऋणों की वसूली के सभी प्रयास किये जाने के उपरांत भी ऋणों की वसूली काफी अंतराल से नहीं हो पा रही है। परिणामस्वरूप संघ के कार्य व्यवसाय हेतु वित्तीय तरलता के अभाव की स्थिति निर्मित हो गई है।

आवास संघ सदस्य संस्थाओं/सदस्यों पर मूल ऋण राशि 7.86 करोड तथा ब्याज राशि 264.67 करोड बकाया है। यह सभी बकाया ऋण दीर्घ अवधि से कालातीत है। पूर्व वर्षो में 2003 से 22.09.2013 की अवधि में विभिन्न चरणों में एकमुश्त समझौता योजना छत्तीसगढ शासन द्वारा स्वीकृत की गई थी। इस योजना के तहत मूल ऋण रू. 4.35 करोड तथा ब्याज रू. 9.62 करोड की वसूली हुई थी। आवास संघ द्वारा साधारण ब्याज 14 प्रतिशत, व्यवहारिक ब्याज 14 प्रतिशत तथा दण्ड ब्याज 3 प्रतिशत कालातीत ऋणीयों से वसूल किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में यह दरें अत्याधिक है, और लिये गये मूल ऋण के विरूद्ध 100 से 120 गुना ब्याज खातों में अंकित हो चुका है। ऋण वसूली के संबंध में पूर्व में वसूली सुरक्षित व आसान ऋण की होती है। और उत्तरोत्तर वसूली में कठिनाई/असुरक्षित ऋण अंत में शेष रह जाते है। इन परिस्थतियों से उभरने हेतु अन्य वित्तीय संस्थाओं के आधार पर ऐसे ऋणों की वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना तैयार की गई है।

2. **उद्देश्य:-**
   1. संघ की कालातीत ऋणों में अवरूद्ध ऋण राशि की वसूली।
   2. धारा 43(ए) के प्रावधान के पालन हेतु।
   3. संघ के कार्य व्यवसाय हेतु पूँजी उपलब्ध होना।
   4. कलातीत ऋणों (विशेषकर संदिग्ध एवं डूबंत) की वसूली हेतु वैधानिक जटिलताओं से मुक्ति पाना।
   5. जानबूझकर चूक न करने वाली प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं/सदस्यों को पुनरूस्थान के अवसर उपलब्ध कराना।
   6. कलातीत गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं/सदस्यों को उबालकर गृह निर्माण आन्दोलन को मजबूती प्रदान करना।

3. **योजना का कार्यक्षेत्र:-**

इस योजना की परिधि में संघ द्वारा प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं को भूमि कय करने विकासीकरण करने एवं उनके सदस्यों को भवन निर्माणार्थ स्वीकृत एवं प्रदत्त संस्थागत एवं सदस्य ऋण के समझौता प्रकरण विचारार्थ स्वीकार किये जा संकेगें।

4. **समझौता प्रकरणों में लाभ देने की सीमा:-**

1. योजना के अन्तर्गत आदतन बकायादार तथा ऐसे बकायादार जिन्होंने ऋण का दुरूपयोग अथवा धोखाधडी की है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जावेगा। ऐसे ऋण जो शासन अथवा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा ग्यांरटेड है, उन्हें माफ नहीं किया जा सकेगा परन्तु यदि आवास संघ द्वारा गारंटी मुक्त करा ली गई है तो इस योजना का लाभ हितग्राहियों को प्राप्त हो सकेगा।
2. समझौता हेतु प्राप्त प्रकरणों में मूल राशि में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। अर्थात् मूल राशि पूर्णरूपेण संबंधित प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी संस्था अथवा सदस्यों को भुगतान करनी होगी।
3. मूल पर कालातीत होने स्थिति में लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ किया जा सकेगा।
4. यदि ऋण ग्रहिता के खातों पर ब्याज की राशि को मूल राशि में जोडकर व्यवहारिक ब्याज(चकवृद्धि ब्याज) लगाया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों में जमा त्रैमास के विगत 5 वर्ष के व्यवहारिक ब्याज(चकवृद्धि ब्याज)में छूट दी जा सकेगी।
5. समझौता होने के उपरांत ऋणग्रहिता को अधिकतम तीन किस्तों में संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान एक त्रैमास में करना होगा।

5 एकमुश्त समझौता करने सम्बन्ध में विशेष सावधानियां:–

1. एकमुश्त समझौता हेतु इच्छुक संस्थाओं एवं सदस्यों से आवेदन आंमत्रित करना एवं उनका मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के माध्यम से परीक्षण करना।
2. ऋण प्रकरणों में समझौता की प्रक्रिया संघ के सूचना पटल में प्रदर्शित किया जावेगा।
3. ऋणग्रहिता/ सदस्य की सहमति आदि का परीक्षण उसकी संघ खातों में बकाया ऋण के परिपेक्ष्य में किया जावें।
4. ऋणी सदस्यों में कालीतीत होने की प्रवृत्ति विकसित न हो। इस हेतु प्रत्येक ऋण प्रकरणों पर गुण–दोष के आधार पर गंभीरता से निर्णय लिया जावें।

6 एकमुश्त समझौता की प्रक्रिया:–

1. संघ स्तर पर कमेटी गठित की जावेगी जिसमें (1) अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नांमाकित दो संचालक (2)प्रबंध संचालक (3)क्षेत्रीय अधिकारी (4)विधि/वसूली प्रभारी (5)संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, रायपुर (6)सांविधिक अंकेक्षक सम्मिलित होंगे।
2. समझौता योजना स्वीकार करने में वे पदाधिकारी अथवा अधिकारी सक्षम नहीं होगे जिनकी भागीदारी ऋण स्वीकृति में रही हो।
3. एकमुश्त समझौता योजना हेतु गठित कमेटी द्वारा शर्तो एवं एकमुश्त समझौता योजना अनुसार प्रकरणवार परीक्षण कर अनुशंसाए निर्णय हेतु संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी।
4. योजना सभी प्रकरणों में बिना भेदभाव के समान रूप से लागू की जायेगी।

7 एकमुश्त समझौता योजना में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं/सदस्यों को प्रदत्त छूट की राशि का समायोजन:–

एकमुश्त समझौता योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी संस्था/संदस्य को दी गई छूट की राशि का समायोजन संघ स्तर पर निर्मित अशोध्य एवं डूबत ऋण निधि प्रावधानों के पेटें किया जावेगां।

8 एकमुश्त समझौता योजना का फार्मूलाः–

1. सम्पूर्ण दण्ड ब्याज माफ किया जायेगा।
2. स्वीकृति त्रैमास दिनॉक से 05 वर्ष का व्यवहारिक ब्याज माफ किया जायेगा।

सही
प्रबंध संचालक
छ.ग.राज्य सहकारी संघ मर्यादित
रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन,
सहकारिता विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / एफ 12–04 / 15–02 / 2011 / 1061 नया रायपुर, दिनांक 28 / 03 / 2013

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में उन्नयन हेतु योजना 2013

———0———

प्रस्तावना :– प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी सोसायटियों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। सहकारी सोसायटियों द्वारा वर्तमान में किसानों को साख सुविधा, अमानत संकलन, रसायनिक खाद–बीज वितरण, कमीशन एजेन्ट के रूप में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में रूप में उचित मूल्य दुकानों संचालन किया जा रहा है। इन सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी के रूप में विकसित करने से प्रदेश की ग्रामीण जनता को सीधे लाभ प्राप्त होगा।

1. उद्देश्य :– सोसायटियों द्वारा बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी के संचालन से ग्राभोण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को नियंत्रित उपभोक्ता वस्तुओं के साथ–साथ अनियंत्रित उपभोक्ता वस्तुएँ जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मांग है, सही दरों पर निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री प्राप्त हो सकेगी। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिये उपयोगी सेवाएँ भी इन सोसायटियों से प्राप्त की जा सकेगी।

2. संक्षिप्त नाम प्रारंभ तथा विस्तार :–

1. यह नियम प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में उन्नयन हेतु नियम–2013 कहलायेगा।
2. वह नियम 1 अप्रैल 2012 से प्रभावशील होगा।
3. इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में स्थित समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी हेतु होगा।

3. परिभाषाएँ :–

1. **प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी :–** ऐसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी जो कृषि उत्पादन के लिये उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई है और उसके अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायटी कृषक सेवा सहकारी सोसायटी एवं वृहत्ताकार सहकारी सोसायटी और आदिम जाति सोसायटी शामिल है।
2. **बैंक :–** बैंक से अभिप्राय छ.ग. राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से है।
3. **नाबार्ड :–** नाबार्ड से अभिप्राय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से है।
4. **पंजीयक :–** पंजीयक का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है, सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक,

सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो नियम में वर्णित बैंक एवं नियम में वर्णित संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत है।

4. पात्रता :–

1. अनुदान/ऋण (वर्किंग केपिटल)/धनवेष्ठन की पात्रता उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोयाटियों को होगी जो जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक से सम्बद्ध होंगे।
2. बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी विकसित करने हेतु एक सोसायटी को अधिकतम वित्तीय सहायता की पात्रता राशि रूपये 10.00 लाख होगी।
3. इस योजना के अंतर्गत पात्र समिति को केवल एक बार ही वित्तीय सहायता देय होगी।

5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट :–

1. एक बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी के रूप में विकसित करने हेतु अपनाई जाने वाली गतिविधियों के संबंध में प्रत्येक सोसायटी को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सोसायटी के संचालक मण्डल से स्वीकृत करानी होगी। स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अपनाई जाने वाली गतिविधि अनुसार अधिकतम राशि रूपये 25.00 लाख की होगी। जिसमें राशि रूपये 10.00 लाख राज्य शासन की वित्तीय सहायता तथा शेष राशि सोसायटी को स्वयं के साधन से अथवा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त कर लगानी होगी। नाबार्ड से इस कार्य हेतु पुर्नवित्त सुविधा भी बैंकों को उपलब्ध होगी।
2. सोसायटी द्वारा अपनाई जा सकने वाली गतिविधियों की सूची निम्नानुसार है :–
   1. उपभोक्ता सामाग्री :– जैसे साबुन, खाद्य तेल, चायपत्ती, माचिस, दन्त मंजन, इत्यादि एवं अन्य आवश्यक वरतुएं।
   2. इलेक्ट्रीकल सामाग्री :– बल्ब, सेल, टार्च आदि।
   3. भवन निर्माण सामाग्री :– सीमेन्ट, रेत, ईट, छड़ आदि
   4. वस्त्र :– धोती, कुर्ता, साड़ी एवं अन्य रेडीमेट वस्त्र।
   5. अन्य दैनिक उपभोक्ता सामग्री जो समिति आवश्यक समझे।
   6. इसके अतिरिक्त अन्य सेवा कार्य जो सोसायटी के कार्यक्षेत्र की मांग के अनुसार आवश्यक होंगे।

   वस्तुओं के बिक्री का मूल्य वस्तुओं में अंकित अधिकतम मूल्य (MRP) से अधिक नहीं होगा। एवं जिन वस्तुओं में मूल्य अंकित नहीं हैं उनमें सोसायटी खरीदी दर पर न्यूनतम मार्जिन जोड़कर उचित मूल्य पर विक्रय करेंगी।

6. आहरण एवं भुगतान की प्रक्रिया :—

1. प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटी को वित्तीय सहायता की पात्रता के अनुसार पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को प्रस्तुत करेगी। राज्य सहकारी बैंक वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त प्रस्तावों का संकलन कर राशि आहरण हेतु पंजीयक से स्वीकृति प्राप्त करेगा।
2. वित्तीय सहायता के लिए आवश्यक बजट का प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा।

7. उपयोगिता प्रमाण—पत्र :— वित्तीय सहायता का उपयोगिता प्रमाण—पत्र जिले के संयुक्त उप /सहायक/पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा ।

8. विविध :—

1. राज्य शासन/पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिये आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।
2. इस नियम के संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा हक ।
3.

सही
(अरूण कुमार सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सहकारिता विभाग,

पृ. क्रमांक/एफ 12—04/15—02/2011 नया रायपुर, दिनांक / /2013

प्रतिलिपी —

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग।
2. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ, रायपुर।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन गृह, जेल और सहकारिता विभाग।
4. निज सहायक, माननीय संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह, जेल और सहकारिता विभाग।
5. समस्त, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, संभाग ....।
6. समस्त, उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ....
7. उप नियन्त्रक, शासकीय मुद्राणालय, राजनांदगाव को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
8.

सही
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सहकारिता विभाग,

बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी 2–22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि से भिलाई दिनांक 30.05.2001		पंजीयन क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390 रायपुर शुक्रवार दिनांक 30 अगस्त 2013 – भाद्र 8 शक 1935

सहकारिता विभाग
मत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 अगस्त 2013

आदेश

क्रमांक/एफ 15–42/15–02/2012/2427–प्रदेश में दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर एवं 12 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पंजीकृत है. इन बैंकों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब होने एवं हानि में वृद्धि होने के कारण बैंक दीर्घकालीन कृषि ऋण व्यवसाय करने में सक्षम नहीं है। अतः यह समाधान हो गया है कि, लोक हित में उपरोक्त बैंकों का संविलियन अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर एवं 07–जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में किया जाए, इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16–ग के प्रावधान के अनुसार वांछित अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16–ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुनर्गठन हेतु "दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन की योजना, 2013" जारी करता है, योजना का क्रियान्वयन किया जाए।

संलग्न :– संविलियन की योजना, 2013

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, उप–सचिव.

दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन की योजना 2013

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–**
   1. यह योजना "दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन की योजना 2013 कहलाएगी।
   2. यह योजना, छत्तीसगढ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावशील होगी।
   3. इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य की सीमा तक होगा।
2. **परिभाषाए :–** जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो
   1. "अधिनियम से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (कमांक 17 सन् 1961)
   2. "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी नियम 1962
   3. "संविलियन" से अभिप्रेत है, इस योजना के अधीन दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथ अल्पकालीन सहकारी साख संरचना का संविलियन,
   4. दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना से अभिप्रेत है –
      1. छत्तीसगढ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर
      2. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर
      3. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, धमतरी
      4. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, महासमुंद
      5. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, दुर्ग
      6. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, राजनांदगावं
      7. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कवर्धा
      8. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, जगदलपुर
      9. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कांकेर
      10. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बिलासपुर
      11. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, जांजगीर – चांपा
      12. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अबिंकापुर
      13. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायगढ़
   5. अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से अभिप्रेत है –
      1. छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर
      2. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर
      3. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग
      4. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगावं
      5. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर
      6. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर
      7. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अम्बिकापुर
      8. नवीन पंजीकृत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जशपुर
   6. "परिणामी बैंक" से अभिपेत है, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित वे बैंक जिनमें दीर्घकालीन सहकारी साख सरंचना से संबंधित बैको का विलय किया जायेगा।

4. प्रभावित बैंक के अंतरित सेवायुक्तो को जिनके पदनाम तथा वेतनमान परिणामी बैंक के सेवायुक्तों के पदनाम तथा वेतनमान से भिन्न हो, ऐसे सेवायुक्तों को परिणामी बैंक में पृथक संवर्ग "डांईग केडर" के रूप में संविलियन किया जाएगा,

सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उक्त पद स्वमेव समाप्त हो जाएंगे।

5. प्रभावित बैंक के जिन सेवायुक्तों की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, ऐसे सेवायुक्तों को. स्वेछिक सेवानिवृत्ति योजना रजिस्ट्रार द्वारा तैयार कर उनके दायित्वों का भुगतान परिणामी बैंक द्वारा किया जाएगा।

परिणामी बैंक के परामर्श से उक्त योजना परिणामी बैंक के सेवायुक्तो के लिए भी लागू की जा सकेगी।

6. प्रभावित बैंक के सेवायुक्तों के विरुद्ध संविलियन के पश्चात कंडिका 13(1) के अनुसार लागू सेवा नियम के प्रावधान के अनुसार स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही सेवानिवृत्ति एवं सेवा से पृथक करने संबंधी कार्यवाही परिणामी बैंक द्वारा की जाएगी ।

7. प्रभावित बैंक के सेवायुक्तों से परिणामी बैंक द्वारा रजिस्ट्रार के परामर्श से निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र निष्पादित कराया जाएगा.

14. विवाद :–

"दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन की योजना के अधीन संविलियन से संबंधित उत्पन्न किसी विवाद की दशा में उसका निपटारा आपसी सहमति द्वारा किया जा सकेगा, यदि असहमति हो तो ऐसा विवाद निराकरण हेतु रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा, और उभय पक्ष की सुनवाई करके रजिस्ट्रार द्वारा निराकरण किया जाएगा.

15. अपील :–

रजिस्ट्रार के द्वारा पारित किसी आदेश अथवा किये गये किसी विनिश्चिय के विरूद्ध राज्य शासन को 30 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी तथा ऐसी अपील में राज्य शासन का निर्णय/आदेश विनिश्चायक तथा आबद्धकर होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, उप–सचिव.

01. प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को अपने अभिमत के साथ रजिस्ट्रार राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगा, इस पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा।

02. राज्य शासन संविलियन स्कीम को ऐसे उपान्तरणों सहित जैसा कि वह उचित समझे, अनन्तिम रूप से अभिप्रमाणित करेगा।

03. रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित संविलियन की तिथि पर सभी दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों का विशेष संपरीक्षा

कराया जावेगा, जिससे कि वास्तविक वित्तीय स्थिति, प्रावधान में कमी एवं हानि को ज्ञात किया जा सके.।

04. दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों के विशेष संपरीक्षा के लिए रजिस्ट्रार द्वारा संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म्स का निर्धारण किया जाएगा।

05. दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों के विशेष अंकेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्देशों एवं मानदण्ड के अनुसार किया जावेगा।

06. विशेष संपरीक्षा के द्वारा प्रभावित बैंकों एवं परिणामी बैंकों के संविलियन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्देशों एवं मानदण्डों के अनुसार आंकलित की गई राशि, प्रावधान में कमी एवं संचित हानि को पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त राशि की मांग राज्य शासन से की जावेगी।

07. प्रभावित बैंक का पक्षकार के रूप में कोई वैधानिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में या प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो तो संविलियन के पश्चात परिणामी बैंक उसका पक्षकार होगा. प्रभावित बैंकों के पक्ष या विपक्ष में हुए न्यायालयीन आदेशों का 'पालन/निष्पादन/अपील आदि परिणामी बैंक द्वारा किया जाएगा।

08. परिणामी बैंकों को वे समस्त शक्तियां भी होगी जो संविलियन के पूर्व प्रभावित बैंकों को थी।

सदस्यता :– जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के सदस्यों की सदस्यता उस बैंक से समाप्त हो जायेगी और ऐसे सदस्य जो उस बैंक के बकायादार होंगे, संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नाम मात्र के सदस्य बन जायेंगे, परंतु जो सदस्य बकायादार नहीं होंगे उनकी अंश राशि संविलियन का आदेश जारी होने के पश्चात तीन माह की समयावधि में वापस कर दी जाएगी एवं जिसकी अंश राशि की वापसी संभव नहीं होगी, वह राशि सस्पेंस खाते में जमा की जाएगी. बकायादार सदस्यों की अंश राशि उसके ऋण खाते में समायोजित की जाएगी।

रजिस्ट्रीकरण :–

01. संविलियन के पश्चात दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित सभी बैंकों का पंजीयन रजिस्ट्रार द्वारा रद्द किया जाएगा।
02. विद्यमान अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों की उपविधियां आवश्यक उपान्तरणों सहित जैसा कि रजिस्ट्रार विनिश्चय करें, परिणामी बैंकों के लिए प्रभावी होगी।

प्रबंध :–

01. प्रभावित बैंकों के पदाधिकारी तथा बोर्ड के सदस्यों के पद रिक्त हो जाएंगे।
02. परिणामी बैंकों का विद्यमान बोर्ड अपने निर्धारित कालावधि पूर्ण होने तक कार्यरत रहेगा।
03. परिणामी बैंकों का प्रतिनिधित्व विद्यमान प्रतिनिधि तब तक करते रहेंगे जब तक की नये प्रतिनिधि का निर्वाचन न हो जाए।

आस्तियां और दायित्व :– प्रभावित बैंकों की आस्तियां और दायित्व परिणामी बैंकों की आस्तियां और दायित्व में पूर्णतः अंतरित हो जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन :– राज्य शासन के द्वारा प्रस्तावित "दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन" के प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र क्रमांक RPCD, CO, RCB No. 12975/07-51-032/2012-13 दिनांक 04 जून 2013 द्वारा अनुमोदन निम्नानुसार प्राप्त है :–

इस संबंध में हमारी सलाह है कि, राज्य शासन की समस्त वित्तीय देयताओं को पूरा करने की वचनबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए एवं वैधानिक व प्रशासनिक आवश्यकताओं का भी अनुपालन करते हुए हम छत्तीसगढ़ राज्य में दीर्घकालीन ग्रामीण सहकारी साख संरचना का अल्पकालीन ग्रामीण सहकारी साख संरचना में विलय के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हैं. उक्त अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा–

01. राज्य शासन विलय के समय सम्पूर्ण प्रतिबद्ध राशि रु. 150 करोड़ उपलब्ध कराएगा।
02. विलय की तारीख पर समस्त संबंधित अस्तित्वों (प्रभावित एवं परिणामी बैंक) का विशेष संपरीक्षा कराया जाएगा, जिससे कि, वास्तविक वित्तीय स्थिति, हानि एवं प्रावधान में कमी की जानकारी हो।
03. विशेष संपरीक्षा पर संविलिनीकृत आस्तित्वों की संचित हानि को पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु यदि अनुदान सहायता की राशि में संपरीक्षकों के द्वारा पाये गये तथ्यों के अनुसार वृद्धि होती है तो राज्य सरकार अतिरिक्त अंशदान उपलब्ध कराएगा, जिससे की पर्याप्त नेटवर्थ एवं न्यूनतम सी.आर.ए.आर. (पूंजी का जोखिम भारित आस्तियों से प्रतिशत) सुनिश्चित करने जो राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मामले में लायसेंसिंग हेतु आवश्यक है और जो वर्तमान में 4 प्रतिशत है उसे विनिर्दिष्ट 'कालावधि के लिए 9 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।
04. ये संविलियन हेतु वैधानिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताएं जैसा कि नाबार्ड द्वारा तत्संबंध में परामर्श दिया जाए, कि राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के अध्यधीन होगा।
05. डिपाजिट इन्सेरेंस एवं क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के प्रब्याजी की पुनः संगणना एवं संदाय संविलिनीकृत अस्तित्वों द्वारा किया जाएगा।
योजना के क्रियान्वयन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

शक्तियाँ:– परिणामी बैंकों को अपने–अपने कार्यक्षेत्र में वह समस्त शक्तियाँ होगी जो संविलियन के ठीक पूर्व विद्यमान प्रभावित बैंकों को थी।

अधिकार, हित एवं कर्तव्य :–परिणामी बैंकों को अपने–अपने कार्यक्षेत्र में अधिकार, हित और कर्तव्य उसी अनुरूप होंगे जैसा कि संविलियन के ठीक पूर्व विद्यमान प्रभावित बैंकों को थे।

कर्मचारी वृन्द :– प्रभावित बैंकों के सेवायुक्तों की सेवाएं संबंधित परिणामी बैंकों में अंतरण प्रथमः रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा परंतु अंतिम अंतरण एक वर्ष की अवधि में परिणामी बैंकों से परामर्श करके रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा।

कर्मचारी वृन्द की सेवा की शर्तें :–

01. विद्यमान प्रभावित बैंक के प्रभावशील सेवा नियम, परिणामी बैंक में प्रभावित बैंक से अन्तरित कर्मचारी वृन्द के लिए अनन्तिम रूप से आवश्यक उपान्तरणों सहित तब तक लागू रहेंगे जब तक कि परिणामी बैंक के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा नये सेवा नियम लागू न कर दिये जाए।
02. प्रभावित बैंक के अंतरित सेवायुक्तों को जिनके पदनाम तथा वेतनमान परिणामी बैंक के सेवायुक्तों के पदनाम तथा वेतनमान के समरूप होंगे ऐसे सेवायुक्तों को परिणामी बैंक में उस बैंक की पदों की संरचना की निर्धारित वरिष्ठता में अंतिम व्यक्ति के ठीक नीचे से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी, परंतु यह भी कि परिणामी बैंक के स्वीकृत सेटअप से अधिक पदों पर संविलियन के लिए कर्मचारी उपलब्ध होने की दशा में पृथक संवर्ग "डाईंग केडर" के रूप में संविलियन किया जाएगा एवं सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उक्त पद स्वमेव समाप्त हो जाएगा।
03. प्रभावित बैंक के अंतरित सेवायुक्तों को जिनके पदनाम तथा वेतनमान परिणामी बैंक के सेवायुक्तों के पदनाम तथा वेतनमान से भिन्न हो, ऐसे सेवायुक्तों को परिणामी बैंक में पृथक संवर्ग "डाईंग केडर" के रूप में संविलियन किया जाएगा, सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उक्त पद स्वमेव समाप्त हो जाएंगे।

04. प्रभावित बैंक के जिन सेवायुक्तो की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, ऐसे सेवायुक्तो को स्वैछिक सेवानिवृत्ति योजना रजिस्टार द्वारा तैयार कर उनके दायित्वों का भुगतान परिणामी बैंक द्वारा किया जाएगा।

05. प्रभावित बैंक के सेवायुक्तो के विरूद्ध संविलियन के पश्चात् कंडिका 13(1) के अनुसार लागू सेवा नियम के प्रावधान के अनुसार स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही सेवानिवृत्ति एवं सेवा से पृथक करने संबंधी कार्यवाही परिणामी बैंक द्वारा की जायगी।

06. प्रभावित बैंक के सेवायुक्तो से परिणामी बैंक द्वारा रजिस्टार के परामर्श से निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र निष्पादित कराया जायगा।

विवाद – "दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन की योजना के अधीन संविलियन से संबंधित उत्पन्न किसी विवाद की दशा में उसका निपटारा आपसी सहमति द्वारा किया का सकेगा, यदि असहमति हो तो ऐसा विवाद निराकरण हेतु रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा, और उभय पक्ष की सुनवाई करके रजिस्टार द्वारा किराकरण किया जाएगा।

अपील – रजिस्ट्रार के द्वारा पारित किसी आदेश अथवा किये गये किसी विनिश्चित के विरूद्ध राज्य शासन को 30 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी तथा ऐसी अपील में राज्य शासन का निर्णय/आदेश विनिश्चायक तथा आबद्धकर होगा।

सही
(भुवनेश यादव)
उप–सचिव

बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी 2–22 छत्तीसगढ बजट/38 सि से भिलाई दिनांक 30.05.2001

पंजीयन क्रमांक छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012–2015

छत्तीसगढ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219 रायपुर शनिवार दिनांक 24 मई 2014 – ज्येष्ट 3, शक 1936

सहकारिता विभाग

मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

अटल नगर, दिनांक 24 मई 2014

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15–42/15–02/2012/1247 – राज्य शासन एतद्द्वारा, समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अगस्त 2013 द्वारा जारी की गई "दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन की योजना 2013" की कंडिका क्रमांक 4(1) एंव (2) की प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत कंडिका क्रमांक 4(3) के अनुसार संलग्न संविलियन की योजना की अन्तिम रूप से अभिप्रमाणित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भुवनेश यादव, उप–सचिव.

दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन की योजना 2014

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–**
   1. यह योजना "दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन की योजना 2014 कहलाएगी।
   2. यह योजना, छत्तीसगढ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावशील होगी।
   3. इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य की सीमा तक होगा।
2. **परिभाषाए :–** जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो
   1. "अधिनियम से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961)
   2. "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी नियम 1962
   3. "संविलियन" से अभिप्रेत है, इस योजना के अधीन दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथ अल्पकालीन सहकारी साख संरचना का संविलियन,
   4. दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना से अभिप्रेत है –
      1. छत्तीसगढ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर
      2. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर
      3. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, धमतरी
      4. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, महासमुंद
      5. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, दुर्ग
      6. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, राजनांदगावं
      7. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कवर्धा
      8. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, जगदलपुर
      9. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कांकेर
      10. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बिलासपुर
      11. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, जांजगीर – चांपा
      12. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अबिंकापुर
      13. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायगढ़
   5. अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से अभिप्रेत है –
      1. छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर
      2. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर
      3. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग
      4. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव
      5. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर
      6. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर

7. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अम्बिकापुर
8. नवीन पंजीकृत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जशपुर

6. "परिणामी बैंक" से अभिपेत है, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित वे बैंक जिनमें दीर्घकालीन सहकारी साख सरंचना से संबंधित बैको का विलय किया जायेगा।

7. "प्रभावित बैंक" से अभिप्रेत है, दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित वे बैंक जिनका विलय अल्पकालीन सहकारी साख संरचाना के बैंकों में किया जाएगा।

8. "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन नियुक्ति रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

3. **संविलियन की रीति :–**

दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों का संविलियन अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों का नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार संविलियन कर पुर्नगठन किया जाएगा.

क्र.	प्रभावित बैंक	परिणामी बैंक
1	छत्तीसगढ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर	छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर।
2	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित रायगढ़	नवीन पंजीकृत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जशपुर
3	1. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित रायपुर। 2. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित धमतरी 3. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित महासमुंद	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर
4	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैक मर्यादित दुर्ग	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग
5	1. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैक मर्यादित राजनांदगांव 2. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैक मर्यादित कवर्धा	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगावं
6	1. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैक मर्यादित जगदलपुर 2. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैक मर्यादित कांकेर	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर
7	1. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैक मर्यादित बिलासपुर 2. जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैक मर्यादित जांजगीर	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर

	चाम्पा	
8	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित अम्बिकापुर	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अम्बिकापुर

संविलियन की प्रक्रिया :–

01. रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित संविलियन की तिथि पर सभी दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों का विशेष संपरीक्षा कराया जावेगा, जिससे कि वास्तविक वित्तीय स्थिति, प्रावधान में कमी एवं हानि को ज्ञात किया जा सके।
02. दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों के विशेष संपरीक्षा के लिए रजिस्ट्रार द्वारा संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म्स का निर्धारण किया जाएगा।
03. दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों के विशेष अंकेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्देशों एवं मानदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
04. विशेष संपरीक्षा के द्वारा प्रभावित बैंकों एवं परिणामी बैंकों के संविलियन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक रो निर्देशों एवं मानदण्डों के अनुसार आकलित की गई राशि, प्रावधान में कमी एवं संचित हानि को पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त राशि की मांग राज्य शासन से की जावेगी।
05. प्रभावित बैंक का पक्षकार के रूप में कोई वैधानिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में या प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो तो संविलियन के पश्चात परिणामी बैंक उसका पक्षकार होगा। प्रभावित बैंकों के पक्ष या विपक्ष में हुए न्यायालयीन आदेशों का पालन/ निष्पादन/अपील आदि परिणामी बैंक द्वारा किया जाएगा।
06. परिणामी बैंकों को वे समस्त शक्तियां भी होगी जो संविलियन के पूर्व प्रभावित बैंकों को थी।

सदस्यता :–

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के सदस्यों की सदस्यता उस बैंक से समाप्त हो जायेगी और ऐसे सदस्य जो उस बैंक के बकायादार होंगे, संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नाम मात्र के सदस्य बन जायेंगे, परंतु जो सदस्य बकायादार नहीं होंगें उनकी अंश राशि संविलियन का आदेश जारी होने के पश्चात तीन माह की समयावधि में वापस कर दी जाएगी एवं जिसकी अंशराशि की वापसी संभव नहीं होगी, वह राशि सस्पेंस खाते में जमा की जाएगी। बकायादार सदस्यों की अंशराशि उसके ऋण खाते में समायोजित की जाएगी।

6. रजिस्ट्रीकरण :—

01. संविलियन के पश्चात दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित सभी बैंकों का पंजीयन रजिस्ट्रार द्वारा रद्द किया जाएगा।

02. विद्यमान अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों की उपविधियां आवश्यक उपान्तरणों सहित जैसा कि रजिस्ट्रार विनिश्चय करें, परिणामी बैंकों के लिए प्रभावी होगी।

7. प्रबंध

01. प्रभावित बैंकों के पदाधिकारी तथा बोर्ड के सदस्यों के पद रिक्त हो जाएंगे।

02. परिणामी बैंकों का विद्यमान बोर्ड अपने निर्धारित कालावधि पूर्ण होने तक कार्यरत रहेगा।

03. परिणामी बैंकों का प्रतिनिधित्व विद्यमान प्रतिनिधि तब तक करते रहेंगे जब तक की नये प्रतिनिधि का निर्वाचन न हो जाए।

8. आस्तियां और दायित्व :—

प्रभावित बैंकों की आस्तियां और दायित्व परिणामी बैंकों की आस्तियां और दायित्व में पूर्णतः अंतरित हो जाएगी.

9. भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन :—

राज्य शासन के द्वारा प्रस्तावित "दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन" के प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र क्रमांक RPCD.CO.RCB NO. 12975/07.51.032/2012-13 दिनांक 04 जून, 2013 द्वारा अनुमोदन निम्नानुसार प्राप्त है :—

इस संबंध में हमारी सलाह है कि, राज्य शासन की समस्त वित्तीय देयताओं को पूरा करने की वचनबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए एवं वैधानिक व प्रशासनिक आवश्यकताओं का भी अनुपालन करते हुए हम छत्तीसगढ़ राज्य में दीर्घकालीन ग्रामीण सहकारी साख संरचना का अल्पकालीन ग्रामीण सहकारी साख संरचना में विलय के प्रस्ताव को अनुमोदित करते है। उक्त
अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा —

01. राज्य शासन विलय के समय सम्पूर्ण प्रतिबद्ध राशि 150 करोड़ उपलब्ध कराएगा।

02. विलय की तारीख पर समस्त संबंधित अस्तित्वों (प्रभावित एवं परिणामी बैंक) का विशेष संपरीक्षा कराया जाएगा, जिससे कि, वास्तविक वित्तीय स्थिति, हानि एवं प्रावधान में कमी की जानकारी हो।

03. विशेष संपरीक्षा पर संविलीनीकृत आस्तित्वों की संचित हानि को पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु यदि अनुदान सहायता की राशि में संपरीक्षकों के द्वारा पाये गये तथ्यों के अनुसार वृद्धि होती है तो राज्य सरकार अतिरिक्त अंशदान उपलब्ध कराएगा, जिससे की पर्याप्त नेटवर्थ एवं न्यूनतम सी.आर.ए.आर. (पूंजी का जोखिम भारित आस्तियों से प्रतिशत) सुनिश्चित करने जो राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मामले में लायसेसिंग हेतु आवश्यक है और जो वर्तमान में 4% है उसे विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए 9 प्रतिशत तक बढाया जाएगा।

04. ये संविलियन हेतु वैधानिक एवं प्रशासनिक आश्यकताएं जैसा कि नाबार्ड द्वारा तत्संबंध में परामर्श दिया जाए, कि राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के अध्यधीन होगा।

05. डिपाजिट इन्सोरेंस एवं क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के प्रब्याजी की पुनः संगणना एवं संदाय संविलीनीकृत अस्तित्वों द्वारा किया जाएगा योजना के क्रियान्वयन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

10. शक्तियाँ :–

परिणामी बैंकों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में वह समस्त शक्तियाँ होगी जो संविलियन के ठीक पूर्व विद्यमान प्रभावित बैंकों को थी।

11. अधिकार, हित एवं कर्तव्य :–

परिणामी बैंकों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में अधिकार, हित और कर्तव्य उसी अनुरूप होंगें जैसा कि संविलियन के ठीक पूर्व विद्यमान प्रभावित बैंकों को थे।

12. कर्मचारी वृन्द :–

प्रभावित बैंकों के सेवायुक्तों की सेवाएं संबंधित परिणामी बैंकों में अंतरण प्रथमः रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा परंतु अंतिम अंतरण एक वर्ष की अवधि में परिणामी बैंकों से परामर्श करके रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा।

13. कर्मचारी वृन्द की सेवा की शर्तें :–

01. विद्यमान प्रभावित बैंक के प्रभावशील सेवा नियम, परिणामी बैंक में प्रभावित बैंक से अन्तरित कर्मचारी वृन्द के लिए अनन्तिम रूप से आवश्यक उपान्तरणों सहित तब तक लागू रहेंगें जब तक कि परिणामी बैंक के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा नये सेवा नियम लागू न कर दिये जाए।

02. प्रभावित बैंक के अंतरित सेवायुक्तों को जिनके पदनाम तथा वेतनमान परिणामी बैंक के सेवायुक्तों के पदनाम तथा वेतनमान के समरूप होंगे ऐसे सेवायुकतों को परिणामी बैंक में उस बैंक की पदों की संरचना की निर्धारित वरिष्ठता में अंतिम व्यक्ति के ठीक नीचे से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। परंतु यह भी कि परिणामी बैंक के स्वीकृत सेटअप से अधिक पदों पर संविलियन के लिए कर्मचारी उपलब्ध होने की दशा में पृथक संवर्ग "डाईग केडर" के रूप में संविलियन किया जाएगा एवं सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उक्त पद स्वमेव समाप्त हो जाएगा।

छत्तीसगढ़ शासन,
सहकारिता विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर 492002

क्रमांक/एफ 12–7/15–2/2013/1858 नया रायपुर दिनांक 07/08/2014

विपणन सहकारी समितियों के सुदृढीकरण हेतु नियम

प्रस्तावना :–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य विषणन सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ कराना है। प्रदेश की कुछ विपणन सहकारी समितियां लाभ अर्जित कर रही है तथा विपणन सहकारी समितियों के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है किन्तु पर्याप्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध न होने के कारण नया व्यवसाय प्रारंभ करने में सक्षम नहीं है एवं भूमि का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसी समितियों को नया कार्य/व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

01. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–**

(एक) यह नियम "विपणन सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु नियम 2014" कहलाएगा।

(दो) यह नियम 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावशील होगा।

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य की सीमा तक होगा ।

02. **परिभाषाएं :–**

(एक) **संस्था–** "संस्था" का अभिप्राय प्राथमिक विपणन सहकारी समिति से है।

(दो) **पंजीयक –** "पंजीयक" का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

03. **पात्रता :–**

(एक) इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु, ऐसी संस्था जो लाभ अर्जित कर रही है तथा जिस पर शासकीय राशि (ऋण धनवेष्ठन) कालातीत नहीं है, पात्र होगी।

(दो) जो संस्था संचित हानि में है, परंतु लगातार तीन वर्षों तक लाभ अर्जित कर रही है। नए व्यवसाय प्रारंभ कर लाभ अर्जित कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकती है तथा संस्था अपनी कालातीत शासकीय राशि वापस कर सकती है, ऐसी संस्था के प्रस्ताव का पंजीयक द्वारा परीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा।

04. प्रभावशील ब्याज दरें :–

इस योजनान्तर्गत दिये जाने वाले ऋण हेतु संस्था पर प्रभारित ब्याज दर 10% प्रतिशत होगी।

05. राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता :–

(एक) संस्था को राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता ऋण, धनवेष्ठन (अंशपूंजी) एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

(दो) संस्था द्वारा चयन किए गए व्यवसाय, कार्य की कुल लागत का 90 प्रतिशत राशि आर्थिक सहायता के रूप में राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। शेष 10 प्रतिशत राशि संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

(तीन) संस्था को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

ऋण	अंशपूंजी	अनुदान	योग
50 %	40 %	10 %	100 %

(चार) कंडिका (तीन) के अतिरिक्त संस्था को उसकी अंशपूंजी में धनवेष्ठन कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

(पांच) पंजीयक द्वारा संस्था के चयनित व्यवसाय /कार्य के लिए एक बार ही आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी परंतु उस कार्य के विस्तार की संभावना होने पर पंजीयक की अनुशंसा पर पुनः आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।

(छः) संस्था को दिए जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा।

(सात) संस्था को स्वीकृत ऋण की वापसी सामान्यतः 01वर्ष पश्चात 8 अथवा 10 सामान किश्तों में वापस की जाना होगी। स्वीकृत अंशपूंजी की राशि सामान्यतः 05 वर्ष पश्चात 10 सामान किश्तों में वापसी होगी। संस्था को उपलब्ध करायी जाने वाली आर्थिक सहायता (ऋण एवं अंशपूंजी) की राशि की वापसी की शर्तों का उल्लेख प्रस्ताव में किया जावेगा।

06. संस्था द्वारा सुदृढ़ीकरण हेतु किए जाने वाले व्यवसाय/कार्य :–

(एक) विपणन सहकारी समितियों के पास स्वयं की पर्याप्त भूमि उपलब्ध है जिस पर निंम्न व्यवसाय किए जा सकते है जैसे– सुपर बाजार की स्थापना, कृषि/ वनोपज आधारित प्रोसेसिंग यूनिट जैसे – दाल मिल, मूंगफली तेल पेराई ईकाई आदि की स्थापना, धर्मकांटा की स्थापना, स्वयं की राईस मिलों को आधुनिकीकरण/मिनि राईस मिल की स्थापना, स्थानीय उपलब्ध कृषि/ अकृषि वस्तुओं का व्यवसाय, भवन निर्माण सामाग्री विक्रय, गोदामों का निर्माण/मरम्मत, खाद एवं खाद्यान्न व्यवसाय आदि कार्य।

(दो) संस्था द्वारा प्रस्तावित व्यवसाय," कार्य की परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर जिले के उप–सहायक पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी जिसे संबंधित अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरान्त अनुशंसा सहित पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जावेगा। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा आर्थिक सहायता की स्वीकृति उपरांत राशि विमुक्त करने प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जावेगा।

(तीन) संस्था को उपलब्ध कराई गई आर्थिक सहायता का संबंधित जिले के उप–सहायक पंजीयक द्वारा सतत पर्यवेक्षण किया जावेगा। किए गए पर्यवेक्षण का प्रतिवेदन जिला अधिकारी द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रेषित किया जावेगा।

(चार) नियमों का उल्लघंन किये जाने पर दिए जाने वाली आर्थिक सहायता रोकने/स्थगित करने का अधिकार पंजीयक राज्य शासन को होगा।

07. उपयोगिता प्रमाण पत्र :–

दी गई आर्थिक सहायता का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

08. विविध :–

(एक) राज्य शासन/पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

(दो) इस नियम में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा ।

सही
(डी.डी. सिंह)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

पृ. कमांक/एफ 12–7/15–2/2014/1859 नया रायपुर, दिनांक 07/08/2014

प्रतिलिपि :–

01. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय।
02. सचिव, छत्तीसगढ शासन वित्त विभाग।
03. सचिव, छत्तीसगढ शासन, कृषि विभाग।
04. संचालक, कृषि विभाग, लभांडी रायपुर।
05. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ इन्द्रावती भवन नया रायपुर।
06. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर।
07. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय भनपुरी रायपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

सही

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

उपयोगिता प्रमाण – पत्र

(परिशिष्ट–1)

प्रमाणित किया जाता है कि, विपणन सहकारी समिति मर्यादित .... जिला .... को छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग से मांग संख्या .... मुख्य लेखाशीर्ष .... योजना कमांक .... में प्राप्त ऋण/अंशपूंजी की राशि रू. .... का उपयोग योजना के उद्देश्य अनुसार कर लिया गया है।

सत्यापन करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर (उप/सहायक पंजीयक)		अध्यक्ष प्रबंधक विपणन सहकारी समिति मर्यादित ....

(परिशिष्ट–2)

विपणन सहकारी समितियों के सुदृढीकरण योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु

आवेदन पत्र

1 सहकारी संस्था का नाम – ....

2 पंजीयन क. एवं दिनांक – ....

3 वित्तीय वर्ष – ....

4 अध्यक्ष का नाम – ....

प्रबंधक का नाम ....

5 आर्थिक सहायता का उपयोग जिस कार्य में किया जाएगा का विवरण – ....

6 विभागीय आयोजना बजट का विवरण जिसमें राशि की मांग की गयी है। –

मांग संख्या	योजना क.	योजना का नाम
17/41	8970	विपणन सहकारी समितियों का सुदृढीकरण

7 आवेदित आर्थिक सहायता राशि का विवरण राशि रूपये ....

	ऋण	अंशपूंजी	अनुदान	योग
प्रतिशत %	50 %	40 %	10 %	100 %
राशि लाख में				

8 संस्था की आर्थिक स्थिति का विवरण – ....

क.		वर्ष	वर्ष	वर्ष
1	अंश पूंजी – सदस्य			
	शासन			
	कुल			
2	रक्षित एवं अन्य निधियां			
3	कार्यशील पूंजी			
4	शुद्ध लाभ/हानि			
5	सचित लाभ/हानि			

छत्तीसगढ़ शासन,
सहकारिता विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

क्रमांक/एफ 12–05/15–02/2014/2251 नया रायपुर, दिनांक /09/2014

राज्य शासन एतद् द्वारा सहकारी क्षेत्र के कार्यशील पूंजी ऋण में ब्याज दर को युक्तियुक्त करते हुए कारखानो के शक्कर कारखानों को लिए ब्याज दर 9.5 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित करता है यह ब्याज दर भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगी।

इस स्वीकृति हेतु वित्त विभाग के कमांक एफ 2014–15–00100 दिनांक 16.09.2014 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

सही

(अरूण कुमार सिंह)

अवर सचिव

छत्तीसगढ शासन

सहकारिता विभाग

पृ. कमांक/एफ 12–5/15–02/2014/2251 नया रायपुर दिनांक 25/09/2014

प्रतिलिपि –

01. सचिव, छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग के कमांक एफ–2014–15–00100 दिनांक 16.09.2014 द्वारा दी गई सहमति के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
02. महालेखाकार छत्तीसगढ रायपुर।
03. पंजीयक, सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
04. संचालक कोष एंव लेखा एवं पेंशन इन्द्रावती भवन नया रायपुर।
05. जिला कोषालय अधिकारी रायपुर।
06. प्रबंध संचालक सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, कवर्धा/बालोद/अंबिकापुर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सही

अवर सचिव

छत्तीसगढ शासन

सहकारिता विभाग

छत्तीसगढ़ शासन,
सहकारिता विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर 492002

कमांक/एफ 12–5/15–2/2014 नया रायपुर, दिनांक 26/09/2014

सहकारी शक्कर कारखाना को आर्थिक सहायता हेतु नियम

प्रस्तावना : –

इस योजना के अंतर्गत नवीन सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना एवं स्थापित कारखाने के विस्तार हेतु तथा कारखाना द्वारा कृषकों से समर्थन मूल्य में गन्ना खरीदी करने एवं कारखाने के संचालन के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी हेतु, राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता ऋण, अंशपूंजी में धनवेष्ठन तथा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–

(एक) यह नियम "सहकारी शक्कर कारखाना को आर्थिक सहायता हेतु नियम 2014" कहलाएगा।

(दो) यह नियम 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावशील होगा।

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य की सीमा तक होगा ।

02. परिभाषाएं :–

(एक) **कारखाना–** "कारखाना" का अभिप्राय "सहकारी शक्कर कारखाना" से है।

(दो) **पंजीयक –** "पंजीयक" का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

03. पात्रता :–

(एक) राज्य शासन की स्वीकृति पर नवीन सहकारी शक्कर करखाने की स्थापना एवं स्थापित शक्कर कारखाने के विस्तार हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारण किए जाने पर आर्थिक सहायता दी जा सकेगी।

(दो) कारखाना इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु, प्रदेश में स्थापित ऐसे सहकारी शक्कर कारखाना जो गन्ना पेराई का कार्य कर रहे हैं तथा बकाया शासकीय राशि की अदायगी करने में सक्षम है, पात्र होंगे।

04. राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता :–

(एक) कारखाना को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा।

(दो) कारखाना को राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता ऋण, धनवेष्ठन (अंशपूंजी) एवं अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

(तीन) ऋण :–

01. राज्य शासन की स्वीकृति पर नवीन सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना एवं स्थापित शक्कर कारखाने के विस्तार हेतु ऋण के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। कारखाने को दी जाने वाली ऋण (टर्म लोन) राशि का निर्धारण पंजीयक / राज्य शासन द्वारा किया जावेगा।

02. कारखाना को गन्ना खरीदी एवं कारखाना के संचालन हेतु कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कारखाने को दी जाने वाली ऋण राशि का निर्धारण पंजीयक/राज्य शासन द्वारा किया जावेगा।

03. कारखाना को कंडिका (तीन)(II) हेतु दिए जाने वाले ऋण पर प्रभारित ब्याज दर 9.5 % होगी।

04. कारखाना द्वारा किस्त की अदायगी में चूक करने पर 3 % दण्ड ब्याज देय होगा।

05. कार्यशील पूंजी ऋण की वापसी की अधिकतम अवधि एक वर्ष होगी या स्वीकृति आदेश में वापसी की तिथि का उल्लेख किया जावेगा।

06. नवीन सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना एवं स्थापित कारखाने के विस्तार हेतु दिए गए टर्म लोन की शर्तों का उल्लेख स्वीकृति आदेश में किया जावेगा।

(चार) **अंशपूंजी में धनवेष्ठन :–**

01. राज्य शासन की स्वीकृति पर नवीन सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना एवं स्थापित शक्कर कारखाने के विस्तार हेतु आवश्यक होने पर पंजीयक के प्रस्ताव अनुसार एवं राज्य शासन की स्वीकृति पर अंशपूंजी में धनवेष्ठन द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

02. स्वीकृत अंशपूंजी की राशि सामान्यतः 05 वर्ष पश्चात 10 सामान किश्तों में वापसी होगी।

(पाँच) **अनुदान :–**

कारखाने को किसी विशेष कार्य हेतु राज्य शासन की स्वीकृति पर अनुदान दिया जावेगा।

05. आहरण एवं भुगतान की प्रक्रिया :–

(एक) कारखाने द्वारा आर्थिक सहायता की राशि के निर्गमन का प्रस्ताव पंजीयक द्वारा अपनी अनुशंसा सहित सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित किया जावेगा

(दो) कारखाने द्वारा मांग की गई आर्थिक सहायता हेतु प्रस्ताव निर्धारित आवेदन पत्र (परिशिष्ट–1) में संचालक मण्डल के प्रस्ताव एवं विगत वर्षों के वित्तीय पत्रक सहित प्रस्तुत किया जावेगा।

(तीन) कारखाने द्वारा मांग की गई ऋण राशि हेतु निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–2) में अनुबंध पत्र देना होगा।

(चार) कारखाने द्वारा मांग की गई ऋण राशि हेतु निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–3) में मांग वचन पत्र देना होगा।

(पांच) आर्थिक सहायता के प्रस्ताव में नियमों का उललघंन किये जाने पर दिए जाने वाली आर्थिक सहायता रोकने/स्थगित करने का अधिकार पंजीयक/राज्य शासन को होगा।

06. उपयोगिता प्रमाण पत्र :–

दी गई आर्थिक सहायता का उपयोगिता प्रमाण पत्र (परिशिष्ट–4) जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

07. विविध :–

(एक) राज्य शासन/पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

(दो) इस नियम में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा।

सही
(डी.डी सिंह)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

पृ. क्रमांक / एफ / 12–5 / 15–2 / 2014 नया रायपुर दिनांक 26 / 09 / 2014

प्रतिलिपि –

01. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय।
02. सचिव, छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग को उनके क्रमांक एफ–2014–15–00100 दिनांक 16.09.2014 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
03. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ इन्द्रावती भवन नया रायपुर।
04. प्रबंध संचालक, समस्त सहकारी शक्कर कारखानो
05. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय भनपुरी रायपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सही
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

(परिशिष्ट–1)

सहकारी शक्कर कारखाना को आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र

1 सहकारी शक्कार कारखाने का नाम – ....

2 पंजीयन क. एवं दिनांक – ....

3 वित्तीय वर्ष – ....

4 अध्यक्ष का नाम – ....

प्रबंधक/संचालक का नाम ....

5 आर्थिक सहायता का उपयोग जिस कार्य में किया जाएगा का विवरण – ....

6 विभागीय आयोजना बजट का विवरण जिसमें राशि की मांग की गयी है। –

मांग संख्या	योजना क.	योजना का नाम
17/41	5055	सहकारी शक्कर कारखाना

7 आवेदित आर्थिक सहायता राशि का विवरण राशि रूपये ....

	ऋण	अंशपूंजी	अनुदान
राशि लाख में			

8 संस्था की आर्थिक स्थिति का विवरण – विगत तीन वर्षो की जानकारी निम्नानुसार है –

क.		वर्ष	वर्ष	वर्ष
1	अंश पूंजी – सदस्य			
	समितियां			
	शासन			
	कुल			
	शासन की अंशपूंजी का प्रतिशत			
2	रक्षित एवं अन्य निधियां			
3	कार्यशील पूंजी			
4	शुद्ध लाभ/हानि			
5	सचित लाभ/हानि			

9 संस्था के पास उपलब्ध नगद राशि का विवरण

1. नगद राशि –
2. बैंक खाते में –
3. योग –

10 संस्था द्वारा वर्तमान में किये जा रहे व्यवसाय का विवरण – विगत तीन वर्षो का गन्ना पेराई एंव उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है –

वर्ष	गन्ना पेराई लक्ष्य	गन्ना पेराई (मे.टन में)	शक्कर उत्पादन (क्विंटल में)

11 विगत् वर्षो में राज्य शासन से प्राप्त राशि वापस की गई एवं बकाया राशि का विवरण – विगत वर्षो की जानकारी निम्नानुसार है – (आवश्यक होने पर बकाया की जानकारी अलग प्रपत्र में संलग्न करें।)

(1) बकाया ऋण –

वर्ष	प्राप्त राशि	वापस की गई राशि		बकाया राशि		
		मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	दण्ड ब्याज

(2) अंश पूंजी –

वर्ष	प्राप्त राशि	ड्यू किस्त की राशि		वापस की गई राशि	
		अवधि	राशि	दिनांक	राशि

(जमा राशि के चालान की प्रति संलग्न करें।)

संलग्न –

01. विगत् तीन वर्षो के वित्तीय पत्रक।
02. विगत वर्ष प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र।
03. संचालक मण्डल का प्रस्ताव।
04. केश फ्लो पत्रक।

सही
प्रबंधक संचालक
(सील)

उपरोक्तानुसार रूपये .... की शासकीय आर्थिक सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

सही
उप/सहायक पंजीयक
(सील)

अनुबंध पत्र

स्थान : ....

दिनांक : ....

मैं/हम .... पिता/पति..
प्रबंध संचालक, ... सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित,...........................
पं. क्र. (जिसे इस अनुबंध पत्र में आगे ऋणी संस्था कहा गया है) के द्वारा ....
ऋण हेतु आवेदन पत्र दिनांक ....के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग (जिसे इस अनुबंध पत्र में आगे ऋणदाता कहा गया है) कार्यालय ....
के ऋण स्वीकृति पत्र/आदेश क्रमांक.............................. दिनांक के द्वारा राशि ....
.अक्षरी ....अवधि .... वर्षीय ऋण स्वीकृत किया गया है। ऋण स्वीकृति पत्र आदेश में उल्लेखित शर्त क्रमांक ....से.......
...........तक का पालन करना दोनों पक्षकारों ऋणी एवं ऋणदाता हेतु बाध्यकारी होगा। ऋण स्वीकृति के शर्तों के उल्लंघन की दशा में ऋणी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही का अधिकार नियमानुसार छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग (ऋणदाता) को होगा। उपरोक्तानुसार स्वीकृत ऋण संवितरण/निर्गमन दिनांक ....को किया गया है। ऋण की राशि .... अक्षरी रूपये ....
.... एवं ब्याज दर .... वार्षिक है।

इसके अतिरिक्त अनुबंध की निम्नानुसार शर्ते होगी जिसका पालन दोनों पक्षकारों हेतु बाध्यकारी हागी :–

01. निर्धारित समयावधि में ऋण अदायगी में चूक की दशा में 3 प्रतिशत वार्षिक दण्ड ब्याज प्रभारित किया जावेगा जिसका संदाय चूककर्ता ऋणी संस्था को करना होगा।
02. ऋण की अदायगी एक मुस्त की जायेगी। ऋण अदायगी हेतु देय तिथि .... .होगी/ऋण की अदायगी .... वर्ष पश्चात .... समान किस्तों में की जावेगी।
03. ऋण की आदायगी हेतु राशि शासकीय कोषालय में .... लेखाशीर्ष में जमा की जावेगी।
04. प्राप्त ऋण राशि का उपयोग आवेदित कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन में किसी भी दशा में नहीं किया जावेगा।

05. ऋण राशि की दुरूपयोग की दशा में ऋण राशि की एकमुश्त वापसी एवं अन्य दण्डिक कार्यवाही हेतु ऋणी संस्था के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदार होंगे।

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक .... को पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, रायपुर एवं .... सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, ... पं. क्र............................के मध्य निष्पादित किया गया। अनुबंध की शर्तो के पालन में चूक की दशा में अधोहस्ताक्षरकर्ता व्यक्तिगत रूप से जवाबदार होंगे।

सही

हस्ताक्षर
उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाए
....

सही

हस्ताक्षर
ऋणी संस्था

साक्षी –

नाम, पता एवं हस्ताक्षर

1. ....
....

2. ....
....

मांग वचन पत्र

स्थान : ....

दिनांक : ....

मैं/हम .... पिता/पति..

.....प्रबंध संचालक, ... सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित,..............

.... पं. क्र.............................. जिला .... पंजीयक सहकारी संस्थाए छत्तीसगढ रायपुर मांग किये जाने पर अथवा उनके आदेशानुसार रू. .... अक्षरी .... मात्र .... हेतु ऋण रू ....

अक्षरी .... ब्याज दर .... % प्रति वर्ष अदा करने का एतद् वचन देता/देते हूं/है।

सही

गवाह

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पता ....

....

Revenue Stamp

प्रबंध संचालक

संस्था का नाम एवं पता

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, ... सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित .... जिला ....को छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग से मांग संख्या .... मुख्य लेखाशीर्ष .... योजना क्रमांक .... में प्राप्त ऋण/अंशपूंजी की राशि रू. .... का उपयोग योजना के उद्देश्य अनुसार कर लिया गया है।

सही

प्रबंध संचालक
सील

सही

सत्यापन करने वाले
अधिकारी का हस्ताक्षर
(उप/सहायक पंजीयक)

छत्तीसगढ़ शासन,
सहकारिता विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर 492002

क्रमांक/एफ 12–6/15–2/2014 नया रायपुर दिनांक 26/09/2014

आदिम जाति एवं प्राथमिक कृषि साख, सहकारी समितियो के अंशक्रय हेतु अनुदान नियम

प्रस्तावना : –

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत संचालित इस योजना द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं आदिम जाति कृषि साख, सहकारी समितियों के नये सदस्य बनाने के लिए अंशक्रय हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

01. उद्देश्य :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्य बनाने तथा कमजोर वर्ग के हरिजन कृषकों एवं श्रमिकों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्य बनाने हेतु, समिति का अंशक्रय करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराने से इन वर्गों के सदस्यों को समितियों के माध्यम से कृषि कार्यों हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध होगा एवं समितियों द्वारा संचालित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

02. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–

(एक) यह नियम "आदिम जाति एवं प्राथमिक कृषि साख, सहकारी समितियों के अंशक्रय हेतु अनुदान नियम, 2014" कहलाएगा।

(दो) यह नियम 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावशील होगा।

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य की सीमा तक होगा।

03. परिभाषाएं –

(एक) **अनुसूचित जाति :–** "अनुसूचित जाति" का अभिप्राय है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट है।

(दो) **अनुसूचित जनजाति :–** "अनुसूचित जनजाति" का अभिप्राय है, कोई जनजाति, जनजाति समुदाय या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें यूथ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट है।

(तीन) **सीमांत कृषक :–** सीमांत कृषक से अभिप्राय ऐसे कृषक से है, जो एक हेक्टेयर (2.50 एकड) अथवा उससे कम भूमि धारित करने वाला कृषक हो।

(चार) **लघु कृषक :–** लघु कृषक से अभिप्राय ऐसे कृषक से है, जो एक हेक्टेयर से अधिक परंतु दो हेक्टेयर (5.00 एकड़) तक की भूमि धारित करने वाला कृषक हो।

(पांच) **समिति :–** "समिति" का अभिप्राय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति/कृषक सेवा सहकारी समिति/आदिम जाति बहुद्देशीय सहकारी समिति से है।

(छः) **पंजीयक :–** "पंजीयक" का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

04. पात्रता.–

(एक) इस योजना के अंतर्गत आदिम जाति एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषक ही पात्र होंगे।

(दो) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को समितियों की नवीन सदस्यता ग्रहण करने के लिए ही अंशक्रय हेतु अनुदान दिया जायेगा।

(तीन) अंशक्रय अनुदान की राशि पात्र कृषकों को नगद नहीं दी जावेगी। यह राशि समिति द्वारा सदस्य के अंशपूंजी खाते में जमा की जावेगी।

05. राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता :–

(एक) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लघु एवं सीमांत एक कृषक को समिति की सदस्यता हेतु अधिकतम रूपये 500 की आर्थिक सहायता अंशक्रय अनुदान के रूप में दी जावेगी।

(दो) किसी समिति को इस योजनांतगत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति वर्ग के नये सदस्य बनाने हेतु एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।

(तीन) संस्था के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा।

06. आहरण एवं भुगतान की प्रक्रिया :–

(एक) समिति का प्रस्ताव संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा संकलित कर जिले के उप सहायक पंजीयक के माध्यमं से पंजीयक को प्रस्तुत किया जावेगा। पंजीयक द्वारा अनुसंशा सहित प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा।

(दो) आर्थिक सहायता के प्रस्ताव में नियमों का उल्लघंन किये जाने पर दिए जाने वाली आर्थिक सहायता रोकने/स्थगित करने का अधिकार पंजीयक /राज्य शासन को होगा।

07. उपयोगिता प्रमाण पत्र :–

दी गई आर्थिक सहायता का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिले के संयुक्त /उप /सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

08. विविध :–

(एक) राज्य शासन /पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

(दो) इस नियम में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा।

सही
(डी.डी. सिंह)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

पृ. क्रमांक /एफ 12–6/15–2/2014 नया रायपुर, दिनांक 26/09/2014

प्रतिलिपि :–

01. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को उनके क्रमांक एफ–2014–15–00101 दिनांक 25.09.2044 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
03. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
04. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर।
05. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भनपुरी, रायपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सही
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

छत्तीसगढ़ शासन,
सहकारिता विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर 492002

क्रमांक/एफ 12–7/15–2/2014

नया रायपुर दिनांक 26/09/2014

आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियो को प्रबंधकीय अनुदान नियम

प्रस्तावना : –

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत संचालित इस योजना द्वारा आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय हानि की प्रतिपूर्ति के लिए प्रबंधकीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

01 उद्देश्य :–

अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में पंजीकृत आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितिया शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इन समितियों को विभिन्न योजनाओं के संचालन में प्रबंधकीय वित्तीय भार अधिक होने पर हानि हो रही है। अतः ऐसी समितियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाये रखने के लिए प्रबंधकीय अनुदान उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। ताकि समिति अपने व्यवसायिक कार्यों का संचालन सुचारू रूप से कर सके।

02. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–

(एक) यह नियम "आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान, नियम, 2014'' कहलाएगा।

(दो) यह नियम 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावशील होगा।

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ राज्य की सीमा तक होगा ।

03. परिभाषाएं :–

(एक) **समिति :–** "समिति" का अभिप्राय आदिम जाति कृषि साख सहकारी समिति से है।

(दो) पंजीयक :– "पंजीयक" का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है राहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

04. पात्रता :–

(एक) इस योजना के अंतर्गत केवल आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितिया ही पात्र होंगी।

(दो) इस योजना के अंतर्गत समिति जिन्हे विगत वर्ष रूपये 10,000 से अधिक की हानि हुई हो, उन्ही समितियों को प्रबंधकीय अनुदान की प्रात्रता होगी।

05. राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता :–

(एक) नियम 04 के अनुसार पात्र आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को अधिकतम रूपये 10,000 तक की आर्थिक सहायता प्रबंधकीय अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

(दो) इस योजनान्तर्गत किसी समिति को प्रबंधकीय अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दिये जाने के पश्चात आगामी तीन वर्षों तक पुनः आर्थिक सहायता नहीं दी जावेगी।

(तीन) संस्था के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा।

06. आहरण एवं भुगतान की प्रक्रिया :–

(एक) समिति का प्रस्ताव संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा संकलित कर जिले के उप/सहायक पंजीयक के द्वारा परीक्षण उपरांत पंजीयक को प्रस्तुत किया जावेगा। पंजीयक द्वारा अनुसंशा सहित प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा।

(दो) समितियों को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु प्रस्ताव में परिशिष्ट–1 में जानकारी प्रस्तुत की जावेगी।

(तीन) आर्थिक सहायता के प्रस्ताव में नियमों का उल्लघंन किये जाने पर दिए जाने वाली आर्थिक सहायता रोकने/स्थगित करने का अधिकार पंजीयक/राज्य शासन को होगा।

07. उपयोगिता प्रमाण पत्र :–

दी गई आर्थिक सहायता का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिले के संयुक्त /उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

08. विविध :–

(एक) राज्य शासन, पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

(दो) इस नियम में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा।

सही
(डी.डी. सिंह)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 12–7/15–2/2014 नया रायपुर, दिनांक 26/09/2014

प्रतिलिपि :–

01. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को उनके क्रमांक एफ/2014–15–00102 दिनांक 25.09.2014 के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
03. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
04. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर।
05. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भनपुरी, रायपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

सही
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

(परिशिष्ट–1)

आदिम जाति कृषि साख सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान दिये जाने हेतु जानकारी

क.	जिला बैंक	विकास खण्ड	समिति का नाम	समिति को हुई हानि		विगत वर्ष में दी गई आर्थिक सहायता		प्रस्तावित आर्थिक सहायता राशि
				वर्ष	राशि	वर्ष	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
योग								

छत्तीसगढ़ शासन,
सहकारिता विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / एफ 15–30 / 15–02 / 2015 / 2838 रायपुर, दिनांक 26 / 12 / 2015

सूखा प्रभावित कृषको के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना – 2015

----0----

प्रस्तावना :– खरीफ वर्ष 2015 में प्रदेश के 9.52. लाख कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरीत किया गया है। अवर्षा के कारण खरीफ फसल प्रभावित हुई है। नजरी अनावारी, 2015 के आधार पर 117 तहसील के फसल का उत्पादन 50 प्रतिशत से कम हुआ है। जिससे कृषकों द्वारा कृषि ऋण की अदायगी में कठिनाई हो रही है। अतः कृषकों के व्यापक हित में छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के सभी सूखा प्रभावित कृषकों के द्वारा खरीफ 2015 में लिये गए अल्पकालीन कृषि ऋणों को ब्याज रहित मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन की सुविधा एवं आंशिक ऋण माफी का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के क्रियान्यवन हेतु निम्नानुसार ऋण राहत योजना निर्धारित की जाती है।

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–

(एक) यह योजना "सूखा प्रभावित कृषकों के लिये अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना–2015" कहलाएगी।

(दो) यह योजना खरीफ 2015 में लिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण जो 30 सितंबर, 2015 पर बकाया है, के लिये प्रभावशील होगा।

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा।

02. परिभाषाएं

(एक) **कृषक :– "कृषक"** का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो भूस्वामी, मौसमी कृषक शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के स्वत्व में कृषि भूमि धारण करता हो या अन्य किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर खेती करता हो।

(दो) **सीमांत कृषकः–** "सीमांत कृषक" से अभिप्राय ऐसे कृषक से है जो अधिकतम 2.50 एकड़ तक भूमि धारण करता हो।

(तीन) **लघु कृषक :– "लघु कृषक"** से अभिप्राय ऐसे कृषक से है जो 2.5 एकड़ से अधिक तथा 5.00 एकड़ तक कृषि भूमि धारण करता हो।

(चार) **बैंक :– "बैंक"** से अभिप्राय है सहकारी बैंक, जिसे आगे बैंक के नाम से उल्लेखित किया गया है।

(पॉच) **संस्था :– "संस्था"** से अभिप्राय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/कृषक सेवा सहकारी संस्था/आदिम जाति बहुउददेशीय सहकारी संस्था, से है।

(छः) **अल्पकालीन कृषि ऋण :–** " अल्पकालीन कृषि ऋण" का अभिप्राय सीधे किसानों अथवा किसानों के समूह (स्व सहायता समूह) को दिये गये अल्पावधि फसल ऋण से है, जो दिनांक 01 अप्रेल, 2015 से दिनांक 30 सितंबर, 2015 तक संवितरित हो तथा दिनांक 30 सितंबर, 2015 पर बकाया हो।

(सात) **पंजीयक :–** "पंजीयक" का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो कंडिका 2(चार) में वर्णित सहकारी बैंक एवं कंडिका 2(पॉच) में वर्णित संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

03. **ऋण राहत/ऋण परिवर्तन की पात्रता :–** आंशिक ऋण माफी एवं ऋण परिवर्तन की पात्रता निम्नानुसार होगी :–

अ ऋण राहत :–

(एक) ऋण राहत की पात्रता कंडिका 2(चार) में वर्णित बैंकों एवं कंडिका 2(पॉच) में वर्णित संस्था के द्वारा वितरित ऋण के लिये होगी।

(दो) ऋण राहत की पात्रता उस ऋण पर होगी जो कंडिका 2(छः) में वर्णित हो।

(तीन) कृषक सदस्यों को दिनांक 01 अप्रेल, 2015 से दिनांक 30 सितंबर, 2015 तक संवितरित अल्पकालीन कृषि ऋण, जो दिनांक 30 सितंबर, 2015 पर बकाया हो।

(चार) ऋण राहत की पात्रता राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 क्रमांक 4 के परिशिष्ट–एक के भाग 'ब' के अंतर्गत राहत पाने के लिये पात्र पाए गए कृषकों को ही होगी।

(पॉच) कंडिका (02)(छ) के अनुसार वितरीत ऋण राशि में से 75 प्रतिशत राशि कृषक द्वारा नियत तिथि (15 मार्च, 2016) तक जमा किये जाने पर 25 प्रतिशत ऋण राशि माफ की जायेगी। निर्धारित 75 प्रतिशत के कम राशि कम जमा करने वाले कृषकों अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात राशि जमा करने वाले कृषकों कों 25 प्रतिशत ऋण माफी का लाभ प्राप्त नही होगा।

(ब) ऋण परिवर्तन :–

(एक) सूखा प्रभावित 0 से 37 पैसे तक आनावारी वाले ग्रामों में खरीफ 2015 में वितरित एवं बकाया अल्पकालीन कृषि ऋण को तीन वर्ष की अवधि के लिये मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया जा सकेगा।

क्र.	वर्ष	ऋण का प्रतिशत
1	2015–16	30 प्रतिशत
2	2016–17	50 प्रतिशत
3	2017–18	20 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार ऋण अदायगी पर ब्याज प्रभारित नहीं किया जावेगा।

(दो) 38 पैसे से 50 पैसे तक की आनावारी वाले ग्रामों में ऋण राहत हेतु पात्र कृषकों को खरीफ 2015 में वितरित एवं बकाया अल्पकालीन कृषि ऋण को दो वर्ष के लिये परिवर्तन किया जा सकेगा।

क्र.	वर्ष	ऋण का प्रतिशत
1	2015–16	50 प्रतिशत
2	2016–17	50 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार ऋण अदायगी पर ब्याज प्रभारित नहीं किया जावेगा।

(तीन) 50 पैसे से अधिक आनावारी घोषित ग्रामों में ऋण राहत हेतु पात्र कृषकों को भी खरीफ 2015 में वितरित एवं बकाया अल्पकालीन कृषि ऋण को दो वर्ष के लिये परिवर्तन किया जा सकेगा।

(दस) बैंक – बैक से अभिप्राय है सहकारी बैक एंव छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक जिसे आगे बैंक के नाम से उल्लेखित किया गया है।

(ग्यारह) संस्थाः– "संस्था" से अभिप्राय, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/कृषक सेवा सहकारी संस्था/आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, से है।

(बारह) अल्पकालीन कृषि ऋण :–– "अल्पकालीन कृषि ऋण" का अभिप्राय, सीधे किसानों अथवा किसानों के समूह (स्व सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह) को दिये गये अल्पावधि फसल ऋण से है।

(तेरह) पंजीयक :– "पंजीयक" का अभिप्राय, सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो इस योजना की कंडिका (2)(दस) में वर्णित सहकारी बैंक एवं कंडिका (2)ध्यारह) में वर्णित संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

(चौदह) संचालक, संस्थागत वित्त :– "संचालक, संस्थागत वित्त " का अभिप्राय, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अधीन कार्यरत संचालक संस्थागत वित्त से है।

03. ऋण माफी की पात्रता :–

01. प्रदेश के सभी कृषकों का ऐसा अल्पकालीन कृषि ऋण स्थगित ऋण/मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण एवं मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण जो दिनांक 30 नवम्बर, 2018 पर बकाया हो, ऐसी बकाया राशि माफ की जाएगी।

02. दिनांक 01 नवम्बर, 2018 से दिनांक 30 नवम्बर, 2018 के मध्य लिंकिंग या नगद के रूप में चुकाये गये ऋणों की राशि भी माफी योग्य रहेगी, जो कृषकों को वापसी योग्य होगी।

04. **योजना में अपवर्जन :–** इस योजना के अंतर्गत अल्पकालीन कृषि ऋण को छोड़कर शेष किसी भी प्रकार के मध्यमकालीन/दीर्घकालीन ऋण की माफी नहीं की जाएगी। ऋण माफी का लाभ केवल कंडिका–(02)(दस) में दर्शित बैंक एवं कंडिका–(02) (ग्यारह) में दर्शित संस्थाओं से लिए गये अल्पकालीन कृषि ऋण

पर होगा। कार्पोरेट/पार्टनरशीप फर्म/ट्रस्ट को दिये गए कृषि ऋण पर ऋण माफी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित माईक्रोफाईनेंस संस्थान (MFIs) द्वारा वितरित किसी भी प्रकार के ऋण इस योजना में शामिल नहीं होंगे। खड़ी फसल के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों हेतु प्लेज एवं हाईपोथिकेशन के विरूद्ध दिये गये ऋण इस योजना में शामिल नही होंगे।

05. **ऋण माफी हेतु बजट :–** ऋण माफी हेतु आवश्यक बजट की मांग संबंधित बैंकों द्वारा अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से किया जावेगा।

06. **ऋण देने बाली संस्था के दायित्व –** ऋण देने वाली प्रत्येक बैंक/संस्था इस योजना के अधीन पात्र कृषकों की सूची तथा प्रत्येक किसान के संबंध में ऋण माफी की सत्यता एवं विश्वसनीयता के लिये जिम्मेदार होगी। ऋण देने वाली बैंक/ संस्था द्वारा इस योजना के उद्देश्य से अनुरक्षित प्रत्येक प्रलेख, तैयार की गई प्रत्येक सूची और जारी किये जाने वाले प्रत्येक प्रमाण पत्र पर ऋण देने वाली बैंक/संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उसका पदनाम होना चाहिये।

07. लेखा परीक्षा :– प्रत्येक ऋण देने वाली बैंक/संस्था जिसने इस योजना के अधीन ऋण माफी दी है उसकी लेखा बहियाँ राज्य शासन द्वारा निर्धारित कार्याविधि के अनुरूप लेखापरीक्षा के अधीन होगी कि लेखापरीक्षा राज्य शासन द्वारा निर्धारित संगामी लेखा परिक्षकों, सांविधिक लेखापरिक्षकों या विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी। राज्य शासन किसी ऋण दाता बैंक/संस्था के मामले में या उसकी किसी एक या अधिक शाखाओं को विशेष लेखा परीक्षा के निर्देश दे सकती है।

08. प्रचार–प्रसार :– इस योजना में शामिल प्रत्येक ऋण देने वाले बैंक संस्था की प्रत्येक शाखा में इस योजना की एक प्रति प्रदर्शित की जाएगी।

पृ. क्रमांक/एफ 15–30/15–2/2015/2839 नया रायपुर, दिनांक 26/12/2015

प्रतिलिपि :–

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग।
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।
05. संचालक, कृषि विभाग, लभांडी, रायपुर।
06. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
07. संचालक, संस्थागत वित्त, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
08. कलेक्टर जिला समस्त, छत्तीसगढ़।
09. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर ।
10. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही

सचिव

छत्तीसगढ शासन

सहकारिता विभाग

छत्तीसगढ़ शासन,
सहकारिता विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर, 492002

।। संशोधन ।।

नया रायपुर, दिनांक 04/01/2016

क्रमांक /एफ 15–30/15–2/2015/15 विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक/एफ/15–30/15–2/2015/2838 दिनांक 26.12.2015 द्वारा जारी सूखा प्रभावित कृषकों के लिये अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना–2015 की कंडिका (03)(अ) के सरल क्रमांक (पाँच) के पश्चात् सरल क्रमांक (छः) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"(छः) जिन कृषकों द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक अल्पकालीन कृषि ऋण की राशि, पूर्णतः/अंशतः जमा की गई हो, उन्हे भी इस योजना का लाभ कुल ऋण राशि पर दिया जाएगा।"

सही
(डी.डी.सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 15–30/15–2/2016

रायपुर दिनांक 04/01/2016

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय ।
02. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन।
03. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग।
05. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
06. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।
07. संचालक, कृषि विभाग, लभांडी, रायपुर।
08. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
09. कलेक्टर–जिला समस्त, छत्तीसगढ़।
10. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर।
11. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सही
सचिव
छत्तीसगढ शासन सहकारिता विभाग

छत्तीसगढ़ शासन,सहकारिता विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर, 492002
।। आदेश ।।

नया रायपुर, दिनांक 02/03/2016

क्रमांक /एफ 15–30/15–2/2015/1/विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक/एफ 15–30/15–2/2015/2838 दिनांक 26.12.2015 यथा संशोधित पृष्ठांकन क्रमांक/एफ 15–30/15–2/2015/15 दिनांक 04.01.2016 द्वारा **सूखा प्रभावित कृषकों के लिये अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना–2015 जारी किया गया है।**

खरीफ 2015 में सरगुजा जिले के ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को उक्त योजना की कंडिका 3 (अ) एवं (ब) के अनुसार ऋण राहत/ऋण परिवर्तन की पात्रता होगी तथा योजना की अन्य कंडिकाएँ भी यथावत लागू होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
सही
(डी.डी.सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 15–30/15/2/2015/1571 रायपुर दिनांक 02/03/2016

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय ।
02. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन।
03. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग।
05. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
06. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।
07. संचालक, कृषि विभाग, लभांडी, रायपुर।
08. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
09. कलेक्टर–जिला समस्त, छत्तीसगढ़।
10. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर।
11. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सही
सचिव
छत्तीसगढ शासन
सहकारिता विभाग
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन,
सहकारिता विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

:: आदेश ::

अटल नगर, दिनांक 19/12/2018

क्रमांक/एफ 15–45/15–2/2018 :: राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में समस्त किसानों के दिनांक 30 नवम्बर, 2018 तक का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लेता है। दिनांक 01 नवम्बर, 2018 से दिनांक 30 नवम्बर, 2018 के मध्य लिंकिंग या नगद के रूप में चुकाये गये ऋणों की राशि भी माफी योग्य रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
सही
(रीता शांडिल्य)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 15–45/15–2/2018/3334 नया रायपुर, दिनांक : 19/12/2018

प्रतिलिपि :–

01. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
02. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय ।
03. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग।
04. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।
05. संचालक, संस्थागत वित्त, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
06. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
07. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ ।
08. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।
09. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन।
10. कलेक्टर–जिला समस्त, छत्तीसगढ़ ।
11. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, रायपुर ।
12. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित

सही

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

छत्तीसगढ़ शासन,
सहकारिता विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

"अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना—2018"

प्रस्तावना :– छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, प्रदेश की एक बड़ी आबादी के आय का स्त्रोत कृषि आधारित है। कृषकों द्वारा कृषि कार्य हेतु विभिन्न बैंकों/सहकारी समितियों से अल्पकालीन कृषि ऋण लिया जाता है। प्रदेश में विगत कई वर्षों से अवर्षा एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल की क्षति होती आयी है। जिस वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। प्रदेश के कृषकों द्वारा विभिन्न मंचों के माध्यम से कृषि ऋण माफ करने हेतु सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है। प्रदेश की समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि, कृषकों के बकाया अल्पकालीन कृषि ऋण माफ कर दिये जाने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा वे बेहतर स्थिति में अपना जीवन यापन कर सकेंगे। अतः कृषकों के व्यापक हित में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में समस्त किसानों के दिनांक 30 नवम्बर, 2018 तक का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार ऋण माफी योजना निर्धारित की जाती है :–

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–

(एक) यह योजना **"अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना–2018"** कहलाएगी।

(दो) यह योजना अल्पकालीन कृषि ऋण जो दिनांक 30 नवम्बर, 2018 पर बकाया ऋण, के लिये प्रभावशील होगा।

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा।

02. परिभाषाएं

(एक) कृषक :– "कृषक" का अभिप्राय, ऐसे व्यक्ति से है जो भूस्वामी, मौरूसी कृषक, शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के स्वत्व में कृषि भूमि धारण करता हो या अन्य किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर खेती करता हो।

(दो) **सीमांत कृषक :— "सीमांत कृषक"** से अभिप्राय ऐसे कृषक से है जो अधिकतम 2.50 एकड़ तक भूमि धारण करता हो।

(तीन) **लघु कृषक :— "लघु कृषक"** से अभिप्राय, ऐसे कृषक से है जो 2.50 एकड़ से अधिक तथा 5.00 एकड़ तक कृषि भूमि धारण करता हो।

(चार) **बड़े कृषक :— "बड़े कृषक"** से अभिप्राय, ऐसे कृषक से है जो 5.00 एकड़ से अधिक कृषि भूमि धारण करता है।

(पांच) **स्व–सहायता समूह :— "स्व–सहायता समूह"** से अभिप्राय, कृषकों के ऐसे समूह से है जो दिनांक 31 मार्च, 2018 के पूर्व से गठित है, जिनके द्वारा समिति/बैंक से फसल ऋण के प्रयोजन हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण लिया गया हो।

(छः) **संयुक्त देयता समूह :— "संयुक्त देयता समूह"** से अभिप्राय, कृषकों के ऐसे समूह से हैं जो दिनांक 31 मार्च, 2018 के पूर्व से गठित है, जिनके द्वारा समिति/बैंक से फसल ऋण के प्रयोजन हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण लिया गया हो।

(सात) **स्थगित ऋण :— "स्थगित ऋण"** से अभिप्राय, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शासन/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा/निर्देशों पर अल्पकालीन कृषि ऋणों को एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया हो।

(आठ) **मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण :— "मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण"** से अभिप्राय, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शासन/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों पर अल्पकालीन कृषि ऋणों को मध्यमकालीन ऋण में परिवर्तित किया गया हो।

(नौ) **मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण :— "मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण"** से अभिप्राय, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शासन/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों पर मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण की किस्तों को पुनः परिवर्तित किया गया हो।

(दस) **बैंक :— "बैंक"** से अभिप्राय है, सहकारी बैंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जिसे आगे 'बैंक' के नाम से उल्लेखित किया गया है।

(ग्यारह) **संस्था :– "संस्था"** से अभिप्राय, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/कृषक सेवा सहकारी संस्था/आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, से है।

(बारह) **अल्पकालीन कृषि ऋण :– "अल्पकालीन कृषि ऋण"** का अभिप्राय, सीधे किसानों अथवा किसानों के समूह (स्व सहायता समूह/संयुकत देयता समूह) को दिये गये अल्पावधि फसल ऋण से है।

(तेरह) **पंजीयक :– "पंजीयक"** का अभिप्राय, सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो इस योजना की कंडिका (2)(दस) में वर्णित सहकारी बैंक एवं कंडिका (2)(ग्यारह) में वर्णित संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

(चौदह) **संचालक, संस्थागत वित्त :–** "संचालक, संस्थागत वित्त " का अभिप्राय, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अधीन कार्यरत संचालक संस्थागत वित्त से है।

(03) ऋण माफी की पात्रता.–

01. प्रदेश के सभी कृषकों का ऐसा अल्पकालीन कृषि ऋण/स्थगित ऋण , मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण एवं मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण जो दिनांक 30 नवम्बर, 2018 पर बकाया हो, ऐसी बकाया राशि माफ की जाएगी।

02. दिनांक 01 नवम्बर, 2018 से दिनांक 30 नवम्बर, 2018 के मध्य लिंकिंग या नगद के रूप में चुकाये गये ऋणों की राशि भी माफी योग्य रहेगी, जो कृषकों को वापसी योग्य होगी।

(04) **योजना में अपवर्जन :–** इस योजना के अंतर्गत अल्पकालीन कृषि ऋण को छोड़कर शेष किसी भी प्रकार के मध्यमकालीन/दीर्घकालीन ऋण की माफी नहीं की जाएगी। ऋण माफी का लाभ केवल कंडिका–(02)(दस) में दर्शित बैंक एवं कंडिका–(02) (ग्यारह) में दर्शित संस्थाओं से लिए गये अल्पकालीन कृषि ऋण पर होगा। कार्पोरेट/पार्टनरशीप फर्म /ट्रस्ट को दिये गए कृषि ऋण पर ऋण माफी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित माईक्रोफाईनेंस संस्थान (MFIs) द्वारा वितरित किसी भी प्रकार के ऋण इस योजना में शामिल नहीं होंगे। खड़ी फसल के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों हेतु प्लेज एवं हाईपोथिकेशन के विरूद्ध दिये गये ऋण इस योजना में शामिल नही होंगे।

(05) **ऋण माफी हेतु बजट :–** ऋण माफी हेतु आवश्यक बजट की मांग संबंधित बैंकों द्वारा अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से किया जावेगा।

(06) ऋण देने बाली संस्था के दायित्व ऋण देने वाली प्रत्येक बैंक/संस्था इस योजना के अधीन पात्र कृषकों की सूची तथा प्रत्येक किसान के संबंध में ऋण माफी की सत्यता एवं विश्वसनीयता के लिये जिम्मेदार होगी। ऋण देने वाली बैंक/संस्था द्वारा इस योजना के उद्देश्य से अनुरक्षित प्रत्येक प्रलेख, तैयार की गई प्रत्येक सूची और जारी किये जाने वाले प्रत्येक प्रमाण पत्र पर ऋण देने वाली बैंक/संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उसका पदनाम होना चाहिये।

(07) **लेखा परीक्षा :–** प्रत्येक ऋण देने वाली बैंक/संस्था जिसने इस योजना के अधीन ऋण माफी दी है उसकी लेखा बहियाँ राज्य शासन द्वारा निर्धारित कार्याविधि के अनुरूप लेखापरीक्षा के अधीन होगी कि लेखापरीक्षा राज्य शासन द्वारा निर्धारित संगामी लेखा परिक्षकों, सांविधिक लेखापरिक्षकों या विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी। राज्य शासन किसी ऋण दाता बैंकध्संस्था के मामले में या उसकी किसी एक या अधिक शाखाओं को विशेष लेखा परीक्षा के निर्देश दे सकती है।

(08) **प्रचार–प्रसार :–** इस योजना में शामिल प्रत्येक ऋण देने वाले बैंक/संस्था की प्रत्येक शाखा में इस योजना की एक प्रति प्रदर्शित की जाएगी।

09 उपयोगिता प्रमाण पत्र :–

01. सहकारी बैंकों के मामले में ऋण माफी की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप /सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा।

02. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के मामले में ऋण माफी की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित बैंक द्वारा संचालक, संस्थागत वित्त को प्रस्तुत किया जाएगा।

(10) व्याख्या एवं कठिनाई दूर करने की शक्ति :– इस योजना के किसी पैराग्राफ या इस योजना के अंतर्गत जारी किसी अनुदेश की व्याख्या करने में यदि कोई संदेह होता है, तो राज्य शासन द्वारा संदेह का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

यदि योजना के प्रावधानों या इस योजना के अंतर्गत जारी किसी अनुदेश को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो राज्य शासन कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से उसे जो भी आवश्यक या तत्काल अपेक्षित प्रतीत होगा उसके अनुसार आदेश जारी करेगी।

सही

(रीता शांडिल्य)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सहकारिता विभाग

पृ. क्रमांक / एफ 15–45 / 15–2 / 2018 / 3373 अटल नगर, दिनांक : 21 / 12 / 2018

प्रतिलिपि :–

01. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।

02. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय।

03. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग।

04. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।

05. संचालक, संस्थागत वित्त, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।

06. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।

07. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।

08. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।

09. उप सचिव, मुख्य संचिव कार्यालय, छत्तीसंगढ़ शासन।

10. कलेक्टर–जिला समस्त, छत्तीसगढ़

11. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर।

12. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

सही

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सहकारिता विभाग

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

क्रमांक/साख–2/ऋण माफी/2019/424 रायपुर दिनांक 01/02/2019

—: आदेश :—

छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक/एफ 15–45/15–2/2018 दिनांक 19.12.2018 द्वारा राज्य में स्थित सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैकों में समस्त किसानों के दिनांक 30.11.2018 तक के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लेते हुए पत्र क्रमांक/3373 दिनांक 21.12.2018 द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना–2018 जारी की गई है, जिसके क्रियान्वयन हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/साख–2/ऋण माफी/2018/5587 दिनांक 31.12.2018 द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम जारी कर योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में दिनांक 29.01.2019 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिग में यह तथ्य सामने आया है कि ऋण माफी दावा पत्रकों के परीक्षण,अंकेक्षण कार्य में कतिपय कठिनाईयाँ आ रही है।

अतः योजना के सुचारू क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु निम्नानुसार संभाग स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :–

संभाग स्तरीय पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन समिति

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	
1	संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं (संभाग)	— अध्यक्ष
2	उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं (संबंधित) जिला	— सदस्य
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (संबंधित बैंक)	— संयोजक सदस्य
4	मुख्य लेखाधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (संबंधित बैंक)	— सदस्य

उक्त समिति योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही कर कठिनाईयों का नियमानुसार निराकृत कर, की गई कार्यवाहियों की पंजी का संधारण करेगी।

सही

(एच.के. दोशी)
अपर पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/साख–2/ऋण माफी/2019/424 रायपुर, दिनांक : 01/02/2019

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय" महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
03. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, संभाग समस्त .... की ओर प्रेषित कर लेख है कि समिति की बैठकों का यथावश्यक आयोजन कराते हुए कठिनाईयों का निराकरण करते हुए प्रगति से प्रत्येक 15 दिवस के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करें ।
04. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त जिला..................... की ओर पालनार्थ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य लेखाधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, समस्त . ... की ओर पालनार्थ।

सही

अपर पजीयक

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

दूरभाष न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

क्रमांक/साख–2/ऋण माफी/2019/425 रायपुर, दिनांक : 01/02/ 2019

–:: आदेश ::–

छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय' के आदेश क्रमांक/एफ 15–45/15––2/2018 दिनांक 19.12.2018 द्वारा राज्य में स्थित सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैकों में समस्त किसानों के दिनांक 30.11.2018 तक के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लेते हुए पत्र क्रमांक/3373 दिनांक 21.12.2018 द्वारा अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना– 2018 जारी की गई है, जिसके क्रियान्वयन हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/साख–2/ऋण माफी/2018/5587 दिनांक 31.12.2018 द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम जारी कर योजना के त्वरित क्रियान्वयन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में दिनांक 29.01.2019 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिग में यह तथ्य सामने आया है कि ऋण माफी दावा पत्रकों के परीक्षण/अंकेक्षण कार्य में कतिपय कठिनाईयाँ आ रही है।

अतः योजना के सुचारू क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :–

राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन समिति

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	
1	श्री निर्मल तिर्की, अपर पंजीयक	अध्यक्ष
2	श्री पी.एस. सर्पराज, संयुक्त पंजीयक (योजना)	सदस्य
3	श्री एन.एल. टंडन, उप पंजीयक (अंकेक्षण)	सदस्य
4	श्री डी.पी. टावरी, उप पंजीयक (सूचना प्रौद्योगिकी)	सदस्य
5	श्री युगल किशोर, सहायक पंजीयक (साख)	सदस्य
6	श्री अविनाश श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छतीसगढ राज्य सहकारी बैंक, रायपुर।	संयोजक सदस्य

उक्त समिति योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्यवाही कर कठिनाईयों का नियमानुसार निराकृत कर, की गई कार्यवाहियों की पंजी का संधारण करेगी।

सही
(एच.के. दोशी)
अपर पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/साख–2/ऋण माफी 2019/425 रायपुर, दिनांक 01/02/2019

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग 'मंत्रालय' महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर की ओर सूचनार्थ।

03. अपर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुख्यालय की ओर प्रेषित कर लेख है कि समिति की बैठकों का यथावश्यक आयोजन कराते हुए कठिनाईयों का निराकरण करते हुए प्रगति से प्रत्येक 15 दिवस के भीतर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

04. सर्वसंबंधित श्री .... पद .... कार्यालय.......................... की ओर पालनार्थ ।

सही

अपर पंजीयक

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

कमांक / साख–2 / ऋण माफी / 2019 / 460 रायपुर, दिनांक : 01 / 02 / 2019

प्रति,

1 संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, समस्त
संभाग .... (छ.ग.)

2 उप सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, समस्त
जिला.................................... (छ.ग.)

3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
(समस्त) जिला ....(छ.ग.)

विषय :– अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2018 के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना।

संदर्भ :–

01. छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, "मंत्रालय', अटल नगर, जिला–रायपुर का पत्र क्रमांक / 3373, दिनांक 21.12.2018
02. छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, 'मंत्रालय', अटल नगर, जिला–रायपुर का पत्र क्रमांक / एफ / 15–45 / 15–2 / 2018 / 3382, दिनांक 24.12.2018
03. कार्यालयीन पत्र क्रमांक / साख–2 / ऋण माफी / 2018 / 5587 दि 31.12.2018

––.00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जो राज्य शासन द्वारा जारी अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2018 एवं उसके समयबद्ध क्रियान्वयन से संबंधित है।
संदर्भित पत्र क्रमांक 03 द्वारा योजना के समयबद्ध त्वरित क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। योजना की प्रगति के संबंध में दिनांक 29.01.2019 की वीडियो कान्फ्रेंसिग में विभागीय / बैंक के सेवायुक्तों द्वारा अवगत कराया गया है कि समिति स्तर पर संस्था की लेखा पुस्तकों के आधार पर दावा पत्रक तैयार करने का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है तथा योजना के कम्प्यूटरीकृत क्रियान्वयन के कार्य में कतिपय तकनीकी कठिनाईयाँ आ रही है।

राज्य के कृषकों के हित में अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2018 राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें लगभग 5170 करोड़ रुपये की राशि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लगभग 15 लाख कृषक सदस्यों के ऋण माफ करने हेतु अनुमानित है। उक्तानुसार योजना की व्यापकता एवं महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए क्रियान्वयन में प्रत्येक स्तर पर यथा– संस्था, बैंक, अंकेक्षक तथा दावा पत्रक स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के द्वारा सूक्ष्म परीक्षण एवं अत्याधिक सावधानी की आवश्यकता है, ताकि कोई भी पात्र कृषक लाभ से वंचित न रहे तथा यह सुनिश्चित होना आवश्यक है कि अपात्र व्यक्ति / फर्जी ऋण प्रकरण ऋण माफी योजना में सम्मिलित न हो सके।

ऋण माफी से संबंधित लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण तथा दावा पत्रकों की स्वीकृति की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित हो कि राज्य शासन द्वारा जारी अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना 2018, कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश / परिपत्र, अल्पकालीन फसल ऋण नीति, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान, नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा

फसल ऋण से संबंधित दिशा–निर्देश/परिपत्रों एवं ब्याज अनुदान योजना के परिपत्रों का पालन सुनिश्चित हो।

राज्य स्तर पर योजना के सुचारू क्रियान्वयन एवं समरूपता को ध्यान में रखते हुए विभाग के एन.आई.सी. द्वारा विकसित पंजीयक मॉड्यूल के अंतर्गत ऋण माफी मॉड्यूल विकसित करते हुए योजना के कम्प्यूटरीकृत क्रियान्वयन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

संस्था स्तर पर संधारित लेखा पुस्तकों के आधार पर संबंधित कृषकों के 30.11.2018 की स्थिति में बकाया ऋण खातों के शेष की जानकारी कम्प्यूटरीकृत दावा पत्रक में सही–सही सम्मिलित हो, यह संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाए। दावा पत्रक में कृषकवार ऋण माफी की राशि में उल्लेखित खरीफ/रबी 2018–19 तथा कालातीत, स्थगित, मध्यमकालीन परिवर्तित, मध्यम कालीन पुनः परिवर्तित ऋण शेष के मूलधन पर भारित ब्याज की गणना/ब्याज दर की पुष्टि से संबंधित बैंक के पी.एल. दर तथा समिति कमीशन (यथा आवश्यक दंड ब्याज) अनुसार की जावे।

ऋण माफी का कृषकवार दावा तैयार करने हेतु पूर्व में संदर्भ क्रमांक 03 से प्रेषित प्रारूप में आंशिक संशोधन किया गया, जिसकी प्रति संलग्न है। संशोधित प्रारूप में अंकेक्षक द्वारा कटौती की गई राशि एवं कारण का उल्लेख किया जाना है। अतः संशोधित प्रारूप में दावा पत्रक तैयार कराया जावे।

योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए ऋण माफी योजना–2018 के पात्र कृषकों की सूची का प्रकाशन संबंधित समिति मुख्यालय, बैंक शाखा तथा जिले के उप/सहायक पंजीयक कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित किये जाने के निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं, जिसका पालन सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए संभाग स्तरीय कमेटी का गठन कार्यालयीन आदेश क्रमांक/424, दिनांक 01.02.2019 द्वारा किया गया है। उक्त गठित कमेटी योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों/शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन करते हुए संबंधितों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी, जिससे योजना का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

संलग्न :–. उपरोकतानुसार।

सही
(एच.के. दोशी)
अपर पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ क्रमांक/साख–2/ऋण माफी/2019/460 अटल नगर, दिनांक 01/02/2019

प्रतिलिपि :–

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग 'मंत्रालय' महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. अपर/संयुक्त/उप/ सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मुख्यालय समस्त कक्ष ऑडिट, योजना, समन्वय एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रभारी, मुख्यालय की ओर सूचनार्थ।

सही
अपर पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित .... जिला .... (छ.ग.)

कृषि ऋण माफी योजना 2018 की जानकारी

दिनांक 30.11.2018 पर शेष अल्पकालीन / स्थगित / मध्यकालीन / पुनःपरिवर्तित्त कृषि ऋण माफी राशि की जानकारी

दिनांक 25.01.2019

क.	कृषक का नाम मय वल्दियत	आधार कमांक	जाति	ग्राम	लघु / सीमांत बडे	रकबा हेक्टे. में	अल्पकालीन ऋण 30.11.2018 पर बकाया				स्थगित / मध्यकालीन परि. / पुनः परि ऋण 30.11.2018 पर बकाया				30.11.2018 पर शेष ऋण			01.11.2018 से 30.11.2018 तक प्राप्त वसूली			कुल ऋण माफी योग्य राशि	अंकेक्षक द्वारा सत्यापित ऋण माफी की राशि	यदि अंकेक्षक द्वारा कटौती की गई है	
							खाता क.	मूलधन	ब्याज	योग	खाता क.	मूलधन	ब्याज	योग	मूलधन	ब्याज	योग	नगद	लिकिंग	योग			राशि	कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		योग																						

बिजनेस पोस्ट के अंर्तगत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत कमांक जी 2–22 छत्तीसगढ बजट/38 सि से भिलाई दिनांक 30.05.2001

पंजीयन कमांक
छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013–2015

छत्तीसगढ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

कमांक 498 रायपुर गुरूवार दिनांक 16 सितम्बर 2021 – भाद्रपद 25 शक 1943

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 सितम्बर 2021

लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण वितरण कराने हेतु योजना,2021

कमांक/एफ 15–9/15–2/2021/3014......................

प्रस्तावना:–

छत्तीसगढ राज्य में लाख पालन की अपार संभावना है। लाख पालन हेतु कुसुम, पलाश एवं बेर प्रमुख पोषक वृक्ष है जिनकी संख्या राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लाख की फसलों की अपेक्षा कम मेहनत में अंधिक आय प्राप्त होती है। राज्य में, राज्य वनोपज संघ द्वारा 164 लाख उत्पादन क्लस्टर चयनित है। इन क्लस्टर में लगभग 36000 कृषक परिवार है। जिनकें पास लगभग 2.00 लाख कुसुम 10.00 लाख पलाश एवं 55000 बेर के वृक्ष है।

छत्तीसगढ राज्य में लाख उत्पादन को बढाया देने हेतु राज्य शासन द्वारा लाख पालक किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के परिपत्र क्र. 241/एफ–3/24/विविध/2020/14–2 दिनॉक 18.01.2021 के माध्यम से प्रवेश में कुसुम, पलास एवं बेर आदि वृक्षों पर लाख उत्पादन एवं प्राथमिक प्रसंस्करण हेतु कृषकों/कृषकों के समूह को कृषि फसलों के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण निर्धारित ऋणमान पर प्रदाय करने के निर्देश प्रसारित किये गए है। अतएव् लाख उत्पादन हेतु कृषि फसलों के अनुरूप शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण वितरण का निर्णय लिया गया है। शासन के उक्त निर्णय के कियान्वियन हेतु लाख के उत्पादन हेतु कार्ययोजना निम्नानुसार हैः–

01 **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तारः–**

(एक) यह योजना,"लाख उत्पादक कृषको/कृषक समुहों को लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण वितरण कराने हेतु योजना, 2021" कहलाएगी।

(दो) यह योजना 1 जुलाई 2021 से प्रभावशील रहेगा।

(तीन) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ राज्य में होगां।

02 **परिभाषाएं:–**

(एक) **लाख उत्पादक कृषक:–**"लाख उत्पादक कृषक" से अभिप्राय ऐसे लघु एवं सीमांत कृषक जो स्वयं के भूमि पर खडे पोषक वृक्ष/पौधे जैसे कुसुम, पलाश एवं बेर आदि पर स्वयं लाख पालन करता हो।

(दों) **लाख उत्पादक कृषक समूह:–**"लाख उत्पादक कृषक समूह" से अभिप्राय लाख उत्पादक कृषकों के स्व सहायतासमूह/संयुक्त देयता समूह से है।

(तीन) **स्व–सहायता समूह:–**"स्व सहायता समूह" से अभिप्राय ऐसे समूह से हैं जो लाख पालन का कार्य करता हो एवं समूह का गठन ऋण आवेदन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व का हो।

(चार) **संयुक्त देयता समूह:–**"संयुक्त देयता समूह" से अभिप्राय ऐसे समूह से है जो लाख पालन करता हो एवं किसी भी बैंक(सहकारी, सार्वजनिक, ग्रामीण एवं नीजि बैंक) से पूर्व में केडिट लिंक किया गया हो।

(पॉच) **स्व–सहायता समूह की सीड मनी:–**"स्व–सहायता समूह की सीड मनी" से अभिप्राय स्व–सहायता समूह के पासस्वयं की बचत की राशि अथवा प्राप्त अनुदान से है।

(छः) **बैंक:–**"बैक से अभिप्राय राज्य सहकारी बैक जिला सहकारी केन्द्रीय बैक से है। जिसे आगे कमशःशीर्ष बैक जिलाबैंक, के नाम से उल्लेखित किया गया है।

(सात) **संस्था:–**"संस्था" से अभिप्राय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था से है।

(आठ) **प्राथमिक लघु वनोपज समिति:–**"प्राथमिक लघु वनोपन समिति" से अभिप्राय प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित से है।

(नौ) **जिला लघु वनोपज संघ:–**"जिला लघु वनोपज संघ" से अभिप्राय जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित से है।

(दस) **राज्य लघु वनोपज संघ:–**"राज्य लघु वनोपज संघ" से अभिप्राय छत्तीसगढ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है।

(ग्यारह) **ऋण:–**"ऋण" से अभिप्राय लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को नियम 2(छः)में वर्णित बैंक एवं नियम 2(सात)में वर्णित संस्था द्वारा लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण से है।

(बारह) **पंजीयक:–**"पंजीयक" से अभिप्राय सहकारी सस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक , सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो नियम 2(छः)में वर्णित बैंक एवं नियम 2(सात)में वर्णित संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

03 **ऋण वितरण की प्रकिया :–**

(एक) **लाख उत्पादन हेतु प्रति इकाई ऋणमान का निर्धारण:–**राज्य वनोपज संघ की अनुशंसा के आधार पर कुसुम, पलाश एवं बेर आदि के वृक्ष पर लाख उत्पादन हेतु प्रति इकाई ऋणमान का निर्धारण प्रतिवर्ष ऋणमान निर्धारण हेतु गठित जिला स्तरीय तकनीकि समिति(डी.एल.टी.सी)द्वारा किया जावेगा जिसका अनुमोदन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में ऋणमान निर्धारण हेतु गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति(एस.एल.टी.सी)द्वारा किया जावेगा।

(दो)**ऋण सहायता समूह हेतु सीड मनी का निर्धारण:–** स्व सहायता समूह के ऋण प्रकरण तैयार करने हेतु उनके पास सीड मनी के रूप में कम से कम रूपये 50000/– होना अनिवार्य है।

(तीन)**ऋण अनुपात का निर्धारण:–** लाख उत्पादन हेतु ऋण अनुपांत का निर्धारण वर्तमान में कृषि ऋण हेतु निर्धारित अनुपात 60:40 नगद एवं वस्तु ऋण हेतु जारी रहेगा। इस अनुपात में पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा समय समय पर किया गया परिवर्तन मान्य होगा। परन्तु लाख उत्पादन में वस्तु ऋण की आवश्यकता निर्धारित अनुपात से अधिक होने की स्थिति में वस्तु ऋण अनुपात नगद ऋण को कम कर बढाया जा सकेगा। किसी भी दशा में 60 प्रतिशत से अधिक नगद ऋण प्रदान नही किया जायेगा।

(चार)**ऋण की अवधि:–**लाख पोषक वृक्ष के अनुसार लाख दो प्रकार की होती है। कुसमी लाख तथा रंगीनी लाख कुसमी एवं बेर वृक्ष पर रंगीनी लाख को पलाश एवं बेर वृक्ष पर उत्पादन किया जाता है। प्रत्येक प्रतातिवार लिये जाने वाले लाख फसल तथा अवधि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र.	प्रजाति	मौसम	ऋण वितरण की अवधि	देय विधि	फसल विधि
1	कुसुम	अगहनी(शीतकालीन)	01 जून से 30 जून (प्रुनिंग के 18 माह बाद)	28 फरवरी	06 माह
		जैठनी (ग्रीष्मकालीन)	01 दिसम्बर से 31 दिसम्बर (प्रुनिंग के 06 माह बाद)	30 दिसम्बर	06 माह
2	पलाश	कतकी (वर्षाकालीन)	01 जून से 30 जून (प्रुनिंग के 06 माह बाद)	31 दिसम्बर	04 माह
		बैशाखी(ग्रीष्मकालीन)	30 सितंम्बर से 31 अक्टूबर (प्रुनिंग के 06 माह बाद)	31 जुलाई	08 माह
3	बेर	अगहनी(शीतकालीन)	01 जून से 30 जून (प्रुनिंग के 06 माह बाद)	28 फरवरी	06 माह

(पांच) **लाख पोषक वृक्षः**–कृषक के पास उपलब्ध पोषक वृक्ष जैसे कुसुम, पलाश एवं बेर आदि का चिन्हाकन प्राथमिक लघु वनोपज समिति द्वारा किया जावेगा। कृषकों के खेत एवं मेंड में वृक्ष पाए जाते है। लाख उत्पादन के लिये ऋण हेतु कृषकों की स्वयं की भूमि में खडे वृक्षों पर ही ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(छः) **पोषक वृक्षों को राजस्व नक्शा/खसरा में इंद्राज करनाः**–निजी भूमि पर खडे समस्त वृक्षों का विवरण राजस्व रिकार्ड में इंद्राज होना आवश्यक है। सर्वप्रथम राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अभियान चलाकर समस्त पोषक वृक्ष जैसे कुसुम पलाश एवं बेर आदि का विवरण पटवारी द्वारा संधारित विभिन्न राजस्व रिकार्ड में इंद्राज कराकर उक्त रिकार्ड की प्रति निर्धारित प्रारूप में लाख उत्पादक कृषकों को उपलब्ध कराया जाना चाहिये। राजस्व रिकार्ड को भुइयाँ पोर्टल पर भी अपडेट किया जाना चाहियें ताकि उक्त रिकार्ड के अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

(सात) **लाख उत्पादन हेतु सहकारी समितियों के लिये कुल ऋण सीमा का निर्धारणः**–सहकारी समितियों द्वारा अपने कुल ऋण वितरण का 10 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा तक लाख उत्पादन हेतु ऋण वितरण किया जा सकेगा।

(आठ) **व्यक्तिगत ऋण सीमाः**–लाख उत्पादन करने वाले कृषक हेतु अधिकतम व्यक्तिगत ऋण सीमा प्रथम वर्ष रूपये 50000/– निर्धारित की जाती हैं।

(नौ) **स्व सहायता समूह हेतु अधिकतम ऋण सीमाः**–स्व सहायता समूह हेतु अधिकतम ऋण सीमा 2.00 लाख निर्धारित की जाती है। ऐसे समूह को प्रथमतः अधिकतम रूपये 50000/– का ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। समूह का कार्य व्यवहार उपयुक्त पाए जाने पर आगामी ऋण वितरण हेतु द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ बार में कमशः अधिकतम रू.1.00 लाख रू. ,1.50 लाख एवं रू. 2.00 लाख तक की सीमा तक ऋण स्वीकृत किये जा सकेगें।

(दस) **संयुक्त देयता समूह हेतु ऋण सीमाः**– संयुक्त देयता समूह हेतु अधिकतम ऋण सीमा रूपये 1.00 लाख निर्धारित की जाती है।

(ग्यारह) **सदस्यताः**–आदिम जाति/सेवा सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले भूमिधारी कृषकों को संबंधित समिति का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। इसके लिये आधार कार्ड अन्य फोटो पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। स्व सहायता समूह / संयुक्त देयता समूह को नाम मात्र का सदस्य बनाना आवश्यक होगा।

4 **ऋण प्रकरणों को तैयार करनाः–**

(एक) **सामान्य साख सीमा पत्रक तैयार करनाः**–लाख उत्पादन हेतु स्वीकृत ऋणमान के अनुसार कृषक/समूह द्वारा किये जाने वाले लाख पोषक वृक्षों की संख्या के अनुसार साख सीमा पत्रक सहकारी समिति द्वारा निर्धारित पत्रक में तैयार करना होगा। इसके लिये राजस्व रिकार्ड से वृक्षों की संख्या लिया जाना होगा।

सामान्य साख सीमा पत्रक तैयार करने के पश्चात् प्राथमिक लघु वनोपज समिति के सचिव एवं समिति प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् सत्यापन कर प्रकरण समिति के संचालक मंडल में स्वीकृति हेतु रखा जावेगा।

समिति संचालक मंडल से साख सीमा पत्रक स्वीकृति करने के पश्चात् नियमानुसार बैंक से स्वीकृति प्राप्त कर ऋण वितरण किया जावेगा।

(दो) **ऋण का आहरणः**–स्वीकृति नगद ऋण का आहरण बैंक शाखा में खोलें गये खाता से किया जावेगा।वस्तु ऋण प्राथमिक लघु वनोपज समिति अथवा सहकारी समिति के माध्यम से प्रदाय किया जावेगा।किसी भी स्थिति में वस्तु ऋण की राशि नगद में प्रदान नहीं की जावेगी।

वस्तु ऋण का प्रदाय संबंधित प्राथमिक लघु वनोपज समिति के माध्यम से किया जायेगा जिसमें लाख पालन हेतु आवश्यक बीनह लाख, कीटनाशक एवं अन्य सामाग्री शामिल होगी।

(तीन) **बैंक खाता खोलनाः**–लाख खरीदी की प्रकिया एवं ऋण प्रदाय करने से संबंधित समस्त गतिविधियों हेतु लाख पालक उत्पादक एवं प्राथमिक लघु वनोपज समिति को निकटतम सहकारी बैंक की शाखा में बचत खाता खोलना अनिवार्य होगा। जिला वनोपज संघ द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में खाता खोला जावेगा तथा राज्य सहकारी बैंक में राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा खाता खोला जाएगा,जिससे समस्त प्रकिया का सुव्यवस्थित ढंग से संचालन एवं पर्यवेक्षण हो सकेगा व सुविधापूर्ण ढंग से राशि अंतरित हो सकेगी।

(चार) **ब्याज दरः**–लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन कृषि ऋण की ब्याज दर वर्तमान में दिये जा रहे अल्पकालीन कृषि ऋण के समान शून्य प्रतिशत होगी।

(पॉच) **ब्याज अनुदानः–**राज्य शासन द्वारा लाख उत्पादन हेतु ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर दैने का निर्णय लिया गया है। ब्याज दावा की राशि प्राप्त करने हेतु प्रत्येक छः माह में ब्याज अनुदान की गणना कर अंकेक्षक से अंकेक्षित कराकर बैक के माध्यम से जिले के उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं को दावा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावेगा जिसे उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। स्वीकृत ब्याज अनुदान की राशि का दावा जिला बैंक के माध्यम से शीर्ष बैंक को प्रेषित किया जावेगा। शीर्ष बैक, पंजीयक के माध्यक से, शासन से ब्याज अनुदान की राशि प्राप्त कर जिला बैंको को भुगतान करेगी जिसे संबंधित समिति को भुगतान किया जावेगा।

(छः) **मौसम आधारित बीमा की व्यस्थाः–**उद्यानिकी फसलों के अनुरूप लाख पालन हेतु फसल बीमा किया जावेगा। यथा संम्भव लाख उत्पादन हेतु ईकाई लागत अनुसार बीमा प्रीमियम की राशि ऋण के अंतर्गत सम्मिलित होगी।बीमा से कव्हार होने पर किसानों को जाखिम को कम किया जा सकेगा तथा ऋणों की वसूली हो सकेगी। इस हेतु बीमा एंजेसी का निर्धारण राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जावेगां।

(सात) **विपणन एवं लिंकिग व्यवस्थाः–** लाख की कटाई उपरांत फसल उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत कय करने की जिम्मेदारी राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से प्राथमिक लघु वनोपज समिति की होगी। लाख की राशि का भुगतान करते समय पहले कृषक द्वारा लिये गए ऋण की कटौती कर शेष राशि कृषक के बचत खाते में अंतरित करनी होगी। प्राथमिक लघु वनोपज समिति द्वारा काटी गई ऋण की राशि सूची सहित संबंधित बैक/समिति को उपलब्ध कराई जावेगी, जिसे समिति द्वारा संबंधित सदस्य के ऋण खाते में जमा किया जावेगा। यदि कृषक द्वारा ऋण राशि का पूर्ण भुगतान नही किया जाता है एवं कृषक द्वारा भी धान हेतु पंजीयन कराकर धान का विक्रय समिति के उपार्जन केन्द्र मे किया जाता है लाख उत्पादन ऋण की बकाया राशि की वसूली कृषक द्वारा बेची गई धान की राशि से भी लिंकिग में समायोजित की जा सकेगी।

(आठ) **प्रशिक्षणः–**लाख उत्पादन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण कृषकों एवं कृषक समूहो को निशुल्क रूप से राज्य लघु वनोपज संघ वनोपज संघ द्वारा दिया जाएगा। केवल प्रशिक्षित कृषक/कृषक समूहों को ही ऋण का लाभ दिया जावेगा।

सहकारी समिति के प्रबंधक, प्राथमिक लघु वनोपज समिति के प्रबंधक बैंक के शाखा प्रबंधक एवं पर्यवेक्षक को इस संबंध में तकनीकी प्रशिक्षण राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निशुल्क प्रदान किया जावेगा।प्रशिक्षण के पश्चात् ही सहकारी समितियों/सहकारी बैकों द्वारा ऋण वितरण के संबंध में प्रकिया प्रारंभ की जावेगी।

(नौ) **त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का निष्पादनः–**राज्य लघु वनोपज संघ से संबद्ध प्राथमिक लघु वनोपज समिति, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति एवं लाख पोषक कृषको के मध्य त्रिपक्षीय समझौता निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा। कृषको को लाख उत्पादन के लिये स्वीकृत साख सीमा के अंतर्गत मांग के अनुरूप वस्तु ऋण के अंतर्गत आदान सामाग्री का प्रदाय प्राथमिक लघु वनोपज समिति द्वारा किया जाएगा।जिसकी राशि की ऋण का समायोजन बैक द्वारा सदस्य के खाते में किया जाएगा। इसी प्रकार कृषक द्वारा लाख उत्पादन के पश्चात् अपने उत्पादन को प्राथमिक लघु वनोपज समिति में शासन द्वारा निर्धारित दर पर विकय किया जाएगा, विकय की राशि में से लिये गए ऋण की राशि कम कर शेष राशि ही कृषक को भुगतान संबंधित प्राथमिक लघु वनोपज समिति द्वारा की जावेगी।इस प्रकार से वसूल की गई राशि को तत्काल संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के खाते में जमा करने की जिम्मेदारी संबंधित प्राथमिक लघु वनोपज समिति की होगी।इस आशय का समझौता ज्ञापन ऋण वितरण के पूर्व निष्पादित करना अनिवार्य होगा।समझौता ज्ञापन प्रारूप राज्य लघु वनोपज संघ के समन्वय से पृथक से तैयार किय जावेगा।

(दस) **योजना का तकनीकि पर्यवेक्षणः–**लाख उत्पादन हेतु ऋण वितरण तथा उत्पाद के क्रय/विपणन का तकनीकि पर्यवेक्षण जिला वनोपज संघ के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा तथा इस संबंध में राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आवश्यक तकनीकि मार्गदर्शन प्रदान किया जावेगा,जिससे लाख उत्पादक कृषक लाख उत्पादन एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर सकेगें।

(ग्यारह) **जिला स्तर मानिटरिंग कमेटी का गठनः**–जिला स्तर पर लाख उत्पादन हेतु ऋण वितरण योजना के कियान्वयन एवं निगरानी हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:–

- जिला कलेक्टर – अध्यक्ष
- जिले के उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं – सदस्य
- प्रबंध संचालक जिला लघु वनोपज संघ(संबंधित जिला) – सदस्य
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/ – संयोजक
- नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैक(संबंधित जिला)

यह कमेटी माह में एक बार बैठक कर योजना का कियांवयन में आ रही समंस्याओं का निराकरण करते हुए योजना को लागू करेगी।

(बारह) **सहकारी समितियों हेतु पोर्टल विकसित करनाः**–राज्य लघु वनोपज संघ एक ऑनलाईन पोर्टल विकसित करेगा जिसमें लाख पालक कृषकों का पंजीयन उन्हें दिए गए ऋण तथा उनसे क्रय की गई लघु वनोपज की जानकारी ऑनलाईन दर्ज करने की सुविधा प्राथमिक लघु वनोपज समिति एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति को प्रदाय करेगा। ऑनलॉईन पोर्टल विकसित होने पर इस योजना को तेजी से गति दी जा सकेंगी तथा पूरी पारदर्शिता के साथ सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।ऑनलाईन पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध होने से जिला एवं राज्य स्तर से इसकी बेहतर मॉनिटरिग की जा सकेगी। योजना प्रांरभ होने के तीन माह के अंदर पोर्टल विकसित करना अनिवार्य होगा।

हस्ता/–
(पी.एस.सर्पराज)
उप–सचिव

अटल नगर, दिनॉक 14 सितम्बर 2021

लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को कृषि फसलों के अनुरूप लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान नियम,2021

कमांक/एफ 15–9/15–2/2021/3026

प्रस्तावनाः–

प्रदेश के वनांचल के बहुतायत ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक रूप से होने वाले लाख का संग्रहण कर अर्थोपार्जन करते है। प्रदेश में लाख प्राकृतिक रूप से कुसुम, पलाश एवं बेर पेड पर होता है। स्वतः उपजी लाख की उत्पादकता काफी कम होने, व्यवसायिक दृष्टिकोण की कमी एवं प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध न होने से इससे जुडे लोगो में लाख संग्रहण के प्रति रूझान कम हुआ है। कृषि फसलों की भांति लाख उत्पादन को भी प्रोत्साहित करने हेतु राज्य शासन द्वारा लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियॉ/प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियॉ से संबद्ध होगें, ऐसे कृषकों को लाख उत्पादन हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, तथा इस ऋण पर भारित ब्याज के लिए राज्य शासन द्वारा, अनुदान देने का भी निर्णय लिया गया है।

बैंक द्वारा आंकलित प्राईम लेंडिग रेट एवं पंजीयक द्वारा निर्धारित संस्था के मार्जिन के आधार पर लाख उत्पादक कृषकों को प्रभावित ब्याज दर में से प्रभावशील ब्याज दर घटाने के पश्चात् शेष राशि की प्रतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा सहकारी बैकों/समितियों कों की जावेगी। इसके कियान्वयन के लिये निम्नानुसार नियम एवं प्रकिया निर्धारित की जाती है:–

01 **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तारः–**

(एक) यह नियम,''लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को कृषि फसलों के अनुरूप लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान नियम,2021'' कहलाएगा।

(दो)यह नियम 1 जुलाई 2021 से प्रभावित रहेगा।

(तीन) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ राज्य में होगा।

02 **परिभाषाएं:–**

(एक) **लाख उत्पादक कृषकः**—"लाख उत्पादक कृषक" से अभिप्राय ऐसे लघु एवं सीमांत कृषक जो स्वयं के भूमि पर खडे पोषक वृक्ष/पौधे जैसे कुसुम, पलाश एवं बेर आदि पर स्वयं लाख पालन करता हो।

(दो) **लाख उत्पादक कृषक समूहः**—"लाख उत्पादक कृषक समूह" से अभिप्राय लाख उत्पादक कृषकों के स्व सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह से है।

(तीन) **स्व–सहायता समूहः**—"स्व सहायता समूह" से अभिप्राय ऐसे समूह से हैं जो लाख पालन का कार्य करता हो एवं समूह का गठन ऋण आवेदन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व का हो।

(चार) **संयुक्त देयता समूहः**—"संयुक्त देयता समूह" से अभिप्राय ऐसे समूह से है जो लाख पालन करता हो एवं किसी भी बैंक(सहकारी, सार्वजनिक, ग्रामीण एवं नीजि बैंक) से पूर्व में क्रेडिट लिंक किया गया हो।

(पॉच) **स्व–सहायता समूह की सीड मनीः**—"स्व–सहायता समूह की सीड मनी" से अभिप्राय स्व–सहायता समूह के पास स्वयं की बचत की राशि अथवा प्राप्त अनुदान से है।

(छः) **बैंकः**—"बैक से अभिप्राय राज्य सहकारी बैक जिला सहकारी केन्द्रीय बैक से है। जिसे आगे कमशःशीर्ष बैक जिला बैंक, के नाम से उल्लेखित किया गया है।

(सात) **संस्थाः**—"संस्था" से अभिप्राय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था से है।

(आठ) **प्राथमिक लघु वनोपज समितिः**—"प्राथमिक लघु वनोपन समिति" से अभिप्राय प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित से है।

(नौ) **जिला लघु वनोपज संघः**—"जिला लघु वनोपज संघ" से अभिप्राय जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित से है।

(दस) **राज्य लघु वनोपज संघः**—"राज्य लघु वनोपज संघ" से अभिप्राय छत्तीसगढ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर से है।

(ग्यारह) **ऋणः**—"ऋण" से अभिप्राय लाख उत्पादक कृषकों/कृषक समूहों को नियम 2(छः)में वर्णित बैंक एवं नियम (सात)में वर्णित संस्था द्वारा लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण से है।

(बारह) **पंजीयकः**—"पंजीयक" से अभिप्राय सहकारी सस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक , सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो नियम 2(छः)में वर्णित बैंक एवं नियम 2(सात)में वर्णित संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

7 **पात्रताः**—

(एक) ब्याज अनुदान की पात्रता नियम 2(छः) में वर्णित बैंको एवं नियम 2(सात) में वर्णित संस्था को होगी।

(दो) ब्याज अनुदान की पात्रता उस ऋण पर होगी जो नियम 2 (ग्यारह) में वर्णित है।

(तीन) बैंक के प्राइम लेन्डिन्ग रेट में संस्था के मार्जिन को जोडने के बाद, निर्धारित ब्याज दर में से कृषको को प्रभावशील ब्याज दर घटाने के पश्चात् शेष ब्याज दर के अनुसार ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

(चार) बैंक के प्राइम लेन्डिन्ग रेट की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत किया जावेगा।

(पॉच) बैंक के प्राइम लेन्डिन्गं रेट में परिवर्तन होने पर ब्याज दर का पुनःनिर्धारण बैक द्वारा किया जा सकेगा।

(छः) ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 2.00 लाख तक होगी।

(सात) ऋण का अनुपात 60 प्रतिशत नगद एवं 40 प्रतिशत वस्तु के रूप में होगी।

8 **प्रभावशील ब्याज दरेंः**—राज्य शासन के निर्णय अनुसार लाख उत्पादक कृषकों को सहकारी संस्था के माध्यम से दिये जाने वाले अल्पकालीन लाख उत्पादन ऋणों पर ब्याज दर शून्य प्रतिशत होगी।

5 **ब्याज अनुदान का आंकलनः**—

(एक) लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण में यदि प्रशासकीय विभाग/वन विभाग/कृषि विभाग/केन्द्र शासन का कोई अनुदान प्राप्त हो तो अनुदान राशि कृषक की ऋण राशि में समायोजन पश्चात् शेष ऋण पर ब्याज अनुदान का निर्धारण किया जावेगा।

(दो) वितरित ऋणों पर केन्द्र शासन से यदि कोई ब्याज अनुदान प्राप्त होगा तो उस राशि को ब्याज अनुदान की गणना में देय ब्याज अनुदान में से कम किया जावेगा।

(तीन) बैंक द्वारा आंकलित प्राईम लेंडिग रेट एवं पंजीयक द्वारा संस्था के लिये निर्धारित मार्जिन की राशि को राज्य शासन द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में प्रदान की जावेगी।

(चार) ब्याज अनुदान आंकलन का सूत्र निम्नानुसार होगाः–बैक का प्राईम लेंडिगं रेट + पंजीयक के द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का निर्धारित मार्जिन–केन्द्र सरकार/अन्य विभाग का अनुपदान (यदि कोई हो तो)–नियम 04 के अनुसार प्रभावशील ब्याज दर – ब्याज अनुदान।

6 आहरण एवं भुगतान की प्रकियाः–

(एक) संस्था, नियम 03 की पात्रता अनुसार एवं नियम 04 एवं 05 के अनुसार ब्याज अनुदान का आंकलन कर पंजीयन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दावा संबंधित जिला सहकारी बैक/राज्य सहकारी बैक को प्रस्तुत करेगी।त्रुटि रहित दावा पत्रक प्रस्तुत करने की जवाबदारी संस्था के प्रबंधक की होगी। बैक प्रस्तुत दावों का जिले के उप/सहायक पंजीयक द्वारा अपने अधिनस्थ अंकेक्षकों/निरीक्षकों से जॉच(परीक्षण) कराकर अविलम्ब स्वीकृति दी जावेगी।

(दो) राज्य शासन की ओर से बैंको को देय ब्याज अनुदान अग्रिम के रूप में दिया जाना होगा, वह वर्ष के प्रांरभ से ही राज्य शासन द्वारा पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, एवं राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को उपलब्ध करा दिया जाएगा।यह अनुदान गत वर्षो की ऋण वितरण के आधार पर गणना की जाकर उपलब्ध कराया जाएगा।संस्था द्वारा ब्याज अनुदान का दावा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक छःमाही समाप्त होने 30 दिवस के अंदर किया जायेगा। बैंक/संस्था द्वारा प्रस्तुत दावा पत्रक का जिले के उप/सहायक पंजीयक द्वारा स्वीकृति उपरांत राशि का अविलम्ब भुगतान करने की जवाबकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको की होगी।

(तीन) उपरोक्त अंग्रिम राशि में से ब्याज अनुदान प्रत्येक छःमाही में स्वीकृति दावा के आधार पर समायोजित किया जायेगा। अंग्रिम राशि के समायोजन उपरांत स्वीकृत दावा राशि शेष रहने पर शासन से पुनः राशि की मांग की जायेगी।

(चार) इन नियमों का उल्लघनं किये जाने पर ब्याज अनुदान रोकने/स्थागित करने का अधिकार पंजीयक/शासक को होगा।

(पांच) ब्याज अनुदान के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा।

7 उपयोगिता प्रमाण पत्रः–ब्याज अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिले के उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैक द्वारा राज्य सहकारी बैक के माध्यम से पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा।

8 विविधः–

(एक) राज्य शासन/पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं कियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

(दो) इस नियम में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन का होगा।

हस्ता/–
(पी.एस.सर्पराज)
(उप–सचिव)

बिजनेस पोस्ट के अंर्तगत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत कमांक जी 2–22 छत्तीसगढ बजट/38 सि से भिलाई दिनांक 30.05.2001

पंजीयन कमांक
छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013–2015

छत्तीसगढ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

कमांक 69 रायपुर शुकवार दिनांक 11 फरवरी 2022 – माघ 22 शक 1943

सहकारिता विभाग
मत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 फरवरी 2022

अधिसूचना

राज्य के कृषको को सहकारी कृषि ऋणो पर ब्याज अनुदान नियम

कमांक/एफ 15–17/15–02/2021/1

प्रस्तावना :–

प्रदेश के कृषको के व्यापक हितो को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा सहकारी समितियों/बैको से संबद्ध कृषको को कृषि कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.04.2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण एवं परम्परागत गौ'पालक एंव उद्यानिकी कृषको को अल्प ब्यासज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मछली पालन को कृषि के समान संस्थागत ऋण सहायता प्रदान किया जावेगा। मछली पालन विभाग के आदेश दिनांक 02.08.2021 अनुसार मतस्य पालन हेतु मतत्सय पालकों/मत्स्य समूह व समितियों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान देय होगा।

बैक द्वारा ऑकलित प्राईम लेडिंग रेट एवं पंजीयक द्वारा निर्धारित संस्था के मार्जिन के आधार पर कृषकों को प्रभारित ब्याज दर में से प्रभावशील ब्याज दर घटाने के पश्चात् शेष राशि की प्रतिपर्ति ब्याज अनुदान के रूप में शासन द्वारा सहकारी बैको/संमितियों को की जोवगी। इसके कियान्वयन के लिए निम्नानुसार नियम एंव प्रकिया निर्धारित की जाती है।

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–

(एक) यह नियम, कृषको के सहकारी ऋणो पर ब्याज अनुदान नियम 2021 कहलायेगा।

(दो) यह नियम दिनांक 01 अक्टुबर 2021 से प्रभावित होगा।

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीगढ राज्य की सीमा तक होगा।

02. परिभाषाएं :

(एक) कृषक–"कृषक" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो भूस्वामी, मौरूसी कृषक, शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के स्वत्व में कृषि भूमि धारण करता हो या अन्य किसी व्यक्ति की कृष भूमि पर खेती करता हो।

(दो) सीमांत कृषक– "सीमांत कृषक" से अभिप्राय ऐसे कृषक से है जो अधिकतम 2.5 एकड़ तक कृषि भूमि धारण करता हो।

(तीन) लघु कृषक– "लघु कृषक" से अभिप्राय ऐसे कृषक से है जो 2.5 एकड़ से अधिक तथा 5 एकड़ तक कृषि भूमि धारण करता हो।

(चार) बैंक–"बैंक" का अभिप्राय राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से है। जिसे आगे क्रमशः शीर्ष बैंक, जिला बैंक, के नाम से उललेखित किया गया है।

(पांच) संस्था–""संस्था" का अभिप्राय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था,/कृषक सेवा सहकारी संस्था,ध्आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, से है।

(छः) ऋण– "ऋण" का अभिप्राय कृषक सदस्यों को नियम 2(चार) में वर्णित बैंक एवं नियम में वर्णित संस्थाओं द्वारा वितरित कृषि प्रयोजन हेतु अल्पकालीन ऋण तथा परंपरागत गौ–पालन (डेयरी), मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी से संबंधित ऋण से है।

(सात) अल्पकालीन कृषि ऋण :–"अल्पकालीन कृषि ऋण" का अभिप्राय कृषि एवं कृषि संबद्ध प्रयोजनों संबंधी उन सभी कार्यो से है, जिनके लिए बैंक, संस्था द्वारा अल्पकालीन ऋण दिया जाता है।

(आठ) परंपरागत गौ–पालक– परंपरागत गौ–पालक का अभिप्राय "ऐसे लघु एवं सीमांत कृषक, जो पारंपरिक गौ–पालन विधि एवं रीति से गौ–पालन कर अपना जीविकोपार्जन करते हो।

(नौ) मत्स्य पालक कृषक– मत्स्य पालक कृषक का अभिप्राय "ऐसे लघु एवं सीमांत कृषक जो स्वयं के तालाब में, या स्वयं की भूमि पर नवीन तालाब निर्माण करवा कर या पंचायतों/निकाय/निजी स्वामित्व के तालाबों को पट्टे पर लेकर मत्स्य पालन कर रहा हो या करना चाहता हो।

(दस) मत्स्य पालक समूह – "मत्स्य पालक समूह" से अभिप्राय ऐसे समूह से है जो, मत्स्य पालन का कार्य विगत एक वर्ष से करता हो तथा मत्स्य पालन अथवा अन्य विभाग से पंजीबद्ध हो।

(ग्यारह) प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति– "प्राथमिक मत्स्य सहकारी समिति" से अभिप्राय पंजीयक द्वारा पंजीकृत मत्स्य पालक सदस्यों की समिति से है।

(बारह) उद्यानिकी कृषक (हार्टिकल्वरिस्ट) – उद्यानिकी कृषक का अभिप्राय "ऐसे लघु एवं सीमांत कृषक जो फल, फूल, सब्जी, मशरूम तथा औषधीय एवं सुगंधित फसलों की काश्त करता हो।

(तेरह) पंजीयक –"पंजीयक" का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक, सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो नियम 2 (चार) में वर्णित बैंक एवं नियम 02 (पांच) में वर्णित संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

(चौदह) प्राइम लेंडिंग रेट – "प्राईम लेंडिंग रेट" से अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कास्ट ऑफ फंड, रिस्क कास्ट, ट्रान्जेक्शन कॉस्ट एवं बैंक के मार्जिन के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित उधार देने की न्यूनतम दर से है।

03. पात्रता –

(एक) ब्याज अनुदान की पात्रता नियम 02 (चार) में वर्णित बैंकों एवं नियम 02 (पांच) में वर्णित संस्था को होगी।

(दो) ब्याज अनुदान की पात्रता, नियम 02 (सात) में वर्णित ऋण तथा नियम 02, (आठ), (नौ), (दस), (ग्यारह) एवं (बारह) में वर्णित कृषक, समूह एवं समिति को उनसे संबंधित कार्यो के लिए दिये जाने वाले ऋण पर होगी।

(तीन) बैंक के प्राइम लेन्डिन्ग रेट में संस्था के मार्जिन को जोड़ने के बाद, निर्धारित ब्याज दर में से कृषकों को प्रभावशील ब्याज दर घटाने के पश्चात शेष ब्याज दर के अनुसार ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।

(चार) बैंक के प्राइम लेंडिन्ग रेट की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत किया जावेगा।

(पांच) बैंक के प्राइम लेंन्डिन्ग रेट में परिवर्तन होने पर ब्याज दर का पुनः निर्धारण बैंक द्वारा किया जा सकेगा।

04 प्रभावशील ब्याज दरें :– राज्य शासन के निर्णय अनुसार कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण, गौ–पालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी कार्यों हेतु सहकारी समितियों/बैंकों के माध्यम से दिये जाने वाले ऋणों पर प्रभावशील ब्याज दरे निम्नानुसार होगी :–

(एक) अल्पकालीन कृषि ऋण – कृषकों को अल्पकालीन कृषि प्रयोजन हेतु दिये जाने वाला ऋण ब्याज मुक्त (0 प्रतिशत ब्याज दर) होगा।

(दो) गौ–पालन हेतु ऋण – परंपरागत गौ–पालक कृषकों को रूपये 2.00 लाख तक का ऋण 1 प्रतिशत ब्याज दर पर एवं रूपये 2.00 लाख से अधिक एवं रूपये 3.00 लाख तक के ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जावेगा।

(तीन) मत्स्य पालन हेतु ऋण – मत्स्य पालक, मत्स्य पालक समूह एवं प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों को रुपये 3.00 लाख तक दिये जाने वाला ऋण, अल्पकालीन कृषि ऋण के समान ब्याज मुक्त (0 प्रतिशत ब्याज दर) होगा।

(चार) उद्यानिकी कार्यों हेतु ऋण – उद्यानिकी कृषकों को रूपये 1.00 लाख तक का ऋण 1% प्रतिशत ब्याज दर पर एवं रूपये 1.00 लाख से अधिक एवं रूपये 3..00 लाख तक के ऋण 3% ब्याज दर पर दिया जावेगा।"

05. ब्याज अनुदान का आंकलन :–

(एक) कृषि प्रयोजन, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं उद्यानिकी ऋण में यदि प्रशासकीय विभाग/केन्द्र शासन का कोई अनुदान प्राप्त हो तो अनुदान राशि कृषक की ऋण राशि में समायोजन पश्चात शेष ऋण पर ब्याज अनुदान का निर्धारण किया जावेगा।

(दो) वितरित ऋणों पर केन्द्र शासन से कोई ब्याज अनुदान प्राप्त होगा तो उस राशि को ब्याज अनुदान की गणना में देय ब्याज अनुदान में से कम किया जावेगा।

(तीन) बैंक द्वारा आंकलित प्राईम लेंडिंग रेट एवं पंजीयक द्वारा संस्था के लिये निर्धारित मार्जिन के आधार पर, कृषक स्तर पर ब्याज दर का निर्धारण करने के फलस्वरूप कृषकों के लिए नियम 04 के अनुसार प्रमावशील ब्याज दर घटाने के पश्चात अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में की जावेगी। ब्याज अनुदान आंकलन निम्नानुसार किया जावेगा :–

(चार) ब्याज अनुदान आंकलन का सूत्र निम्नानुसार होगा :–

बैंक का प्राईम लेंडिंग रेट + पंजीयक के द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का निर्धारित मार्जिन – केन्द्र सरकार/अन्य विभाग का अनुदान (यदि कोई हो तो)–नियम 04 के अनुसार प्रमावशील ब्याज दर = ब्याज अनुदान।

06. आहरण एवं भुगतान की प्रक्रिया :–

(एक) ब्याज अनुदान का आंकलन कर दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

संस्था, नियम 03 की पात्रता अनुसार एवं नियम 04 एवं 05 के अनुसार ब्याज अनुदान का आंकलन कर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दावा संबंधित जिला सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक को प्रस्तुत करेगी। त्रुटि रहित दावा पत्रक प्रस्तुत करने की जवाबदारी संस्था के प्रबंधक की होगी। बैंक प्रस्तुत दावों का जिले के उप/सहायक पंजीयक द्वारा अपने अधिनस्थ निरीक्षकों से जांच (परीक्षण) कराकर अविलम्ब स्वीकृति दी जावेगी।

(दो) राज्य शासन की ओर से बैंकों को जो ब्याज अनुदान दिया जाना है, वह वर्ष के प्रारंभ से ही राज्य शासन द्वारा पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, एवं राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह अनुदान गत वर्षो की ऋण वितरण के आधार पर गणना की जाकर उपलब्ध कराया जाएगा। संस्था द्वारा ब्याज अनुदान का दावा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक छःमाही समाप्त होने के 30 दिवस के अंदर किया जावेगा। संस्था द्वारा प्रस्तुत दावा पत्रक का, जिले के उप,ध्सहायक पंजीयक द्वारा स्वीकृति उपरांत राशि का अविलम्ब भुगतान करने की जवाबदारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की होगी।

(तीन) उपरोक्त अग्रिम राशि में से ब्याज अनुदान प्रत्येक छःमाही में स्वीकृत दावा के आधार पर समायोजित किया जावेगा। अग्रिम राशि के समायोजन उपरांत स्वीकृत दावा राशि शेष रहने पर शासन से पुनः राशि की मांग की जावेगी।

(चार) इन नियमों का उल्लघंन किये जाने पर ब्याज अनुदान रोकने/स्थगित करने का अधिकार पंजीयक शासन को होगा।

(पांच) ब्याज अनुदान के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा ।

07. उपयोगिता प्रमाण पत्र :–

ब्याज अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिले के उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से पंजीयक सहकारी संस्थाएं को प्रस्तुत किया जावेगा।

08. विविध :–

(एक) राज्य शासन पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

(दो) इस नियम में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा ।

हस्ता /–

(पी.एस. सर्पराज)

उप–सचिव

बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत कमांक जी 2–22 छत्तीसगढ बजट/38 सि से भिलाई दिनांक 30.05.2001

पंजीयन कमांक
छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013–2015

छत्तीसगढ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

कमांक 115 रायपुर सोमवार दिनांक 7 मार्च 2022 – फाल्गुन 16 शक 1943

सहकारिता विभाग
मत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2022

अधिसूचना

कमांक/एफ 03–02/15–02/2021/2 राज्य शासन एतद्द्वारा नाबार्ड सहायता से गोदाम सह – कार्यालय निर्माण योजना 2022 संलग्न परिशिष्ट अनुसार अधिसूचित करता है।

संलग्न – परिशिष्ट।

सही

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
पी.एस. सर्पराज
(उप – सचिव)

परिशिष्ट

नाबार्ड सहायता से गोदाम सह–कार्यालय निर्माण योजना, 2022

प्रस्तावना :–

प्रदेश में सहकारी साख संरचना को विस्तार देने तथा अधिक से अधिक सदस्य बनाकर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य ये वर्ष 2020–21 में सहकारी सोसाइटियों का पुर्नगठन कर 725 नवीन सहकारी सोसाइटियों का गठन किया गया है। सभी नवीन सहकारी सोसाइटियों द्वारा वर्ष 2020–21 में धान का उपार्जन भी स्वतंत्र रूप से किया गया है। 01 अप्रैल, 2021 से नवीन सहकारी सोसाइटियों द्वारा अपने सदस्यों को ऋण वितरण खाद, बीज आदि का वितरण भी प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम वर्ष में ही नवीन सहकारी सोसाइटियों द्वारा लगभग 1000 करोड़ का ऋण वितरण किसानों को किया गया।

अतएव नवीन 725 सोसाइटियों में गोदाम एवं कार्यालय हेतु भवन का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के माध्यम से ऋण प्राप्त कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों में 200 मे.टन क्षमता का गोदाम सह–कार्यालय के निर्माण की योजना बनाई गई है, योजना की कुल लागत 18531.00 लाख है। इस योजना के पूर्ण होने से 1.45 लाख टन की भंडारण क्षमता सोसाइटियों में सृजित की जा सकेगी साथ ही एक कार्यालय भवन भी प्रत्येक सहकारी सोसाइटियों को उपलब्ध होगा, जिसका लाभ क्षेत्र के कृषकों/ ग्राहकों को होगा।

01 सक्षिप्त नाम एवं विस्तार :–

(एक) यह योजना "नाबार्ड सहायता से गोदाम सह–कार्यालय निर्माण योजना 2022" कहलायेगी।

(दो) यह योजना अधिसूचना जारी होने के दिनांक से लागू होगी।

(तीन) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश की सीमा तक होगा।

02. परिभाषाएं :–

(एक) नाबार्ड – नाबार्ड से अभिप्राय, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।

(दो) पंजीयक – पंजीयक का अभिप्राय, सहकारी सोसाइटियों के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी सोसाइटियों के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक एवं सहायक पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो कंडिका 2(तीन)(चार) मे वर्णित

बैंक एवं कंडिका 2(पांच)वर्णित सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सक्षम हो।

(तीन) अपेक्स बैंक – अपेक्स बैंक का अभिप्राय, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर।

(चार) जिला बैंक – जिला बैंक का अभिप्राय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित से है।

(पांच) "सोसाइटी" – सोसाइटी का अभिप्राय, हितग्राही प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी – वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी/कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी/आदिम जाति बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी।

03. पात्रता –

(एक) नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण अनुदान एवं नाबार्ड के "पूंजी विनियोजन अनुदान योजना ग्रामीण भंडारण योजना" अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान की पात्रता कंडिका 2(पांच) में वर्णित उन्ही सोसाइटियों को होगी। जिनका प्रस्ताव पंजीयक द्वारा प्रेषित किया जावेगा।

(दो) सरगुजा एवं बस्तर संभाग में अपेक्षाकृत सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र वृहद् होने एवं व्यवसाय कम होने के कारण ऐसे क्षेत्रों की 136 नवीन सोसाइटियों का योजना में अंशदान 10 प्रतिशत तथा राज्य शासन की सहायता (RIDF योजना) 90% प्रतिशत होगी। प्रदेश के शेष संभाग की 589 नवीन सोसाइटियों का योजना में अंशदान 20 प्रतिशत तथा राज्य शासन की सहायता (RIDF योजना अंतर्गत) 80 प्रतिशत होगी। नाबार्ड के पत्र क्रमांक NB.SPD/480/RIDF-XXVII(Chh)102[ND] ISC/2021-22 दिनांक 14-02-2022 द्वारा परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। समितिवार गोदाम की लागत समिति का अंशदान एवं आर.आई.डी.एफ. तथा राज्य शासन का अंशदान निम्नानुसार होगा –

(Rs. in Lakh)

Type of Societies	Total eligible project cost	Ineligible (Conrubution of PACS & LAMPS)		Balance Eligible cost (2-4)	RIDF NABARD Loan	State Govt COntrubution
		@%	AMT.			
1	2	3	4	5	6	7
PACS	25.56	20 %	5.11	20.45	19.43	1.02
LAMPS	25.56	10 %	2.56	23.00	21.85	1.15

(तीन) योजना के अंतर्गत सोसाइटियों का अंशदान यथा संभव सोसाइटियों द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा, आवश्यकता अनुसार जिला सहकारी बैंक ६ छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंको से सोसाइटी रियायती दर पर ऋण प्राप्त कर सकेगी।

(चार) हितग्राही सोसाइटी को गोदाम निर्माण हेतु स्वीकृत राशि का उपयोग गोदाम निर्माण कार्य में ही करना होगा।

(पांच) गोदाम निर्माण कार्य स्वीकृत राशि में ही पूर्ण करना होगा, किसी भी स्थिति में इसके लिए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जावेगी ।

गोदामों के निर्माण की गुणवत्ता एवं स्पेशिफिकेशन :–

इस योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले गोदाम ढाँचागत रूप से अभियांत्रिकी नजरिये से मजबूत होने चाहिये। जिसमें कार्य करने एवं कृषि आदान सामग्री/खाद्यान्न का भंडारण आसानी से किया जा सके। वैज्ञानिक भंडारण क्षमता विकसित करने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश का पालन किया जाना चाहिए :–

(एक) सोसाइटी के पास गोदाम निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो एवं स्थल चयन के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे। गोदाम की भंडारण क्षमता 200 मे.टन होनी चांहिए।

(दो) गोदाम का निर्माण State Public Work Deparment के स्पेशिफिकेशन अनुसार किया जायेगा।

(तीन) गोदाम में रौशनी एवं वेन्टीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये। दरवाजे, खिड़की एवं वेन्टीलेटर वाटर प्रूफ होना चाहिये।

(चार) गोदाम को चूहों से सुरक्षित होना चाहिये।

(पांच) गोदाम में पक्षियों से पर्याप्त सुरक्षा होना चाहिये। (खिडकी एवं वेंटीलेटर में जाली लगी होनी चाहिये)

(छः) गोदाम में इस प्रकार से दरवाजे खिड़की लगाया जाना चाहिये जिससे आवश्यकता पड़ने पर Furnigation हेतु इसे सील किया जा सके।

(सात) गोदाम में सुविधाजनक एप्रोच रोड ध्पकक्का रोड की व्यवस्था होनी चाहिये। गोदाम परिसर से पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिये। गोदाम में लोडिंग/अनलोडिग आसानी से होना चाहिये। आग एवं चोरी से सुरक्षा के पर्याप्त इतजाम होने चाहिये।

(आठ) गोदाम निर्माण स्थल पर "नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण" के संबंध में बोर्ड का प्रदर्शन किया जावेगा।

भूमि की उपलब्धता –

इस योजना अंतर्गत गोदाम निर्माण हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था सोसाइटी के पास नहीं होने की दशा में सोसाइटी के प्रस्ताव पर उप/सहायक पंजीयक के प्रस्ताव पर जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार सोसाइटियों को भूमि उपलब्ध करायी जावेगी।

निर्माण एजेसी का निर्धारण :–

निर्माण एजेंसी का निर्धारण जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। निर्माण एजेंसी निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि निर्माण एजेंसी द्वारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः पूर्ण कर लिया जावे।

योजना की मॉनिटरिंग :–

योजना को समयावधि में पूर्ण करने तथा गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि निर्माण कार्यो की सतृत रूप से राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की जावे।

(एक) राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति – राज्य स्तर पर निर्माण कार्यो की प्रक्रिया एवं योजना की मॉनिटरिंग के लिये निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगा–

01. सचिव, सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन. – अध्यक्ष
02. सचिव, वित्त विभाग छ.ग.शासन के प्रतिनिधि – सदस्य
03. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ – सदस्य, (संयोजक)
04. सी.जी.एम. नाबार्ड – सदस्य
05. प्रबंध संचालक, छग. राज्य सहकारी बैंक – सदस्य

(दो) जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति – जिला स्तर पर निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग हेतु निम्नानुसार समिति कठित की जाती है :–

01. जिला कलेक्टर	–	अध्यक्ष
02. जले के उप/सहायक पंजीयक	–	सदस्य
03. मुख्य कार्यपालन अधिकारी /नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (संबंधित जिला)	–	सचिव
04. निर्माण एजेंसी का कार्यपालन यंत्री	–	सदस्य
05. नाबार्ड का प्रतिनिधि	–	सदस्य

उपरोक्त समिति निर्माण कार्यों की प्रक्रिया, तकनीकी स्वीकृति निर्माण कार्यों का मूल्यांकन एवं निर्माण एजेंसी को भुगतान की प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगी। निर्माण कार्यों की सतत समीक्षा कर पूर्णता समयावधि में सुनिश्चित करेगी।

(तीन) इस योजना में स्वीकृत हितग्राही सोसाइटी के, गोदाम निर्माण स्थल में परिवर्तन का अधिकार जिला स्तरीय मानिटरिंग कमेटी को होगा।

(चार) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात पूर्णता एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र पंजीयक एवं सहकारिता विभाग को दिया जावेगा।

(पांच) गोदाम निर्माण पूर्ण होने के पश्चात हितग्राही सोसाइटी को 15 दिवस के भीतर गोदाम का कब्जा प्राप्त करना होगा।

08. अनुदान (आर्थिक सहायता) के निर्गमन की प्रक्रिया एवं शर्ते :–

(एक) योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा।

(दो) राज्य शासन के बजट में .प्रावधानित राशि के आहरण का प्रस्ताव हितग्राही सोसाइटी के स्थल चयन होने के पश्चात निर्धारित प्रपत्र में (परिशिष्ट–) द्वारा संबंधित जिला बैंक /अपेक्स बैंक के माध्यम से पंजीयक को प्रेषित किया जावेगा।

(तीन) राशि के निर्गमन का प्रस्ताव पंजीयक द्वारा अपनी अनुशंसा सहित सहकारिता विभाग को प्रेषित किया जावेगा।

(चार) निर्गममित अनुदान (आर्थिक सहायता) की राशि पंजीयक के माध्यम से अपेक्स बैंक/जिला बैंक को प्रदाय की जायेगी। हितग्राही सोसाइटी को राशि समय पर उपलब्ध कराने की जवाबदारी अपेक्स बैंक/जिला बैंक की होगी।

(पांच) पंजीयक एवं अपेक्स बैंक द्वारा योजना अंतर्गत निर्गममित राशि का लेखा हितग्राही सोसाइटीवार संधारित किया जावेगा।

09 उपयोगिता प्रमाण–पत्र :–

योजनांतर्गत निर्गमित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (प्रारूप परिशिष्ट–2) निर्माण एजेंसी के द्वारा प्रदान किया जावेगा जिस पर हितग्राही सोसाइटी एवं विभागीय अंकेक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरेति कर संबंधित जिला बैंक/अपेक्स बैंक के माध्यम से पंजीयक को प्रेषित करेगा।

10 बीमा :–

योजनांतर्गत निर्मित गोदामों का बीमा कराने का दायित्व संबंधित सोसाइटी का होगा।

11 विविध :–

(एक) राज्य शासन पंजीयक को इस योजना के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

(दो) इस योजना में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा।

––000––

परिशिष्ट

शासकीय अनुदान (आर्थिक सहायता) हेतु आवेदन पत्र वर्ष ....

1 सहकारी संस्था का नाम – ....

2 पंजीयन क्र. एवं दिनांक – ....

3 वित्तीय वर्ष – ....

4 अध्यक्ष का नाम – ....

प्रबंधक का नाम ....

5 शासकीय अनुदान (आर्थिक सहायता) हेतु आदेशित राशि –

6 विभागीय आयोजना बजट का विवरण – जिसमें राशि की मांग की गयी है।

मांग संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	योजना क्र.

7 योजना का नाम – ....

8 शासकीय (आर्थिक सहायता) का उपयोग जिस कार्य में किया जावेगा –

1. गोदाम स्थल – ....
2. भंडार क्षमता – ....
3. साईज – ....

9 सोसाइटी की आर्थिक स्थिति का विवरण दिनांक 31.03.2020 की स्थिति पर

1. अंश पूंजी – ....
2. कार्यशील पूंजी – ....
3. शुद्ध लाभ/हानि – ....
4. संचित लाभ/हानि – ....

हस्ताक्षर

(सोसाइटी सील)

उपरोक्तानुसार .... की शासकीय आर्थिक सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

उप/सहायक पंजीयक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला बैंक/अपेक्स बैंक

(परिशिष्ट–2)

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सोसाइटी मर्यादित .... जिला .... को छत्तीसगढ शासन, सहकारिता विभाग से मांग संख्या .... मुख्य लेखाशीर्ष .... योजना कमांक .... में प्राप्त ऋण/अंशपूंजी की राशि रू. .... का उपयोग योजना के उद्‌देश्य अनुसार कर लिया गया है।

सत्यापन करने वाले
अधिकारी का हस्ताक्षर
(उप/सहायक पंजीयक)

अध्यक्ष **प्रबंधक**
विपणन सहकारी समिति मर्यादित
....

छत्तीसगढ़ शासन,
सहकारिता विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

क्रमांक / एफ 15–28 / 15–02 / 2022 / 2424 नया रायपुर, दिनांक 13 / 09 / 2022

:: अधिसूचना ::

राज्य शासन एतद्द्वारा क्रमांक / एफ 15–17 / 15–2 / 2021 / 1 दिनांक 04.02.2022 द्वारा जारी "राज्य के कृषकों को सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम, 2021" में संशोधन / विलोपन कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

01. नियम के "प्रस्तावना" को विलोपन करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

"प्रदेश के कृषकों के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा सहकारी समितियों / बैंको से संबंद्ध कृषकों को कृषि कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.04.2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण एवं परम्परागत गौ–पालक कृषकों को अल्प ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि, मछली पालन को कृषि के समान संस्थागत ऋण सहायता प्रदान किया जावेगा। मछली पालन विभाग के आदेश दिनांक 02.08.2021 अनुसार मत्स्य पालन हेतु मत्स्य पालकों / मत्स्य समूह व समितियों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान देय होगा।

राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि, उद्यानिकी फसलों हेतु कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण की भांति दिनांक 01.04.2022 से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाए एवं उस ऋण पर ब्याज अनुदान देय होगा।

बैंक द्वारा आंकलित प्राईम लेंडिंग रेट एवं पंजीयक द्वारा निर्धारित संस्था के मार्जिन के आधार पर कृषकों को प्रभारित ब्याज दर में से प्रभावशील ब्याज दर घटाने के पश्चात शेष राशि की प्रतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में शासन द्वारा सहकारी बैंकों / समितियों को की जावेगी। इसके क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है–

(02) नियम की कंडिका "04 प्रभावशील ब्याज दरें" में खण्ड (चार) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जावे,

"(चार) उद्यानिकी कार्यों हेतु ऋण – ब्याज अनुदान नियम की पात्रता के नियम (2) (बारह) में वर्णित उद्यानिकी कृषकों हेतु दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋण रूपये 3.00 लाख की सीमा तक ब्याज मुक्त (0% ब्याज दर) होगा ।"

सही
(पी.एस. सर्पराज)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

पृ. कमांक/एफ 15–28/15–2/2022/2425 नवा रायपुर दिनांक 13/09/2022

प्रतिलिपि –

01. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग ।
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।
04. संचालक, संचालनालय कृषि, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
05. संचालक, संचालनालय उद्यानिकी, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
06. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
07. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़, जिला .... ।
08. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर।
09. समस्त संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं .... ।
10. समस्त उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला .... ।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैक जिला .... ।
12. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

बिजनेस पोस्ट के अंतर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक जी 2–22 छत्तीसगढ़ बजट/38 सि से भिलाई दिनांक 30.05.2001

पंजीयन क्रमांक
छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013–2015

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 576 रायपुर बुधवार दिनांक 14 सितम्बर 2022 – भाद्रपद 23 शक 1944

सहकारिता विभाग

मत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 13 सितम्बर 2022

क्रमांक/एफ/15–28/15–2/2022/2424– राज्य शासन एतद्द्वारा क्रमांक/एफ/15–17/15–2/2021/1 दिनांक 04.02.2022 द्वारा जारी "राज्य के कृषकों को सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम, 2021 में संशोधन/विलोपन कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(1) नियम के "प्रस्तावना" को विलोपन करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जावे. –

"प्रदेश के कृषकों के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा सहकारी समितियों/बैंको से संबंद्ध कृषकों को कृषि कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.04.2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण एवं परम्परागत गौ–पालक कृषकों को अल्प ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि, मछली पालन को कृषि के समान संस्थागत ऋण सहायता प्रदान किया जावेगा। मछली पालन विभाग के आदेश दिनांक 02–08–2021 अनुसार मत्स्य पालन हेतु मत्स्य पालकों/मत्स्य समूह व समितियों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान देय होगा।

राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि, उद्यानिकी फसलों हेतु कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण की भांति दिनांक 01–04–2022 से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाए एव उस ऋण पर ब्याज अनुदान देय होगा।

बैंक द्वारा आंकलित प्राईम लेंडिंग रेट एवं पंजीयक द्वारा निर्धारित संस्था के मार्जिन के आधार पर कृषकों को प्रभारित ब्याज दर में से प्रभावशील ब्याज दर घटाने के पश्चात शेष राशि की प्रतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में शासन द्वारा सहकारी बैंको/समितियों को की जावेगी। इसके क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

(2) नियम की कंडिका "04 प्रभावशील ब्याज दरें" में खण्ड (चार) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जावे, –

(चार) उद्यानिकी कार्यों हेतु ऋण – ब्याज अनुदान नियम की पात्रता के नियम (2) (बारह) में वर्णित उद्यानिकी कृषकों हेतु दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋण रूपये 3.00 लाख की सीमा तक ब्याज मुक्त (0 प्रतिशत ब्याज दर) होगा।"

हस्ता/–
(पी.एस.सर्पराज)
उप – सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
सहकारिता विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / एफ 15–28 / 15–02 / 2022 / 2431   अटल रायपुर, दिनांक 14 / 09 / 2022

प्रति,

01. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़.

02. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर

03. समस्त संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं.

04. समस्त उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं.

05. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.

06. समस्त नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.

विषय :– ब्याज अनुदान नियम, 2021 के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

संदर्भ :– विभाग की अधिसूचना क्र / एफ 15–17 / 15–2 / 2021 / 1 दिनांक 04.02.2022.

–– 00––

विभाग के संदर्भित अधिसूचना का अवलोकन करेंगे, जिसमें कृषकों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम के दिशा–निर्देश जारी किया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु नियम की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

आप भली–भांति अवगत है कि, राज्य शासन द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों / सहकारी बैंकों से कृषकों के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखतें हुए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर दिनांक 01.04.2014 से अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है तथा मत्स्य पालक कृषकों / समूहों को दिनांक 02.08.2021 से प्रदाय किया जा रहा है। गौ–पालन हेतु कृषकों को अल्प ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अल्पकालीन कृषि ऋण पर बैंक द्वारा आंकलित प्राईम लेंडिंग रेट एवं पंजीयक द्वारा निर्धारित संस्था के मार्जिन को जोड़कर बैंक एवं समितियों को ब्याज अनुदान की संपूर्ण राशि शासन द्वारा प्रदाय की जा रही है।

ब्याज अनुदान योजना विभाग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिस पर राज्य सरकार के बजट से करोड़ों की राशि अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य सरकार के संज्ञान में यह आया है कि, राज्य की इस महत्वपूर्ण योजना, को क्रियान्वित करने में, विभागीय जिला अधिकारियों एवं बैंक स्तर पर त्रुटियां संज्ञान में आ रही है एवं योजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब भी किया जा रहा है, जिससे प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं राज्य शासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार की संभावना होती है। अतएव ब्याज अनुदान नियम के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश दिया जाता है :–

01. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनश्चित की जावे –

01. वेबसाईट में एन.आई.सी. के माध्यम से ऑनलाईन ब्याज अनुदान पंजीयक मॉड्यूल विकसित किया गया है। उक्त मॉड्यूल में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों द्वारा पात्र ऋणों की फसलवार, प्रकरणवार, कृषकवार, संव्यवहारवार, दिनांकवार प्रविष्टि ऋण स्वीकृति के साथ–साथ की जावे।

02. ऋण वितरण की प्रविष्टि दैनिक आधार पर (सामान्यतः रियल टाईम पर) अनिवार्यतः करते हुए, आगामी ब्याज अनुदान दावा पत्रक वास्तविक ऋण वितरण के आधार पर फसलवार (खरीफ/रबी) प्रकरणवार (गौ–पालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी ऋण) संबंधित बैंक को उनकी शाखाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे। ब्याज अनुदान का त्रुटिरहित दावा पत्रक तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित सोसाइटी प्रबंधक की होगी।

02. बैंक स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनश्चित की जावे –

01. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एवं सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक प्रतिवर्ष, अपने बैंक के प्राईम लैंडिंग रेट (PLR) का भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा/निर्देश के अनुसार आंकलन कर, अपने संचालक मंडल/आमसभा से अनुमोदित करा कर, (PLR) समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को उपलब्ध करायी जावे एवं (PLR) से संबंधित आंकलन प्रतिवेदन अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी रखा जावे तथा बैंक द्वारा समितियों को अल्पकालीन कृषि ऋण पी.एल.आर. के दर की सीमा में ही ब्याज प्रभारित किया जावे।

02. ब्याज अनुदान के नियम की कंडिका–5 में आंकलन संबंधी स्पष्ट निर्देश/आकलन का सूत्र उपलब्ध है, जिसका पालन करते हुए ब्याज अनुदान दावा पत्रक तैयार कराए जावें।

03. प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी द्वारा तैयार किये गये ब्याज अनुदान दावा पत्रकों का परीक्षण कर संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी (रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए) द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक छः माही समाप्त होने के 30 दिवस के भीतर ऑनलाईन मॉड्यूल से दावा पत्रक का प्रिंट आऊट लेकर लेखा पुस्तकों से मिलान की पुष्टि कर हस्ताक्षरित दावा पत्रक जिले के उप/सहायक पंजीयक को प्रस्तुत किया जाए।

04. राज्य शासन से प्राप्त ब्याज अनुदान की राशि बैंक द्वारा त्वरित रूप से समितियों के खातें में समायोजित की जावे। समायोजन समय में हो इस हेतु पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक उपयोगिता प्रमाण पत्र लेवें।

03. उप/सहायक पंजीयक पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनश्चित की जावे –

01. जिला कार्यालय द्वारा ब्याज अनुदान दावा पत्रकों की जांच के लिए अंकेक्षकों को संस्था का आबंटन माह अप्रैल में ही किया जावे, ताकि संबंधित अंकेक्षक ऋण वितरण की प्रगति से भी सतत अवगत होते रहे एवं ऋण वितरण की कार्यवाही पूर्ण होते ही संस्था द्वारा तैयार ब्याज अनुदान दावा पत्रकों का शीघ्र अंकेक्षण कराया जावे।

02. अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित 10 प्रतिशत ब्याज अनुदान दावा पत्रकों की जांच जिले के सहायक पंजीयक उप पंजीयक द्वारा अनिवार्यतः की जावे। त्रुटिपूर्ण दावा पत्रकों के लिए जिले के सहायक पंजीयक/उप पंजीयक जिम्मेदार होंगे।

03. ब्याज अनुदान का अंकेक्षण एवं स्वीकृति, वार्षिक अंकेक्षण का ही एक हिस्सा है। अतः प्रत्येक वर्ष के वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन में ब्याज अनुदान दावा पत्रक तथा स्वीकृत दावा पत्रक की जानकारी अंकेक्षण टीप में अनिवार्यतत रखा जावें।

04. यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सहायक उप पंजीयकों द्वारा अंकेक्षण कराने तथा दावा स्वीकृति कराने में अत्यंत विलंब किया जा रहा है। सहकारी बैंकों से प्राप्त दावा पत्रकों का अंकेक्षण जिला के अंकेक्षकों से कराकर ब्याज अनुदान की स्वीकृति कर राशि का समायोजन कराने की जवाबदारी जिले के सहायक/उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं की है।

03. संयुक्त पंजीयक/पंजीयक सहकारी संस्थाएं स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनश्चित की जावे –

01. यह देखा गया है कि, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ब्याज अनुदान हेतु राज्य शासन के बजट से प्राप्त राशि का समय पर समायोजन नहीं कराया जा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि अनुदान राशि का समायोजन निर्धारित समय में किया जावे। ब्याज अनुदान स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त कर राज्य शासन को भेजा जावे। इसका सतत पर्यवेक्षण संयुक्त पंजीयक करें।

02. ब्याज अनुदान योजना के क्रियान्वयन की समस्त कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण संभाग स्तर पर संभागीय संयुक्त पंजीयक एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं स्तर पर सहकारी ऋणों के प्रशासकीय नियंत्रण करने से संबंधित अधिकारियों के द्वारा नियमित रूप से किया जाए।

प्रत्यके वर्ष कूल ब्याज अनुदान हेतु दावा, पात्रता अनुसार स्वीकृति तथा स्वीकृति अनुसार राशि का संस्थाओं को प्रेषिण बाबत् स्पष्ट प्रमाण पत्र वर्ष समाप्ति के पश्चात एक माह में प्रेषित किया जावे।

अतः आपकों निर्देशित किया जाता है कि, विभाग के इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन हेतु नियम में प्रावधानित कंडिकाओं का कड़ाई से पालन करते हुए योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। समय–सीमा एवं निर्देशों के पालन में त्रुटि अथवा विलंब की दशा में आपके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित किया जावेगा। किसी भी स्तर पर नियमों के पालन में चूक अथवा लापरवाही की जाती है, तो आपकी व्यक्तिगत जवाबदारी होगी। तद्नुसार आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

(ब्लॉक "बी", द्वितीय–तृतीय तल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर)
(फैक्स नंबर – 0771–2511918 / दूरभाष – 07712511920)
(E-mail : rcs.coop@nic.in)

क्रमांक / अंकेक्षण–1 / 2014 / 2175 नया रायपुर, दिनांक 26 / 04 / 2014

–: परिपत्र :–

प्रति,

01. समस्त संभागीय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाए
संभाग .... (छ.ग.)

02. समस्त उप / सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं
जिला – ....(छ.ग.)

विषय :– विशेष संपरीक्षा, छ.ग. सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 58(4) (चार) का परन्तु (संशोधन अधिनियम 2012)।

—00—

छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की मूल अधिनियम की धारा 58 के अनुसार किसी सोसाइटी के संपरीक्षा रिपोर्ट पूर्ण होने या जारी होने के पश्चात्, कोई वित्तीय अनियमितता या गबन की शिकायत होती हैं तो रजिस्ट्रार, इस प्रयोजन के लिए विशेष संपरीक्षा हेतु आदेश दे सकेगा।

इस संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायत के परीक्षण, विशेष स्थितियां एवं कार्यवाही प्रक्रिया निम्नानुसार निर्दिष्ट की जाती हैं :–

01. बेनामी शिकायत अथवा प्रमाण–रहित शिकायत विशेष संपरीक्षा के प्रयोजन से ग्राहय नहीं होगी।
02. प्राथमिक शिकायत के संदर्भ यदि संपरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित है और विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है अथवा किया जाना है, तो शिकायत विशेष संपरीक्षा के प्रयोजन से ग्राह्मा नहीं होगी।
03. साधारणतया ऐसे मामलों जिनमें अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं अथवा प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज हैं और मामले के तथ्यावेषण के लिए वित्तीय अंकेक्षण की आवश्यकता प्रतिपादित है, विशेष अंकेक्षण कराया जा सकता हैं।
04. केवल अंशधारी सदस्य ही शिकायतकर्ता के रूप में स्वीकार्य होगा, संस्था के अंशधारी सदस्य के अतिरिक्त राज्य शासन, वित्तदायी बैंक, नाबार्ड, रिजर्व बैंक एवं स्व–विवेक से पंजीयक द्वारा किसी संस्था के विशेष अंकेक्षण की अपेक्षा पर आदेश जारी किये जा सकेंगे। अन्य स्तर से प्राप्त शिकायत प्रशासकीय जांच की श्रेणी में स्वीकार्य होगी।
05. यदि किसी संस्था की नियमित संपरीक्षा लंबित हैं और कारणवंश विशेष संपरीक्षा की मांग की जाती है तो ऐसी मांग निश्चित समयावधि में नियमित संपरीक्षा के अधीन प्रथमतः प्रतिपूर्ण होना चाहिए।
06. विशेष संपरीक्षा आदेश प्रसारित करने से पूर्व कार्यालयीन प्ररिपत्र क्रमांक समन्वय / 1 / विधि / 95 / 817 दिनांक 03 / 08 / 1995 द्वारा विहित दर से शुल्क की राशि चालान द्वारा शासकीय कोषालय में लेखाशीर्ष 425–सहकारिता 101 लेखा परीक्षा फीस में जमा करायी जा कर चालान की एक प्रति अभिलेख में सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। इस

हेतु संपरीक्षा शुल्क शिकायतकर्ता (सदस्य, सदस्यों के समूह, सोसाइटी के लेनदार अथवा देनदार) द्वारा अदा किया जायेगा।

07. जहां तक अंकेक्षण शुल्क की दर का प्रश्न है, किसी संस्था के एक प्रस्ताव के लिए अंकेक्षण शुल्क निश्चित दर से ही जमा करना होगा, चाहे प्रस्ताव में एक से अधिक वर्ष के विशेष अंकेक्षण की मांग की गई हो।

08. जिस संस्थाओं के पंजीयन का अधिकार जिन अधिकारियों को है तथा उन्हें अधिकारों का प्रत्यायोजन है, वे व्यवस्था तथा औचित्यानुसार संस्थाओं के धारा 58 (4) (चार) के तहत विशेष अंकेक्षण आदेश जारी कर सकेंगे तथा प्राप्त विशेष प्रतिवेदनों पर विधिवत कार्यवाही करेंगे। इस संबंध में यह ध्यान अवश्य रखा जाए कि विशेष अंकेक्षण आदेश जैसा कि प्रावधानिक है, आपवादिक स्थिति में ही जारी किये जाने चाहिए।

09. विशेष संपरीक्षा हेतु पंजीयक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों अथवा संपरीक्षा फर्म्स पैनल में से संपरीक्षक की नियुक्ति की जावेगी।

इन निर्देशों को आपके कार्यक्षेत्र की संस्थाओं की परिदृष्टि से जारी करें।

सही
(एस. प्रकाश)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

नया रायपुर, दिनांक 26/04/2014

पृ.क्र./अंकेक्षण–1/2014/2175

प्रतिलिपि :–

01. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर।
02. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर।
03. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित रायपुर।
04. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य दुग्ध सहकारी संघ रायपुर।
05. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य –हाथकरघा विपणन एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित रायपुर।
06. समस्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित .... (छ.ग.)
07. समस्त अपर/ संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक मुख्यालय ।
08. समस्त कक्ष (प्रभारी) साख, विपणन, गृह निर्माण एवं विविध आदि।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

–: परिपत्र :–

क्रमांक/अंके–3/34/2015/982/नया रायपुर दिनांक 25.02.2015 मै अविनाश चम्पावत पंजीयक सहकारी संस्थाए छत्तीसगढ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क. 17 सन! 1961) की धारा 58 की उपधारा (4) एंव छत्तीसगढ सहकारी सोसायटी नियम 1962 नियम 50–क (3) के अनुसार सनदी लेखाकारों को देय संपरीक्षा शुल्क का मान निम्नानुसार विहित करता हूं।

अ. क.	सोसायटी का प्रकार	संपरीक्षा शुल्क के उद्ग्रहण का आधार	संपरीक्षा शुल्क की दरे प्रति हजार रूपये	सपंरीक्षा शुल्क के भुगतान की अधिकतम सीमा
1	2	3	4	5
1	1 छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर	1. कार्यशील पूंजी के प्रथम 5.00 लाख के लिए।	↔ 4.80	कॉलम नं. 02 की समिति क्रमांक 01 5,00,000
	2 जिला सहकारी बैंक	2. कार्यशील पूंजी के आगामी 10.00 लाख के लिए।	↔ 3.60	कॉलम नं. 02 की समिति क्रमांक 02 5,00,000
	3 नागरिक सहकारी बैंक	3. कार्यशील पूंजी के आगामी 15.00 लाख के लिए।	↔ 2.40	कॉलम नं. 02 की समिति क्रमांक 03 1,50,000
	4 प्राथमिक साख एंव मितव्ययी समितियां	4. कार्यशील पूंजी के आगामी 20.00 लाख के लिए।	↔ 1.20	कॉलम नं. 02 की समिति क्रमांक 04 10,000
	5 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां (पैक्स एवं लैम्स)	5. कार्यशील पूंजी के आगामी 50.00 लाख एवं अधिक के लिए।	↔ 0.60	कॉलम नं. 02 की समिति क्रमांक 05 10,000
	6 कृषि समितियां			कॉलम नं. 02 की समिति क्रमांक 06 3000
2	1 उपभोक्ता सहकारी भण्डारों	1 प्रथम रू. 5 लाख के विक्रय के लिए	↔ 4.80	1. कॉलम नंबर 02 की समस्त राज्य/जिला स्तरीय समितियों हेतु रू. 5.00 लाख।
	2 विपणन समितियां	2 आगामी रू. 10 लाख विक्रय के लिए	↔ 3.60	
		3 आगामी रू. 15 लाख के विक्रय के लिए	↔ 2.40	
	3 उत्पादक समितियां 4 बहुउद्देश्य समितिया	4 आगामी रू. 20 लाख के विक्रय के लिए	↔ 1.20	2. कॉलम नं 02 की समस्त प्राथमिक स्तरीय समितियो

	5 प्रसंस्करण समितियां	5 आगामी रू. 50 लाख एंव अधिक के विकय के लिए	↔ 0.60	हेतु रू. 0.15 लाख
3	अन्य समितियों जैसे :– अ गृह निर्माण ब औद्योगिक स शक्कर कारखाना द सामान्य समितियां	1. कुल व्यवसाय (टोटल टर्न ओवर) के प्रथम रू. 5 लाख के लिए	↔ 3.60	1. कॉलम नंबर 02 की समस्त राज्य/जिला स्तरीय समितियों एवं शक्कर कारखाना हेतु रू. 5.00 लाख 2. कॉलम नंबर 02 की समस्त प्राथमिक स्तरीय समितियों हेतु रू. 0.03 लाख
		2. कुल व्यसाय)टोटल टर्न ओवर) के आगामी रू 10 लाख के लिए	↔ 2.40	
		3. कुल व्यवसाय (टोटल टर्न ओवर) के आगामी 15 लाख के लिए	↔ 1.20	
		4. कुल व्यवसाय (टोटल टर्न ओवर) के आगामी 20 लाख एवं अधिक के लिए	↔ 0.60	

टीप :–

01. शाखाओं के लिए पृथक से शुल्क नहीं दिया जावेगा।
02. परिसमापन के अधीन किसी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए वसूल की गई अस्तियों पर रू0 2.00 प्रतिशत की दर से फीस प्रभारित की जायेगी।
03. उन मामलों में जहां सतत संपरीक्षा का आदेश हुआ है तथा संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित किया गया है, कुल संपरीक्षा शुल्क के 33 प्रतिशत तक भुगतान किया जावेगा।
04. अन्य मामलों में जहॉ पर आयकर संपरीक्षा किया गया है वहा पर कुल संपरीक्षा शुल्क के अतिरिक्त 25 प्रतिशत तक का भुगतान किया जावेगा, जिसमें न्यूनतम 3,500 रू0 तथा अधिकतम रू0 10,000 होगा।
05. अधिकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट (संपरीक्षा) एवं उनके सहायकों को यात्रा व्यय, आवास व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता, उस दर से होगी जो संबंधित समिति के लेखा प्रभारी एवं लेखापालों को संबंधित यात्रा भत्ता नियम के अंतर्गत पात्रता होती है।

स्पष्टीकरण :–

01. कार्यशील पूंजी" से अभिप्रेत है लेनदेन पत्रक (बैंलेस शीट) में दायित्व की ओर दर्शाई गई समस्त मदों का योग, जिनमें संचित तथा वर्ष का लाभ यदि कोई हो तथा साथ ही, शाखा समायोजन के अंतर की रकम, जैसी भी दशा हो सम्मिलित है, किन्तु प्रातिक (कान्ट्रा) मदें तथा संचित हानि की रकम सम्मिलित नहीं है।
02. "कुल व्यवसाय" (टोटल टर्न ओवर) :– से अभिप्रेत है बैंकों में जमा की गई तथा आहरित की गई रकमों की और यथा स्थिति प्रारंभिक या अंतिम नगद अतिशेष को भी अपवर्जित करने के पश्चात वर्ष की कुल प्राप्तियां या संवितरण इनमें से जो भी अधिक हो।

सही

(अविनाश चम्पावत)

पंजीयक,

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / अंकंक्षण–3 / 2015, / 982 नया रायपुर, दिनांक 25 / 02 / 2015

प्रतिलिपि :–

01. विशेष सचिव, छ0ग0 शासन, सहकारिता विभाग, 'मंत्रालय' महानदी भवन, नया रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।
02. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, संभाग रायपुर / बिलासपुर / सरगुजा / बस्तर (छ0ग0) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं (समस्त), जिला (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी बैंक मर्या0, रायपुर (छ0ग0)।
05. प्रबंध संचालक, छ0ग0 मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्या0, रायपुर (छ0ग0)।
06. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्या0, रायपुर (छ0ग0)।
07. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या0, रायपुर (छ0ग0)।
08. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या0, रायपुर (छ0ग0)।
09. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी आवास संघ मर्या0, रायपुर (छ0ग0)।
10. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या0, रायपुर (छ0ग0)।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ0ग0 राज्य सहकारी संघ मर्या0, रायपुर (छ0ग0)।
12. छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0, रायपुर (छ0ग0)।
13. छ0ग0 राज्य सहकारी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर (छ0ग0)।
14. छ0ग0 राज्य औद्योगिक संघ मर्या0, रायपुर (छ0ग0)
15. छ0ग0 राज्य सहकारी बैंकर्स एसोसिएशन मर्या0, रायपुर (छ0ग0)।
16. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या0, रायपुर / दुर्ग / राजनांदगांव / बिलासपुर / अम्बिकापुर / जगदलपुर (छ0ग0)।
17. सहकारी शक्कर कारखाना मर्या0, कवर्धा / बालोद / केरता (जिला सूरजपुर) (छ0ग0)।
18. समस्त पंजीकृत सहकारी समितिया एवं नागरिक सहकारी बैंक मर्या. .... (छ.ग.)।

सही

पंजीयक

सहकारी संस्थाएँ, छत्तीसगढ़

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

क्रमांक/अंकेक्षण–3/2015/3445 नया रायपुर, दिनांक 14/07/2015

प्रति,

1 अध्यक्ष/सचिव/प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
समस्त शीर्ष/केन्द्रीय/राज्य स्तरीय/अतंरसंभागीय/
प्राथमिक सहकारी संस्थाएं, समस्त (छ0ग0)

2. अपर /संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ समस्त

3. समस्त अनुसूचित संपरीक्षक
सहकारिता विभागीय संपरीक्षक, संपरीक्षक संपरीक्षा फर्म (सनदी लेखाकार))

विषय :– सहकारी संस्थाओं के वैधानिक संपरीक्षा की प्रक्रिया का निर्धारण।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र कमांक/अंकेक्षण–1/2014/514 रायपुर, दिनांक 28/01/2014

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। वैधानिक अंकेक्षण के संचालन की प्रकिया में आंशिक संशोधन किये जाकर निम्नानुसार प्रकिया निर्दिष्ट की जाती है :–

01. प्रत्येक सहकारी संस्था के द्वारा अधिनियम की धारा 49 के तहत 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक आहूत की जाने वाली वार्षिक आमसभा में चालू लेखा वर्ष एवं लंबित लेखा वर्षो के लिये वैधानिक संपरीक्षक की नियुक्ति पंजीयक द्वारा अनुमोदित पेंनल के संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म से की जानी है।

02. धारा 49–1(छ) एवं नियम 50 (2) के तहत प्रत्येक संस्था को आमसमभा का कार्यवाही विवरण तथा संपरीक्षक की नियुक्ति के निर्णय की जानकारी आमसभा दिनांक से 30 दिवस की अवधि में पंजीयक कार्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि कोई सहकारी संस्था समयावधि में वार्षिक आमसभा का आयोजन तथा संपरीक्षक की नियुक्ति नहीं कर पाती है तो उत्तरदायी संस्था के पदाधिकारी/ अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जानी आवश्यक है। साथ ही धारा

50 के तहत ऐसी संस्थाओं में विशेष साधारण सभा 31 दिसम्बर तक आहूत कर संपरीक्षक की नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किये जावेंगे।

03. छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58 के प्रावधान अनुसार सपंशीक्षक की नियुक्ति का निर्णय पंजीयक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षक/संपरीक्षक फर्म में से संस्थाओं की आमसभा द्वारा किया जाना आवश्यक है। सहकारिता विभागीय संपरीक्षक से संपरीक्षा कराने के निर्णय पर विभागीय अधिकारी द्वारा संपरीक्षक को प्राधिकृत किये जाने का आदेश जारी किया जावेगा।

04. संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म की पंजीयक द्वारा अनुमोदित एवं कार्यालयीन आदेश क्र. अंकेक्षण–3/2015/2972 नया रायपुर, दिनांक 15/06/2015 से प्रसारित पैनल छ0ग0 शासन की वेबसाईट – http://cg.gov.in एवं http://coop.gov.in पर उपलब्ध है।

05. अधिनियम की धारा 58 (4) (चार) के तहत सहकारी संस्थाओं के संपरीक्षक/ संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति संस्थाओं की आमसभा द्वारा की जानी है। चूंकि अधिनियम की धारा 49 (1) के द्वितीय परन्तुक के प्रावधानों के अनुसार परिसमापनाधीन सोसायटी के मामले में वार्षिक साधारण सभा का आयोजन आवश्यक नहीं हैं। परिसमापनाधीन सोसायटी के परिसमापक अनुमोदित पैनल में से संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति कर सकेगा।

06. प्रत्येक संस्था को आहुत की जाने वाली वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु संकल्प पारित करना अनिवार्य है। अन्य विषयों के समान ही आमसभा में प्रस्ताव रखने के पूर्व संचालक मण्डल में इस विषय पर विचार किया जाना आवश्यक है।

07. वर्ष 2015–16 की वार्षिक आमसभा में वर्ष 2016–17 वर्ष के लिए वैधानिक संपरीक्षक की नियुक्ति की जानी है। जिन संस्थाओं में नवीन संशोधित अधिनियम के प्रावधान अनुसार संपरीक्षक की नियुक्त नहीं हुए हैं, उन्हें संस्थाओं की लंबित संपरीक्षा के लिए वैधानिक संपरीक्षा की नियुक्ति हेतु अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाहियाँ शीघ्र की जानी आवश्यक है।

08. ऐसी संस्थाएं जहाँ वर्ष 2015–16 में नवीन प्रावधानों के पालन में वार्षिक आमसभा का आयोजन किया जा चुका है, किन्तु सांविधिक संपरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकी है वहाँ अधिनियम की धारा 50 के तहत विशेष साधारण सभा का आयोजन कर सांविधिक संपरीक्षक की नियुक्ति की कार्यवाही करेगी। आगामी वर्षों की संपरीक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

09. किसी भी संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म को किसी सोसायटी का छ0ग0 सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 50 (2) के पालन में किसी भी संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म को लंबित लेखा वर्ष सहित 02 वर्ष से अधिक वर्षो की वैधानिक संपरीक्षा हेतु नियुक्ति नहीं की जावेगा।

10. सहकारिता विभाग के संपरीक्षक को पंजीयक द्वारा पैनल में वर्गीकृत श्रेणी से उच्च श्रेणी की संस्था का सांविधिक संपरीक्षक हेतु प्राधिकृता प्रदान नहीं किया जायेगा।

11. संपरीक्षा पार्टनरशीप फर्म/संपरीक्षा फर्म राज्य की 01 शीर्ष/01 केन्द्रीय/01 शक्कर कारखाना/01 नागरिक सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी संस्थाओं की अधिकतम 25 से अधिक नियुक्ति स्वीकार्य नहीं करेंगे।

12. संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म के चयन हेतु प्राथमिकता का क्रम निम्नानुसार होगा :–

अ. सोसायटी जिस जिले में पंजीकृत है उस जिले में मुख्यालय/शाखा स्थापित कर कार्यरत संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म।

ब. जिले में संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने पर संभागातंगत निकटतम जिलें के संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म।

स. संभागीय स्तर पर संपरीक्षक /संपरीक्षा फर्म की उपलब्धता न होने पर अन्य जिलों में मुख्यालय, शाखा स्थापित कर कार्यरत संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म।

13. संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म को अधिनियम की धारा 58 (2) के अंतर्गत सहकारी सोसायटी द्वारा संपरीक्षा हेतु आर्थिक दस्तावेज (लेखा पुस्तकें, समस्त संव्यवहार एवं वार्षिक विवरणीयाँ) प्रस्तुत कर दी जाती है तो अधिकतम दो माह की समयावधि में संपरीक्षक को संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म अपने संपरीक्षा प्रतिवेदन सोसायटी को (सदस्यों को संबोधित करते हुए) प्रस्तुत करेगी।

15. संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म जो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा करती है, संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एवं पंजीयक को पृष्ठांकित करेंगे।

16. सोसायटी, संपरीक्षा रिपोर्ट, सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा उस पर विचार और अनुमोदन के पश्चात् उसकी अनुपालना रिपोर्ट के साथ पंजीयक और उसकी सम्बद्ध सोसायटी को भेजेगी।

परन्तु यह और कि यदि वहाँ संपरीक्षा प्रतिवेदन पूर्ण होने या जारी होने के पश्चातु कोई वित्तीय अनियमितता या गबन की शिकायत होती है तो पंजीयक इस प्रयोजन के लिए अधिनियम की धारा 58 (4) (चार) के परन्तुक के अनुसार विशेष संपरीक्षा के आदेश जारी करते हैं तो संपरीक्षा प्रतिवेदन नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को संबोधित करते हुए प्रस्तुत की जायेगी। इस हेतु संपरीक्षा शुल्क शिकायतकर्ता (सदस्य, सदस्यों के समूह, सोसायटी के लेनदार अथवा देनदार) द्वारा अदा किया जायेगा।

17. परिसमापनाधीन सहकारी सोसायटी के संपरीक्षा हेतु परिसमापक द्वारा संपरीक्षक के नियुक्ति के पूर्व पंजीयक को परिसमापनाधीन सोसायटी के परिसमापनाधीन प्रक्रिया के संबंध में परिसमापक का नियमित प्रतिवेदन छ0ग0 सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (ड) के अतंर्गत प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

18. संपरीक्षा के दौरान कोई आर्थिक अनियमितता पाये जाने अथवा अधिनियम/ नियम/उपविधि के उपबंधों अथवा पंजीयक के वैधानिक आदेश के प्रतिकूल कोई भुगतान किये जाने की दशा में संपरीक्षक संस्था को हुए नुकसान के संबंध में विशेष प्रतिवेदन संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा।

19. संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म, आदर्श संपरीक्षा प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से संपरीक्षा प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

20. संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म सोसायटी के आर्थिक कारोबार एवं कार्य संचालन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित प्रारूप में अंकेक्षण वर्गीकरण मूल्याकंन पत्रक संलग्न करेगी।

21. सोसायटी द्वारा सहकारिता विभागीय संपरीक्षक की नियुक्ति की जाने की स्थिति में सहकारिता विभाग के संबंधित जिला/संभाग/मुख्यालय के प्राधिकारी द्वारा विभागीय संपरीक्षक को प्राधिकृत किया जायेगा। संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक को प्राधिकृत किये जाने की स्थिति में सहकारिता विभागीय संपरीक्षक विभागीय प्राधिकृता प्रदान करने वाले प्राधिकारी को सोसायटी के संपरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति संपरीक्षा शुल्क उद्‌गहन की गणना कर प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।

22. अधिनियम की धारा 58 (2) के तहत सहकारी सोसायटी का प्रबंधन लेखा पुस्तकों और समस्त संव्यवहार जो उसके कारोबार से संबंधित हैं वार्षिक वित्तीय पत्रक एवं आवश्यक विवरणीयों को तैयार करने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। सपंरीक्षक इस विषय पर केवल अपना संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

23. 13 फरवरी 2013 के पूर्व जारी किये गये संपरीक्षक की नियुक्ति के आदेश (आबंटन) यथावत प्रभावशील रहेंगें। परन्तु लंबित अंकेक्षण (संस्था द्वारा नियमित लेखांकन कार्य पूर्ण न किये जाने की स्थिति में, उचित स्पष्टीकरण प्रदान करने की जवाबदेही संचालक मण्डल की होगी) सोसायटी की साधारण निकाय पूर्व वर्षों की लेखा परीक्षा हेतु भी संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति (रिकार्डों का संधारण पूर्ण कर) तत्संबंध में अनुमोदित पैनल से पंजीयक के अनुमति उपरांत कर सकेगा। लंबित अंकेक्षण पूर्ण कराने हेतु संबंधित सोसायटी द्वारा संपरीक्षक नियुक्त नहीं किये जाने की दशा में संस्थाओं के वर्ष 2012–13 एवं पूर्व वर्षो के संपरीक्षक जिन्हें नियुक्ति आदेश (आबंटन) 13 फरवरी 2013 के पूर्व दिये जा चुके हैं उन्हें संशोधित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु आदेशित विभागीय संपरीक्षक सेवानिवृत्त, देहांत, स्थानांतरण अथवा अन्य विशेष कारण से संपरीक्षा हेतु उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य विभागीय संपरीक्षक को उक्त संपरीक्षक के स्थान पर अधिकृत किया जा सकेगा।

24. संस्थाओं की वार्षिक आमसभा द्वारा संपरीक्षक/सपंरीक्षा फर्म की नियुक्ति हेतु पारित संकल्प/प्रस्ताव **प्रारूप 01** के अनुसार होना आवश्यक है।

25. संचालक मण्डल द्वारा अपने चयन संबंधी निश्चय में जिन सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों को सम्मिलित किया गया है उनसे वार्षिक आमसभा के पूर्व निर्धारित प्रारूप 02 में घोषणा/वचन पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

26. छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधान अनुसार यदि संस्था की आमसभा द्वारा विभागीय संपरीक्षक को नियुक्त करने का संकल्प लिया जाता है तो ऐसे प्रस्ताव पर सहकारिता विभाग के संबंधित जिला/संभाग/मुख्यालय से विभागीय संपरीक्षक को संस्था की वैधानिक संपरीक्षा हेतु प्रारूप 03 अनुसार प्राधिकृत किया जावेगा।

27. संस्था की वार्षिक आमसभा द्वारा यदि किसी सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का संकल्प पारित किया जाता है तो सनदी/लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का आदेश निर्धारित प्रारूप 04 में संस्था के सचिव /प्रबंध संचालक मुख्य कार्यपालन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा के साथ जारी किया जावेगा, परन्तु प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियोजित न होने की स्थिति में यह आदेश संचालक सदस्यों में से अधिकारिता प्राप्त संचालक सदस्य द्वारा किया जायेगा।

28. किसी सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म को सतत संपरीक्षा का आदेश जारी होने की स्थिति में वैधानिक संपरीक्षा का आदेश जारी नहीं किया जावेगा।

29. सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म को किसी सहकारी संस्था के वैधानिक संपरीक्षक की नियुक्ति का आदेश प्राप्त होता है तो ऐसे सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म के लिए नियुक्ति आदेश की सूचना संबंधित जिला/संभागीय मुख्यालय को 07 दिवस में सूचित करना आवश्यक होगा।

30. कार्यालय पंजीयक/संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की जानकारियों का संधारण पंजी में अंकित कर तैयार करेंगे।

31. संबंधित सोसायटी का साधारण निकाय, अपने साधारण बैठक में चालू या आगामी वित्तीय वर्ष में, संपरीक्षण के प्रयोजन हेतु संपरीक्षकों या संपरीक्षा फर्मों के अनुमोदित पैनल में से, इस संबंध में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संपरीक्षक नियुक्त करेगा

परन्तु लंबित संपरीक्षण, यदि कोई हो, के मामले में सोसायटी का साधारण निकाय, पूर्व वित्तीय वर्ष की लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करने हेतु अनुमोदित पैनल में से संपरीक्षक या संपरीक्षा फर्मो की नियुक्ति कर सकेगा

परन्तु यह और कि कोई भी संपरीक्षक, सोसायटी विशेष के संपरीक्षण हेतु निरन्तर दो वित्तीय वर्ष से अधिक अवधि के लिये नियुक्त नहीं किया जायेगा।

32. (क) संपरीक्षक, रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में, चिटूठे तथा लाभ–हानि खाते, उस दिनांक को यथाविद्यमान और उस अविध के लिये जिस तक खातों की संपरीक्षा की जानी है, उनके द्वारा लेखा परीक्षण के आधार पर तैयार की गई संपरीक्षा रिपोर्ट, रजिस्ट्रार/संस्था को प्रस्तुत करेगा और यह भी वर्णित करेगा कि क्या संबंधित सोसायटी की राय में या उसकी सर्वोत्तम जानकारी में और उसको प्रदत्त किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त संपरीक्षा रिपोर्ट की अधिनियम द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी, इस प्रकार अपेक्षित रीति से देते हैं और निम्नलिखित की सत्य और उचित स्थिति दशति हैं, अर्थात :–

(एक) चिटठे की स्थिति में सहकारी वर्ष की समाप्ति पर जिस तक खाते बनाये गये और उसके द्वारा जांच की गई है, सोसायटी के काम–काज की स्थिति की, और

(दो) लाभ हानि खाते की स्थिति में सहकारी वर्ष के लाभ या हानि की।

(ख) संपरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित वर्णित होगा, अर्थात :–

(एक) क्या संपरीक्षक, सभी जानकारी और स्पष्टीकरण जो उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजन के लिये आवश्यक थे, अभिप्राप्त कर चुका है।

(दो) क्या उसकी राय में अधिनियम, इन नियमों, सोसायटी की उपविधियों द्वारा यथा अपेक्षित उचित खाता बहियां और पंजियां, सोसायटी द्वारा रखी गई हैं, जहां तक ऐसा इन बहियों की जांच से प्रतीत होता है। और

(तीन) क्या उसके द्वारा जांच किया गया चिट्ठा और लाभ हांनि खाता, सोसायटी के खाता बहियों और विवरणियो से मेल खाते हैं।

(ग) जहां उपरोक्त निर्दिष्ट किन्हीं भी मामलों का उत्तर नकारात्मक में या विशिष्टता के साथ दिया जाता है तो संपरीक्षा रिपोर्ट में उत्तर के लिये कारण विनिर्दिष्ट करेगा।

(घ) संपरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित के पूर्ण विवरण भी अन्तर्विष्ट होंगे, अर्थात :–

(एक) सभी संव्यवहार जो अधिनियम, इन नियमों या सोसायटी की उपविधियों की उपबंधों के प्रतिकूल होना प्रतीत होते हैं ;

(दो) सभी धनराशियां, जिन्हें सोसायटी द्वारा खातों में लिखी जानी चाहिये थी, परन्तु उन्हें खातों में नहीं लिखा गया है ;

(तीन) सोसायटी के व्यय या उसको देय धन की वसूली में कोई तात्विक अनुचितता या अनियमितता ;

(चार) सोसायटी के सम्बद्ध कोई धन या सम्पत्ति, जो डूबत या डूबने की शंका, संपरीक्षक को प्रतीत होता है।

(पांच) ऐसी सोसायटियों, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित विवेकपूर्ण मापदंड लागू होते हैं, के मामले में आय के अभिज्ञान एवं आस्तियों के वर्गीकरण संबंधी विहित मापदंडों के अनुपालन में सोसायटी की चूक यदि कोई हो और

(छः) रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये कोई अन्य मामले।

(ड) रजिस्ट्रार, समय–समय पर ऐसे प्ररूप और प्ररूपों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसमें खाता विवरण और जानकारी, सोसायटी द्वारा संपरीक्षण हेतु तैयार की जायेगी।

(च) संपरीक्षा पूरी होने पर संपीरक्षक, रजिस्ट्रार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, सोसायटी को संपरीक्षा वर्गीकरण प्रदान करेगा।

33. प्रत्येक सोसायटी, संपरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, उसमें संपरीक्षक की टिप्पणी सहित अनुपालन रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा।

34. संपरीक्षा रिपोर्ट और वित्तीय विवरणियाँ हिन्दी में होगी।

35. संपरीक्षा रिपोर्ट, संबंधित सोसायटी के बोर्ड की बैठक के समक्ष विचारण हेतु रखी जायेगी और तत्पश्चात संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, रजिस्ट्रार को निर्धारित समयावधि, जैसा कि अधिनियम की धारा 56 में उपबंधित है, के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

36. प्रत्येक शीर्ष सहकारी सोसायटी का संपरीक्षा रिपोर्ट, राज्य विधानसभा के समक्ष ऐसी रीति में रखी जायेगी, जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये।

37. प्रत्येक सोसायटी, जिसके लेखों का आडिट अधिनियम की धारा 58 के अधीन सहकारिता विभागीय संपरीक्षक द्वारा किया जाता हो, राज्य शासन को प्रत्येक सहकारी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखाओं की संपरीक्षा करने हेतु, ऐसे प्रभार का भुगतान करेगी, जो सोसायटी की उस श्रेणी, जिसके अंतर्गत वह आती हो, के संबंध में अनुसूची में निर्धारित मान के अनुसार हो। यदि सनदी लेखाकारों के लिये संपरीक्षा शुल्क का मान, प्रतिपादित नहीं किया जाता है, तो संपरीक्षा शुल्क का संदाय, सोसायटी द्वारा सनदी लेखाकारों को ऐसी शर्त के अध्यधीन किया जाएगा, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमति हो। पंजीयक द्वारा संपरीक्षा शुल्क का मान सनदी लेखाकारों के लिये अपने परिपत्र <u>क्रमांक/अंकेक्षण–3/2015/982</u> दिनांक 25/02/2015 द्वारा विहित किया गया है।

38. सहकारिता विभागीय संपरीक्षक द्वारा की गई संपरीक्षा की दशा में, रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिदत्त किये जाने वाले विहित प्ररूप में या साधारण डाक से सोसायटी के पते पर भेजकर, उपनियम (1) के अधीन सोसायटी द्वारा देय प्रभार की संसूचना देगा।

39. सहकारिता विभागीय संपरीक्षक द्वारा की गई संपरीक्षा की दशा में, संपरीक्षा शुल्क का संदाय, चालान के माध्यम से किया जाएगा और सनदी लेखाकारों को सोसायटी द्वारा शुल्क का संदाय ऐसी रीति में किया जायेगा, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमति हो अथवा जैसा कि इस संबंध में पंजीयक द्वारा समय–समय पर विहित किया जाये।

40. राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित संपरीक्षा शुल्क, भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

41. छ0ग0 सहकारी सोसायटी नियम 51 (क) संपरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जाना –

अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (7) में यथा उपबंधित प्रत्येक शीर्ष सोसायटियों के संपरीक्षा प्रतिवेदन, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक शीर्ष सहकारी सोसायटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर अपनी परीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को ऐसी रीति में, जैसा कि इस संबंध में विहित किया जाये, प्रस्तुत करेगी।

42. **पक्के चिट्ठे का प्रकाशन :–** प्रत्येक संस्था अपने पक्के चिट्ठे (स्थिति विवरण पत्रक) को अपने पंजीयत कार्यालय में तथा प्रत्येक शाखा में जहां संस्था का कारोबार चलता हो किसी सहजगोचर स्थान पर लगाकर प्रकाशित करेगी एवं इसका प्रकाशन समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में करेगी।

43. अन्य विशेष :–

01. संपरीक्षकों/संपरीक्षा फर्मों की दिनांक 15/06/2015 को तैयार अनुसूची अन्य आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील होगी।

02. कार्यालय द्वारा आयोजित संपरीक्षा संबंधी बैठकों, कार्यशालाओं में संस्था के नियुक्त संपरीक्षक को उपस्थित रहना तथा संपरीक्षा प्रगति सहित अन्य आवश्यक जानकारियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

03. अनुसूचित संपरीक्षक एवं अधीनस्थ अमला अपनी पहचान के लिये परिचय-पत्र संपरीक्षा के दौरान अपने पास रखेंगें।

04. अनुसूचित नियुक्त संपरीक्षक पर 'जनसेवक' की क्षमता में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के प्रावधान बंधनकारी होगें।

05. अनुसूचित नियुक्त संपरीक्षक की क्षमता में निर्धारित प्रक्रिया एवं निर्देशों के अपालन की दशा में अनुसूचित नाम निरस्त किया जा सकेगा।

06. अनुसूचित नियुक्त संपरीक्षक के द्वारा अवैध/अवैधानिक गतिविधि में सम्बद्ध होना प्रमाणित होने पर भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान को सनद निरस्तीकरण संबंधी प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रेषित किया जायेगा।

07. सहकारी संपरीक्षक वैधानिक स्वभाव होने के इसे समग्र तथा शत प्रतिशत करने की अनिवार्यता होगी।

08. किसी संस्था से राशि 10,000/– रूपये या उससे अधिक ऋण प्राप्तकर्ता (सनदी लेखापाल/संपरीक्षा फर्म), को संस्था की सांविधिक संपरीक्षा की पात्रता नहीं होगी।

09. संस्था के संचालक, सलाहकार एवं स्थायी अथवा संविदा के रूप में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी सांविधिक संपरीक्षा हेतु अपात्र होगें।

10. संपरीक्षक फर्म एवं संपरीक्षक को छ0ग0 सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960, नियम 1962 संस्था की उपविधि, पंजीयक द्वारा निर्देशित एवं नियमित/आर.बी.आई. एवं नाबार्ड के परिपत्रों के तहत सहकारी समितियों द्वारा कार्य संचालन किया जा रहा है या नही बाबत टीप संपरीक्षा प्रतिवेदन में अनिवार्यत: शामिल करना होगा।

11. संपरीक्षक फर्म एंव संपरीक्षक को संपरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में संस्था के साधारण निकाय के आयोजन में बुलाये जाने पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।

संलग्न :– 1 प्रारूप 01 से 06 तक
2 संस्था द्वारा संपरीक्षक को अधिनियम की धारा 58 (2) कें अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले पत्र का आदर्श प्रारूप।

सही
(अविनाश चम्पावत)
पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/अंकेक्षण–3/2015/3445 नया रायपुर दिनांक 14/07/2015

प्रतिलिपि –

01. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

सही

पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाष न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

क्रमांक / अंकेक्षण / 2015 / 4095

नया रायपुर, 22 / 08 / 2015

प्रति,

1 संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाए, संभाग .... (छ.ग.)

2 उप / सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाए, जिला .... (छ.ग.)

विषय :– छ0ग0 सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (1–क) के अंतर्गत समिति की विवरणी फाईल विषयानुसार प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किये जाने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके क्षेत्राधीन सहकारी समितियों के अधिनियम की धारा 56 (1–क) में उल्लेखित विषयों से संबंधित विवरणीय प्राप्त करने हेतु, आपके कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों अथवा सहकारी निरीक्षकों को प्राधिकृत करने की व्यवस्था देते हुए प्राधिकार आदेश जारी करें।

अधिनियम की धारा 56 (2) अनुसार क्षेत्राधीन सहकारी समितियों की विवरणीयां, समिति स्तर पर विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व निरोपित किये गये, अधिकारी या कर्मचारी की जानकारी समितियों से प्राप्त की जाये।

अधिनियम की धारा 56 (1–क) अनुसार प्राप्त विवरणीयों के संबंध में कार्यालय स्तर पर संधारित किये जाने वाली जानकारियों की पंजी का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। समितियों द्वारा प्रेषित वर्ष अनुसार जानकारियां नियमित रूप से अद्यतन संधारित करते हुए, संस्थावार नस्ती का संधारण सुनिश्चित किया जावे।

प्राप्त विवरणीयों की कार्यालयीन समीक्षा एवं समीक्षा उपरांत समितियों को आवश्यकतानुसार विधि अनुरूप कार्यवाही के संबंध में लिखा जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न :–. उपरोक्तानुसार।

सही
(अविनाश चम्पावत)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ0क्र0 / अकेक्षण–3 / 2015 / 4095

नया रायपुर, दिनांक 22 / 08 / 2015

प्रतिलिपि :–

01. विशेष सचिव, छ0ग0 शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कार्यालय संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए, ... (छ.ग.)

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (1—क)

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम – ....

पद – ....

आदेश कमांक एवं दिनांक – ....

प्रारूप (एक) – सहकारी सोसायटी के कियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 20........– .....

क.	समिति का नाम एवं पजीयन क./दिनांक	समिति द्वारा विनिर्दिष्ट उत्तर दायित्व निरोपित अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने का दिनांक	वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा का संक्षिप्त विवरण एवं दिनांक	समीक्षा उपरांत समिति को पत्र प्रेषित करने का कमांक एव दिनांक
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर
प्राधिकृत व्यक्ति
कार्यालय .... (छ.ग.)

हस्ताक्षर
संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाऐ .... (छ.ग.)

कार्यालय संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए, ... (छ.ग.)

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (1–क)

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम – ....

पद – ....

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – ....

प्रारूप (दो) – सहकारी सोसायटी के लेखो का संपरिक्षित (अंकेक्षण प्रतिवदेन) वर्ष 20........– .....

क.	समिति का नाम एवं पजीयन क./दिनांक	समिति द्वारा विनिर्दिष्ट उत्तर दायित्व निरोपित अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	संपरिक्षित प्रतिवदेन प्राप्त होने का दिनांक	संपरिक्षित प्रतिवेदन अनुसार सोसायटी के गठन, कार्यकरण या उसकी वित्तीय स्थिति या उसकी लेखा प्रस्तको में हुई त्रुटियां की समीक्षा धारा 61	समीक्षा उपरांत समिति को पत्र प्रेषित करने का कमांक एव दिनांक
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर
प्राधिकृत व्यक्ति
कार्यालय .... (छ.ग.)

हस्ताक्षर
संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाऐ .... (छ.ग.)

कार्यालय संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए, ... (छ.ग.)

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (1–क)

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम – ....

पद – ....

आदेश कमांक एवं दिनांक – ....

प्रारूप (तीन) – सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधिशेष व्ययन के लिए योजना वर्ष 20........– .....

क.	समिति का नाम एवं पजीयन क./ दिनांक	समिति द्वारा विनिर्दिष्ट उत्तर दायित्व निरोपित अधिकारी/ कर्मचारी का नाम व पद	योजना विवरण प्राप्त होने का दिनांक	वर्ष का शुद्ध लाभ	लाभ का विभाजन												समीक्षा का संक्षिप्त विवरण एवं दिनांक	समीक्षा उपरांत समिति को पत्र प्रेषित करने का पत्र कमांक एंव दिनांक
					रिजर्व फंड		संघ अभिदाय राशि		अंशपजी मोचन निधि		सहकारी आंदोलन का विकास		लाभांश निधि		अन्य निधियां			
					राशि	शुद्ध लाभ से प्रतिशत	राशि	शुद्ध लाभ से प्रतिशत	राशि	शुद्ध लाभ से प्रतिशत	राशि	शुद्ध लाभ से प्रतिशत	राशि	शुद्ध लाभ से प्रतिशत	राशि	शुद्ध लाभ से प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

हस्ताक्षर
प्राधिकृत व्यक्ति
कार्यालय .... (छ.ग.)

हस्ताक्षर
संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाऐ .... (छ.ग.)

कार्यालय संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए, ... (छ.ग.)

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (1–क)

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम – ....

पद – ....

आदेश कमांक एवं दिनांक – ....

प्रारूप (चार) – सहकारी सोसायटी की उपविधियों में संशोधन की सूची (यदि कोई हो तो) वर्ष 20........– .....

क.	समिति का नाम एवं पजीयन क./दिनांक	समिति द्वारा विनिर्दिष्ट उत्तर दायित्व निरोपित अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	उपविधि संशोधन प्राप्त होने का दिनांक	उपविधि संशोधन की समीक्षा का संक्षिप्त विवरण एवं दिनांक	समीक्षा उपरांत समिति को पत्र प्रेषित करने का कमांक एव दिनांक
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर
प्राधिकृत व्यक्ति
कार्यालय .... (छ.ग.)

हस्ताक्षर
संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाऐ .... (छ.ग.)

कार्यालय संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए, ... (छ.ग.)

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (1—क)

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम – ....

पद – ....

आदेश क्रमांक एवं दिनांक – ....

प्रारूप (पांच) – सहकारी सोसायटी के साधारण सभा की बैठक का दिनांक तथा निर्वाचन शोध्य(ड्यू) होने पर योजना संबाधी घोषणा वर्ष 20........– ...

क.	समिति का नाम एवं पजीयन क. /दिनांक	समिति द्वारा विनिर्दिष्ट उत्तर दायित्व निरोपित अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	विवरण प्राप्त होने का दिनांक	आम सभा की बैठक का दिनांक	निर्वाचन आयोजन संबंधित घोषणा (हा/नही)	समीक्षा अनुसार समिति को पत्र प्रेषित करने का क्रमांक एव दिनांक
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर
प्राधिकृत व्यक्ति
कार्यालय .... (छ.ग.)

हस्ताक्षर
संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाऐ .... (छ.ग.)

कार्यालय संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए, ... (छ.ग.)

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (1–क)

प्राधिकृत व्यक्ति का नाम – ....

पद – ....

आदेश कमांक एवं दिनांक – ....

प्रारूप (छै) – अधिनियम के किसी उपबंध के अनुशरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित जानकारी वर्ष 20........– ...

क.	समिति का नाम एवं पजीयन क. /दिनांक	समिति द्वारा विनिर्दिष्ट उत्तर दायित्व निरोपित अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित जानकारी का विषय	पत्र प्रेषित किये जाने का कमांक एंव दिनांक	निर्धारित समयावधि में विवरण प्रस्तुत करने का दिनांक	निर्धारित समयावधि में विवरण प्राप्त होने का दिनांक	प्राप्त विवरण पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

हस्ताक्षर
प्राधिकृत व्यक्ति
कार्यालय .... (छ.ग.)

हस्ताक्षर
संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाऐ .... (छ.ग.)

(प्राधिकार आदेश जारी करने का प्रारूप)

कार्यालय संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक

सहकारी संस्थाए, ... छत्तीसगढ

कार्यालय का पता ....

फैक्स न. ..../दूरभाष : .... ईमेल ....

क्रमांक/20......./ ..../ .... स्थान................. दिनांक ..../ ..../20..

-: आदेश :-

छत्तीसगढ सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (1-क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति जो मुझे प्राप्त है। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मै .... संयुक्त/उप/सहायक/पंजीयक संस्थाऐ, संभाग/जिला .... छ.ग. निम्नलिखित वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारी निरीक्षक को उनके नाम के आगे दर्शायी गई, समितियों की विवरणीय फाईल प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करता हूं।

क्र.	प्रस्तावित व्यक्ति (वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारी निरीक्षक) का नाम एवं पद	विवरणियों प्राप्त करने का विषय (छ.ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 58) (1 – क)
1		सहकारी सोसाइटी के कियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन।
2		सहकारी सोसाइटी के लेखो का संपरिक्षित विवरण
3		सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधिशेष व्ययन के लिए योजना
4		सहकारी सोसाइटी के उपविधियों में सशोधन की सूची यदि कोई हो तो।
5		सहकारी सोसाइटी के साधारण सभा की बैठक का दिनांक तथा निर्वाचन शोध्य(डॅयू) होने पर उसके आयोजन संबंधी घोशणा।
6		इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।

(............................)

संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक

सहकारी संस्थाए, ... छत्तीसगढ

पृ. क./20......./ ..../ .... स्थान .... दिनांक ....../ ..../.20.....

प्रतिलिपि –

01. श्री .... वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी निरीक्षक की ओर पालनार्थ।

02. .... सहकारी समितियां .... छ.ग. की ओर सूचनार्थ एंव समिति की विवरणीय प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक

सहकारी संस्थाए, ... छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल – rcs.coop@nic.in

क्रमांक / अंकेक्षण–3 / 2015 / 5096 रायपुर, दिनांक 29 / 10 / 2015

–: परिपत्र :–

प्रति,

समस्त, संभागीय संयुक्त पंजीयक
जिला उप पंजीयक सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, ... (छ.ग.)

विषयः– अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत संस्थाओं के लेखाओं की वैधानिक संपरीक्षा बाबत।

संदर्भ :– कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक अंके–1 / 2014 / 514 दिनांक 28 / 1 / 2014 एवं क्रमांक 3445 / अंके 3 / 2015 दिनांक 14 / 07 / 2015

––00––

संदर्भित परिपत्रों द्वारा संस्थाओं के वैधानिक संपरीक्षा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, किन्तु जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के उपरांत भी संस्थाओं के वैधानिक संपरीक्षा अधिनियम अनुसार निर्धारित समयावधि में पूर्ण न करते हुए संस्थाओं द्वारा संपरीक्षा प्रतिवेदन कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं।

मेरे ध्यान में यह भी आया हैं कि :–

01. संस्थाओं द्वारा अधिनियम अनुसार आमसभा (साधारण निकाय) की बैठक निश्चित समयावधि में आयोजित नहीं की जा रही है। संस्थाओं की साधारण निकाय की बैठक में संपरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में अन्य विषयों के साथ विचार नहीं किया जा रहा है। अतः जिन संस्थाओं द्वारा समय पर साधारण निकाय की बैठक (वार्षिक) का आयोजन न करते हुए संपरीक्षक की नियुक्ति का विषय शामिल नहीं किया जाता है एवं संपरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (5) के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

02. जिन संस्थाओं में छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56–1 (1–क) एवं 2 के परिपालन में समयावधि में निर्धारित विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की जाती है तो छ0ग0

सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (3) के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

03. जिन संस्थाओं के लेखाओं के संपरीक्षा की कार्यवाही पूर्ण हो जाती है एवं प्रतिवेदन प्राप्त हो जाते हैं, उन संस्थाओं की संपरीक्षा प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के निराकरण के संबंध में अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

संस्थाओं की साधारण निकाय की बैठक/संपरीक्षा एवं संपरीक्षा प्रतिवेदन की आपत्तियों की कार्यालय स्तर पर समीक्षा किये जाने हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित की जाती है :-

अ. जिला कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह के प्रथम सोमवार को जिले स्तर पर बैठक आयोजित की जाये।

ब. संभागीय कार्यालय में प्रत्येक माह के तृतीय सप्ताह के प्रथम सोमवार को जिले स्तर पर बैठक आयोजित की जाये।

स. जिला एवं संभागीय कार्यालय प्रत्येक बैठक के तीन दिवस के अंदर बैठक की कार्यवाही इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

सही

(जे. पी. पाठक)

पंजीयक

सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल – rcs.coop@nic.in

क्रमांक/अंकेक्षण–3/न.क्र.–166/2016/5916 नया रायपुर, दिनांक 08/12/2016

प्रति,

संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, रायपुर
संभाग–रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **लैम्पस/पैक्स समितियों द्वारा पारित अंकेक्षण प्रस्ताव सी.ए. से कराये जाने के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।**

संदर्भ :– आपका पत्र क्र/संपरा/अंकेक्षण/2016/1487 रायपुर दिनांक 09.11.2016

––00––

उक्त संदर्भित पत्र से आपके द्वारा लैम्पस/पैक्स समितियों द्वारा पारित अंकेक्षण प्रस्ताव सी.ए. से कराये जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। तत्संबंध में कृपया छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 (1), (2), (4) परन्तुक (तीन) (चार) एवं धारा 56(1–क) (दो) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके प्रावधान अनुसार संपरीक्षा पूर्ण कराने का द्वायित्व संस्था का है।

किन्तु छ.ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा सहकारी कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम क्रमांक एफ 12–10/15–02/2013/1713 नया रायपुर दिनांक 22.07.2014 की कंडिका 06 (एक) (क) में बैंक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत दावों का जिले के उप पंजीयक सहायक पंजीयक द्वारा अपने अधिनस्थ निरीक्षकों से जांच (परीक्षण) कराकर अविलंब स्वीकृति दी जाने की व्यवस्था है एवं छ.ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा सूखा प्रभावित कृषकों के लिए अल्पकालीन कृषि राहत योजना 2015 (क्रमांक एफ 15–30/15–02/2015/2838 रायपुर दिनांक 26. 12.2015 की कंडिका 8 में लेखा परीक्षा राज्य शासन द्वारा निर्धारित संगामी लेखा परिक्षकों, साविधिक लेखा परिक्षकों या विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा की जाने की व्यवस्था है।

अतः कृपया, सहकारी अधिनियम, 1960 में प्रावधानित व्यवस्था अनुसार लैम्प्स/पैक्स की लेखा संपरीक्षा होना सुनिश्चित कराया जाये।

सही
(जे.पी. पाठक)
पंजीयक
सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ

पृ.क्रमांक/अंकेक्षण 3/न.क्र./166/2016/5916 नया रायपुर दिनांक 08/12/2016

प्रतिलिपि –

01. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, संभाग बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, दुर्ग।
02. उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाए, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

क्रमांक/अंके–3/न.क./166/83/2018/5179 अटल नगर दिनांक 28/11/2018

।। परिपत्र ।।

प्रति,

1. **संयुक्त /उप/सहायक पंजीयक.**
   सहकारी संस्थाएं,
   संभाग/जिला – .... (छ.ग.)
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी.**
   जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
   .... (छ.ग.)

विषय :– प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लेखों की संपरीक्षा तथा निरीक्षण के संबंध में दिशा–निर्देश विषयक।

––000––

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 56(1–क) एवं 58(4)(तीन) के प्रावधान अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 06 माह के भीतर रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को विवरणी फाईल करेगी परन्तु यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट तथा अन्य विवरणियां समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती। अंकेक्षण का उद्देश्य है–समितियों की समस्त गतिविधियों की समीक्षा करना, जिससे गत वर्ष के नियोजन, उपलब्धियों, अनियमितताओं तथा उनके संभावित कारणों की समीक्षा के पश्चात सुधार हेतु आवश्यक/व्यवहारिक/उचित कदम उठाये जा सके। संपरीक्षा प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत न होने के कारण अंकेक्षण के उद्देश्यों की पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे कि अनियमितताओं एवं उनके संभावित कारणों में सुधार की कार्यवाही बाधित होती है तथा समिति के सदस्यों का हित भी प्रभावित होता है, साथ ही सतत अंकेक्षण । निरीक्षण के बाद भी समय–समय पर गबन, घोटाले, धोखाधड़ी आदि के प्रकरण प्रकाश में आते रहते हैं, जो कि अंकेक्षण एवं निरीक्षण में गुणवत्ता न होना दर्शाता है।

अतः कृषि साख सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितता /गबन–घोटाले के प्रकरणों में प्रभावी रोकथाम के लिए लेखा संघारण एवं अंकेक्षण/निरीक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :–

01. यह सुनिश्चित हो कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अंतर्गत किसी भी एक संव्यवहार की रोकड़, लेजर तथा अन्य लेखा पुस्तकों में

प्रविष्टि का कार्य प्रारंभ से अन्त तक एक ही कर्मचारी से नहीं कराया जाना चाहिए। कार्य का विभाजन कर्मचारियों के मध्य इस प्रकार किया जावे कि एक कर्मचारी द्वारा किये गये कार्य की जाँच दूसरे कर्मचारी द्वारा किये गये कार्य से स्वतः हो सके। अमानत संग्रहण के अंतर्गत बचत बैंक तथा अन्य अमानत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कारोबार से संबंधित दैनिक संव्यवहारों की प्रविष्टियों की जाँच समिति प्रबंधक द्वारा की जावे। कैशबुक में दर्ज प्रत्येक दिवस के जमा तथा नामे प्रविष्टियों के योग तथा निकाले गये शेष की शुध्दता की जाँच प्रविष्टिकर्ता कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य कर्मचारी से कराने के पश्चात हस्ताक्षर कैशबुक में अनिवार्यतः लिया जाना चाहिए।

02. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, की धारा 56(1–क) के प्रावधान अन्तर्गत प्रत्येक समिति द्वारा अनिवार्यतः वित्तीय वर्ष समाप्ति के 06 माह के भीतर सहकारी सोसाइटी के लेखों का संपरीक्षित विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

03. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, की धारा 61(2) एवं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 50(6) के प्रावधान अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, संपरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर संपरीक्षक की टिप्पणी सहित अनुपालन प्रतिवेदन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेंगी।

04. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के लेखों का संधारण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 सहपठित नियम 50 के उपबंधों के अनुसार समरूप लेखांकन प्रणाली तथा विवेकपूर्ण मापदण्डों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

05. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 43, 43–क, 43–ख एवं 44 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।

06. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां अपने लेखा पुस्तकों और समस्त संव्यवहार, जो उनके कारोबार से संबंधित है, के अभिलेखों को रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षक/विभागीय अंकेक्षक में से नियुक्त संपरीक्षक अंकेक्षक/संपरीक्षा फर्म्स को अधिनियम की धारा 58(2) एवं धारा 58(4)(तीन) के अनुसार व्यवस्था पालन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

07. अंकेक्षण रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में अंकेक्षकों द्वारा लेखों एवं प्रबंध पर निम्नानुसार स्पष्ट मत दिया जावे :–

(क) समरूप लेखांकन प्रणाली अनुसार समस्त प्रकार की आस्तियों (अनर्जक आस्तियों) पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मापदण्डों का उचित प्रावधान किया जा रहा है अथवा नहीं।

(ख) ऋण /अग्रिम, रोकड़ शेष, बैंक जमा शेष, विनियोजन, अचल सम्पत्तियों, बचत स्कंधों तथा अतिदेय ब्याज के अतिरिक्त अन्य आस्तियों अर्थात विविध, अन्य लेनदारियों शीर्ष अंतर्गत दर्शित विभिन्न संस्थाओं से वसूली हेतु शेष राशि तथा वसूली हेतु शेष राशि कितने वर्षों से शेष है ज्ञात कर उचित प्रावधान किया गया है अथवा नहीं ?

(ग) अंकेक्षण आक्षेप / सुझाव / त्रुटियों का सोसाइटी द्वारा सही रूप से निराकरण किया गया है अथवा नहीं ? तथा इसके अतिरिक्त लंबित पूर्व वित्तीय वर्षों के अंकेक्षण, आपत्ति एवं सुझाव का पालन प्रतिवेदन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा किया गया है अथवा नहीं ?

(घ) बुक बैलेन्स का जनरल लेजर में अन्तर की स्थिति तथा सोसाइटी द्वारा तैयार वार्षिक पत्रकों की प्रस्तुति समिति द्वारा संधारित समस्त लेखा पुस्तकों एवं लेखा जनरल लेजर अनुसार किया गया है अथवा नहीं ?

(ङ.) अधिनियम की धारा 43, 43–क, 43–ख एवं 44 के प्रावधान अनुसार निधियां, लाभों का विभाजन, घाटे के लिए दायित्व एवं निधियों का विनिधान (निवेश) उचित रूप से किया गया है अथवा नहीं ?

समस्त संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक कार्यालय, अपने क्षेत्राधिकार की समितियों में नियुक्त समस्त अधिकारी ध कर्मचारी एवं सनदी लेखाकार जिन्हें समिति का अंकेक्षक नियुक्त किया गया है, को यह परिपत्र उपलब्ध कराकर पावती संधारित किया जाना सुनिश्चित करें। निर्देशों का पालन अंकेक्षकों द्वारा सुनिश्चित कराया जाए। उक्त निर्देशों के पालन में चूक करने पर वे अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी होंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अपने अधीन कार्यरत समितियों को इस परिपत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम, 1962 की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय लेखों का संधारण कराना सुनिश्चित करें।

सही
(सुनील कुमार जैन)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / अंके–3 / न.क्र.(166) / 83 / 2018 / 5179 अटल नगर, दिनांक 28 / 11 / 2018

प्रतिलिपि :–

01. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर की ओर सूचनार्थ।

सही
(सुनील कुमार जैन)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल – rcs.coop@nic.in

क्रमांक / अंकेक्षण–3 / न.क्र.219 / 2019 / 6105 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25 / 10 / 2019

प्रति,

प्रबंध संचालक / मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
नागरिक सहकारी बैंक,
.... (छ.ग.)

विषय :– अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के बाहरी सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा असाधारण रिपोर्टिंग (Exceptional Report) के संबंध में।

संदर्भ :–

01. भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक का पत्र क्र./ DO. DCBR.Co.BPD 11 No 599/09.06.000/2019-20 दिनांक 09.09.2019
02. भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक का पत्र क्र./DO.DCBR.CO.BPD 11 No 3089/09.06.000/2018-19 दिनांक 09.04.2019
03. भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक का पत्रक्र./ DO. DCBR.CO.BPD 11 No 219709.06.000/2017-18 दिनांक 21.12.2017

––––000––

(Statutory Auditor's Report) संदर्भित पत्र क्र. 02 एवं 03 के माध्यम से आपको पूर्व में वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (LFAR) तथा लान्ग फार्म ऑडिट रिपोर्ट के प्रारूपों के संशोधन के संबंध में अवगत कराया गया था तथा निर्देशित किया गया था कि उक्त का पालन कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त विषयांतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "Exception Report" की रिपोर्टिंग के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित है। "Exception Report" से संबंधित कोई भी रिपोर्टिंग गैर अनुसूचित बैंकों के लिए भी एक अच्छी प्रणाली साबित हो सकती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सांवधिक लेखापरीक्षकों को अंकेक्षण के दौरान संज्ञान में आए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक है, को संदर्भित पत्रानुसार Exception Report के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न – भारतीय रिजर्व बैंक का Exception Report संबंधी पत्र।

सही
(धनंजय देवांगन)
पंजीयक
सहकारी संस्थाए छत्तीसगढ

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

मुख्य महाप्रबंधक

Chief General Manager

DCBR.CO.BPD II. No. 599/09.06 000/2019-20

September 09, 2019

The Registrar of Co-operative Societies
Government of Chhattisgarh
Block - B, 2nd & 3rd Floor
Indrawati Bhawan Naya Raipur-492001

Madam / Dear Sir,

Matter of Exception reporting by External (Statutory) Auditors of Scheduled Urban Co-operative Banks

Please refer to our letters dated December 21, 2017 and dated April 09, 2019 (copies enclosed) regarding revision of formats of Statutory Auditors' report and Long Form Audit Report (LFAR), respectively.

2. During the course of audit, statutory auditors may come across matters which are either 0ᶠ material or prime concern to Reserve Bank of India for initiating timely / immediate action, particularly for Scheduled banks. Therefore, it is felt desirable to introduce a system of "Exception Report", wherein the matters of either material or prime concern to the lReserve Bank is immediately reported as and when they arise during the course of audit. This will be more pertinent for the areas of NPAs and Frauds. The statutory auditors may be required, depending upon the significance of matters, to decide whether they should be immediately brought to the attention of the Reserve Bank, apart from being included in the LFAR.

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

क्रमांक/अंके–3/166/2020/2308

नवा रायपुर,, दिनॉक : 07.8.2020

प्रति,

1. अध्यक्ष/सचिव/प्रबंध संचालक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ समस्त शीर्ष/केन्द्रीय/राज्य स्तरीय/अंतरसंभागीय/प्राथमिक सहकारी संस्थाएं, (छ.ग.)
2. अपर/संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ (समस्त)
3. समस्त अनुसूचित संपरीक्षक, (विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखाकार/सनदी लेखाकार फर्म)

विषयः– सहकारी संस्थाओं में संपरीक्षक नियुक्ति में छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 एवं नियम, 1962 के प्रावधानों का पालन किये जाने बाबत्।

सन्दर्भः–1. कार्या. पत्र क्रमांक/अंकेक्षण–3/2015/3445,दिनॉक 14.07.2015.
2 कार्या. पत्र क्रमांक/अंकेक्षण–1/2014/514 ,दिनॉक 28.01.2014.

उपरोक्त संदर्भित कार्यालयीन पंत्रो के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के वैधानिक संपरीक्षा की प्रक्रिया के निर्धारण संबंधी निर्देश प्रेषित किये गये है। संदर्भित कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंके–1/2014/514, दिनॉक 28.01.2014 की कण्डिका क्रमांक 08 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंके–3/2015/3445 दिनॉक 14.07.2015 के कंडिका 09 में भी छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 50(2)के प्रावधान "कोई भी संपरीक्षक सोसाइटी विशेष के संपरीक्षण हेतु निरंतर 02 वित्तीय वर्षो से अधिक अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जावेगा।" के तहत विशेष निर्देश दिये गये है।

वर्तमान में यह संज्ञान में आया है कि सहकारी सोसाइटियों में संपरीक्षकों की नियुक्ति करने में उपरोक्त नियम की अवहेलना करते हुए संपरीक्षकों की नियुक्ति निरंतर दो से अधिक वर्षो के लिए की जा रही है। अतः संपरीक्षक नियुक्ति संबंधी उक्त नियम का पालन पूर्ण रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल —audit-rcs.coop@nic.in

क्रमांक/अंकेक्षण–3/सी.सी.बी./166/85/2022/2890 अटल नगर दिनांक 17/08/ 2022

— : परिपत्र :—

प्रति,

1 समस्त संयुक्त पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, ...
संभाग .... छ.ग.

2 समस्त उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, ...
जिला – .... (छ.ग.)

विषय :– सहकारी संस्थाओं के सांविधिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में सुधार एवं प्रभावी कार्यवाही करने विषयक।

— 00 —

सहकारी संस्थाओं के सांविधिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, किन्तु यह पाया गया है कि उक्त निर्देशों का गंभीरता से पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सहकारी संस्थाओं में आर्थिक अनियमितताओं की घटनाएं समय रहते प्रकाश में नहीं आ पाती है, जो कि अत्यंत खेदजनक है।

सहकारी अंकेक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाकर सांविधिक अंकेक्षण को सार्थक व प्रभावोत्पादक बनाने के लिए विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :–

01. सहकारी अंकेक्षण के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों का समुचित अध्ययन करके इसके अनुरूप संस्था की लेखा पुस्तिकाओं अभिलेखों की संपरीक्षा की जाये। अंकेक्षक का यह निश्चित दायित्व है कि वह संस्थाओं में यह देखें कि अंकेक्षणाधीन संस्थाओं में अधिनियम, नियम, उपविधियों तथा समय–समय पर जारी परिपत्रों/कार्यकारी निर्देशों के अनुरूप कामकाज संचालित किया जाता है अथवा नहीं तथा विधि द्वारा विनिर्दिष्ट वांछाओं का अनुपालन करते हुए अपेक्षित रीति से कामकाज संचालित हो रहा है अथवा नहीं। सांविधिक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में संस्था के

कामकाज संचालन के संदर्भ में तथ्यात्मक जानकारी देते हुए प्रमाणित करना अत्यावश्यक है कि कामकाज किस प्रकार हो रहा है।

02. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 43– निधियाँ तथा लाभ, एवं धारा 43–क– लाभों का विनियोजन के अंतर्गत प्रावधानों का पालन सोसाइटी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावे एवं सांविधिक अंकेक्षक द्वारा यह देखा जावे कि विभाजन योग्य शुद्ध लाभ का विभाजन एवं वितरण तथा लाभों का विनियोजन अधिनियम एवं संस्था की उपविधियों के प्रावधान अनुसार हो। समस्त सहकारी संस्थाएं अपने वित्तीय पत्रक बनाते समय धारा 43 तथा धारा 43–क के प्रावधानों का क्रियान्वयन करने के बाद ही वित्तीय पत्रक बनावें तथा सांविधिक अंकेक्षक इस प्रावधान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

03. यह सांविधिक अंकेक्षक का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि क्या सोसाइटी द्वारा पूर्व वर्ष में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 56 (1–क) के तहत विवरणियां फाईल की गई थी अथवा नहीं, तथा इसका उल्लेख विशेष रूप से संपरीक्षा प्रतिवेदन में किया जाना चाहिए।

यदि सोसाइटी द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 1–क) के तहत विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गई, तो जिला अधिकारी (उप पंजीयक/सहायक पंजीयक) धारा 56(3) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

04. अंकेक्षण आबंटन में विभाग द्वारा जारी परिपत्रों एवं मापदंडों का पूर्णतः पालन किया जाये। किसी भी अंकेक्षक को एक ही संस्था का अंकेक्षण कार्य बार–बार आवंटित नहीं किया जाये। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 50(2) अनुसार "कोई भी संपरीक्षक, सोसाइटी विशेष के संपरीक्षण हेतु निरंतर दो वित्तीय वर्ष से अधिक अवधि के लिए, नियुक्त नहीं किया जायेगा" जिसका पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

05. संस्था वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर बैंक के खाते का स्टेटमेंट एवं बैलेंस कन्फरमेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करेगी तथा अपनी लेखा पुस्तिाओं से मिलान करेगी। इसमें कोई अंतर होने की स्थिति में संस्था बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार करेगी, जिसे सांविधिक अंकेक्षक द्वारा परीक्षण कर अंकेक्षण टीप के साथ अनिवार्यतः संलग्न किया जावेगा।

06. वर्षन्त पर नगद राशि, व्यापारिक स्कंध, डेड स्टॉक एवं फर्नीचर इत्यादि के भौतिक सत्यापन किये जाने के संबंध में पूर्व से ही निर्देश विभिन्न परिपत्रों द्वारा दिये गये हैं, किन्तु यह देखने में आ रहा है कि इनका भौतिक सत्यापन नहीं कराया जा रहा है। वर्षन्त पर नगद राशि, व्यापारिक स्कंध, डेड स्टॉक फर्नीचर के भौतिक सत्यापन अनिवार्य कराया जावे तथा इसमें कोई कमी परिलक्षित होती है, तो उसका उल्लेख अंकेक्षण टीप में किया जाये तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58(बी) के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण बनाकर प्रस्तुत किया जाये।

07. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58(4)(तीन) के तहत् संस्थाओं का दायित्व है कि वे पंजीयक द्वारा निर्धारित समस्त अभिलेख संधारित कर सांविधिक अंकेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करें। अंकेक्षण के दौरान यदि सांविधिक अंकेक्षक यह पाता है कि संस्था में महत्वपूर्ण अभिलेख संधारित नहीं किया है तो वे इसकी सूचना जिला उप/सहायक पंजीयक को देंगे तथा सांविधिक अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सत्य पाये जाने पर संस्था की निर्धारित समयावधि में आवश्यक अभिलेख सांविधिक अंकेक्षक को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेंगे। संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर उसके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाये।

08. यदि सांविधिक अंकेक्षक यह पाता है कि संस्था द्वारा संधारित नहीं किये गये अभिलेख इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जो कि संस्था के वित्तीय लेखों / क्रियाकलापों को प्रभावित करते हो तो ऐसे अभिलेख अपूर्ण होने की जानकारी आपत्ति के रूप में अंकेक्षण टीप में अंकित करेगा, जिसे आगामी वर्ष के अंकेक्षण के समय संस्था पूर्ण कर प्रस्तुत करेगी।

09. सांविधिक अंकेक्षक द्वारा संपरीक्षा प्रतिवेदन के सभी कॉलमों की प्रविष्टियाँ अनिवार्यतः की जाये तथा कोई कॉलम रिक्त नहीं रखा जाये। कार्यालय द्वारा संपरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के समय यह देखा जाय कि सांविधिक अंकेक्षक द्वारा प्रतिवेदन के सभी कॉलमों में यथास्थान वांछित जानकारी अंकित की गई है या नहीं। यदि जानकारी अपूर्ण है तो उसे पूर्ण कराने के उपरांत ही प्रतिवेदन लिया जाये।

10. ऐसी सहकारी संस्थाएं जो अपने सदस्यों को ऋण वितरण करती है तथा उनकी सदस्य संख्या 500 तक है तो उनके 05 प्रतिशत सदस्यों से तथा सदस्य संख्या 500 से अधिक होने पर 50 सदस्यों से ऋण वितरण के संबंध में पूछताछ कर भौतिक सत्यापन किया जाकर तथ्य अंकेक्षण टीप में अंकित किये जाये।

11. संपरीक्षा प्रतिवेदन के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं प्रतिवेदन में अंकित जानकारी का मिलान, किया जाये तथा विसंगतिपूर्ण होने पर आवश्यक सुधार कराया जाये।

12. ऐसी सहकारी संस्थाएं जो ऋण वितरण एवं अमानतें प्राप्त करने का कार्य करती है उनमें व्हाऊचर एवं रसीद का 100 प्रतिशत अंकेक्षण किया जाए तथा रु. 5.00 करोड़ तक के सालाना कारोबार वाली समितियों के 100 प्रतिशत एवं रु. 5.00 करोड़ से अधिक सालाना कारोबार वाली समितियों के कम से कम 10 प्रतिशत मामलों में लेजर पोस्टिंग चेक की जावे तथा गड़बड़ी पाये जाने पर 100 प्रतिशत मामलों में पोस्टिंग चेक की जाये।

13. सांविधिक अंकेक्षक को छल, कपट, धोखाधड़ी, गबन आदि के प्रकरण का बारीकी से परीक्षण करना चाहिए. क्योंकि ऐसे प्रकरणों में जानकारी न प्रदर्शित करने पर सांविधिक अंकेक्षक पर भी दायित्व निर्धारित हो सकता है। अतः सांविधिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त

अनियमितताओं का उल्लेख संपरीक्षा प्रतिवेदन में अनिवार्यतः किया जाये। गबन धोखाधडी के प्रकरण में पुलिस कार्यवाही किये जाने तथा राशि वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु संबंधितों को अवगत कराया जाय। ऐसी आर्थिक अनियमितताएँ जिनसे संस्था को हानि पहुँची है, के प्रकरणों में विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। विशेष प्रतिवेदन व गबन धोखाधडी के प्रकरणों में उप/सहायक पंजीयक दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध त्वरित वैधानिक कार्यवाही करना कराना सुनिश्चित करेंगे। गंभीर अंकेक्षण आपत्तियों पर त्वरित कार्यवाही नहीं किये जाने पर संबंधित अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

14. छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 61 त्रुटियों की परिशुद्धि तथा सहपठित छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 50 (6) के तहत प्रत्येक सोसाइटी को अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत की गई संपरीक्षा में प्रकट हुई त्रुटियों को संपरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर उसमें सांविधिक संपरीक्षक की टिप्पणी सहित अनुपालन रिपोर्ट रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना प्रावधानित है, जिसकी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

सांविधिक अंकेक्षण कार्य के दौरान पूर्व के वर्षों के अंकेक्षण में ली गई आपत्तियों के पालन प्रतिवेदन की स्थिति पर सांविधिक अंकेक्षक द्वारा टीप दी जाये। यदि संस्था ने पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है तो अंकेक्षण टीप में इसका उल्लेख किया जाये।

15. सांविधिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त गबन धोखाधड़ी के प्रकरणों को संपरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित करने एवं विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने के संबंध में सांविधिक अंकेक्षक इस परिपत्र में पृष्ठ 04 पर दिये प्रारूप अनुसार प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संपरीक्षा प्रतिवेदन में अंकित करेंगे।

16. सांविधिक अंकेक्षण को सार्थक व प्रभावी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि अंकेक्षण कार्य पर समुचित नियंत्रण हो। इस हेतु संभागीय संयुक्त पंजीयक भ्रमण के समय प्रत्येक जिले में त्रैमास में पारित अंकेक्षण प्रतिवेदन में से कम से कम 05–05 संस्थाओं के प्रतिवेदनों का परीक्षण करेंगे एवं प्राप्त त्रुटियों व गुणवत्ता के संबंध में वरिष्ठ कार्यालयों व संबंधित जिला कार्यालय को अपनी टीप प्रस्तुत करेंगे।

17. मुख्यालय के अधिकारियों के द्वारा भ्रमण के समय जिले की कम से कम 02 संस्थाओं के पारित अंकेक्षण–प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर अपनी टीप प्रस्तुत की जाये।

18. विधि का मान्य सिद्धांत है कि जब किसी कार्य के निष्पादन/संपादन के संबंध में कोई सुस्पष्ट कार्यकारी नियम नहीं हो तो, कार्य सम्यक ज्ञान, विवके, युक्ति तथा व्यवहारिक रीति से किया जाना चाहिए, जो कि अधिनियम, नियम, विभाग द्वारा जारी परिपत्रों तथा समय–समय पर जारी आदेशों / निर्देशों से सुसंगत हो तथा पूर्ण पारदर्शिता परलक्षित हो।

उक्त निर्देशों का कठोरतापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाये तथा अंकेक्षण की प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले कर्मचारी/अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

इस परिपत्र की प्रति सभी कार्यरत स्टॉफ व जिले की संबंधित समस्त सहकारी संस्थाओं को दी जाकर इसकी पावती कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये।

संलग्नः अंकेक्षण पत्र का प्रारुप ।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं छ.ग.

पृ.क्र./अंकेक्षण–3/166/2022/2890नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17/08 /2022

प्रतिलिपि :–

01. समस्त राजपत्रित अधिकारी, ... मुख्यालय की ओर सूचनार्थ ।
02. समस्त शीर्ष सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं सांविधिक अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व उपलब्ध करवाने एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु ।
03. समस्त सहकारी संस्थाएँ, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
04. समस्त कक्ष.............................मुख्यालय की ओर सूचनार्थ ।

सही

पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं छ.ग.

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

नया रायपुर, दिनांक 28/07/2015

कमांक/146 सा. विधि/2015/3672

प्रति,

1 उप/सहायक पंजीयक(समस्त)
जिला .... (छ.ग.)

विषय :– छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49(8), 53(1), 53(10) 53 (14) तथा 57–ख (15) एवं धारा 71 के अंतर्गत नियुक्त प्रभारी अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी/संचालन समिति/परिसमापक के पास प्रभार 'रहने के दौरान सोसाइटी के कार्य संचालन हेतु आवश्यक निर्देश ।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र क्र विविध/गृहनिर्माण/05/5010रायपुर दिनांक 20/21 सितम्बर 2005

—00—

उपरोक्त विषय के परिपेक्ष्य में अवगत कराया जाता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की घारा 49(8), 53(1), 53(10), 53(14) तथा 57–ख (15) एवं धारा 71 के अधीन प्राथमिक कृषि साख विपणन/गृह निर्माण/अकृषि साख एवं अन्य सहकारी समितियों के आगामी निर्वाचन सम्पन्न होने तक कार्य संचालन हेतु सहकारिता विभाग के अधिकारियों को प्रायः प्रभारी अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी/संचालन समिति/परिसमापक नियुक्त किया जाता है और नियुक्त प्रभारी अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी/ संचालन समिति/परिसमापक द्वारा संबंधित सोसायटी का कार्य का संचालन किया जाता है किन्तु कतिपण सहकारी समितियों के प्रभारी अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी/संचालन समिति/परिसमापक बोर्ड/संचालक मण्डल की प्राप्त अधिकारिता के अधीन सैद्धांतिक रूप रो गलत या पक्षपातपूर्ण निर्णय जाता झहै तथा उनके द्वारा अनावश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लिये जाते है जिससे सोसाइटी संरचना/कार्य व्यवसाय एवं मूल स्वरूप प्रभावित होता है, इसलिए सोसाइटी के प्रभारी अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी/संचालन समिति/परिसमापक के कार्यो के नियमन एवं नियंत्रण अत्यन्त आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है, ताकि सोसाइटियों के क्रियाकलाप कतई प्रभावित न हो। इस संबंध में पूर्व में गृह निर्माण सहकारी समितियों के संबंध में जारी संदर्भित परिपत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49(8), 53(1), 53(10), 53(14) तथा 57–ख (15) एवं धारा 71 के अधीन प्राथमिक कृषि साख/विपणन/ गृह निर्माण/अकृषि साख एवं अन्य सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/संचालन समिति/परिसमापक के कार्य संचालन के दौरान अग्रकित 1, 2, 3 एवं 4 के संबंध में नियमानुसार आवश्यक एवं सक्षम स्वीकृति/अनुमोदन संभागीय संयुक्त पंजीयक से लेना अनिवार्य होगा। संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 49(8), 53(1), 53(10), 53 (14) के अधीन प्राथमिक कृषि साख/विपणन/गृह निर्माण/अकृषि साख एवं अन्य राहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/संचालन समिति/परिसमापक द्वारा. प्रस्तुत प्रस्ताव/कार्यवाही विवरण जो उप/सहायक पंजीयक की माध्यम से उन्हें प्राप्त होगा, विधिसम्मत परीक्षण उपरांत आवश्यक अनुमति/अनुमोदन/स्वीकृति अग्रकित विषयों के मामलों में जारी करेंगे तथा परिसमापनधीन सोसाइटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के मामले में भी उसी प्रक्रिया का अनुशरण करना होगा।

(1) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के संबंध में :–

01. संस्था के व्यवसाय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेना,
02. संस्था के लिए भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत सामाग्री का क्रय करना,
03. तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु दैनिक परिश्रमिक पर कर्मचारी को नियुक्त करना।

(02) गृह निर्माण सहकारी समितियों के संबंध में :–

01. संस्था के सदस्यों को भूखण्डों का आबंटन स्वीकृत/संशोधित/निरस्त करना।

02. संस्था के सदस्यों को आबंटित भूखण्डों को पंजीकृत करना।
03. संस्था के सदस्यों. को भूखण्ड /भवन बिक्री हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करना।
04. संस्था के व्यवसाय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेना,।
05. दैनिक परिश्रमिक पर कर्मचांरी की नियुक्ति करना,

(03) विपणन सहकारी समितियों के संबंध में :–

01. संस्था के व्यवसाय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेना।
02. संस्था के लिए भण्डार क्रय नियमों के अधीन सामाग्री क्रय करना।
03. दैनिक परिश्रमिक पर कर्मचारी की नियुक्ति करना।

(04) अकृषि साख सहकारी समितियों के संबंध में :–

01. संस्था के संचालन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लेना,
02. दैनिक परिश्रमिक पर कर्मचारी की नियुक्ति करना,

जिले के उप/सहायक पंजीयक संबंधित सोसायटी के प्राधिकृत अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/ संचालन समिति/परिसमापक से प्राप्त प्रस्ताव/निर्णय/कार्यवाही विवरण का नियमानुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम, 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधियों के विहित प्रावधानों के अधीन 07 कार्य दिवस में परीक्षण कर आवश्यक प्रस्ताव सक्षम स्वीकृति अनुमति/अनुमोदन हेतु संभागीय संयुक्त पंजीयक को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे तथा संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा जिले के उप/सहायक पंजीयक द्वारा प्राप्त प्रस्ताव /निर्णय/कार्यवाही विवरण पर अनिवार्यतः 07 कार्य दिवस के अन्दर नियमानुसार सक्षम स्वीकृति/अनुमोदन/अनुमति प्रदान करेंगे, किन्तु यह विशिष्ट रूप से सावधानी बरतेंगे कि उनके द्वारा जारी सक्षम स्वीकृति/अनुमोदन/ अनुमति किसी भी स्थिति में संबंधित सोसायटी के संरचना/कार्य व्यवसाय/मूल स्वरूप में कोई परिणाम मूलक परिवर्तन नहीं होगा तथा संबंधित सोसायटी के बोर्ड के निर्वाचन की कार्यवाही यथाशीघ्र 06 माह के भीतर कराने की आवश्यक कार्यवाही भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

जिलों के उप/सहायक पंजीयक एवं संभागीय संयुक्त पंजीयक द्वारा प्राप्त प्रस्ताव/निर्णय/ कार्यवाही विवरण का निराकरण किसी भी स्थिति में निर्धारित समायवधि में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

सही
(अविनाश चम्पावत)
पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

नया रायपुर, दिनांक 28/07/2015

पृ.क्रमांक/विधि/2015/3672

प्रतिलिपि :–

01. संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/ दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.............................को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
03. श्री .... अपर/संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मुख्यालय को सूचनार्थ।

सही
पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

कमांक/विधि/79/सामान्य/2020/4384 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 16.12.2020

प्रति,

संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, जिला...
छत्तीसगढ, संभाग...

विषयः– छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 78 अपील प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण तथा निराकरण बाबत्।

संदर्भः– छत्तीसगढ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से जारी छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी(संशोधन) अधिनियम 2020 दिनॉक 13 अक्टूबर 2020.

छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 78 में हुए संशोधन के फलस्वरूप अधिनियम की धारा, 78 के प्रकरणों की अधिनियम/नियम के प्रावधानों के तहत प्रस्तुतीकरण तथा सुनवाई उपरांत निराकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावें।

<u>अधिनियम धारा 78 के अंतर्गत अपील प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण</u>

1. छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम 2020 दिनॉक 13 अक्टूबर 2020 में अधिनियम की धारा 78 की उपधारा 1(क) अनुसार जिला के उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा पारित मूल आदेश की अपील संबंधित संभाग के संभागीय अधिकारी, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं को होगी।
2. छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम 2020 दिनॉक 13 अक्टूबर 2020 को यथा संशोधित धारा 78 की उपधारा 1(ख) अनुसार संभागीय अधिकारी संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा पारित मूल आदेश की अपील रजिस्ट्रार को अथवा रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत अपर रजिस्ट्रार को होगी।
3. छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम 2020 दिनॉक 13 अक्टूबर 2020 को यथा संशोधित धारा 78 की उपधारा 1(ग) के अनुसार रजिस्ट्रार अथवा अपर रजिस्ट्रार द्वारा पारित मूल आदेश की अपील छत्तीसगढ राज्य सहकारी अधिकरण को होगी।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

क्रमांक/विधि/79/सामान्य/2020/4384 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 16.12.2020

प्रतिलिपि :–

विशेष सचिव, छ.ग. शासन सहकारिता विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

ब्लाक बी, 2तल एवं 3 तल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाषा न. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल — rcs.coop@nic.in

क्रमांक / विधि / 2020 / 4385 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 16.12.2020

प्रति,

संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं,
समस्त छत्तीसगढ.

विषयः– **छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में संशोधन अनुरूप कार्यवाही किए जाने बाबत्।**

संदर्भः– **छत्तीसगढ राजपत्र (असाधारण) दिनॉक 14 / 10 / 2020**

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित राजपत्र का अवलोकन करें। जिसके द्वारा छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की विभिन्न धाराओ में संशोधन किए गए है। किए गए मुख्य संशोधनों को संक्षिप्त विवरण एवं तत्संबंध में की जाने वाली कार्यवाहियों बाबत् निर्देश निम्नानुसार हैः–

1 धारा 6 रजिस्ट्रीकरण की शर्तेः– नवीन समिति के पंजीयन हेतु 20 व्यक्त्यिों के स्थान पर 10 प्रतिस्थापित किया गया है।

2 धारा 9(3) रजिस्ट्रीकरण :– सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्राप्त होने की तारीख से विनिश्चिय की 90 दिवस के भीतर के स्थान पर 45 दिवस प्रतिस्थापित किया गया है।

3 धारा 11 – मुल अधिनियम की धारा 11 में संशोधन किया गया हैं कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में संशोधन के 45 दिवस के भीतर उक्त संशोधन के अनुपालन में उपविधियों में संशोधन हेतु चार प्रतियों में प्रस्ताव विहित रीति से रजिस्ट्रार को प्रेषित करेगी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

4 धारा 11 (3) उपविधियां उपविधि संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन पर निराकरण किए जाने की अवधि पैतालीस दिन के स्थान पर

		तीस दिवस प्रतिस्थापित किया गया है।
5	धारा 19 सोसाइटी की सदस्यता	किसी व्यक्ति या सोसाइटी के सदस्यता संबंधी आवेदन के निराकरण हेतु तीस दिन की समय–सीमा का नवीन प्रावधान जोडा गया है, पूर्व में समय–सीमा का बंधन नही था।
6	धारा 48 7(ख) न्यूनतम सेवाएं	पूर्व में सोसाइटी के निर्वाचन में बोर्ड के सदस्य, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के लिए न्यूनतम सेवाओं का उपभोग करने हेतु पंजीयक द्वारा सेवाओं को घोषित किए जाने का प्रावधान था। जिसके स्थान पर अब सोसाइटी की उपविधि में सेवाओं के न्यूनतम स्तर को सम्मिलित किए जाने का संशोधन किया गया है।
7	धारा 58 संपरीक्षा	किसी सोसाइटी द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्ति की तारीख से छः माह के भीतर संपरीक्षक या संपरीक्ष फर्म की नियुक्ति नहीं की जाती है तो उस दशा में रजिस्ट्रार उस सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् संबंधित सोसाइटी में संपरीक्षक या संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति कर अंकेक्षण करायेगा। यह नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया है।

अधिनियम में हुए संशोधनों से अपने क्षेत्र की संस्थाओं को अवगत कराया जावे तथा किसी भी प्रकार की वैधानिक समस्या उत्पन्न न हो इसलिए यह आवश्यक है कि उपरोक्तानुसार अधिनियम में संशोधनों के प्रावधान के अनुकम में संदर्भित राजपत्र का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र की सोसाइटियों के संबंध में इस संशोधित प्रावधान का पालन सुनिश्चित करते हुए आपके स्तर से की जाने वाली कार्यवाहियों को पूर्ण करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

सही

(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

क्रमांक/विधि/2020/8385 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 16.12.2020

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सचिव, छ.ग. शासन, सहकारिता विभाग, "मंत्रालय" महानदी भवन, नवा रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, रायपुर।
3. प्रबंध संचालक, सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. समस्त छ.ग.।
4. प्रबंध संचालक, शीर्ष सहकारी संस्थाएं,समस्त छ.ग.।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/प्रबंधक, समस्त संभागीय/जिला स्तरीय सहकारी संस्थाएं, छ.ग.।
6. समस्त राजपत्रित अधिकारी, मुख्यालय।
7. समस्त कक्ष प्रभारी, मुख्यालय।
8. पंजीयन कक्ष प्रभारी की ओर राज्य स्तरीय समितियों की उपविधियों में संशोधन तथा न्यूनतम सेवाओं के उपविधियों में समावेश बाबत् आवश्यक यथोचित कार्यवाही हेतु।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ
विभागाध्यक्ष कार्यालय इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं. 0771–2511920, फैक्स नं. : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

कमांक/विधि/79/सामान्य/2020/4386 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 16.12.2020

प्रति,

संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, जिला–.....................................
छत्तीसगढ संभाग...

विषयः– छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 55 (2) एवं 64 के विवाद प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण बाबत्।

विभागीय बैठकों में धारा 55 (2) एवं 64 के प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण बाबत् संयुक्त/उप/सहायक पंजीयको द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है। अंतः उक्त प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण हेतु निम्ननुसार कार्यवाही की जावें ।

A. कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं में पदस्थ उप पंजीयक तथा सहायक पंजीयक को अधिनियम की धारा 55 (2) एवं 64 के प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण एवं निराकरण बाबत्।

1. अधिसूचना कमांक/एफ 15–23/15–02/2015/3 नया रायपुर दिनॉक 26 अक्टूबर 2017 में प्रदत्त अधिकार के तहत कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. में पदस्थ उप पंजीयक द्वारा उन सोसाइटीयों से संबंधित जिनकी वह रजिस्ट्री कर सकता है, सहकारी अधिनियम की धारा 55 (2) एवं 64 के विवाद प्रकरणों के निराकरण कर सकेगें।
2. अधिसूचना कमांक/एफ 15–23/15–02/2015/3 नया रायपुर दिनांक 26 अक्टूबर 2017 में प्रदत्त अधिकार के तहत कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं में पदस्थ सहायक पंजीयक, प्राथमिक संसाधन सोसाइटी, प्राथमिक उपभोक्ता सोसाइटी प्राथमिक बहुउद्देशीय सोसाइटी, प्राथमिक उत्पादक सोसाइटी, प्राथमिक औद्योगिक सोसाइटी एवं प्राथमिक कृषि सोसाइटी से संबंधित धारा 55 (2) एवं 64 के विवाद प्रकरणों के निराकरण कर सकेगें।
3. कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, में पदस्थ प्रभारी उप पंजीयक, (मूल पद सहायक पंजीयक) उनके कार्यक्षेत्र में उप पंजीयक, को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार धारा 55(2) एवं 64 के प्रकरणों का निराकरण कर सकेगें।

B. कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं में पदस्थ सहायक पंजीयको द्वारा न्यायायीन प्रकरणों के निराकरण बाबत्।

अधिसूचना कमांक/एफ 15–23/15–02/2015/4 नया रायपुर दिनॉक 26 अक्टूबर 2017 में प्रदत्त अधिकार के तहत कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं में पदस्थ सहायक पंजीयक ऐसे समस्त सोसाइटी जिनका रजिस्ट्रीकरण कर सकता है के संबंध में धारा 55 (2), 64 के प्रकरणों का निराकरण कर सकें।

C. कार्यालय उप पंजीयक एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं में पदस्थ सहायक पंजीयकों द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण बाबत्।

सहायक पंजीयकों के लिए सहकारी अधिनियम की धारा 55(2) एवं 64 के विवाद प्रकरणों की सुनवाई हेतु यह आवश्यक होगा कि उनके द्वारा विभागीय परीक्षा के अंतर्गत दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि एवं पांचवा प्रश्न पत्र प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

D. धारा 55(2) एवं 64 के तहत संभागीय/प्रदेश स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थाओं से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई बाबत्।

प्रदेश में शीर्ष सहकारी संस्थाओं, वित्तीय बैंकों एवं ऐसी सहकारी संस्थाएं जिसका विस्तार एक संभाग से अधिक कार्यक्षेत्र में विस्तारित हो तथा सहकारी शक्कर कारखाना से संबंधित धारा 55(2) एवं 64 के विवाद प्रकरण पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. के समक्ष प्रस्तुत होंगें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

पृ. कमांक/विधि/79/सामान्य/2020/4386 नवा रायपुर, दिनॉक 16/12/2020

प्रतिलिपिः–

विशेष सचिव, छ.ग. शासन सहकारिता विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला रायपुर।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

सहकारिता विभाग,
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर, 492002

क्रमांक/एफ 15–20/15–02/2017/1514 नया रायपुर, दिनांक 01/06/2017

प्रति,

पंजीयक

सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़,

इन्द्रावती भवन, नया रायपुर..

विषय – राज्य स्तरीय (शीर्ष) सोसाइटियों के निर्वाचन संबंधी विवाद के निराकरण बाबत्।

संदर्भ :– आपका प्रस्ताव क्रमांक 1592 दिनांक 25.03.2017.

—00—

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 50–ख के प्रावधान अनुसार सहकारी सोसाइटियों के बोर्ड का निर्वाचन संपन्न कराने का दायित्व राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का है। सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन की प्रक्रिया में सहकारिता विभाग के अधिकारी सम्मिलित नहीं रहते है। अतः जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निराकरण अधिनियम की धारा 64(2)पांच के प्रावधान अनुसार सहकारिता विभाग के संबंधित संभाग/जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा स्वयं निराकरण किया जा सकता है अथवा निर्वाचन संबंधी विवाद की सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारियों को भी प्रकरण हस्तांतरित किया जा सकता है। राज्य स्तरीय (शीर्ष) सोसाइटियों के निर्वाचन संबंधी विवाद रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रावधान के तहत स्वयं निराकृत कर सकते हैं।

तद्नुसार कार्यवाही करना सुनिशित करेंगे।

सही

(पी.एस.सपराज)

उप सचिव

छत्तीसगढ शासन

सहकारिता विभाग

कार्यालय पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर
दूरभाष नं 0771–2511920, फैक्स नं : 2511918 ईमेल –rcs.coop@nic.com

क्रमांक / स्थापना–1 / OF-90 / 2020 / 4224 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 07.12.2020

प्रति,

अपर / संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, समस्त
मुख्यालय / संभाग / जिला.............................(छ.ग.)

विषयः– विभागीय कार्यो के आधार पर गोपनीय चरित्रावली के मतांकन बाबत्।

विषयांतर्गत किसी शासकीय सेवक के विषय में प्रश्नाधीन वर्ष में उसके द्वारा किये गये कार्यो की गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता के विषय में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संक्षेप में लिखा लाने वाला एक गोपनीय दस्तावेज अत्यंत सावधानीपूर्वक एवं न्यायपूर्वक लिखा जाना चाहिए। रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने नियंत्रणाधीन कर्मचारी / अधिकारी के कर्तव्य व आचरण का सावधानीपूर्वक अवलोकन व आश्यकतानुसार मार्गदर्शन करें। वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन ऐसे अवलोकनों, नियतकालीन निरीक्षण के मापन योग्य परिणाम तथा ऐसे कार्यो पर आधारित होना चाहिए जो उसकी दृष्टि में आए।

सहकारिता विभाग एक नियामक विभाग है जो मूलतः छत्तीसगढ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत तथा राज्य शासन के लोक कल्याणकारी कार्यो के संपादन से जुडी सहकारी संस्थाओं के गठन, पंजीयन, पर्यवेक्षण, अंकेक्षण, निरीक्षण, आर्थिक सहायता, विवादों के निवारण तथा परिसमापन संबंधी दायित्वों का निर्वहन अधिनियम के प्रावधान अनुसार करता है। विभागीय गतिविधियों का मुख्य आधार इन सहकारी संस्थाओं से संबंधित अधिनियम अंतर्गत सौंपे गये कार्यो का संपादन ही है।

प्रायः यह देखने में आता है कि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन संबंधी जो प्रपत्र प्रतिवेदन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसमें विभागीय गतिविधियों यथा पंजीयन, अंकेक्षण, निरीक्षण, परिसमापन, निर्वाचन अधिनियम के धाराओं के तहत न्यायलयीन प्रकरणों के निराकरण आदि के संबंध में कोई भी लक्ष्य / पूर्ति संबंधी जानकारी नहीं भरी जातीं, जिससे विभागीय आवश्यकतानुरूप कार्यो का मूल्यांकन नही हो पाता दिनॉक 09.10.2020 को सचिव सहकारिता विभाग द्वारा वीडियो कांन्फेसिंग से की गई समीक्षा में विभाग के मूल कार्यो में प्रगति / निराकरण संतोषजनक नही पाया गया तथा यह निर्धारित किया गया है कि विभाग के मूलकार्य के आधार पर ही गोपनीय चरित्रवली का अंकन होना चाहिए।

अतः भविष्य में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन में निम्न विभागीय मूल कार्यो का समावेश अनिवार्य रूप से किया जावे–

1. लोकसेवा गांरटी के तहत सहकारी समितियों का पंजीयन।
2. सहकारी संस्थाओं के निरीक्षण तथा धारा 60 के निरीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाहीयों।
3. अंकेक्षण – 1. वार्षिक 2. लंबित।

4. अंकेक्षण शुल्क मांग, वसूली।
5. छत्तीसगढ सहकारी, सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा–55(2), 64 आदि के तहत न्यायलयीन प्रकरणों का निराकरण।
6. धारा 49(8), 53, के तहत अधिग्रहित संस्थाओं के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करना व निर्वाचन कराना।
7. शासकीय ऋण, अंशपूंजी की वसूली।
8. मननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ, बिलासपुर में जवाबदावा प्रस्तुतीकरण।
9. परिसमापनाधीन समितियों का निराकरण।
10. पेंशन प्रकरण एवं विभागीय जांच प्रकरणों का निराकरण।

उपरोक्त कार्यो में निर्धारित लक्ष्य/पूर्ति की प्रगति अनुसार प्राप्त अंकलन आधार पर ही गोपनीय चरित्रावली में टीप अंकित की जावें। समस्त समीक्षक / स्वीकारकर्ता अधिकारी उपरोक्त मानदण्डो को स्पष्टता परीक्षण उपरांत ही अपनी टीम अंकित करेंगे।आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि अपने अधिनस्थ अमले की गोपनीय चरित्रावली भी उपरोक्त मापदण्डो के आधार पर ही लिखी जावें।

सही
(हिम शिखर गुप्ता)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ

कमांक/स्थापना–1/OF-90/2020/4224 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनॉक : 07.12.2020

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ।
2. स्थापना कक्ष, टेबल कमांक 04, मुख्यालय।

की ओर उपरोक्तनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ